भारत सरकार

परिणाम बजट
2007-2008

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 2
बाल फिल्म समिति, भारत 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 3
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 4
फिल्म समारोह निदेशालय 4
फिल्म प्रभाग 7
भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 9
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 9
सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 10
भारतीय जन संचार संस्थान 11
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 12
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 12
पत्र सूचना कार्यालय 14
भारतीय प्रेस परिषद 16
फोटो प्रभाग 18
प्रकाशन विभाग 18
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 19
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 20
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 20
गीत एवं नाटक प्रभाग 21
एफ. एम. रेडियो (निजी) 21
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा 21
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 22
सामुदायिक रेडियो 22
सूचना भवन का निर्माण 22
आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना) 23
प्रसार भारती 23
आकाशवाणी 23
दूरदर्शन 24
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड 25

अध्याय - I

अधिदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य, नीतिगत स्वरूप और नीति विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 26
बाल फिल्म समिति, भारत 28
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 29
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 30
फिल्म समारोह निदेशालय 30
फिल्म प्रभाग 31
भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 31
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 32
सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 35
भारतीय जन संचार संस्थान 39
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 40
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 41
पत्र सूचना कार्यालय 42
भारतीय प्रेस परिषद 44
फोटो प्रभाग 45
प्रकाशन विभाग 45
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 45
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 46
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 47
गीत एवं नाटक प्रभाग 49
एफ. एम. रेडियो (निजी) 56
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा 56
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 57
सामुदायिक रेडियो 57
सूचना भवन का निर्माण 57
आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना) 57
प्रसार भारती 58
आकाशवाणी 58
दूरदर्शन 61
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड 63

अध्याय - II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 65
बाल फिल्म समिति, भारत 67

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 70
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 71
फिल्म समारोह निदेशालय 78
फिल्म प्रभाग 82
भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 87
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 89
सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 99
भारतीय जन संचार संस्थान 104
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 106
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 107
पत्र सूचना कार्यालय 108
भारतीय प्रेस परिषद 112
फोटो प्रभाग 113
प्रकाशन विभाग 115
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 118
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 122
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 124
गीत एवं नाटक प्रभाग 128
एफ. एम. रेडियो (निजी) 130
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा 131
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 132
सामुदायिक रेडियो 133
सूचना भवन का निर्माण 134
आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना) 135
प्रसार भारती 136
आकाशवाणी 136
दूरदर्शन 152
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड 159

अध्याय - III

मंत्रालय की नीतिगत पहल और सुधार के उपाय

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 161
बाल फिल्म समिति, भारत 161
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 161
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 161
फिल्म समारोह निदेशालय 162
फिल्म प्रभाग 162

भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 162
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 164
सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 165
भारतीय जन संचार संस्थान 165
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 166
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 166
पत्र सूचना कार्यालय 169
भारतीय प्रेस परिषद 169
फोटो प्रभाग 170
प्रकाशन विभाग 170
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 172
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 173
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 174
गीत एवं नाटक प्रभाग 174
एफ. एम. रेडियो (निजी) 174
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा 175
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 175
सामुदायिक रेडियो 176
सूचना भवन का निर्माण 176
आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना) 176
प्रसार भारती 177
आकाशवाणी 177
दूरदर्शन 177
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड 179

अध्याय - IV

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 180
बाल फिल्म समिति, भारत 183
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 186
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 191
फिल्म समारोह निदेशालय 192
फिल्म प्रभाग 194
भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी 201
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 203
सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 204
भारतीय जन संचार संस्थान 205

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 208
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 213
पत्र सूचना कार्यालय 216
भारतीय प्रेस परिषद 222
फोटो प्रभाग 223
प्रकाशन विभाग 225
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 233
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 234
गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग 236
गीत एवं नाटक प्रभाग 239
एफ. एफ. रेडियो (निजी) 242
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा 244
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 245
सामुदायिक रेडियो 246
सूचना भवन का निर्माण 247
आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना) 248
प्रसार भारती 249
आकाशवाणी 249
दूरदर्शन 265
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड 276
अध्याय - V - वित्तीय समीक्षा 277
अध्याय - VI - स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और कार्य-निष्पादन
बाल फिल्म समिति, भारत (सूचना और प्रसारण मंत्रालय का स्वायतशासी निकाय) 297
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के कार्यों की समीक्षा 298
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 298
भारतीय जनसंचार संस्थान 300
भारतीय प्रेस परिषद 300
आकाशवाणी 300
दूरदर्शन 300

कार्यकारी सारांश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय आम लोगों तक स्वतंत्र रूप से सूचनाएं पहुंचाने के कार्य में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। इसके लिए वह रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचार पत्रों, विज्ञापनों और नृत्य तथा नाटक जैसे परंपरागत जन संचार माध्यमों का सहारा लेता है। यह मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की बौद्धिक और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य की देखभाल, निरक्षरता दूर करने जैसे राष्ट्रीय मामले पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की समस्याओं पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इस मंत्रालय के चार खण्ड हैं - सूचना खण्ड, प्रसारण खण्ड, फिल्म खण्ड, समन्वित वित्त खण्ड।

2. आबंटित कार्यों के नियमानुसार इस मंत्रालय के पास सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र के विभिन्न दायित्व हैं जिन्हें वह मुद्रण और इलेक्ट्रानिक माध्यमों और फिल्मों के जरिए क्रियान्वित करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दायित्व

- भारत और देश के बाहर रहने वाले भारतीय लोगों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से समाचार सेवा
- फिल्म निर्यात और आयात
- फिल्म उद्योग का विकास और प्रोत्साहन
- इस कार्य के लिए फिल्म समारोहों का आयोजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- भारत सरकार के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार
- भारत सरकार की नीतियों को दर्शाने के लिए समाचार पत्रों से संपर्क करना और इनके प्रकाशन के बाद लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना
- समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को लागू करवाना
- राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर देश के भीतर और बाहर सूचना प्रदान करने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन
- गवेषणा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यों के जरिए मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों की सहायता करना
- मंत्रालय के संस्थानों को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रतिष्ठित कलाकारों, संगीतज्ञों, वादकों, नर्तकों, रंगकर्मियों आदि को वित्तीय मदद प्रदान करना
- प्रसारण और समाचार सेवाओं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम करना

3. मंत्रालय से जुड़े और उसके अधीन कार्य करने वाले 14 कार्यालय, 6 स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उसके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय से जुड़े और उसके अधीन कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की स्थिति तथा विभिन्न योजना स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) के अंतर्गत की गयी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रदर्शन की फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान करना है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली और गुवाहाटी में है। बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं :

i) अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (यू प्रमाणपत्र)

ii) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए व्यस्कों (यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) तक सीमित फिल्मों को प्रमाणित करना (ए प्रमाणपत्र)

iii) 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों के लिए चेतावनी की प्रविष्टि के साथ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (यू ए प्रमाणपत्र)

iv) किसी व्यवसाय या व्यक्तियों के वर्ग के लिए प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (एस प्रमाणपत्र)

v) अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं कि वह फिल्मों को प्रमाणित करने से पहले उनमें संशोधन के आदेश दे सकता है।

vi) बोर्ड फिल्मों को प्रमाणित करने से पूरी तरह इंकार करने में भी सक्षम है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। सूचना अधिकार अधिनिमय 2005 को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय ने सभी संबद्ध आंकड़ें वेबसाइट www.cbfcindia.gov.in के जरिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराए हैं। इनमें बजट आवंटन, सीबीएफसी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन सहित कुल आहरित वेतन संबंधी आंकड़ें भी शामिल हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 को देखते हुए इसे द्विभाषी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की सभी खरीद की जानकारी इंटरनेट पर प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है। मुंबई स्थित क्षेत्रीय अधिकारी के परामर्श से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निगरानी रखी जाती है। ऐसा करते समय क्षेत्रीय प्रमुखों से भी सलाह मशवरा किया जाता है। उन्हें धन आवंटित करने से पहले भी उनका परामर्श लिया जाता है।

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

बाल फिल्म समिति, भारत की स्थापना मई 1955 में 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय

के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय के तौर पर काम करती है और इसे अपनी योजना और गैर-योजना गतिविधियों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। बाल फिल्म समिति बच्चों को मूल्यपरक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही फिल्मों के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक जरूरतों को भी पूरा करती है।

इसका संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार है :

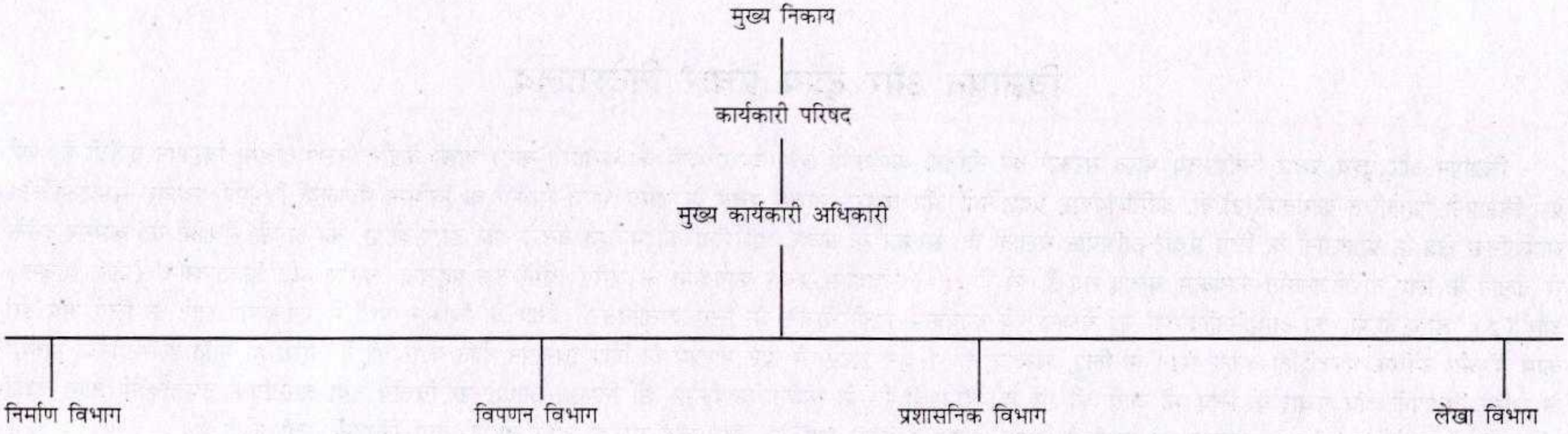

अध्यक्ष, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, समिति का प्रमुख होता है। अध्यक्ष (चेयरपरसन) कार्यकारी परिषद और मुख्य निकाय का भी प्रमुख होता है, जिसके सदस्यों को भारत सरकार नामित करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तहत सभी निकायों के प्रमुख आते हैं। वह प्रशासन, उत्पादन, विपणन और लेखा विभागों की दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है। सीएफएसआई का मुख्यालय मुम्बई में है जबकि शाखा कार्यालय दिल्ली और चेन्नई में है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य, स्वास्थ्य के संबंध में तथा राष्ट्रीय एकता एवं अन्य मुद्दों के बारे में सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में जन समूह में जानकारी का प्रचार-प्रसार करना और लक्षित समूह विशेषकर दूर-दराज के तथा दुर्गम क्षेत्र के लोगों के बीच जगरूकता पैदा करना है।

क्षेत्र प्रचार निदेशालय, प्रोजेक्टर, डी.वी.डी. प्लेयर, डब्लू-पी.ए. सिस्टम खरीदता है ताकि प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा फिल्म शो किए जा सकें। वह प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न भाषाओं की विविध विषयों पर फिल्म डिवीजन तथा डी.ए.वी.पी. से फिल्म और कैसेट भी खरीदता है।

क्षेत्र प्रचार निदेशालय की कार्यप्रणाली की नियमित आधार पर मानीटरी की जाती है। सरकारी स्कीमों एवं नीतियों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पूरे देश से सूचनाएं मंगाई जाती हैं। व्यय के रुझान की मानीटरी करने के लिए क्षेत्र प्रसार निदेशालय से समय-समय पर व्यय/विवरण एवं तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्ट

मंगाई जाती है। किसी अवधि विशेष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करने वाले फार्मेटों का उपयोग करते हुए एक माह के भीतर किए गए कार्यक्रमों की संख्या के बारे में क्षेत्र प्रचार निदेशालय से इसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

क्षेत्र प्रचार निदेशालय की वेबसाईट को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है तथा समस्त प्रकार की संगत सूचना साईट में दी जाती है। इस सूचना को आम जनता आसानी से प्राप्त कर सकती है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाली केंद्रीय मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञापनों, प्रायोजित कार्यक्रमों टी.वी. कर्मिशियल्स, प्रदर्शनियों और बाहरी माध्यम प्रचार के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए प्रचार अभियान चलाती है। सरकार के प्रचार अभियानों को मजबुत बनाने और डी.ए.वी.पी. को अपनी सेवाओं को कारगर तरीके से चलाने के लिए दो योजनागत कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये हैं- (1) 'विकास प्रचार कार्यक्रमो के जरिए लोगों तक पहुंचना: धारणा और क्रियान्वयन' (जारी योजना) और (2) 'डी.ए.वी.पी. का आधुनिकीकरण' नई योजना। ये कार्यक्रम 11वीं योजना के लिए प्रस्तावित हैं प्रचार के विभिन्न पक्षों में एकरूपता लाने के लिए और इस काम में और अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सरकार ने 1 जून 2006 से प्रिंट माध्यम के लिए विज्ञापन नीति जारी की है। ऐसी ही नीति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए विज्ञापनों और प्रचार के लिए भी जारी की गई है। डी.ए.वी.पी. के योजना कार्यक्रमों की तिमाही आधार पर वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लगातार समीक्षा की जाती है इसके इलावा विभिन्न मद्दों के अंदर खर्च पर भी डी.ए.वी.पी. द्वारा निगरानी रखी जाती है।

फिल्म समारोह निदेशालय

उद्देश्य एवं लक्ष्य

देश के भीतर अच्छे भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना।

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना देश में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए की गई थी। डीएफएफ विदेशी समारोहों में भारत की भागीदारी में मदद करता है, भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेश में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करता है।

- उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशकों की फिल्में, समारोह दिखाता है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में, डीएफएफ अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ावा देता है, विश्व सिनेमा में नये आयामों तक पहुंच प्रदान करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है तथा इस प्रक्रिया में, भारतीय फिल्मों के स्तर को सुधारने में मदद करता है।

मॉनिटरिंग

फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम -

1. भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
2. भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन
3. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
4. विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी
5. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

उक्त व्यैक्तिक कार्यक्रम सम्बद्ध गतिविधियों की योजना के साथ आरम्भ होंगे तथा एक जॉब चार्ट तैयार किया जाता है जिसमें भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए आयोजन समिति सहित विभिन्न उप-समितियां बनाना शामिल है। जॉब चार्ट मुख्य क्षेत्रों जैसे बजट योजना, प्रोग्रैमिंग, विनियमनों का गठन तथा जॉब चार्ट आदि के अनुसार आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित बैठकें बुलाने पर आधारित होता है। एकक इंचार्ज द्वारा समय-बद्धता के पालन पर खास नजर रखी जायेगी।

प्रचार

निदेशालय की उपर्युक्त गतिविधियों का प्रचार निम्न के द्वारा किया जाता है -

1. पीआईबी के जरिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियां
2. डीएवीपी के जरिए समाचारपत्रों में नियमित विज्ञापन
3. डीएवीपी के जरिए कार्यक्रमों के दौरान बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं।
4. कार्यक्रमों के दौरान समारोह से संबंधित प्रकाशन सामग्री जारी की जाती हैं।
5 सूचनाएं भारत में विदेशी दूतावासों तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के जरिए जारी की जाती हैं।
6. वेबसाइटके माध्यम से
7. भारत तथा विदेश में विभिन्न फिल्म निर्माण संगठनों के जरिए जानकारी दी जाती है।
8. भारत में विभिन्न फिल्म समितियों के जरिए जानकारी दी जाती है।

विशिष्टताएं

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह - इफ्फी, 2006

- भारत का 37वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2006 गोवा की राज्य सरकार के सहयोग से 23 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2006 तक गोवा में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के लिए शशि कपूर मुख्य अतिथि थे।

- पहली बार एक पोस्टर प्रदर्शनी राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के जरिए गोवा में इफ्फी (2006) के दौरान आयोजित की गई।

इस प्रदर्शनी को एक उपयुक्त शीर्षक, "एन ऑडिसी ऑफ इंडियन फिल्म पोस्टर्ज थ्रू द डिकेड्स" दिया गया जिसमें 198 पोस्टरों के प्रिन्ट (कुछ मूल पोस्टरों सहित) प्रदर्शित किए गये।

कुछ अति दुर्लभ पोस्टरों के अतिरिक्त, एक मूल प्रशस्ति-पत्र, जो फिल्म सन्त तुकाराम के लिए 1936 में वेनिस समारोह से प्राप्त हुआ था, भी प्रदर्शनी में रखा गया। सन्त तुकाराम पहली भारतीय फिल्म थी जिसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई तथा इसे सर्वश्रेष्ठ तीन में से एक चुना गया।

पहल

1. प्रतिनिधियों का ऑनलाइन पंजीकरण :

इफ्फी-2006 के दौरान, इफ्फी की वेबसाइट को पुर्नडिजाइन करके उसमें बढ़िया सामग्री रखी गई तथा अक्तूबर, 2006 के प्रथम सप्ताह से प्रतिनिधियों के पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन ई-भुगतान का प्रावधान किया गया। यह सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया जिससे भारत तथा विदेशों से आये 5000 से अधिक प्रतिनिधियों का समस्या रहित पंजीकरण करने के वादे को पूरा करने में मदद मिली।

2. तकनीकी सिंहावलोकन

फिल्मी छात्रों तथा फिल्म उद्योग के तकनीशियनों के लाभ के लिए, तीन तकनीकी सिंहावलोकनों का आयोजन किया गया।

(क) डिजीटल सम्पादन

हॉलीवुड से एक सम्पादकीय विशेषज्ञ, जिन्होंने एविड डिजीटल एडिटिंग की कला विकसित की थी, को डिजिटल दैनिकों, असंशोधित डिस्पले सिस्टमों, रिमोट कोलैबोरेशन सिस्टमों, न्यू हाइब्रिड प्रॉडक्शन सिस्टमों तथा डिजीटल माध्यमिक प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हुए तकनीकी सिंहावलोकन आयोजित करने के लिए बुलाया था।

(ख) एनिमेशन एवं डिजीटल इफैक्ट्स

फिल्मी छात्रों, विशेषकर मल्टी मीडिया विजुअल कम्युनिकेशन छात्रों, के लाभ के लिए एनिमेशन एवं डिजीटल इफैक्ट्स पर सिंहावलोकन आयोजित करने के लिए इटली से विश्व एनिमेशन विशेषज्ञ बुलाए गये। सिंहावलोकन बहुत अच्छा रहा तथा छात्र डेलीगेटों ने इसे खूब सराहा।

(ग) फिल्मों का पुनरुद्धार

फिल्म उद्योग के लोगों की प्रार्थना पर यह सिंहावलोकन बहुत पहले शुरू किया गया था चूंकि कई कारणों की वजह से फिल्म प्रयोगशालाओं द्वारा फिल्मों को सुव्यवस्थित ढंग से अनुरक्षित नहीं किया जाता। इटली की एक अग्रणी प्रयोगशाला के साथ बातचीत की गई तथा पिल्मों के पुनरुद्धार पर सिंहावलोकन आयोजित करने के लिए एक तकनीशियन की सेवाएं देने की गुजारिश की गई।

यहां यह कहना प्रासंगिक है कि सिंहावलोकन को अन्तिम रूप देने के बाद, सभी फिल्म व्यापार संगठनों तथा अग्रणी फिल्म संस्थानों को सिंहावलोकन में भाग लेने के लिए सूचना पत्र भेजे गये।

फिल्म समारोह निदेशालय को अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने, देश और विदेश में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने, फिल्म सप्ताहों का आयोजन तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य थे भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सूचना, शिक्षा, संप्रेरणा एवं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए जरूरी वृत्तचित्रों, एनीमेशन, लघु एवं कार्टून फिल्मों का निर्माण एवं वितरण। फिल्म प्रभाग 1953 के सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट तथा विभिन्न राज्यों के कानूनों के अंतर्गत सिनेमा दिखाने वालों को जरूरी कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत 'अनुमोदित फिल्मों' के प्रदर्शन की जिम्मेदारी निभाने में सहायता करता है। स्वतंत्र वृत्तचित्र निर्माताओं से फिल्में बनवा कर विभिन्न राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शामिल होकर और वृतचित्रों आदि के प्रतियोगिता-आधारित द्विवार्षिक मुंबई अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेकर यह देश में वृत्तचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। फिल्म प्रभाग का अपनी फिल्मों का एक अभिलेखागार है जिसमें सिनेमा-प्रेमियों के लिए उसकी 8000 से ज्यादा फिल्में रखी गई हैं जो संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं। भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसने अभिलेखागार की फिल्मों का सेल्युलाइड से वीडियो फार्मेट में डिजीटलीकरण करना शुरू कर दिया है।

फिल्म प्रभाग का मुख्यालय मुंबई में और क्षेत्रीय उत्पादन केंद्र बंगलौर, कोलकता और नई दिल्ली में है। फिल्म निर्माण से पहले और बाद में जरूरी आधुनिकतम मूल सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं। इसका बड़ा वितरण नेटवर्क है जिसके अंतर्गत देश भर में 10 शाखा कार्यालय हैं जो सिनेमा-प्रेमियों और देश के 12000 सिनेमाघरों को अनुमोदित फिल्में उपलब्ध कराते हैं।

फिल्म प्रभाग का प्रमुख मुख्य निर्माता (चीफ प्रोड्यूसर) होता है जिसकी सहायता के लिए एक संयुक्त मुख्य निर्माता और 4 उप मुख्य निर्माता होते हैं। इस प्रभाग के प्रशासन पक्ष के जिम्मेदारी निदेशक (प्रशासन) संभालता है जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है। ये ग्रुप ए सेवाओं के उन अधिकारी उम्मीदवारों में से चुने जाते हैं जो 12 से 15 वर्ष की सेवा कर चुके होते हैं।

फिल्म प्रभाग के कर्मचारियों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 934 हैं। इसमें फिलहाल 811 पद ही भरे हैं और 123 खाली पड़े हैं। इनका ग्रुपवार विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	स्वीकृत पद	भरे पद
1.	ग्रुप ए	44	23
2.	ग्रुप बी (राजपत्रित)	77	67
3.	ग्रुप बी (अ-राजपत्रित)	67	61
4.	ग्रुप सी	496	440
5.	ग्रुप डी	250	220
	जोड़	934	811

फिल्म प्रभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का संगठनात्मक ढांचा

मुख्य निर्माता

संयुक्त मुख्य निर्माता

उप मुख्य निर्माता

निर्माता निदेशक

तकनीकी अनुभागों के अनुभाग प्रमुख

निदेशक (प्रशासन) — वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी — सहायक प्रशासन अधिकारी — प्रशासनिक अनुभागों के प्रमुख

आई एफ ए — उपनि (लागत) — सहा.नि. (लागत) — लेखा अधिकारी — वित्तीय अनुभागों के प्रमुख

प्रभारी अधिकारी (वितरण) — वरिष्ठ शासन प्रबंधक — वितरण अनुभागों के प्रमुख

भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय योजना)

फिल्म उद्योग के निर्यात संवर्द्धन में समर्थ होने तक उसकी सहायता करने और दूसरी तरफ फिल्मों की चोरी रोकने तथा देश के प्रत्येक कोने में फिल्म समारोह आंदोलन के प्रसार के लिए इस मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने दो प्रमुख सचिवालयी कार्यक्रमों के जरिए 600 लाख रुपये प्रदान किए। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों/राज्य सरकारों के निकायों/निजी निकायों, आदि के जरिए लागू किया गया। भारतीय फिल्म समिति परिसंघ (एफएफएसआई), करीब ढाई सौ फिल्म समितियों की शीर्ष संस्था है। यह परिसंघ फिल्म जागरूकता पैदा करने और सिनेमा के क्षेत्र में दर्शकों की रुचि विकसित करने में योगदान करता है। एफएफएसआई को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

फिल्म बाजारों में भागीदारी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के प्रभाव में वृद्धि करना है। इसके जरिए फिल्मों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों की जानकारी हासिल करने और वास्तविक व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद मिलती है। विश्व में केन्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म बाजार आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित और उसे सुविधाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

भागीदारी और उपलब्धियों का ब्योरा प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है और मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। फिक्की/सीआईआई भी अपनी रिपोर्टें जारी करते हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

यह फिल्म निर्माण की कला और तकनीक में प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान है। सरकार इसे अपनी नीति के अनुसार संचालन, प्रशिक्षण सुविधाओं के समुन्नयन के लिए योजना और गैर-योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान सहायता देती है। पर्याप्त प्रचार और खुली बोलियां आमंत्रित करके बहुत पारदर्शी तरीके से इसके लिए मशीनरी और उपकरण खरीदे जाते हैं। भवन निर्माण/बिजली का काम मंत्रालय के विभागों द्वारा किए जाते हैं।

योजना शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय के उपयोग का आधारभूत उद्देश्य प्रशिक्षण सुविधाओं और तरीकों का समुन्नयन और आधुनिकीकरण करना है ताकि प्रशिक्षित जनशक्ति बढ़ाई जा सके, वर्तमान सुविधाओं का मूल सुविधा के रूप में विकास किया जा सके और बाहरी फिल्म निर्माताओं को उपलब्ध सेवाएं दी जाएं जिससे राजस्व बढ़े और संस्थान आत्मनिर्भर बन सके।

ग्यारहवीं योजना में निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है –

अ. चल रही स्कीम

1) फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे का उन्नयन

- मशीनें एवं उपकरण
- भवन निर्माण एवं बिजली का काम
- एफटीआइआई, पुणे का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण

2. एफटीआईआई, पुणे में मानव संसाधन विकास

- सामुदायिक रेडियो की व्यवस्था
- कैप्टिव टीवी चैनल की स्थापना
- छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम एवं छात्रवृति सहित मानव संसाधन पक्ष

ब. नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया)

मानीटरिंग तंत्र

एफटीआईआई, पुणे के आधुनिकीकरण एवं समुन्यनन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं वित्तीय मानटरिंग तंत्र उपकरणों की खरीद, भवन एंव विद्युत निर्माण संबधी कार्यो, हार्डवेयर मदों/साफ्टवेयर मदों की खरीद, लाइसेंस, अनुसंधान, स्वामिभक्त, प्रतिभा शुल्क आदि मदों की खरीद, लाइसेंस अनुसंधान, स्वामिभक्ति, प्रतिभा शुल्क आदि संबंधी कार्यों एवं कार्यक्रम उत्पादन, फिल्मों से स्थानांतरण, श्रोता अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आदान प्रदान/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान में उपलब्धियों के रूप में दिखाई देगा।

सार्वजनिक सूचना व्यवस्था - एफटीआईआई, पुणे की प्रशिक्षण गतिविधियों/पाठयक्रमों को वेबसाइट/प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाता है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

संस्थान का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए फिल्म और टेलीविजन के बारे में विभिन्न कोर्स चलाना है। प्रति वर्ष यहां से लगभग 40 छात्र निकलते हैं। मुख्य उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग दोनों ही के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराना है। कोलकाता का सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान मानव संसाधनों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संस्थान है। यह संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्रिकी छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है। इनमें से प्रत्येक शाखा में दस-दस छात्र लिए जाते हैं। फिल्म तथा टेलीविजन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलाजी के बारे में अनुसंधान और खोजी अध्ययनों पर भी यह संस्थान ध्यान देता है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जिसे सरकार द्वारा पूर्णतया धन उपलब्ध कराया जाता है। संस्थान के लिए धन प्राप्ति का कोई अन्य बाहरी स्रोत नहीं है।

सिनेमा और टेलीविजन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के अपने मूल दायित्व के साथ-साथ दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दर्ज कराना भी संस्थान का एक और घोषित उद्देश्य है।

और अधिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस संस्थान का निम्नलिखित नए कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है, जो बुनियादी ढांचे और संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

मानीटरिंग व्यवस्था

आयोजना स्कीमों पर निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों के स्तर के माध्यम से निकट से निगाह रखी जाती है। पूरे साल के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय किए जाते हैं और उन्हें बराबर-बराबर तिमाहियों में बांट दिया जाता है। भौतिक लक्ष्यों को खरीदे गए उपकरणों, छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों और अन्य सेवाओं आदि के माध्यम से मापा जाता है। वित्तीय लक्ष्यों की मानीटरिंग के लिए व्यय के रुझान पर निगाह रखी जाती है। मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए अत्यंत पारदर्शी तरीके और व्यापक प्रचार की मदद से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सिविल और इंजीनियरी के काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सीसीडब्ल्यू (सिविल/विद्युत) के माध्यम से कराया जाता है।

जन सूचना प्रणाली

संस्थान के कोर्सों तथा अन्य शैक्षणिक कार्यकलापों के बारे में नियमित रूप से मीडिया में प्रकाशन किया जाता है। संस्थान की वैबसाइट पर भी संस्थान के बारे में सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक मीडिया भी समय-समय पर संस्थान की गतिविधियों के बारे में व्यापक कवरेज प्रदान करता रहता है। संस्थान की सूचना अधिकार शाखा भी विशिष्ट प्रश्नों के जवाब तत्काल दे देती है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान को अनुदान सहायता सरकार की निगरानी में जारी की जाती है। कार्यकारणी की बैठकों के दौरान, आईआईएमसी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठकों के दौरान सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी मंत्रालय में मासिक व्यय विवरणों और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा की जाती है।

आम जनता के लिए सूचना हेतु आईआईएमसी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को नियमित अद्यतन किया जाता है और आम जनता इस वेबसाइट के जरिये संबद्ध जानकारी पा सकेगी।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पास दो स्वीकृत योजना स्कीमें हैं -

1. अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति व प्रदर्शन
2. एनएफएआई पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य

एनएफएआई की योजना स्कीमों की प्रगति की निगरानी मासिक त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति विवरणों के माध्यम से की जाती है जो नियमित रूप से मंत्रालय को भेजे जाते हैं। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत एनएफएआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में हुई प्रगति की जानकारी एनएफएआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। स्कीम के प्रदर्शन पर स्वीकृत योजना आवंटन के भीतर नियन्त्रण रखा जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

भारतीय मनोरंजन उद्योग में विभिन्न कारणों जैसे भारतीय फिल्मों एवं अन्य मनोरंजन साफ्टवेयर के लिए विदेशी बाजारों के द्वारा, एनीमेशन, विशेष प्रभाव, ग्राफिक्स, संगीत दृश्य/श्रव्य तथा दूरदर्शन साफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ने तथा दूसरी ओर ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों की विविध भाषाओं में उपग्रह और केबल चैनल के आ जाने से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। थियेटरीकल प्रदर्शनी के परंपरागत तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है। क्योंकि मल्टीप्लेक्स थियेटरों की बढ़ती संख्या ने अपनी ओर आकर्षित किया है। इससे न केवल फिल्म निमातओं एवं अधिकार धारकों (राईट होल्डरों) ने अपनी फिल्मों के लिए अधिक लाभ कमाने के अवसर खोले हैं। बल्कि इससे तकनीशियन और अन्य कलाकारों का एक भारी-भरकम समूह बन गया जो कि पालियों में कार्य करके अच्छी कमाई भी कर रहा है। वास्तविकता यह है कि अब आप भारतीय परिवार भले ही मध्यम, निम्न मध्यम व गरीबी की श्रेणी में आता हो, लेकिन वह भी भरपूर मनोरंजन कर सकता है। थियेटर में और टेलीविजन के माध्यम से घर बैठे वहनीय कीमत में फिल्म देख सकता है। इस उद्योग के विकास को सुनिश्चित करते हुए पाइरेसी तथा एकल थियेटर और मल्टी प्लेक्स में मंहगे टिकटों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। फिंल्मों के निर्माण में वित्त व्यवस्था के लिए आईडीबीआई तथा तकनीक एवं अन्य व्यवासयिक बैंकों के प्रवेश से फिल्म उद्योग के विकास को बल मिला है। इस बात का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि देश में प्रति वर्ष विभिन्न भाषाओं में लगभग 1000 फिल्में बनाई जाती हैं। इस पृष्ठभूमि में हमें एक संगठन के रूप में अपनी शक्ति और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग की क्षमता और उपलब्ध भावी अवसरों का विश्लेषण करना होगा।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस निगम की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा निम्न कार्यवाही योजना तैयार की गई है :

क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सिनेमा की संस्कृति को बढ़ावा देता है न कि भारतीय सिनेमा के व्यवसाय को।
- भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं का विकास करने और उन्हें अक्षुण्ण करने के लिए सिनेमा एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिनेमा मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, सिनेमा की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। यह आंकलन है कि औसतन इस क्षेत्र में थियेटर में प्रत्येक दिन एक करोड़ लोग फिल्म देखते हैं। भारत में भारतीय कला और संस्कृति की कोई भी शाखा इतनी प्रभावी नहीं रही है, इस प्रकार सिनेमा संस्कृति प्रचार-प्रसार का जन-माध्यम बन कर उभरा है।

एन.एफ.डी.सी. को 11वीं योजना में इन कार्यों के लिए सरकारी मदद देने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि 60 करोड़ रुपए (वार्षिक परिव्यय 12 करोड़ के साथ) विविध भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए रखा जाए क्योंकि इसकी आवश्यकता राज्य विकास निधियों के लिए होती है, इससे उन्हें इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इन फिल्मों की सदैव बाजार कीमत नहीं होती है जिससे फिल्म में आई लागत को वसूल किया जा सके। इस सम्बन्ध में निगम की भूमिका विकासात्मक प्रकृति की होती है तथा इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य निहित नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए निधियों के आवंटन की मांग सरकार से की जाती है। क्योंकि निगम के पास इस गतिविधि को निधि प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सह-उत्पादन

एन.डी.एफ.सी. बहुत से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सह-उत्पादन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने तथा प्रभावकारी कहानी की अंतर्राष्ट्रीय मांग के परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीय फिल्मों के दर्शकों की बढ़ती मांग के कारण फिल्म निर्माण का कार्य अब विदेशों में भी पांव पसार रहा है। फिल्म निर्माता अब निम्न कारणों से अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं से मिलकर फिल्म निर्माण कर रहे हैं।

(i) फिल्म के दर्शक आधार को बढ़ाना

(ii) फिल्म उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा दिए जाने वाले कर तथा अन्य सकल लाभों को देश में लाना (प्राप्त करना)।

जहां तक भारतीय फिल्म निर्माताओं का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय सह-उत्पादन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हाल के वर्षों में विदेशी फिल्म निर्माताओं ने भारत को संयुक्त उत्पादन के लिए एक बेहतर बाजार माना है क्योंकि यह फिल्म बाजार की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश है। किसी दूसरे देश में आने वाले नए फिल्म निर्माताओं के पास उस देश के फिल्म निर्माताओं तक पहुंच नहीं होती है, ऐसा संबंधों की दृष्टि से तथा सह-निर्माताओं से भारी मत्रा में पूंजी निवेश करवाने की दृष्टि से होता है। एन.एफ.डी.सी. ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव किया है तथा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू सह-उत्पादों के लिए प्रारंभिक पूंजी मुहैय्या कराने की पहल की है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहन

एन.एफ.डी.सी. की निर्यात विशेषज्ञ कार्यनीति के प्राथमिक उद्देश्य तथा विदेशी फिल्मों एवं दूरदर्शन बाजार में भागीदारी इस प्रकार है :

1. विभिन्न प्रदर्शनी चैनलों के अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए भारतीय फिल्मों का निर्यात
2. अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादों के लिए भागीदार का पता लगाना।
3. लाईन प्रोड्यूसर के रूप में एन.एफ.डी.सी. की सेवाओं का उन्नयन।
4. भारत को शूटिंग स्थल के रूप में विकसित करना।
5. भारतीय बाजार के लिए विदेशी फिल्मों का आयात।

पटकथा का विकास

वास्तव में फिल्म उद्योग को पटकथा के विकास में बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है। एन.एफ.डी.सी., पटकथा की गुणवत्ता, सीमा और भारतीय फिल्म पटकथाओं/परियोजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग को उपलब्ध के दायरे में व्यापक एवं बहुआयामी बनाने पर बल देगा। एन.एफ.डी.सी. का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले बिक्री योग्य उत्पाद पटकथा तैयार करने की दृष्टि से पटकथा के विकास में प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लेखकों की सहायता करता है।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सह-उत्पादों को तैयार करने, इन्हें निर्यात करने तथा पटकथा का विकास करने के लिए यह बजट परिव्यय निगम के आंतरिक स्रोतों से पूरा किया जाएगा, सहायता विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता वाली फिल्में बनाने के लिए मांगी जाती है क्योंकि इस गतिविधि की प्रकृति प्रारंभिक रूप से विकासात्मक होती है और यह स्वतः चलने वाली व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती है। इस निधि से तैयार फिल्म से प्राप्त होने वाला राजस्व वापस इस योजना स्कीम में डाला जाएगा। इस निगम की प्राधिकृत पूंजी 14 करोड़ रुपए है। फिल्म निर्माण की अत्यधिक लागत को देखते हुए यह इक्विटी आधार कम है। इसलिए निगम में सरकारी अधिकृत और चुकता पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसके जरिए वह अपनी नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देती है। मीडिया (इलेक्ट्रानिक और प्रिंट) के साथ संवाद का प्रमुख साधन होने के नाते इसके जरिए सरकार अपनी नीतियों, गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी देती है और जन प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराती है। पत्र सूचना कार्यालय तदनुसार सरकार को सूचना नीति के बारे में सलाह भी देता है। पीआईबी यह मान कर चलता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सही ढंग से पेश किया जाना चाहिए ताकि प्रेस और मीडिया उसकी सही व्याख्या करें और लोग उनको ठीक ढंग से समझें क्योंकि लोगों के समर्थन से ही सरकार चलती है।

पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध किए जाते हैं ताकि वे सूचनाएं प्राप्त कर सकें। ये सूचनाएं प्रेस को दी जाएं और ताकि उन पर जन प्रतिक्रिया जानी जा सके। ये अधिकारी मीडिया सलाहकर के रूप में काम करते हैं और प्रचार के काम में समन्वय लाते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसका इंटरनेट पर अपना होमपेज है जिसमें से www.pib.nic.in के

पते पर कोई सूचना ली जा सकती है। इस, होमपेज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसकी विज्ञप्तियां अब ऑनलाईन महत्वपूर्ण अखबारों के संवाददाताओं और समाचारपत्रों को तथा इसके क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों को भेजी जाती हैं। इस नेटवर्क के जरिए फीचर और ग्राफिक्स भी भेजे जाते हैं। इंटरनेट पर तो ये उपलब्ध होते ही हैं।

पत्र सूचना कार्यालय मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यकारी सुविधाएं भी देता है। इस उद्देश्य से देशी और विदेशी समाचार प्रतिनिधियों को प्रत्यापित किया जाता है, न्यूज कैमरामैनों और तकनीशियनों को भी यह सुविधा दी जाती है। इस समय पत्र सूचना कार्यालय में 1165 संवाददाता, 332 कैमरामैन, मुख्यालय में प्रत्यायित हैं। साथ ही, 143 तकनीशियन और 67 संपादक/मीडिया क्रिटिक भी प्रत्यायित हैं। देश विदेश के संवाददाताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए इस कार्यालय में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र है। नई दिल्ली स्थित इस केंद्र में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान पत्र सूचना कार्यालय ने इलेक्ट्रानिक मीडिया की सुविधा के लिए एक आडियो-विजुअल यूनिट खोली। यहां पर आडियो-विजुअल क्लिप्स अपलोड कर दिए जाते हैं और इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मी जरूरत के अनुसार इनसे लाभ उठाते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय के कामकाज की मानीटरिंग खुद ही होती रहती है। हर दिन पता चलता रहता है कि उसके द्वारा जारी की गई कितनी विज्ञप्तियां, फीचर और समाचार फोटो आदि अखबारों में छपे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस कार्यालय की मानीटरिंग भी उसी प्रकार करता है जैसा कि अन्य मीडिया की करता है।

समग्र निष्पादन

दसवीं योजना के लिए इस कार्यालय का परिव्यय रु. 4750.00 लाख था। दसवीं योजना के वर्ष 2005-06 में रु. 856.41 लाख हुआ। 2006-07 की वार्षिक योजना रु. 1150.96 है। इसी प्रकार 2007-08 की वार्षिक योजना रु. 1013.00 लाख है। पत्र सूचना कार्यालय के कामकाज की प्रगति वित्तीय अर्थों में 2005-06 और 2006-07 (दिसंबर 2006 तक) इस प्रकार रही -

(रुपये लाख में)

क्र.सं.		योजना	गैर-योजना	जोड़
1.	वास्तविक व्यय 2005-06	830.12	1983.44	2813.56
2.	बजट अनुमान 2006-07	1150.96	2169.47	3320.43
3.	संशोधित अनुमान 2006-07			
4.	वास्तविक खर्च 2006-07 दिसंबर 2006	50.39	2089.57	2139.96
5.	बजट अनुमान 2007-08	1013.00	2270.15	3283.15

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक, स्वायत्त अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसमें अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं। परंपरानुसार, इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जबकि 28 सदस्यों में से 20 सदस्य प्रेस के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा पांच संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं तथा एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं साहित्य अकादमी द्वारा नामित होते हैं।

परिषद अपने कार्यकलापों का निष्पादन इसको प्राप्त शिकायत संबंधी मामलों के निपटान के आधार पर करती है। ये शिकायतें या तो प्रेस द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की हो सकती हैं, या प्रेस की आज़ादी के हनन की हो सकती हैं। अगर जांच के बाद, परिसर की राय में किसी समाचार-पत्र या पत्रिका ने पत्रकारिता के आचार अथवा सार्वजनिक सुरूचि के लिए अशोभनीय काम किया हो, या किसी संपादक या पत्रकार ने व्यावसायिक दृष्टि से अनुचित कार्य किया हो, तो परिषद उसे चेतावनी दे सकती है, निर्देश दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या उसके आचरण को अनुचित बता सकती है। परिषद सरकार सहित किसी भी संस्था के कार्य पर भी ऐसी टिप्पणी कर सकती है अगर उसे यह कार्य प्रेस की आज़ादी में दखल लगता हो। परिषद का निर्णय अंतिम होता है जिसके विरुद्ध किसी कानूनी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान परिषद की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

1. अर्ध-न्यायिक कार्यकलाप

1400 मामले सामने आए जिसमें 650 का निपटान कर दिया गया है और 75 मामलों की सुनवाई अंतिम चरण में है।

2. प्रेस का स्तर

अधिनियम की धारा 13(2)(सी) के अंतर्गत प्रेस के लिए आचार संहिता बनाई है।

3. प्रेस की स्वतंत्रता

वक्तव्यों, राय तथा निर्णयों के जरिए प्रेस की आज़ादी पर खतरों पर नज़र रखी गई।

4. सलाहकार के रूप में कार्यकलाप

1. मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की उप-समिति को आतंकवाद, विचारों की स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों के बारे में सलाह देना।
2. विज्ञापन स्तर नियंत्रण आयोग (ए एस आर सी) के लिए प्रस्तावित कानून।
3. गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए अल्पावधि उपाय।
4. भारत-आएवोरियन संयुक्त करार।
5. प्रिंट मीडिया में अश्लीलता रोकना।

6. एड्स/एचआईवी के बारे में मीडिया कवरेज के संबंध में यू.एन.डी.पी. एवं सी.एम.एस. को परामर्श।

5. प्रेस के कामकाज की समीक्षा

प्रेस की स्वतंत्रता एवं छोटे या क्षेत्रीय प्रेस की समस्याओं, स्तर और भूमिका के लिए परिचर्चाएं आयोजित कीं। विशेष रूप से, देश के विभिन्न भागों में 17 संगोष्ठियां और सम्मेलन और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया।

6. सतर्कता एवं सूचना का अधिकार संबंधी व्यवस्था कायम करने का काम संतोषजनक रूप से चल रहा है।

7. हिन्दी भाषा की प्रगति

निर्णयों (लगभग 250) एवं अन्य सुनवाइयों के अनुवाद को आधुनिक बनाना।

हिन्दी तिमाही पत्रिका का नियमित प्रकाशन।

लक्ष्य 2007-08

अक्टूबर 2007 में वर्तमान परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और भारत सरकार की अधिसूचना के बाद नई परिषद का कार्यकाल प्रारंभ होगा। इस अवधि के दौरान, वर्तमान परिषद की प्रेस की योजना स्वतंत्रता के उल्लंघन या उसके स्तर संबधी लगभग 400 शिकायत के मामलों को निपटाने की है। इसके अलावा, उक्त अवधि में, निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं -

1. भारतीय प्रेस परिषद के अनुभवों/विशेषज्ञता का लाभ उठाने के अफ्रीकी देशों की प्रेस परिषदों के अनुरोध पर इन परिषदों को उचित परामर्श देना ताकि अफ्रीका महाद्वीप में मीडिया में आत्म-नियंत्रण की धारणा विकसित हो सके।
2. भारत सरकार को प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन का सुझाव देना ताकि प्रेस परिषद को अधिक अधिकार मिल सकें।
3. प्रशिक्षण के स्तर में और सुधार के लिए पत्रकारिता संस्थानों से विचार-विमर्श।
4. प्रेस परिषद के कार्य क्षेत्र में आने वाले मामलों में शोध अध्ययन को बढ़ावा देना।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के निरीक्षण के अनुरूप, मीडिया में अश्लीलता और महिलाओं का वाणिज्यिक शोषण को रोकने के लिए विशिष्ट परामर्श।
6. समाचार पत्रों से निर्धारित फीस की वसूली और चूककर्ता का रिकार्ड का चरणबद्ध तरीके से डिजीटलीकरण, तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा समाचारपत्रों के संबंध में डाटा का आधुनिकीकरण।
7. राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारियों और स्तर के संबंध में परिचर्चा का आयोजन।
8. पुस्तकालय कैटालाग का डिजिटलीकरण।

9. परिषद की आवश्यकताओं के मद्देनजर सॉफ्टवेयर का विकास।

10. परिषद के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड का डिजिटलीकरण।

11. वर्ष 2006-07 में परिषद द्वारा दिये गये निर्णयों का हिन्दी रूपान्तर तैयार करना।

12. वर्ष 2006-07 में परिषद द्वारा दिये गये निर्णयों को द्विभाषी रूप में वेबसाइट पर डालना।

13. वर्तमान परिषद का कार्यकाल 11 अक्तूबर 2007 को पूरा होने पर नई परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करना।

14. नौवीं प्रेस परिषद के कार्यकाल के दौरान दिये गये निर्णय के अनुसार प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 (2) (सी) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आचरण संहिता तैयार करना।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों और उनके परिणामस्वरूप देश में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयत्नों को फोटोग्राफों के माध्यम से संजोकर रखना है। प्रभाग द्वारा आन्तरिक और बाहय प्रचार के लिए पत्र सूचना कार्यालय तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाते हैं। तकनीकी विकास के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रभाग ने "फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण" कार्य योजना के तहत फोटो उपकरणों के उन्नयन तथा चित्रों के डिजीटलीकरण का कार्य शुरू किया है। फोटो प्रभाग की कार्य-योजनाओं का त्रैमासिक आधार पर रखे गये लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों के विश्लेषण के जरिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त फोटो प्रभाग द्वारा विभिन्न उप-शीर्षों के तहत व्यय की निगरानी की जाती है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन-गृहों में से एक है। विभाग हिन्दी अंग्रेजी और दूसरी प्रमुख भारतीय भाषाओं में किताबें और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। ये किताबें और पत्रिकाएं इस तरह प्रकाशित की जाती हैं, कि वे देश की जनता की समझ के दायरे को बढ़ाएं। यानि इनका उद्देश्य लोगों की समझ को विकसित करना है।

2. प्रकाशन विभाग का काम लोकप्रिय किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण है। ऐसा करके वह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है:

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर किताबों का प्रकाशन, जिन्हें साधारण तौर पर दूसरे प्रकाशक नहीं छापते। साथ ही विभाग का उद्देश्य इन्हें वाजिब दाम पर आम लोगों तक पहुंचाने का भी है।

(ii) किताबों और पत्रिकाओं के प्रकाशन से विभाग विविधता में एकता की अवधारणा और भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को भी प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है।

(iii) वर्ष 2007-2008 के दौरान 20 पत्रिकाएं और 120 किताबें प्रकाशित करने का लक्ष्य है। विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित विक्रय केंद्रों या विक्रय इम्पोरियम के नेटवर्क के जरिये अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करता है। बहरहाल, प्रकाशन विभाग ने समय के साथ चलते हुए अपने सभी विक्रय इम्पोरियमों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा। विभाग के कई विक्रय केंद्र बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं। ऐसे विक्रय केंद्र प्रतिस्पर्धी प्रकाशन गृहों के चमक-दमक वाले शो-रूम से पिछड़ जाते हैं। ग्राहक प्रमुख जगहों पर स्थित इन व्यवस्थित शो-रूम की ओर रुख करते हैं।

(iv) विक्रय केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुवनंतपुरम् में मौजूद हैं। सेल्स आउट्लेट्स बंगलौर के योजना दफ्तर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और भोपाल, इंदौर और जयपुर के पत्र सूचना कार्यालय में भी है।

(v) वर्ष 2007-2008 का बजट आकलन 1347.20 लाख रुपये है।

इम्पलायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार

1. साप्ताहिक रोजगार समचार अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यर्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस साप्ताहिक पत्र का उद्देश्य शिक्षित और युवा लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने जीवन और कैरियर में सही निर्णय ले सकें।

2. इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिये प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाओं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी बनाया गया है जो कैरियर से सम्बन्धित दो लेख प्रकाशित करता है।

3. सरकार के इस सचित्र कैरियर साप्ताहिक ने अपनी कैरियर वेबसाइट www.employmentnews.gov.in खोलकर अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज की।

4. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिये इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हैं, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

5. अच्छी अर्थव्यवस्था हासिल करने तथा देश के कोने-कोने तक पहुंचने में समर्थ होने के लिए, रोजगार समाचार अपनी मुद्रण तकनीकों को दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के प्रस्तावों को लागू कर रहा है।

6. 2007-8 का बजट अनुमान 28.17 करोड़ रुपये (गैर-योजना) तथा 0.01 करोड़ रुपये (योजना) है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई)प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867 के अन्तर्गत देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का अद्यतन रिकार्ड तथा आंकड़े संभाल कर रखता है, नये प्रकाशनों के लिए शीर्षक उपलब्ध करता है, पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी करता है, प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कथनों की समीक्षा करता है तथा ''भारत के समाचारपत्र'' नामक शीर्षक से प्रिंट मीडिया के हालात पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। आरएनआई समाचारपत्रों के प्रसार के दावों पर भी नियन्त्रण रखता है। अपने वैधानिक कार्यों के अलावा, यह कार्यालय न्यूजप्रिन्ट के आयात के लिए समाचारपत्रों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके अतिरिक्त, आरएनआई समाचारपत्रों द्वारा अपेक्षित प्रिंटिंग मशीनरी तथा सम्बद्ध सामग्री के आयात के लिए अनिवार्यता को प्रमाणित करता है। समाचारपत्रों को तत्काल, कुशल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने तथा पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में भोपाल के दो नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने हैं। आरएनआई की कार्ययोजना त्रैमासिक आधार पर पर रखे गये लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों के विश्लेषण द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-शीर्षों के तहत हुए खर्च की निगरानी आइएनआई द्वारा की जाती है। शीर्षक सत्यापन पत्र को आरएनआई की वेबसाइट पर रखने की नई पहल की गई है। अब आरएनआई के नई दिल्ली कार्यालय में आने की बजाय प्रार्थी इस वेबसाइट से अपना शीर्षक सत्यापन पत्र कभी भी, कहीं से भी डाउनलोड करके अपनी घोषणा फाईल कर अपना प्रकाशन शुरू कर सकता है। इससे विलम्ब नहीं होगा, अधिक पारदर्शिता आयेगी तथा प्रार्थी का समय और पैसा बचेगा। शिकायतों को दूर करने के लिए तथा पीआरबी अधिनियम, 1867 के तहत आने वाले प्रावधानों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिए आरएनआई ने 'तत्काल समाधान' नामक एक सत्र शुरू किया है। आम जनता के लाभ के लिए ऐसे सत्र देश के अन्य भागों में भी आयोजित करने का प्रस्ताव है।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय है जो मीडिया इकाइयों को गवेषणा के सम्बंध एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है।

यह प्रभाग प्रत्यक्ष रूप से आम जन को कोई सेवा प्रदान नहीं करता है। वास्तविक लक्ष्यों को सामान्यत: वार्षिक बजट योजना के रूप में इस प्रभाग द्वारा मॉनीटर किया जाता है। मंत्रालय का प्रशासनिक विंग भारतीय सूचना सेवा (भा.सू.से.) के अधिकारियों का इंडिया-एक वार्षिक संदर्भ एवं प्रशिक्षण ग्रंथ निकालने के लिए दो बड़ी गतिविधियों की मॉनीटरिंग भी करता है। अब तक, वार्षिक पत्रिका निकालना गैर-योजना गतिविधि रही है जबकि भा.सू.से. अधिकारियों का प्रशिक्षण एक योजना गतिविधि है। वर्ष 2007-08 से प्रशिक्षण को इस प्रभाग की गैर-योजना गतिविधि माना जायेगा।

जन सूचना प्रणाली के सम्बंध में प्रभाग की वेबसाइट (rrtd.gov.in) जन अधिकार के क्षेत्र में आती है और आम जनता के लिए इसकी गतिविधियों का मार्ग खुला है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में आकाशवाणी की एक यूनिट के रूप में की गई थी। 1856 में इसे स्वतंत्र मीडिया यूनिट का दर्जा दिया गया और विकास संचार का काम सौंपा गया। इस प्रभाग की स्थापना इन उद्देश्यों के लिए की गई - सामान्य लोगों में सामाजिक, आर्थिक, और लोकतंत्रीय आदर्शों के प्रति सम्मान, सीमावर्ती लोगों में रक्षा तैयारी और बाकी देश के साथ एकीकरण की भावना जगाना, सेना में नैतिक बल ऊंचा रखना और दूरदराज में तैनात सैनिकों का मनोरंजन करना, सभी क्षेत्रों के लोक प्रचलित कला रूपों का प्रदर्शन करना।

यह प्रभाग देश का सबसे बड़ा संगठन है जो मंच कलाओं के द्वारा संचार का काम करता है। यह प्रभाग नाटक, नृत्य-नाटिका, लोक कलाओं, वाचिक परंपराओं और कठपुतली आदि का प्रयोग करता है। यह प्रभाग ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा जैसे विषयों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

इन्हीं बातों को देखते हुए जन सामान्य स्तर पर संचार में सफल बनाने के लिए इस प्रभाग का क्षेत्र और आकार बढ़ाया गया।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

भारत सरकार ने जुलाई 2005 में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ एम रेडियो सेवाओं (चरण - II) के विस्तार के लिए एक नई नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत सभी चरण-II संचालकों के लिए प्रसार भारती टावरों पर सह-स्थापन ट्रांसमिशन सुविधाओं को देना अनिवार्य होगा तथा जहां प्रसार भारती के टावर उपलब्ध नहीं हैं वहां पर मंत्रालय द्वारा मैसर्ज ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के माध्यम से नये टावरों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए नीति प्रसारकों से पट्टा किराया वसूला जायेगा। टावर से सम्बन्धी कार्य में निजी एफ एम प्रसारकों के लिए टावर को स्थापित करना तथा आपूर्ति करना शामिल है। निजी एफ एम प्रसारक मूलभूत ढांचे को बांटकर इस्तेमाल करेंगे। 18.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली "सात शहरों में निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों के लिए सुविधाओं की स्थापना" की एक योजना मंजूर की गई। चूंकि दो शहरों के लिए टावरों का निर्माण स्थगित कर दिया गया था, पांच बड़े शहरों में सी टी आई के निर्माण के लिए परियोजना की संभावित कुल लागत के रूप में स्वीकृत परिव्यय में से 8 करोड़ रुपये मैसर्ज बेसिल को मार्च 2006 के दौरान जारी किए गये, यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर तथा हैदराबाद की अनुमानित लागत 18.18 करोड़ रुपये से घटकर 12.23 करोड़ रुपये आ गई है। 2006-2007 में इस परियोजना के लिए 4.15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वार्षिक योजना 2007-08 में निर्धारित 1.00 करोड़ रुपये की राशि बचे हुए कार्यों के लिए अपेक्षित है। परियोजना की निगरानी मंत्रालय द्वारा परियोजना की वास्तविक एवं वित्तीय प्रदर्शन के सम्बन्ध में मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा

केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा (जिसे अब इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुश्रवण केन्द्र कहा जाता है) की स्थापना निम्न उद्देश्यों के साथ की गई :

(i) भारत में डाउन लिंक किए जाने वाले सभी टीवी चैनलों का अनुश्रवण ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 और इसके तहत बने नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन को रोका जा सके।

(ii) सभी निजी एफ एम रेडियो चैनल और

(iii) सरकार द्वारा प्रसारण क्षेत्र की सामग्री के अनुश्रवण से सम्बंधित समय-समय पर दिए जाने वाला अन्य कोई कार्य।

2005-06 में स्कीम के लिए 11.65 करोड़ रुपये का योजना बजट स्वीकृत किया गया। वर्ष 2007-08 के लिए योजना के तहत 2.90 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के तहत 3.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गये। 2007-08 में जैसे ही परियोजना चालू हो जाती है, निगरानी तन्त्र तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली को दुरुस्त किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल

अल-जज़ीरा, बीबीसी, सीएनएन आदि की तर्ज पर भारत की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक अन्तराष्ट्रीय चैनल खोलने की आवश्यकता महसूस की गई। यह चैनल एशियाई देशों के लोगों की आकांक्षाओं और जीवन को उजागर करेगा तथा एशियाई परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखेगा। यतह चैनल पेशेवरों द्वारा चालित तथा सम्पादकीय रूप से स्वतन्त्र होगा जिसे उद्देश्यपूर्ण, जांच-पड़ताल तथा सही पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ असूलों पर चलाया जायेगा।

यह एक नई योजना है। वर्ष 2007-08 में इस स्कीम के लिए 0.97 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां

रेडियो एक संचार माध्यम के रूप में राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में, विशेषकर भारत में जहां ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में नियमित एवं स्थाई बिजली आपूर्ति नहीं होती, लोग सूचना शिक्षा तथा मनोरंजन की जरूरतें पूरी करने के लिए रेडियो पर निर्भर करते हैं।

सामुदायिक रेडियो, जो कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण से भिन्न है, छोटे-छोटे समुदायों को जोड़ने का काम करता है, आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान देता है तथा स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। इस दिशा में, यह उस समुदाय के लोगों द्वारा लोगों के लिए कार्यक्रमों का सृजन करके स्थानीय समुदाय के जीवन में योगदान देता है। इसका सबसे बढ़िया फायदा यह है कि इसे निम्न लागत, बैटरी चालित तथा मोबाइल रिसिविंग सेटों पर सुना जा सकता है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: हर कोई आराम से खरीद सकता है।

सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय आरम्भिक तौर पर सरकार ने दिसम्बर 2002 में लिया था तथा देशके विभिन्न हिस्सों में 20 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन का निर्माण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मुख्य परियोजनाओं में से एक है। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों के कार्यालयों के लिए पर्याप्त भवनों

के अभाव में, ऐसा निर्णय लिया गया कि मंत्रालय को विभिन्न मीडिया इकाईयों (डीजी आकाशवाणी तथा डीजी दूरदर्शन को छोड़कर) के कार्यालयों जो दिल्ली में इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, को एक जगह चलाने के लिए अपने भवन का निर्माण करना चाहिए। योजना आयोग ने इस योजना को मंजूरी दे दी तथा इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। तदनुसार योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद मंत्रालय को 1981 में 8364.3 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक भूखण्ड आवरण संख्या 8 लोधी रोड पर आबंटित किया गया। लेकिन निर्माण कार्य 1985 में ही शुरू हो सका। वित्तीय कमी के कारण, निर्माण कार्य चरणों में चल रहा है। इस भवन का निर्माण सिविल कंसट्रक्शन विंग : आकाशवाणी द्वारा किया जा रहा है। अब तक चरण I, II, III तथा IV पूरे हो चुके हैं। इन चार चरणों के तहत केवल 38 प्रतिशत क्षेत्र (27,259 वर्गमीटर) पर ही निर्माण किया जा सका तथा शेष 62 प्रतिशत क्षेत्र (45,500 वर्गमीटर) सूचना भवन के चरण-IV योजना के तहत प्रयोग किया जायेगा। चरण-V का निर्माण कार्य अप्रैल, 2007 में आरंम्भ होगा।

आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) के दौरान जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। बढ़ोतरी की इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों के संदर्भ में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए हैं। निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर समय पर अमल सुनिश्चित करने के वास्ते दो-स्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी-यानी कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर निगरानी और मंत्रालय के स्तर पर निगरानी।

वार्षिक योजना 2007-08 में यह नई योजना शुरू की गयी है, जिसके लिए 0.08 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

प्रसार भारती

आकाशवाणी

प्रसार भारती के एक अभिन्न अंग के रूप में आकाशवाणी प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत उसे सौंपे गए कार्यों निरंतर निष्पादित कर रहा है। आकाशवाणी विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित अपने कार्यक्रमों के माध्म से लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन उपलब्ध कराता है। यह देश के लोगों सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी यह कार्य ध्वनि प्रसारण के माध्यम से करता है। आकाशवाणी संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचारों और विषयगत अभिरूचि के सम-सामयिक घटनाक्रमों पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का ध्वनि प्रसारण करता है। आकाशवाणी संतुलन तथा निष्पक्षता बनाए रखने, शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण पेश करता है।

आकाशवाणी के लिए वर्ष 2007-08 के गैर-योजना बजट के वास्ते प्रत्यक्ष बजटीय सहायता के रूप में 537.88 करोड़ रुपये रखे गए हैं। विभिन्न प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए यह धनराशि सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इन खर्चों का शीर्षवार विवरण अध्याय में शामिल है। योजना बजट 2007-08 के लिए प्रत्यक्ष बजटीय सहायता 78.95 करोड़ रुपये और पूंजी शीर्ष के तहत 63.30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए है। यह धनराश मुख्यतया जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज के लिए है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष

पैकेज, महानगरों में कर्मचारी आवासों के निर्माण तथा ग्यारहवीं योजना की कुछ स्कीमों के लिए राजस्व विविध तथा राजस्व सॉफ्टवेयर शीर्ष के तहत 15-65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जहां, पूंजीगत योजना स्कीमों का वित्तपोषण सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण से किया जाता है वही राजस्व योजना स्कीमों के कोष सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

सही मायनों में एक सार्वजनिक प्रसारण के रूप में संगठन का और आगे विकास करने के लिए आकाशवाणी ने नीतिगत फैसलों के आधार पर कई कदम उठाए हैं। आम आदमी की जरूरतों और विशेष रूप से लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को निष्पादित किया जाता है(अध्याय-3)

वार्षिक योजना 2005-06 तथा 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) योजना स्कीमों का स्कीम-वार वित्तीय तथा प्रत्यक्ष निष्पादन अध्याय-4 में दर्शाया गया है। वार्षिक योजना 2005-06 के लिए स्वीकृत परिव्यय 233.65 करोड़ रुपये और व्यय 143.78 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2006-07 का कुल परिव्यय 146.60 करोड़ रुपये और तीसरी तिमाही तक व्यय 71.24 करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान और हाल के संशोधित अनुमान तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष (2006 की तीसरी तिमाही तक) का शीर्षवार विवरण अध्याय-5 में दिया गया है। प्रसार भारती (आकाशवाणी) ने प्रासंगिक नियमों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2005-06 में जारी सहायता अनुदान के बारे में उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं और कोई भी उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र लंबित नहीं है। प्रसार भारती, आकाशवाणी के कार्य निष्पादन के बारे में सरकार की रिपोर्ट अध्याय-6 में दी गई है।

निगरानी प्रणाली

आकाशवाणी द्वारा प्रसार भारती को प्रस्तुत मासिक व्यय विवरणों के जरिए इसकी वार्षिक योजना स्कीमों की निगरानी कीज ाती है। यह विवरण कोष जारी करते समय प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यय की प्रगति और मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर कोष जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, जैसा कि अपेक्षित है, निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की जाती है। लेकिन, वित्तीय वर्ष 2006-07 की दूसरी तिमाही के बाद से योजना आयोग ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी है और अब से तिमाही रिपोर्ट के बजाय छमाही निष्पादन रिपोर्ट के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

योजना समन्वयन प्रकोष्ठ मासिक विवरणी के जरिए प्रसार भारती (आकाशवाणी) के वित्तीय निष्पादन के स्कीम वार विवरण की नियमित तौर पर निगरानी करता है। प्रगति पर नजर रखने के लिए सचिव (सूचना एवं प्रसारण) स्तर पर कई समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

दूरदर्शन

भारत में टेलीविजन का सूत्रपात सितम्बर, 1959 में हुआ। इसके लिए परीक्षण के तौर पर दिल्ली से प्रसारण शुरू किया गया, जिसे बाद में यानि 1965 में नियमित सेवा के रूप में उन्नत बना दिया गया। दूसरे शहर (मुंबई) में टेलीविजन की शुरूआत 1972 में हुई। शुरू में टेलीविजन आकाशवाणी का एक हिस्सा था। अप्रैल, 1976 में इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया और इस प्रकार दूरदर्शन अस्तित्व में आया। रंगीन टेलीविजन तथा राष्ट्रीय नेटवर्किंग की शुरूआत 1982 में हुई और तब से इसमें निरंतर प्रगति हो रही है। 23 नवंबर, 1997 को सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के अस्तित्व में आने के बाद दूरदर्शन इसका एक अभिन्न अंग बन गया। सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में निगम को सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण में संतुलित विकास सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। स्थलीय नेटवर्क का मौजूदा स्तर, विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाचार चैनल, स्टूडियो, डीटीएस, डिजिटीलाइजेशन और नेटवर्किंग आदि में प्रमुख उपलब्धियां अध्याय-1 में दी गई हैं। दूरदर्शन के लिए वर्ष 2007-08 के गैर-योजना व्यय के लिए सीधा बजट समर्थन 422.90 करोड़ रुपये है जो संगठन और इसके कर्मचारियों की जरूरतों

से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में दिया गया है। इसी तरह योजना बजट के लिए सीधा बजट समर्थन 306.64 करोड़ रुपये का है जिसमें पूंजी योजना के 201.64 करोड़ रुपये और राजस्व योजना के 105.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। पूंजी योजना के कार्यक्रम सरकार द्वारा दिए गए ऋण से और राजस्व योजना के कार्यक्रम अनुदान सहायता से चलाए जाते हैं जिससे विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। 2007-08 की वार्षिक योजना की मुख्य विशेषताएं जम्मू कश्मीर स्पेशल पैकेज, पूर्वोतर क्षेत्र स्पेशल पैकेज डीटीएच एचडीटीवी, ट्रांसमिटरों का डिजिटलीकरण, कोमनवेल्थ खेल, भारतीय क्लासिक का निर्माण, उर्दू चैनल पूर्वोत्तर क्षेत्र उपग्रह सेवा आदि हैं।

दूरदर्शन ने अनेक नई पहल की हैं। इनमें मोबाइल तथा हाई डेफिनेशन टी.वी., समाचार जुटाना व्यावसायिक विज्ञापनों का स्क्रोल पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं आदि शामिल हैं।

2005-06 और 2006-07 (दिसंबर 2006 तक) की पूंजी योजनाओं के कार्यक्रमों की उपलब्धियां संबंधित अध्याय में बताई गई हैं। 2005-06 के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना 370 करोड़ रुपये की थी जबकि खर्च 167.79 करोड़ हुआ। 2006-07 के लिए पूंजीगत योजना 87.51 करोड़ रुपये की थी जबकि तीसरी तीमाही तक खर्च 155.99 करोड़ हुआ जिसमें आई.ई.बी.आर. की रकम भी शामिल थी।

बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के विवरण संबंधित अध्याय में दिए गए हैं। 2005-06 के अनुदान के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन ने) उपयोग प्रमाण-पत्र दे दिया है जो नियमांकूल है और कोई उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया नहीं है।

निगरानी व्यवस्था

दूरदर्शन की वार्षिक योजना कार्यक्रमों की समीक्षा मासिक व्यय विवरणों के आधार पर की जाती है और तभी रकम जारी होती है। प्रस्तावों को व्यय में हुई प्रगति और अन्य शर्तों के पूरा होने के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। योजना आयोग को भी कार्य निष्पादन की तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती है। हालांकि वित्त वर्ष 2006-07 की दूसरी तिमाही के बाद, योजना आयोग के निर्देश पर, ये रिपोर्ट अब छपाही भेजी जाएगी। मंत्रालय के योजना समन्वय सेल द्वारा प्रसार भारती (दूरदर्शन) के वितीय निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है और इसकी मासिक रिपोर्ट सूचना और प्रसारण सचिव को भेजी जाती है। सूचना और प्रसारण सचिव ने अनेक बैठकों में प्रगति की समीक्षा की है।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र के लिए टावर बनाने का कार्य चल रहा है। टावर से संबंधित कार्य में आपूर्ति एवं निजी एफ.एम. ब्रॉडकास्टर्स के लिए टावर खड़ा करना शामिल है। सरकार ने निजी एफ.एम. फेस-2 प्रारंभ कर दिया है और इसमें निजी एफ.एम. ब्रॉडकास्टर्स द्वारा बुनियादी ढ़ांचे के लिए भागीदारी की जाएगी। निजी एफ.एम. ब्रॉडकास्टर्स के लिए उन नगरों में टावर का निर्माण किया जाएगा जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। टावर के प्रयोग के लिए निजी एफ एम ब्रॉडकास्टर्स के साथ भारत सरकार पट्टा करार करेंगी। भौतिक निष्पादन का आकलन टावर के समय पर पूरा हो जाने के आधार पर किया जाएगा।। परिणामी बजट में आवश्यक राशि अवशिष्ट राशि है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य निजी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को मॉनिटर करना है। सरकार इस केंद्र के जरिए प्राइवेट चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री की इस आधार पर मानीटर करेंगी कि क्या वह सरकार के निर्धारित नियमों/कानूनों के अंतर्गत उचित है। कार्य में देरी विभिन्न तकनीकी/प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण आई जो बीईसीआईएल के नियंत्रण में नहीं थीं। वांछित राशि केंद्र की स्थापना के लिए है।

दोनों मामलों में जन सामान्य को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य, नीतिगत स्वरूप और नीति विवरण

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) के अंतर्गत की गयी। इसका उददेश्य सार्वजनिक प्रदर्शन की फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान करना है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली और गुवाहाटी में है। बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं :

i) अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (यू प्रमाणपत्र)।

ii) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए व्यस्कों (यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिय) तक सीमित फिल्मों को प्रमाणित करना (ए प्रमाणपत्र)।

iii) 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों के लिए चेतावनी की प्रविष्टि के साथ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (यू ए प्रमाणपत्र)

iv) किसी व्यवसाय या व्यक्तियों के वर्ग के लिए प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (एस प्रमाणपत्र)

v) अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं कि वह फिल्मों को प्रमाणित करने से पहले उनमें संशोधन के आदेश दे सकता है।

vi) बोर्ड फिल्मों को प्रमाणित करने से पूरी तरह इंकार करने में भी सक्षम है।

सीबीएफसी की वार्षिक योजना 2007-08 में निम्नांकित कार्यक्रम शामिल हैं :

कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीबीएफसी के समूचे कामकाज का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस कार्य में एलआईसी की सहायता ली जा रही है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी उपकरण प्रदान करना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। प्रमाणन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा और 9 क्षेत्रीय कार्यालयों को एलएएन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टीवी, डीवीडी, और अन्य तकनीकी उपकरण भी खरीदे जायेंगे। यह कार्यक्रम फिलहाल मुंबई कार्यालय में चलाया जा रहा है। यह प्रस्ताव भी है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुंबई से और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को निकनेट के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जोड़ा जाएगा। इससे डाटा यानी आंकडों का तेजी से ट्रांसमिशन और ईमेल के जरिए पत्र व्यवहार संभव हो सकेगा। वार्षिक योजना 2007-08 में कम्प्यूटरों के रखरखाव और तत्संबंधी वार्षिक रखरखाव अनुबंध, अध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए लैपटाप की खरीद और टीवी, डीवीडी, वीसीडी

जैसे तकनीकी उपकरणों की खरीद के प्रावधान शामिल हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित कुल 390.13 लाख रुपये के परिव्यय में से योजना के पांचवे वर्ष के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्य और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए डीवीडी, टीवी, बीसीडी की खरीद के वास्ते 2006-07 के बजट अनुमानों में 50.13 लाख रुपये और 2006-07 के संशोधित अनुमान में 50.00 लाख रुपये आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 50.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

मूल रूप से नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रावधान किया गया था। इस कार्यक्रम को एसएफसी की अनुमति मिलनी थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दिल्ली, कटक और गुवाहाटी से संबद्ध निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों और विज्ञापनों के प्रमाणन की व्यवस्था करना है। इनमें सेलूलाइड और वीडियो दोनों ही फार्मेट में बनी फिल्में शामिल हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 97.00 लाख रुपये के आवंटन की मंजूरी दी गयी। 2006-07 के बजट अनुमानों में 24.00 लाख रुपये आवंटित किए गए, जिसे 2006-07 के संशोधित अनुमान में कम करके 10.00 लाख रुपये कर दिया गया। इसमें 5.00 लाख रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल हैं। सीबीएफसी के नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी कार्यालयों के संचालन के लिए कर्मचारी और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के वास्ते वर्ष 2007-08 में 50.00 लाख रुपये आवंदित करने का प्रस्ताव है।

प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकीकरण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म प्रमाणन बोर्ड के परीक्षण अधिकारियों/बोर्ड के सदस्यों और पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं, सेमिनार आदि की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला, और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एकरूपता के लिए अखिल भारतीय पैनल कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसिज़ आदि संगठनों के जरिए अध्ययन से जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। देश के विभिन्न भागों में सिनेमाघरों द्वारा किए जाने वाले सेंसरशिप के उल्लंघनों की जांच करने के लिए प्राइवेट खुफिया एजेंसियों को तैनात करने की भी व्यवस्था है।10वीं पंचवर्षीय योजना में 675.00 लाख रुपये के आवंटन की मंजूरी दी गयी। 2006-07 के बजट अनुमानों में 186.00 लाख रुपये आवंटित किए गए, जिसे 2006-07 के संशोधित अनुमान में कम करके 181.00 लाख रुपये कर दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए 2007-08 में 100.00 लाख रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग डिजिटल वीडियो प्रमाणन इकाइयों की स्थापना

सीबीएफसी की उपरोक्त नई योजना के लिए इस विंग द्वारा 10 लाख रुपये के आवंटन की मांग की गयी थी, परंतु संकेत के रूप में 1 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गयी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम इसलिए प्रस्तावित किया गया है कि हाल के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को देखते हुए सीबीएफसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल वीएचएस टेप की बजाय वीसीडी/डीवीडी भी खरीदने पड़ सकते हैं। प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति के साथ गति बनाये रखने को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को अन्य फार्मेटों के साथ साथ वीसीडी प्लेयरों सहित डिजिटल वीडियो प्रमाणन इकाइयां भी अवश्य कायम करनी होंगी।

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

संगठन की गतिविधियां

उत्पादन एवं खरीद : समिति (बच्चों और युवाओं के लिए) फीचर फिल्में, लघु फीचर फिल्में, एनीमेसन, लघु फिल्में, कठपुतली फिल्में और टीवी धारावाहिक फिल्म और वीडियो फॉर्मेट में बनाती है। सीएफएसआई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में लोकप्रिय रही है। यह कुछ विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन के अधिकार भी खरीदती है। ऐसी महत्वपूर्ण और समिति द्वारा निर्मित फिल्मों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग करके उन्हें टेलीविजन और सिनेमा हॉलों में प्रदर्शित किया जाता है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सकें।

समिति की फिल्मों का डिजिटल रूपांतरण और इंटरनेट पर प्रसारण

(क) **डिजिटल रूपांतरण :** समिति की सभी फिल्मों (समिति द्वारा निर्मित, डब की हुई और उप-शीर्षक सहित) को अभिलेखन के उद्देश्य से डिजिटल रूप में रूपांतरित करने के लिए।

(ख) **वेब कास्टिंग :** समिति की फिल्मों (समिति द्वारा निर्मित, डब की हुई और उपशीर्षक सहित) को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में व्यवस्थित करने और इंटरनेट/वेब पर इसे उपलब्ध कराने के लिए।

अंतराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों में भागीदारी :

समिति की फिल्में विभिन्न समारोहों में प्रदर्शित और पुरस्कृत हुई हैं। इससे विदेशों में बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

एनिमेशन और फिल्म बनाने पर कार्यशालाएं : समिति फिल्म-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की कार्यशालाएं आयोजित करती है। इनमें एनिमेशन कार्यशाला, पटकथा लेखन कार्यशाला, वीडियो कार्यशाला और फिल्म समालोचना कार्यशाला शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह : समिति हर दूसरे साल प्रतियोगी बाल फिल्म समारोह आयोजित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को नियंत्रित करने वाली यूनेस्को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने इसे 'ए' श्रेणी में रखा है। हर दूसरे साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल फिल्म समारोह आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण

1. **निजी प्रदर्शन :** कई स्कूल और व्यक्ति स्कूलों या सिनेमा हाल में 35 मि.मी./16 मि.मी. प्रोजेक्टरों के जरिए गैर-व्यावसायिक प्रदर्शनों के लिए नियत शुल्क देकर इन फिल्मों को किराए पर लेते हैं।
2. **जिला और राज्य स्तर के समारोह :** यह गतिविधि जिला प्रशासनों के साथ मिलकर की जाती है। विभिन्न प्रदेशों में कुछ जिलों को चिह्नित कर वहां मामूली

प्रवेश शुल्क पर फिल्में दिखाई जाती हैं। सरकारी निगम स्कूलों या जिला परिषद के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ये फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिला शिक्षा विभाग टिकटों को बेचने में सहयोग करते हैं। इसलिए समिति के लिए फिल्म समारोह आय का बड़ा साधन भी होते हैं।

3. **सिनेमा हाल के बाहर मुफ्त प्रदर्शन :** ग्रामीण और मनोरंजन के दूसरे साधनों से वंचित बच्चों के लिए समिति ने सरकारी स्कलों के बच्चों और आदिवासी बच्चों को मुफ्त फिल्में दिखाने की एक नई योजना शुरू की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे गैर-सरकारी संगठनों की इसमें मदद ली जा सकती है। मुफ्त प्रदर्शनों पर होने वाला खर्च समिति, इस मद में सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान से पूरा करती है। इस योजना में, सुधार गृहों, अनाथालयों आदि में रहने वाले बच्चों को भी बच्चों की फिल्में देखने का मौका दिया जाता है, जो अन्यथा इसी तरह के मनोरंजन से वंचित हैं।

4. **वितरकों के जरिए प्रदर्शन :** समिति, स्कूलों और सिनेमा हालों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/ आयोजकों से भी सहयोग लेती है। एक तय मासिक शुल्क लेकर फिल्में ले लेते हैं और आवंटित इलाके में उनका प्रदर्शन करते हैं।

5. **टेलीविजन पर फिल्मों का प्रदर्शन :** समिति की फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय चैनलों के इलावा निजी चैनलों पर भी दिखाई जाती हैं।

6. **वीडियो कैसेटों और वीसीडी की बिक्री :** समिति की फिल्मों के वीडियो कैसेट और सीडी सिर्फ निजी और सामुदायिक प्रदर्शनों के लिए बेचे जाते हैं।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में गतिविधियां :** समिति पूर्वोत्तर राज्यों सहित क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के जरिए उन्हें प्रोत्साहन देती है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की बहु-मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह अनेक स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से संबंधित संदेशों को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नांकित माध्यमों का सहारा लिया जाता है :

(क) समाचार पत्रों में विज्ञापन

(ख) श्रव्य/दृश्य स्पॉट, जिंगल्स आदि

(ग) मुद्रित प्रचार, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर आदि।

(घ) बाह्य मीडिया-होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, बस पैनल, किऑस्क आदि।

(ङ) ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे मेलों आदि में महत्वपूर्ण विषयों पर फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन।

कुल मिलाकर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय कई वर्षों से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। यह आम

जनता में जागृति पैदा करने और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी में सहायक सिद्ध हो रहा है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने और गरीबी उन्मूलन में भी इस निदेशालय की अहम भूमिका है।

मुद्रित माध्यम प्रचार और श्रव्य-दृश्य प्रचार का निर्देशन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी क्रमश: विज्ञापन नीति और श्रव्य-दृश्य नीति द्वारा किया जाता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, कल्याण स्कीमों, नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा सरकार की उपलब्धियों का 22 क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 207 क्षेत्र प्रचार यूनिटों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करता है। क्षेत्र प्रचार निदेशालय अपनी प्रचार गतिविधियों जैसे-फिल्म शो, गीत व ड्रामा कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनी रैली, सामूहिक विचार-विमर्श, वादविवाद, क्विज तथा सेमीनारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए विविध फार्मेटों का उपयोग करता है। इसमें चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रमवार व्यापक प्रचार किया जाता है जिसमें दूर-दराज के क्षेत्रों, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निदेशालय के निम्नलिखित कार्य/उद्देश्य हैं :

(i) सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों को अपने लोगों एवं उत्पादों तथा सामग्री से आम लोगों को रूबरु कराना ताकि लोगों के लिए तैयार की गई स्कीमों एवं नीतियों की उनको जानकारी दी जा सके।

(ii) लोकतंत्र, समाजिकता तथा धर्म निरपेक्षता के संघीय राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में लोगों को जानकारी देना और लगातार व्यक्तिगत सम्पर्क से लोगों का विश्वास उन मूल्यों पर बनाए रखना।

(iii) विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की सक्रीय भागीदारी के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ अपनी साख बनाए रखना तथा कल्याण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के पक्ष में जनमत जुटाना।

(iv) सरकार द्वारा उचित और सुधारात्मक कारवाई करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर उनका कार्यान्वयन करने के वास्ते सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन-सूचना एकत्र करना।

फिल्म समारोह निदेशालय

निदेशालय भारत में और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के प्रयास भी करता है। निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म समारोह भारत और विदेश के एक जैसी सोच वाले पेशेवरों के लिए विचार विनिमय और अपने दृष्टिकोण और अवधारणों को एक दूसरे के साथ बांटने के एक मंच के रूप में काम करता है।

निदेशालय की गतिविधियां ''भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के जरिए निर्यात संवर्धन'' योजना के माध्यम से चलाई जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) भारत का अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह।

(ख) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों का प्रदर्शन।

(ग) भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन।

फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दृष्टिकोण से निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट, जिसमें प्रिन्टों को लम्बी अवधि तक भंडारण में मदद करेगी, प्रदान करने के लिए एक नई योजना का भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है।

इसके अलावा सीरी फोर्ट फिल्म समारोह परिसर के रख-रखाव तथा देखभाल की जिम्मेदारी भी निदेशालय की है। सुविधाओं में सुधार/परिसरकी मरम्मत ''फिल्म समारोह परिसर-संवर्धन तथा बदलाव'' नामक कार्ययोजना के तहत किया जाता है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की जिम्मेदारी भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार सार्वजनिक सूचना, शिक्षा, संप्रेरणा एवं शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए वृत्तचित्रों, एनीमेशन, लघु तथा कार्टून फिल्मों का उत्पादन एवं वितरण करना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। परिवार कल्याण, रक्षा मंत्रालय एवं अन्य सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित काम के लिए एक यूनिट नई दिल्ली में भी स्थित है। इसके अलावा, बंगलौर और कोलकाता में एक-एक क्षेत्रीय केंद्र खुले हुए हैं। जिनमें लोक कथाओं पर आधारित मनोरंजन प्रधान फिल्में/वीडियो फिल्में तैयार की जाती हैं। विशेष और सांस्कृतिक प्रकार के आयोजनों को फिल्मांकित करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 14 मुख्य कैमरामैन और दो सहायक कैमरामैन तैनात हैं। फिल्म वितरण का काम 10 शाखा कार्यालयों के जरिए किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार एवं फिल्मी संस्थाओं के सहयोग से फिल्म प्रभाग द्विवार्षिक अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता है। ऐसा पिछला समारोह 3 से 9 फरवरी 2006 को हुआ। दसवां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फरवरी 2008 में किए जाने का प्रस्ताव है।

2006-07 के दौरान (दिसंबर 2006 तक) फिल्म प्रभाग ने रु. 427.37 लाख का राजस्व इकट्ठा किया। यह इसके गैर-योजना परिव्यय के 50% के बराबर है। 2005-06 में कुल रु. 875.72 लाख रुपए की वास्तविक प्राप्ति हुई थी।

भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म स्कन्ध मुख्य सचिवालय में "भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' नाम का कार्यक्रम लागू कर रहा है। अब इस कार्यक्रम को "फिल्मों का निर्यात और विपणन'' नाम के एक अन्य कार्यक्रम का घटक बना दिया गया है। "भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' घटक का कामकाज मंत्रालय के मुख्य सचिवालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि ''भारत और विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संबर्द्धन'' घटक डीएफएफ द्वारा लागू किया जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रमो का विलय योजना आयोग की सलाह पर किया गया।

2. "भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' घटक के कार्यान्वयन का प्रयोजन भारतीय फिल्मों की पहुंच को वैश्विक आधार प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी से उनके परिचय को बढ़ावा मिलता है और फिल्मों की उपलब्धता की जानकारी प्रचारित होती है। निर्यात की संभावनाएं बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भागीदारी के जरिए हमें अन्य देशों में अपनी फिल्में प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इन बाजारों में केन्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकन फिल्म बाजार-लॉस ऐंजेल्स, आदि शामिल हैं। भारत में हर वर्ष

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ फिल्म बाजार का भी आयोजन किया जाता है। इन बाजारों में भागीदारी की संभावनाओं का आकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है और यह भिन्न-भिन्न वर्षों के लिए अलग-अलग हो सकता है। उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रशासनिक मंजूरी एसएफसी द्वारा इस कार्यक्रम पर विचार करने के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गयी थी। इसके लिए 500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

3. वर्ष 2007-08 के लिए इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान के रूप में योजना आयोग द्वारा 220 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2007 को जर्मनी के साथ संयुक्त रूप से दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम बनाने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी नया कार्यक्रम

भारत में फिल्म उद्योग डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और डिजिटल विषयवस्तु तैयार करने में अधिकाधिक हिस्सा ले रहा है। विशेष प्रभाव और दृश्य प्रभाव क्षेत्रों के तीव्र विकास और साथ में गेमिंग और ऐनीमेशन जैसे डिजिटल विषयवस्तु उद्योगों की पहचान देश में बढ़ोतरी क्षेत्रों के रूप में की गयी है। इस बारे में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को प्रस्तुत की गयी उप समूह की रिपोर्ट में उपरोक्त क्षेत्र के लिए एक नीतिगत वातावरण विकसित किया गया है। किंतु इस क्षेत्र को कार्मिकों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभाव क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन के लिए निजी-सरकारी भागीदारी में ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि इस उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी दूर की जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 75 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है, यानी समूची योजना अवधि में हर वर्ष 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए सांकेतिक प्रावधान के रूप में 10 लाख रुपये रखे गए हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

इस संस्थान की स्थापना 1960 में फिल्म निर्माण कला और तकनीक में प्रशिक्षण के लिए की गई थी। 1974 से इसने दूरदर्शन कर्मचारियों को फिल्म निर्माण में प्रशिक्षित करना शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यह अपने ढंग का अग्रणी संस्थान है और फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए है।

शैक्षिक गतिविधियां

संस्थान द्वारा संचालित शैक्षिक पाठयक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	छात्रों की संख्या
अ.फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
1.	निर्देशन	35
2.	सिनेमाटोग्राफी	32
3.	संपादन	32
4.	आडियोग्राफी	24

ब : दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम		
1.	अभिनय	40
2.	कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिजाइन	24
स. 1/2 वर्षीय पाठयक्रम		
	एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रमाणपत्र	24
द: टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र		
1.	निर्देशन	10
2.	इलेक्ट्रानिक सिनेमाटोग्राफी	10
3.	वीडियो संपादन	10
4.	आडियोग्राफी एवं टी.वी. इंजीनियरी	-
य. कथाचित्र पटकथा लेखन एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठक्रम		**12**
	योग	**253**

लघु-अवधि पाठयक्रम

एफ टी आई आई कार्यरत व्यावसायिकों और अन्य लोगों के लिए कम अवधि के पाठयक्रम आयोजित करता है।

योजना कार्यक्रम

योजना शीर्ष के अंतर्गत आने वाली निधियों का मूल उद्देश्य प्रशिक्षण सुविधाओं एव तरीकों का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन करना है ताकि जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके, मूल सुविधा के साथ उपलब्ध सुविधाएं विकसित की जा सकें। राजस्व अर्जित करने के लिए बाहरी फिल्म निर्माताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक कार्यक्रम है ताकि संस्थान को स्वावलंबी बनाया जा सके।

ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित तीन स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है।

क. चल रही स्कीमें

1) एफ टी आई आई, पुणे का समुन्नयन एवं आधुनिकीकरण

- मशीनें एवं उपकरण

- भवन निर्माण एवं विद्युत कार्य
- एफटी आई आई, पुणे का आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण

2) एफ टी आई आई, पुणे का मानव संसाधन विकास

- सामुदायिक रेडियो की स्थापना
- कैप्टिव टी वी चैनल की स्थापना
- छात्रों आदि के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम

ख. नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया)

1. एफ टीआई आई, पुणे का समुन्नयन एवं आधुनिकीकरण

इस स्कीम का वांछित उद्देश्य मूल सुविधाओं में कमियों को दूर करना और वर्तमान सुविधाओं को उद्योग की आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप बनाना है। इससे संस्थान के छात्रों और प्रशिक्षार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

2. एफ टी आई आई, पुणे का मानव संसाधन विकास

यह योजना मानव संसाधन विकास के साथ जुड़ी हुई है। कुछ शुरुआती प्रयास किए जा चुके हैं जिनसे संस्थान के छात्रों और शिक्षको को लाभ हुआ है। इस योजना के कुछ तत्वों को फिर से संयोजित करने की जरूरत पड़ सकती है और इसे जारी रखना जरूरी है।

ख. नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नया)

अगले वर्ष के दौरान विभिन्न अवधि के और नए पाठयक्रम शुरू करने और संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इन पाठयक्रमों के लिए यह संस्थान अन्य विश्वविद्यालयों और फिल्म संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। उनके साथ सहयोग छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम, छात्रों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर और संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के रूप में होंगे। एफटीआईआई हर प्रकार की इंटरनेट टेक्नालाजी से लाभान्वित होने की कोशिश कर रहा है ताकि देश-विदेश से संपर्क हो सके और ऐसा करके इसे सही अर्थ में एक ग्लोबल फिल्म स्कूल बनाया जा सके।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति के अभाव को सदैव सम्बद्ध उद्योगों द्वारा महसूस किया जाता रहा है। फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाया था। कोलकाता में यह संस्थान खासकर पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत के लिए फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था।

संस्थान का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए फिल्म और टेलीविजन के बारे में विभिन्न कोर्स चलाना है। प्रति वर्ष यहां से लगभग 40 छात्र निकलते हैं। मुख्य उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग दोनों ही के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराना है। कोलकाता का सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान मानव संसाधनों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संस्थान है। यह संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्रिकी छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है। इनमें से प्रत्येक शाखा में दस-दस छात्र लिए जाते हैं। फिल्म तथा टेलीविजन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलाजी के बारे में अनुसंधान और खोजी अध्ययनों पर भी यह संस्थान ध्यान देता है।

विभागानुसार छात्रों की वर्तमान संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

क्रमांक	कोर्स	छात्रों की वर्तमान संख्या
(क)	फिल्म तथा टेलीविजन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स	
1	निर्देशन	20
2	छायांकन	19
3	सम्पादन	19
4	ध्वन्यांकन	13
	कुल	71

बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि कोर्स और विभिन्न प्रोजेक्ट कराता है।

योजना कार्यक्रम

आरम्भ में कोर्सों को चलाने के लिए संस्थान में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था, वह केवल एक ही बैच के लिहाज से था। धीरे-धीरे और बैच आते गए लेकिन बुनियादी ढांचे में अधिक वृद्धि नहीं की गई जिसका परिणाम यह हुआ है कि संस्थान को एकसाथ तीन बैच चलाने के लिए बुनियादी ढांचे तथा मानवशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपर्याप्त ढांचे और मानवशक्ति के परिणामस्वरूप शैक्षणिक समय-सारणी में विलम्ब हो रहा है और छात्रों में बार-बार असंतोष फैलता है। दरअसल अपर्याप्त मानवशक्ति और बुनियादी ढांचे की मदद के बिना संस्थान की स्थापना का उद्देश्य ही गड़बड़ा गया है और विफल हो गया है।

संस्थान 10वीं योजनावधि और 11वी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपनी चालू योजनाओं को जारी रखेगा। प्रत्येक योजना के परिणामों के बारे में संक्षेप में नीचे दिया गया है।

अधिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान ने बुनियादी ढांचे और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित नए कोर्सों का प्रस्ताव किया है।

(1) ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग

(2) फिल्म तथा टेलीविजन में कार्यक्रम प्रबंध विभाग

11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्कीमों का प्रस्ताव है।

क्रमांक	स्कीम/प्रोजेक्ट का नाम
क	नई स्कीम
1	ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग
2	फिल्म तथा टेलीविजन में कार्यक्रम प्रबंध विभाग
3	छात्रवृत्ति, छात्र/संकाय विनिमय कार्यक्रम
ख	निरंतर स्कीम
1	प्रशिक्षण तथा कौशल विकास
2	मानव संसाधन विकास पहलु/छात्रवृत्ति/विनिमय कार्यक्रम
3	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण

जारी कार्यक्रम

सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना

प्रस्तावित सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अवधारणा में संस्थान में एफएम पर आधारित एक रेडियो स्टेशन खोलने का सोचा गया है ताकि छात्रों को आन-लाइन प्रसारण में व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) अनुभव प्राप्त हो सके। एफएम चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता से पता चलता है कि जन शिक्षा और मनोरंजन के तथा स्थानीय हितों और स्वरूप के अनुकूल बनाए जाने वाले कारगर प्रचार माध्यम के रूप में स्थानीय प्रसारण प्रणालियों के परिचालन के लिए उत्साहवर्द्धक माहौल मौजूद है। अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे तथा युवा और ऊर्जावान छात्र संसाधनों के बल पर सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना और परिचालन के लिए सर्वथा उपयुक्त है तथा यह उसे सफलतापूर्वक चला सकता है। इस प्रोजेक्ट को निम्नलिखित बातों से बल मिलता है:

- आन-लाइन प्रसारण परिचालन में व्यावहारिक अनुभव।
- अत्यावश्यक मुद्दों के बारे में सूचना के कारगर प्रसार की कला में व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- छात्रों के फालतू समय के लिए एक रचनात्मक आफ-लाइन गतिविधि का विकास।
- उपलब्ध बुनियादी ढांचे और संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें। वैसे, इसे प्रोजेक्ट के सुगठित हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से प्रायोजकों के मिलने की संभावना है जिससे तैयार किए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माण लागत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर निकल आएगी।

कैप्टिव टीवी साफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना

कैप्टिव टीवी साफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय स्तरों पर विशेष दर्शक-वर्ग को ध्यान में रखकर दूरदर्शन द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नए अपने टेलीविजन (नैरो कास्टिंग) प्रयोग के लिए फीडर आधार तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट का अंतर्निहित उद्देश्य आन-लाइन प्रसारण की कला और तकनीक तथा छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के मूल्य-वर्द्धन के रूप में उनके लिए व्यावहारिक अनुभव की व्यवस्था करना है। इसमें अनिवार्यतया निम्न शक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसफार्मरों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले दैनिक/साप्ताहिक स्लॉट्स के लिए छात्रों और संकाय द्वारा समय-सारणी के मुताबिक विशेष टेलीविजन साटवेयर तैयार करना शामिल है। ये कार्यक्रम मुख्यतया परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा के सामाजिक मुद्दों और स्थानीय रुचियों के अनुसार विशेष मनोरंजन से सम्बंधित होंगे।

जिम्मेदार फिल्म निर्माण के संदर्भ में प्रशिक्षण और कौशल विकास

संस्थान द्वारा फिल्म क्षेत्र के 120 प्रतिभाशाली युवा उम्मीदवारों के लिए तीन साल का एक फिल्म तथा टेलीविजन डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है। इन उम्मीदवारों का चयन एक देशव्यापी परीक्षा से किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में फिल्म तथा टेलीविजन क्षेत्र के युवा छात्रों को संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण बहु-प्रतीक्षित

मूल्य-वर्द्धन का अनिवार्य रूप से समावेश करने पर जोर दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रस्तावित तत्वों को संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों की पूर्ति करना है ताकि उद्योग की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने वाले संस्थान के युवा छात्रों की मदद की जा सके।

कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था

संस्थान का मूल उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन के बारे में विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि फिल्म और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किए जा सकें। वर्तमान में संस्थान द्वारा निर्देशन और पटकथा लेखन, सम्पादन, ध्वन्यांकन और चलचित्रि की छायांकन के चार विषयों में तीन साल के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं। आरम्भ में कोर्सों को चलाने के लिए संस्थान में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था, वह केवल एक ही बैच के लिहाज से था। धीरे-धीरे और बैच आते गए लेकिन बुनियादी ढांचे में अधिक वृद्धि नहीं की गई जिसका परिणाम यह हुआ है कि संस्थान को एक साथ तीन बैच चलाने के लिए बुनियादी ढांचे तथा मानवशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

नये कार्यक्रम

ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग

पिछले कुछ सालों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है, वह ऐनीमेशन और मल्टी-मीडिया प्रयोगों का है। एनीमेशन की लोकप्रियता और संभावनाओं के बारे में हर कोई जानता है और इस बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैब से जुड़े प्रयोगों और ऐनीमेशन फिल्मों के साथ-साथ मल्टी-मीडिया सीडी-रोम्स/गेम्स का एक विशाल गतिशील और संभावनाओं से भरा बाज़ार मौजूद है। अगले कुछ सालों में भारत ऐनीमेशन से जुड़े काम के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इन गतिविधियों में मदद करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी मांग है। इस प्रकार दृश्य-श्रव्य कला के बदलते परिवेश के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए इस कोर्स को चलाने का यह सही समय है।

बदलते रुझानों और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, संस्थान में अध्ययन की एक नई शाखा जोड़ना वक्त की मांग है। इसीलिए संस्थान ने 'ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग' में दो साल का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक बैच में 10-10 छात्रों को लेने का प्रस्ताव है। अगर इस स्कीम को मान लिया गया और मंजूरी प्रदान कर दी गई तो फिलहाल यह कोर्स योजनावधि के चौथे साल से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वांछित बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा तथा लोगों की भर्ती की जाएगी।

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम प्रबंध विभाग

दृश्य-श्रव्य मीडिया, एक बहु-शाखीय मीडिया है और वह भी व्यापक विविधताओं को लिए। एक सफल कार्यक्रम के निर्माण के लिए सभी विविधताओं को एक व्यवस्थित और किफायती एकजुटता में बांधना जरूरी है। इसमें कुशल और पेशेवर प्रबंध को लाने के लिए मीडिया के कार्यकलापों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले योग्याता प्राप्त प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। ये प्रबंधक व्यापार से जुड़ा अनुशासन और पारदर्शिता लाने में कामयाब हो सकेंगे जिससे कार्यक्रम निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और विश्वसनीय बन सकेगा। आज विशेषज्ञता में बारीकी का युग है, इसलिए उद्योग की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और प्रयोग करना जरूरी हो गया है।

फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, संस्थान का फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में दो साल का एक स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कोर्स के प्रत्येक बैच में 10-10 छात्र लिए जा सकेंगे।

छात्रवृत्तियां, छात्र/संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस स्कीम में संस्थान के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक आधार तैयार करने का प्रावधान है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/मंचों के अनुभवों और विदेशों में प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ छात्र विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से उभरती नई फिल्म प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के बारे में परिचित हो सकें। आज की तेजी से बदलती हुई दृश्य-श्रव्य प्रौद्योगिकी में पारंगत होने के लिए अपने युवा फिल्मी पेशेवरों को अनुभव दिलाने की उभरती जरूरत से इस स्कीम को मजबूती मिलती है।

अलग-थलग पड़ जाने और नवीनतम टेक्नोलाजी के मामले में पिछड़ जाने के खतरे से बचने के लिए बाहरी दुनिया के साथ परस्पर वार्तालाप से विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान तथा नए कौशल सीखने से मदद मिलेगी। इस स्कीम से संकाय सदस्यों को भी शिक्षा और फिल्म तथा टेलीविजन के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में बदलते रुझानों को समझने में मदद मिलेगी। इस स्कीम में प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां और विदेशी उद्योग तथा फिल्म संस्थानों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।

गैर-योजना

संस्थान का मुख्य उद्देश्य फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग दोनों ही के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराना है। संस्थान द्वारा निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्रि की छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान के कोर्सों में कुल क्षमता 120 छात्रों की है जो एक साथ चलने वाले तीन कोर्सों में बंटी हुई है। कोर्स चलाने के लिए नियमित रूप से निरंतरता, मिस-ऐन-सीन, विज्ञापन-प्रोमो, वृत्तचित्र, प्ले बैक तथा डिप्लोमा फिल्में आदि आयोजित किए जाते हैं। कक्षाओं में की जाने वाली पढ़ाई के पूरक के रूप में प्रख्यात फिल्मी हस्तियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। फिल्म निर्माण के आधुनिक रुझानों और तकनीकों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए स्वदेशी और विदेशी फिल्मों का नियमित प्रदर्शन भी किया जाता है। अंतिम वर्ष के 35 छात्र अपने अंतिम प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। निर्धारित अवधि के दौरान 30 मिनट की अवधि की 10 लघु फिल्में बनाई जाएंगी। जूनियर बैच निर्धारित समयसारणी के अनुसार अध्ययन के अपने कोर्स पूरे करेंगे। निर्धारित अवधि में छात्रों के नए बैच के लिए दाखिले किए जाएंगे।

भारतीय जनसंचार संस्थान

संगठन और परिचय

भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना परामर्श, प्रशिक्षण, शोध और विकास, खासकर राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास की सहायता में जनसंचार के उपयोग हेतु दायित्वों को पूरा करने के लिए "जनसंचार में एक आधुनिक केंद्र" के रूप में 1965 में की गई थी। संस्थान प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है, शोध के फ्रेमवर्क का विकास करता है और एक ऐसे सूचना ढांचे के निर्माण में योगदान करता है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए अनुकूल

हो। यह देश में अन्य संस्थानों को विशेषज्ञता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है तथा विदेश स्थित संस्थानों के साथ सहयोग करता है।

2. संस्थान की गतिविधियां तीन प्रमुख क्षेत्रों जैसे - शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है:

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए) के अधिकारियों के लिए अनुकूलन पाठ्यक्रम;
2. नई दिल्ली और ढेंकनाल (उड़ीसा) में अंग्रेजी में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम;
3. हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
4. विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
5. रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
6. उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; तथा
7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

क्रम संख्या-7 का पाठ्यक्रम तीसरी दुनिया के देशों के लिए है और अफ्रीका, एशिया तथा लातिन अमरीका के मध्य स्तरीय कार्यकारी पत्रकार इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छुक रहते हैं। इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में औसतन 20-25 पत्रकारों को प्रवेश दिया जाता है।

3. संस्थान, भारतीय सूचना सेवा फाउंडेशन कोर्स और लघु पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सम्मेलन तथा संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है।

आईआईएमसी ने "अपना रेडियो एफएम 96.9 मेगाहर्ट्ज" के नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की है जिसका उद्घाटन 9 सितंबर 2005 को हुआ था। सामुदायिक रेडियो छात्रों को जन सेवा प्रसारण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में एक विशेष साधन मुहैया कराता है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

विश्व भर में कलाकृतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में फिल्मों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। सिनेमा को उसकी सभी विविधतापूर्ण अभिव्यक्तियों और स्वरूपों के साथ संरक्षित कने का दायित्व किसी ऐसे राष्ट्रीय संगठन को दिया जाता है जिसके पास पर्याप्त संसाधन, एक स्थाई व्यवस्था और फिल्म उद्योग का भरोसा हो। इस प्रकार फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रचार माध्यम इकाई के रूप में भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना हुई।

यह संग्रहालय सरकार के इस बोध का परिणाम है कि फिल्में भी पुस्तकों तथा अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की भांति बहुमूल्य होती हैं और देश की फिल्म विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखना जरूरी है।

भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सिनेमा, सर्वश्रेष्ठ विश्व सिनेमा की प्राप्ति और संरक्षण, फिल्म वर्गीकरण, प्रलेखन और शोध तथा फिल्म छात्रवृत्तियों और देश में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना है।

एनएफएआई अपनी कार्यप्रणाली और उद्देश्यों की वजह से केवल मात्र एक सरकारी संगठन ही नहीं है बल्कि अपनी निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों की श्रेणी में आता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

परिचय

देश में भारतीय फिल्म उद्योग के बेहतर सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना पर केंद्रीय ऐजेंसी के रूप में की गई। एन..एफ.डी.सी. का मुख्य कार्य भारतीय फिल्म उद्योग के समेकित और कुशल विकास की योजना बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और उसका संचालन करना है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कम बजट वाली, परंतु उच्चस्तरीय विषयवस्तु और निर्माण मूल्यों वाली फिल्मों की अवधारणा को प्रोत्साहन देता है। निगम ने युवा प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को कई वर्षों से अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए मंच प्रदान किया है। निगम द्वारा वित्तपोषित/निर्मित फिल्मों और उनसे जुड़े कलाकारों ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एनएफडीसी (पूर्ववर्ती फिल्म वित्तपोषण निगम सहित) ने अब तक 15 भारतीय भाषाओं में 315 के करीब फिल्मों का निर्माण/वित्तपोषण किया है। भारतीय फिल्म उद्योग में कई भाषाओं में फिल्मों का निर्माण किया जाता है तथा एन.एफ.डी.सी. ही एकमात्र ऐसी फिल्म निर्माण संस्था है जो विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण करती है।

मिशन

उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण तथा आडियो-विजुअल मीडिया (दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यम) के माध्यम से संस्कृति व परस्पर समझदारी को बढ़ावा देने में अग्रणी नेतृत्व प्रदान करना।

संगठन

इस निगम की प्रचालनात्मक संरचना ज्ञापन एवं आर्टिकल आफ एसोशिएशन के अनुरूप है, निदेशक मण्डल प्राथमिक रूप से उत्तरदायी निकाय है जो कार्यनीति संबंधी निर्देश तैयार करता है तथा इस निगम की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।

ज्ञापन तथा आर्टिकल आफ एसोशिएशन के अनुसार निदेशकों की संख्या 15 से अधिक तथा 5 से कम नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं।

गतिविधियां/कार्य

एन.एफ.डी.सी. का उद्देश्य निम्न के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त करना है -

(i)) अपनी फिल्मों का निर्माण, सह-निर्माण तथा सहायता स्कीम

(ii) मेट्रो केंद्रों में प्रदर्शनी के लिए अपनी आधारभूत सुविधा का विकास करना

(iii) तकनीकी योजनाओं का आधुनिकीकरण एवं हस्तांतरण और नई परियोजना शुरू करना।

(iv) विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा दने के लिए बाजार की आधारभूत सुविधा सृजित करना।

कर्मचारी

निगम में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 217 है।

स्थान

इस निगम का मुख्यालय मुम्बई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता में है। इसके शाखा कार्यालय तिरुवनन्तपुरम, बंगलौर तथा हैदराबाद में हैं। इस प्रकार इस निगम का नेटवर्क सम्पूर्ण देश में चारों ओर फैला हुआ है जो समग्र रूप से भारतीय फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पत्र सूचना कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका काम नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 26 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय - सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते रहते हैं। कभी-कभी अति विशिष्ट व्यक्तियों/मंत्रियों/कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी देनी होती है, ऐसी हालत में ये कार्यालय बहुत सहायक सिद्ध होते हैं।

2. पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, - प्रथम, इंटरनेट के बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे-चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का अभ्युदय। इन दोनों के कारण संचार की गति बहुत तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमाएं महत्वहीन हो रही हैं और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी और त्वरित महत्व आ गया है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया-खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है। वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।

3. आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती हैं अतः इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज की मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पत्र सूचना कार्यालय को आज के ग्राहकों को तुरन्त और रोचक तरीके से सूचना पेश कने के लिए नई गतिविधियां शुरू करनी चाहिए।

4. पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सकें।

5. इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित गतिविधियों/स्कीमों/परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है :

1. नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना

पत्र सूचना कार्यालय के पास इस समय कोई प्रेस केन्द्र नहीं है जहां आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हों।

अब जबकि अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण हो रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सरकार की नीतियों में अभूतपूर्व रुचि दिखाई है। इसे देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित और साधनों से लैस मीडिया केन्द्र की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि भारतीय और विदेशी मीडिया की तकनीकी जरूरतें पूरी की जा सकें। पिछले कुछ वर्षों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ध्यान इस बात पर रहा है। इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र में अब तक की आधुनिकतम और भविष्य में काम आने वाली सभी सुविधायें जुटाई जा रही हैं जिनसे प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया लाभ उठा सकेगा। यहां पर एक विशेष कैफेटेरिया होगा जहां भोजन और बार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पत्र सूचना कार्यालय ने इसी उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना के दौरान दिल्ली में इस काम के लिए अलग से एक भवन बनाने का फैसला किया है।

2. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम

इस स्कीम का उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं प्रचारित करना है। इसके लिए सार्वजनिक सूचना अभियान चलाने, प्रेस वार्ताएं समाचार उपलब्ध कराने की गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

जहां भी फिल्म समारोह आयोजित किया जाता है वहीं पर मीडिया सेन्टर खोल कर पत्रकारों को जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए प्रत्यायन व्यवस्था, प्रेस, वार्ताएं, प्रेस विज्ञप्तियों आदि की व्यवस्था की जाती है और एक संवाददाता कक्ष बनाया जाता है जहां कंम्प्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचारपत्र लिखने पढ़ने की सामग्री और फोटोग्राफी की मशीनों जैसी सुविधाएं जुटाई जाती हैं।

4. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

पत्र सूचना कार्यालय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान मीडिया की सुविधा के लिए अपने अधिकारी भेजता है जो मौके पर ही पत्रकारों को विशेष प्रत्यायंन की व्यवस्था करते हैं और मौके पर ही मीडिया केन्द्र बनाकर उसके लिए सुविधाएं जुटाते हैं।

5. राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए मीडिया प्रबंधन तथा सुविधाओं का प्रस्ताव

इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य पत्रकारों की सुविधा के लिए मीडिया केन्द्र खोलकर हर प्रकार के प्रिन्ट, रेडियो, टेलीविजन आदि के प्रतिनिधियों ने इस आयोजन के लिए रुचि जाग्रत करना, उन्हें समय से सटीक सूचनाएं देना और इस महा आयोजन की परियोजना के प्रति जागरुकता पैदा करना है।

6. मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच बेहतर समझ विकसित करने और मीडियाकर्मियों के बीच सूचनाओं को आदान-प्रदान के जरिए अधिक सम्पर्क के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। साथ ही इस बात पर भी जोर देना है कि लोकतंत्रीय मूल्यों और विभिन्न समाजों में सहनशीलता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण

भूमिका है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध सुदृढ़ बनाए जाते हैं और सूचना तथा मास मीडिया के क्षेत्र में निकट संबंध विकसित करके लोगों में एक जैसी इच्छाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं -

1. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. संयुक्त कार्य ग्रुप
3. सूचना क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1966 में की गई थी। इसके दो प्रमुख कार्यकलापों में प्रेस की स्वतंत्रता को बचाये रखना और प्रेस को स्तर के बनाए रखना तथा उसमें और सुधार करना शामिल है। परिषद की बहुमुखी भूमिका रहती है। एक तरफ यह अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है जिसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। सलाहकार के रूप में, यह प्रेस एवं प्राधिकारियों की सहायता करने के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने संबंधी सभी मामलों में कार्य करती है।

प्रेस परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है जो पारंपरिक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त परिषद में 28 अन्य सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं तथा तीन सामाजिक, साहित्यक एवं कानूनी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया नामांकित करता है।

भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य, अधिनियम 1978 की धारा 13 के अनुसार, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना तथा भारत में समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा और सुधार करना शामिल है। यह अधिनियम परिषद को सलाहकार के रूप में भूमिका प्रदान करता है और परिषद या तो स्वयं अपनी पहल पर अथवा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ के अनुसार किसी भी बिल, कानून या अन्य मामले जो प्रेस से संबंधित है, के संबंध में अध्ययन कर अपनी राय देती है। सार्वजनिक महत्व के मामले में अपनी प्रारंभिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए परिषद स्वयं अपनी पहल पर जानककारी हासिल करती है और मौके पर जांच के लिए विशेष समिति गठित कर सकती है।

अपने उद्देश्यों के अनुरूप इसके कुछ प्रमुख कार्यों में समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों की सहायता करना शामिल है ताकि वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाना भी परिषद का कार्य है ताकि वे उच्च व्यवसायिक स्तर को बनाये रखें और जनता की रुचि को ध्यान रखते हुए उच्च स्तर बनाए रखें तथा अपनी जिम्मदारियों एवं अधिकार दोनों को निभाते रहें। परिषद का काम ऐसे घटनाक्रम पर नजर रखना भी है जिससे जनहित की खबरों का प्रसार बाधित होता हो। परिषद का कार्य समाचारपत्रों या समाचार एजेंसियों से जुड़े सभी लोगों के बीच कार्यात्मक संबंध रखना और पत्र-पत्रिकाओं और एजेंसियों के स्वामित्व के ऐसे पहलुओं पर नजर रखना भी है जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।

परिषद को निधि देश के पंजीकृत समचार पत्रों से प्राप्त शुल्क, जो उनकी बिक्री की संख्या के अनुसार होता है, से अर्जित की जाती है तथा घाटे की पूर्ति सरकार अनुदान से की जाती है। यद्यपि कुछ हद तक परिषद सरकार से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर है तथापि जहां तक इसकी स्वायत्तता का प्रश्न है, यह अपने अर्ध-न्यायिक कार्यकलापों के लिए किसी बाहरी दबाव में नहीं आती।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य विकास कार्यों और उनके परिणामस्वरूप देश में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन को फोटोग्राफों के माध्यम से संजोकर रखना है तथा इस मंत्रालय की मीडिया इकाइयों तथा राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसभा/राज्यसभा सचिवालयों तथा विदेश मंत्रालय के जरिए विदेश में भारतीय मिशनों सहित अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों को चित्र उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त फोटो प्रभाग हर वर्ष राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता भी आयोजित करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, फोटो प्रभाग केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों और आम जनता को भी ''मूल्य योजना'' के अन्तर्गत फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन-गृहों में एक है। विभाग हिन्दी, अंग्रेजी और दूसरी प्रमुख भारतीय भाषाओं में ऐसी किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जो देश के लोगों की समझ विकसित कर सके। इन प्रकाशनों का उद्देश्य है देश के लोगों के जीवन के रंग-बिरंगे पहलुओं के बारे में जानकारियों का प्रसार। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हो रहे विकास की जानकारी देना। प्रकाशन विभाग ने जिन महत्वपूर्ण प्रकाशनों को अंजाम दिया है उनमें महत्वपूर्ण हैं — महात्मा गांधी के लेखों, भाषणों और वक्तव्यों के संग्रहों की प्रतिष्ठित शृंखला, राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों का संग्रह, राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर शिक्षाप्रद और जानकारियों से भरी किताबों का प्रकाशन। विभाग इनके अलावा बच्चों का साहित्य और 'रोजगार समाचार' भी छापता है।

1.2 विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण तो करता ही है, आंतरिक और बाह्य प्रचार की सामग्री भी तैयार और प्रकाशित करता है ताकि देश-विदेश के लोगों को भारत के बारे में सटीक और ताज़ा जानकारी मिल सके। ऐसा करते हुए विभाग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(vi) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर किताबों का प्रकाशन, जिन्हें साधारण तौर पर दूसरे प्रकाशक नहीं छापते। साथ ही इन प्रकाशनों को वाजिब दाम पर जनता तक पहुंचाना भी प्रकाशन विभाग का उद्देश्य है।

(vii) प्रकाशन विभाग का उद्देश्य है—विविधता में एकता की अवधारणा और भावना कड्ढ मजबूत करना। इसके अलावा यह अपने प्रकाशनों से सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा देता है।

एम्पलायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है।

इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यर्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

इस साप्ताहिक पत्र में केद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाओं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी बनाया गया है जो कैरियर से सम्बन्धित दो लेख प्रकाशित करता है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिए इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

सरकार के इस सचित्र कैरियर साप्ताहिक को अपनी कैरियर वेबसाइट www.employment.news.gov.in खोलकर अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह वेबसाइट बहुत अधिक सफल रही है तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रही है। हर रोज 3 लाख से अधिक लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं। सरकारी क्षेत्र में यह सबसे अधिक पेज हिट है। वेबसाइट के जरिए पेश की जा रही ऑनलाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श सरकारी क्षेत्र में नौकरी रिक्तताओं के बारे में अग्रिम जानकारी तथा जानकारी सीधे पाठकों के ई-मेल पर उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध है। इसका गठन प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867 में संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद 1 जुलाई, 1956 को किया गया। अधिनियम के तहत इसके सांविधिक कार्य इस प्रकार हैं -

i) भारत में प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के विवरण को रजिस्टर में संकलित करना और उसका रखरखाव;

ii) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शीर्षकों की उपलब्धता की जांच के बाद समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र देना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि समाचार-पत्र/पत्रिकाएं प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित हो रही हैं;

iv) प्रकाशकों द्वारा किए गए प्रसार संख्या संबंधी दावों की जांच करना;

v) भारत में प्रेस के विषय में सूचनाओं और आंकड़ों की, विशेषकर विभिन्न प्रकार के समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की प्रवृत्तियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर के सरकार को प्रस्तुत करना।

इसके अतिरिक्त भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय को अपने सांविधिक कार्यों के अतिरिक्त भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वे कार्य इस प्रकार हैं -

(क) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज आयात करने का पात्रता प्रमाणपत्र या देश में स्थित अखबारी कागज मिलों से कागज खरीदने हेतु आवंटन प्रमाणपत्र जारी करना।

(ख) प्रिंटिंग तथा संबद्ध मशीनरी और सामग्री के संबंध में समाचार-पत्र संस्थाओं की आवश्यकताओं का आकलन करके उन्हें प्रमाणपत्र देना।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय है जो मीडिया इकाइयों को शोध के सम्बंध में एकत्रित, संकलित एवं तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सार संक्षेप निर्मित करना और समसामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है। 1945 में स्थापित यह प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों के लिए सूचना उपलब्ध कराने वाली एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग जनसंचार क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए जनसंचार की संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा को कायम रखता है। यह प्रभाग मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों तथा जन संचार से जुड़े अन्य माध्यमों को उपयोग के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ एवं शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। यह प्रभाग भारतीय जनसंचार संस्थान (भा.ज.सं.सं.) के सहयोग से भारतीय सूचना सेवा (भा.सू.से.) के अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था को भी देखता है।

यह प्रभाग वर्ष के दौरान दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ तैयार करता है, इंडिया-एक वार्षिक संदर्भ, यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों तथा पी.एस.यू./स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और उन्नति का संकलन है। इसका, भारत में मास मीडिया (मास मीडिया इन इंडिया) यह भारत के जनसंचार पर एक विस्तृत प्रकाशन है। साथ ही इंडिया को हिंदी में भारत शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 04 जनवरी 2007 को वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया-2007 के 51वें संस्करण को सफलतापूर्वक जारी किया।

यह प्रभाग नियमित रूप से हर पखवाड़े 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालता है। यह पाक्षिक अभिलेख और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। यह प्रभाग विशेष विषयों पर आधारित पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है और छटनी के बाद इसे मंत्रालय भेज देता है। इन पत्रिकाओं में एफडीआई की हिस्सेदारी होती है और ये विशेष विषयों से संबंधित होती हैं जिसके लिए इन्हें भारत में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। इन पत्रिकाओं का अनुवीक्षण सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर सख्ती से किया जाता है।

संदर्भ पुस्तकालय

गवेषणा और संदर्भ क्षेत्र से जुड़े किसी भी संस्थान के लिए एक सुसज्जित पुस्तकालय जीवन रेखा की तरह होता है। ग.सं.प्र.प्र. (आर.आर.टी.डी.) शोध से सम्बंधित सामग्री के संचयन, संकलन और तैयारी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता करता है। इस प्रभाग का पुस्तकालय विभिन्न विषयों पर दस्तावेजों के बड़े संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द ग्रंथों तथा मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों से सुसज्जित है जो पाठकों, समितियों और आयोगों के लिए वैयक्तिक सहायता प्रदान

करता है। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जन संपर्क, विज्ञापन एवं दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम, सभी प्रमुख विश्वकोष, सम-सामयिक लेख और वार्षिकी शामिल हैं। पुस्तकालय की सुविधाएं भारतीय और विदेशी माध्यम प्राप्त पत्रकारों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र (एन.डी.सी.एम.सी.) का गठन 1976 में मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसकी पत्रिका सेवाओं के माध्यम से जन संचार माध्यम की प्रवृत्तियों और उनसे जुड़ी घटनाओं की जानकारी एकत्र कर उनकी व्याख्या करना उसका मुख्य दायित्व है। एन डी सी एम सी जनसंपर्क/संचार पर उपलब्ध बड़े समाचारों, लेखों तथा सूचनाओं का प्रलेखन करता है। यह पूरे देश में जनसंचार के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में शामिल होने के लिए सूचना के संग्रहण और प्रलेखन से लेकर इसके प्रचार-प्रसार तक समसामयिक गतिविधियों का केन्द्रीय क्षेत्र है।

विभिन्न सेवाओं के द्वारा एकत्रित सूचना को अनुरक्षित एवं प्रचारित किया जाता है जैसे—'संगसामयिक जागरूकता सेवा'—केन्द्र द्वारा अंशदायी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मास मीडिया पर चुनिंदा लेखों की प्रकाशित सूची, 'सन्दर्भ ग्रंथ सेवा' - केन्द्र द्वारा अंशदायी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रकाशित मास मीडिया पर लेखों की विषय सूची, 'फिल्म बुलेटिन'-भारत के फिल्म उद्योग के विकासों का एक सारांश, 'सदर्भ सूचना सेवा' - मास मीडिया क्षेत्र के प्रासंगिक हितों के विषयों पर पृष्ठभूमि दस्तावेज; 'जन संचार में कौन क्या है'- लोक प्रसिद्ध विभिन्न मीडिया व्यक्तियों की जीवनियाँ, 'जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार' - वर्ष के दौरान जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों को दिए गए पुरस्कारों के साथ-साथ घोषित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की झलकियाँ और 'मीडिया अपडेट' - यह प्रलेख और संदर्भ के लिए बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को केंद्रित करती है।

प्रशिक्षण

भारतीय सूचना सेवा (भा.सू.से.) के अधिकारियों का प्रशिक्षण इस क्षेत्र में ध्यानाकर्षित करता रहा है। आर.आर.टी.डी. को भा.सू. सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से सौंपी गई है। आर.आर.टी.डी. के प्रशिक्षण प्रभाग ने दिसम्बर, 2006 तक मंत्रालय के अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों के 82 भा.सू.से. के अधिकारियों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए।

वर्ष 2006-07 की झलकियाँ :

- गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 04 जनवरी 2007 को वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया-2007 के 51वें संस्करण को सफलतापूर्वक जारी किया।
- आर.आर.टी.डी. की इकाई राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र ने वर्ष 2006-07 के दौरान मास मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर 38 सेवाएं जारी कीं।
- आर.आर.टी.डी. के प्रशिक्षण प्रभाग ने दिसम्बर 2006 तक मंत्रालय के अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों के 82 भा.सू.से. के अधिकारियों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

गीत और नाटक प्रभाग

इस प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार के काम में परंपरागत लोककला रूपों के इस्तेमाल से फायदा उठाने के लिए एक छोटी यूनिट के रूप में की गई थी। इसे जीवंत माध्यम माना जाता है, यह संचार के काम में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। लोगों के साथ तुरंत तादात्म्य स्थापित कर सकने और समसामयिक विषय शामिल कर सकने की अपनी क्षमता के कारण यह बहुत प्रभावी रहा। इसी कारण इसे अधिक पहुंच और संचार-सक्षम बनाने के लिए इसका क्षेत्र और आकार बढ़ाया गया।

उद्देश्य

इस प्रभाग के प्रमुख उद्देश्य हैं आम जनता में सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतंत्रीय आदर्शों के प्रति सम्मान एवं भावनात्मक लगाव पैदा करना। ये प्रवृत्तियां देश की प्रगति के अनुकूल हैं। इनके द्वारा सीमावर्ती इलाकों के लोगों में रक्षा तैयारी और देश को सांस्कृतिक एकजुटता में विश्वास पैदा किया जाता है। ग्रामीण और शहरी कला रूपों का इस्तेमाल करते हुए दूरदराज में तैनात सैनिकों का आत्मबल बनाए रखने और लोक कलाओं का इस्तेमाल करके उनका मनोरंजन करना भी प्रमुख उद्देश्य है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह प्रभाग अनेक प्रकार के कला रूपों - नाटक, नृत्य नाटिका, ओपेरा, लोक नृत्यों, कठपुतली, वाचिक परंपरा और यहां तक कि जादू की कला का भी इस्तेमाल करता है। साथ ही, यह प्रभाग आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, स्वास्थ्य पर्यावरण, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम पेश करता है।

देश के विभिन्न भागों में प्रचलित अनेक लोक एवं पारंपरिक कला रूपों का इस्तेमाल करके एक तरफ यह प्रभाग इन कलारूपों का उद्धारक बन गया है, वहीं, सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन और रोजगार देने वाला बन गया है। यह संचार के लिए स्थानीय भाषा, बोलियों, मुहावरों आदि का प्रयोग करता है।

निदेशक इस प्रभाग के प्रमुख होते हैं। प्रभाग इन स्तरों पर कार्यरत है - दिल्ली में मुख्यालय, (ii) बंगलौर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकता, लखनऊ, पुणे और रांची में दस क्षेत्रीय केंद्र तथा, (iii) सात सीमा केंद्र जो एक सहायक निदेशक के अधीन काम करते हैं। ये केंद्र हैं दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला। (iv) छः विभागीय नाटक मंडलियां एक प्रबंधक के नेतृत्व में भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में हैं। इस प्रभाग की फील्ड यूनिटें प्रचार-परक कार्यक्रम तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करने और मानीटरिंग का काम संभालती हैं।

इसके अलावा, इस प्रभाग की नौ मंडलियां (आठ दिल्ली में, एक चेन्नई में) हैं जिनमें सशस्त्र सेना मनोरंजन स्कंध के कलाकार काम करते हैं। ये दूरदराज के इलाकों में जा कर सैनिकों का मनोरंजन करती हैं।

वर्ष 2005-06 के लक्ष्य

परिणाम बजट 2005-06 के अनुसार परिव्यय/लक्ष्य (2005-06) तथा वास्तविक उपलब्धि (योजना एवं गैर योजना)

वित्तीय

(करोड़ रुपये में)

बजट योजना	अनुमान गैर-योजना	2005-06 जोड़	वास्तविक योजना	व्यय गैर-योजना	2005-06 जोड़
8.5*	19.92	22.42	8.33	13.47	21.80

* पूर्वोत्तर के 1 करोड़ रुपये को मिला कर

वार्षिक योजना 2005-06 का वास्तविक निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	मात्रात्मक प्रत्यक्ष	प्रक्रिया समयबद्धता	उपलब्धियां 31.3.06 की स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पर्वतीय/जनजातीय/ रेगिस्तानी संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में आई सी टी गतिविधियां प्रभाग एवं मूल्यांकन तथा गीत और नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण	प्रचार कार्यक्रम	8.5 योजना	24,264	2005-06	8.83 32430 कार्यक्रम	
	घटकवार विवरण						
क.	पर्वतीय/जनजातीय/ रेगिस्तानी/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में	- वही -	1.5	4000	2005-06	1.51 (6253 कार्यक्रम)	
ख.	प्रभाव मूल्यांकन	- वही -	–	–	2005-06	–	
ग.	तय 78 जिलों में गतिविधियां	- वही -	2.35	8400	2005-06	2.35 (8922 कार्यक्रम)	
घ	साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार	- वही -	2.70	9400	2005-06	2.70 (14202 कार्यक्रम)	
च.	ज एवं क तथा पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	- वही -	0.70	2400	2005-06	0.70 (2975 कार्यक्रम)	
छ.	राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंच पर प्रदर्शन	- वही -	1.00	64	2005-06	0.83 (78 कार्यक्रम)	
ज.	एस एंड डीडी का आधुनिकीकरण	- वही -	0.25	–	2005-06	0.243	

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

2005-06 के प्रत्यक्ष लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं -

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम-लक्ष्य	उपलब्धि
1.	गैर-योजना	5000	5485
2.	योजना	24264	3443
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	-	8091
4.	उपभोक्ता मामले	-	3932
5.	वन मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियां	-	-

वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

बजट अनुमान 2006-07			संशोधित अनुमान 2006-07		
योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़
8.5	12.36	20.86	7.38*	13.19	20.57

पूर्वोत्तर के लिए 1 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वास्तविक निष्पादन-योजना

परिणाम बजट 2006-07 के अनुसार 2006-07 के परिव्यय और उपलब्धियों/लक्ष्यों संबंधी वक्तव्य

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	मात्रात्मक प्रत्यक्ष	प्रक्रिया सामयिकता	उपलब्धियां 31.3.06 की स्थिति	टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6	7	8
	पर्वतीय/जनजातीय रेगिस्तानी/संवेदनशील एवं सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां, प्रभाव मूल्यांकन एवं गीत और नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण	प्रचार कार्यक्रम	8.50 योजना	16149	2005-06	4.9067	
	घटकवार विवरण						
क.	पर्वतीय/जनजातीय/ रेगिस्तानी/संवेदनशील एवं सीमावर्ती क्षत्रों में आई सी टी गतिविधियां	- वही -	1.40	3000	2006-07	1.4753	
ख.	प्रभाव मूल्यांकन	- वही -	0.10	-	2006-07	-	
ग.	तयशुदा 78 जिलों में कार्यक्रम	- वही -	2.30	5600	2006-07	0.7678	
घ.	साझा न्यूनतम कार्यक्रम का उपचार	- वही -	2.45	6000	2006-07	1.6084	
च.	ज एवं क तथा पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	- वही -	0.67	1485	2006-07	0.3237	
छ.	राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंच पर प्रदर्शन	- वही -	1.33	64	2006-07	73.15	
ज.	एसएंड जी डी का आधुनिकीकरण	- वही -	0.25	-	2006-07	-	

ब. योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2006-07)

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य कायक्रम	उपलब्धि कार्यक्रम
1.	गैर-योजना	3000	3000
2.	योजना	16149	11000
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	8800	7841
4.	उपभोक्ता मामले	1900	2359
5.	वन मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियां	–	–

(iii) वर्ष 2007-08 के लक्ष्य

वित्तीय

बजट अनुमान

(करोड़ रुपये में)

योजना	गैर योजना	जोड़
4.00*	14.54	18.54

* पूर्वोत्तर के रु. 0.40 करोड़ को मिला कर

ब. योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2007-08)

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य कार्यक्रम
1.	गैर-योजना	5100
2.	योजना	6565
3.	एच एंड डब्लू	आबंटन की पुष्टि नहीं हुई
4.	उपभोक्ता मामले	- वही -
5.	वन मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियां	- वही -

वार्षिक योजना 2007-08

योजना कार्यक्रमों का विवरण

नये कार्यक्रम

ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला और संस्कृति (आई सी टी स्कीम) आई सी टी गतिविधियां और गीत और नाटक प्रभाग में आधुनिकीकरण

1. पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां एवं उनका मूल्यांकन

यह प्रभाग संवेदनशील और जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं पूर्वोत्तर जैसे विशेष इलाकों में विशेष प्रचार करता है ताकि सीमापार से होने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सके, यहां के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाया जा सके, और विभागीय मंडलियों, निजी टोलियों और सूचीबद्ध किए हुए कलाकारों तथा किराये के वाहनों की सहायता से विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और रक्षा एजेन्सियों के निकट सहयोग से इन इलाकों में विशेष प्रचार अभियान चलाए जा सकें।

यह प्रभाग पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी इलाकों में दूर-दराज में रहने वाले लोगों में उनके कल्याण के लिए शुरू की गई विकास गतिविधियों के बारे में जागरुकता पैदा करता है। इन कार्यक्रमों का उदेश्य दूर-दराज के निवासियों को देश के साथ जोड़ना और विकास गतिविधियों में उनकी भागादारी को बढ़ावा देना है। स्थानीय कलाकारों को मिलाकर मंडलियां बनाई जाती हैं जो स्थानीय बोली और मुहावरों तथा कलारूपों का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय जनता के लिए कार्यक्रम पेश करती हैं।

यह प्रभाग 4300 कार्यक्रम पेश करने का प्रस्ताव बना रहा है। इनमें वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए रु. 216 लाख के बजट आबंटन के जरिए क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था है। उक्त राशि में मॉनिटरिंग, आने-जाने, सम्पर्क साधने, मूल्यांकन तथा मुख्यालय और देश के विभिन्न भागों में सभी जरूरी इंतजाम करने का खर्च शामिल है।

2. राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंच कार्यक्रम

गीत और नाटक प्रभाग के ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम ऐसी सचल व्यवस्था है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में 25 से 30 घटक होते हैं जो नाटक प्रस्तुतीकरण के विशेष विषयों से संबंधित होते हैं। किराये के वाहनों की भी मदद ली जाती है। इस माध्यम का इस्तेमाल आम जनता को और खास तौर से युवा वर्ग को देश की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देने और महापुरुषों के विचार और शिक्षाओं से अवगत कराने तथा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी बड़े प्रभावी ढंग से देने में किया जाता है। इस गतिविधि की खास बात यह है कि इसमें 100 से लेकर 120 तक स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को शामिल किया जाता है। प्रभाग का प्रस्ताव है कि दिल्ली और बंगलौर में ध्वनि और प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए 2007-08 के दौरान दो कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इसके लिए 70 लाख रुपये का वित्तीय आवंटन है।

3. गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण

इस प्रभाग ने अपने बंगलौर और दिल्ली के ध्वनि एवं प्रकाश एकांशों को दसवीं योजना के दौरान एक उचित समय सीमा के अंदर पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाए। इसी तरह से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, उन्हें भी मौजूदा फील्ड यूनिटों की तरह आधुनिक और नए से नए तकनीकी उपकरणों से लैस करने का प्रस्ताव है। प्रभाग ने ऐसे उपकरणों/टेक्नालाजी की खरीद पर 4 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया है।

वित्तीय जरूरतों का स्पष्टीकरण

(योजना 2007-08)

क्र.सं.	स्कीम	वर्तमान अथवा नई योजना	वार्षिक योजना परिव्यय (लाख रु. में)	औचित्य पर लेख, उद्देश्य, प्रत्यक्ष लक्ष्य,
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति (आई सी टी से पुनर्निर्मित - आई सी टी गतिविधियां - पर्वतीय, जनजातीय, रेगिस्तानी संवेदनशील इलाकों, सीमा पर तथा प्रभाव मूल्यांकन एवं गीत और नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण	नई	400	6565 कार्यक्रम
	घटकवार विवरण			
क.	पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार और प्रभाव मूल्यांकन	–	216	432 कार्यक्रम
ख.	गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 56 जिले (76 जिलों में विस्तारित)	–	38	760 कार्यक्रम
ग.	साझा-न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार-सार्वजनिक सूचना अभियानों पर जोर	–	32	640 कार्यक्रम
घ.	योजना आयोग के निर्देशानुसार जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गतिविधियां	–	40	800 कार्यक्रम
च.	राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर विशेष मंच कायक्रम	–	70	45 कार्यक्रम
छ.	गीत और नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण	–	04	–
	जोड़	–	400	6565 कार्यक्रम

4. 56 जिलों में गतिविधियां

योजना आयोग ने 56 जिलों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्‌भाव, आतंक-विरोधी एवं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत 760 कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

5. साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार

साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रचार की नयी स्कीम के अंतर्गत प्रभाग 2007-08 के दौरान 640 कार्यक्रम पेश करेगा। प्रभाग ने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्राम विकास और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों पर जोर देने का प्रस्ताव किया है। इस काम के लिए 32 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

6. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष गतिविधियां

प्रभाग ने वर्ष 2007-08 के दौरान इस घटक के तहत 800 कार्यक्रम पेश करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 40 लाख रुपये का आवंटन है। यह विशेष पैकेज सरकार के निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किए गए सामान्य बजट आवंटन के अलावा है।

एफ. एम. रेडियो

भारत सरकार ने वर्ष 1999 में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ एम रेडियो नेटवर्क के विस्तार का एक नीतिगत फैसला लिया, जिसे बाद में जुलाई, 2005 में विस्तारित किया गया। इस नीति का उद्देश्य आकाशवाणी केन्द्रों के परिचालन द्वारा आकाशवाणी के प्रयत्नों में सहयोग में भागीदारी करने के लिए निजी एंजेसियों को आकर्षित करना है जो केन्द्र स्थानीय सामग्री तथा प्रासंगिकता वाले कार्यक्रम चलाते हैं, अभिग्रहण एवं उत्पादन की गुणवत्ता कर्तव्यपरायणता में सुधार करते हैं तथा स्थानीय कौशल की भागीदारी को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करते हैं।

केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा

पहले केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा (सीएमएस) इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय था जिसका काम विभिन्न देशों के विदेशी रेडियो तथा टीवी नेटवर्कों का अनुश्रवण करना था ताकि भारत-विरोधी प्रचार और उनमें भारतीय हितों को देखा जा सके। इसके अतिरिक्त, यह केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा इसके तहत बने नियमों में निहित विज्ञापन और कार्यक्रम संहिताओं के सन्दर्भ में टीवी/रेडियो चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की अनुश्रवण करता था। सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में सीएमएस को 1.04.2005 से एनटीआरओ में स्थानान्तरित कर दिया गया। चूंकि एनटीआरओ की आवश्यकताएं इस मंत्रालय की आवश्यकताओं से पूर्णतया भिन्न हैं, कार्यक्रम अनुश्रवण का कार्य इस मंत्रालय ने अपने पास रखने का निर्णय लिया तथा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुश्रवण केन्द्र (ई एम एम सी) स्थापित किया -

(I) भारत में डाऊनलिंक किए जाने वाले सभी टीवी चैनलों का अनुश्रवण ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 और इसके तहत बने नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन को रोका जा सके।

(II) सभी निजी एफ एम रेडियो चैनल और

(III) सरकार द्वारा प्रसारण क्षेत्र की सामग्री के अनुश्रवण से सम्बन्धित समय-समय पर दिये जाने वाला अन्य कोई कार्य।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल

अल-जज़ीरा, बीबीसी, सीएनएन आदि की तर्ज पर भारत की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय चैनल खोलने की आवश्यकता महसूस की गई। यह चैनल एशियाई देशों के लोगों की आकांक्षाओं और जीवन को उजागर करेगा तथा एशियाई परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रख़ेगा। यह चैनल पेशेवरों द्वारा चालित तथा सम्पादकीय रूप से स्वतन्त्र होगा जिसे उद्देश्यपूर्ण, जांच-पड़ताल तथा सही पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ असूलों पर चलाया जायेगा।

सामुदायिक रेडियो

दिसम्बर 2002 में भारत सरकार ने आईआईटी/आईआईएम सहित सुस्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक नीति स्वीकृत की थी। भारत सरकार ने अब सामुदायिक रेडियो के लिए बनाई गई नीति में ढील दी है तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए गैर-लाभ वाले संगठनों, जैसे सिविल सोसाइटी तथा स्वैच्छिक संगठन, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाओं, पंजीकृत समितियों तथा स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक न्यासों, जो कि समिति अधिनियम अथवा किसी भी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, तथा शिक्षण संस्थाओं को पात्रता शर्तें पूरी करने पर स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

सामुदायिक रेडियो का मूल उद्देश्य विकेन्द्रीकरण तथा प्रतिभागी प्रशासन को मजबूत करना तथा समुदायों के बीच बातचीत तथा तालमेल बनाना है। इससे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में ग्रामीण समुदायों को जानकारी उपलब्ध होगी। एक सशक्त एवं जुझारू सामुदायिक रेडियो, संस्कृति एवं भाषाओं की विभिन्नता में बहुलवाद को बढ़ावा देगा।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के निर्माण कार्य पर खर्च योजना आयोग की स्वीकृति लेने के बाद इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गये योजना बजट में से किया जाता है। उपलब्ध क्षेत्र इस मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों (जैसे सिविल कंसट्रक्शन विंग, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन विभाग, गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, मुख्य सचिवालय के मुख्य लेखा नियन्त्रक, भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (आंशिक रूप से) तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को आबंटित कर दिया गया है। सूचना भवन के चरण-V का कार्य पूरा होने के बाद मुख्य सचिवालय सहित अन्य मीडिया इकाइयों को सूचना भवन में स्थानान्तरित कर दी जायेंगी।

आर्थिक विश्लेषण इकाई (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) के दौरान जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। बढ़ोतरी की

इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों के संदर्भ में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए हैं। निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर समय पर अमल सुनिश्चित करने के वास्ते दो स्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी-यानी कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर निगरानी और मंत्रालय के स्तर पर निगरानी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें महीनावार लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्योरा भौतिक और वित्तीय मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा। मंत्रालय स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति पर भी निगरानी रखी जाएगी। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाएगी, तथा जनता के लिए तत्संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

प्रसार भारती: आकाशवाणी

प्रसार भारती नाम से भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के प्रावधान के लिए बनाए गए। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि निगम सर्व साधारण को जानाकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण का कार्य करेगा। यानि जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वह कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन और प्रबन्ध के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने ऐसे सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संचालन करना तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा।

स्पष्टीकरण-शंका दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस खण्ड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होंगे।

2. निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा:

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण

(ख) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना का निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान देना।

(घ) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ङ) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले।

(च) युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(छ) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना।

(ज) शोषण, असमानता को दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को दूर करने तथा समाज को कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए काम करना।

(झ) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा करना।

(ञ) कमज़ोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमवर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना।

(ट) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(ठ) बच्चों; अंधों, बूढ़ों, अपंगों एवं जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

(ड) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण को बढ़ावा देना।

(ढ) उपयुक्त तकनीक द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्च-स्तरीय उपलब्धियां सुनिश्चित करना।

(ण) रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना।

(त) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के विभिन्न चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार।

3. विशेष रूप से एवं सामान्य रूप से, ऊपर बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप, निगम कुछ कदम उठा सकता है।

(क) कार्यक्रमों के निर्माण एवं उपलब्धता को लोकसेवा के रूप में संचालित करने के लिए प्रसारण को सुनिश्चित करना।

(ख) रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना।

(ग) खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों की प्रसारण के लिए खरीद अथवा प्राप्ति और ऐसे कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(घ) रेडियो, टेलिविजन या अन्य सामग्री के संग्रह की स्थापना एवं देखभाल।

(ङ) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त तरीकों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार कमीशन किए जा सके।

(च) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4. उपखंड (2) और (3) निगम की कोई बात निगम को, ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हों, विदेशी सेवाओं के प्रसारण और ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी से नहीं रोक सकती जिनके प्रसारण के लिए केंद्र सरकार से भुगतान किया जाना हो।

5. इस खंड में स्थापित उद्देश्यों की प्रोन्नति के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, इनकी सुनिश्चितता के उद्देश्य के लिए विज्ञापन के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण की शक्ति होगी।

6. निगम की मात्र इस आधार पर कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7. निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के संबंध में लेवी फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

अन्यथा कि, इस अखंड के अधीन इकट्ठा किए गए फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वैसी सीमाओं से बाहर नहीं हो।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), प्रसार भारती का एक अभिन्न भाग है, उपरोक्त दिए गए आदेशों को निरंतर पूरा कर रही है। आकाशवाणी अपने विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना श्रव्य-प्रसारण के माध्यम से देता है और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यकम प्रसारित करता है। यह पूरे देश की जनता को महत्वपूर्ण समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह विचारों के विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत करता है ताकि इसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतुलित एवं निष्पक्ष हों। यह शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो कि वस्तुओं एवं सेवाआं की बिक्री के विज्ञापन भी देती है। इसका विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है।

आकाशवाणी का एफएम और डीटीएच चैनल दिन रात संगीत, गाने आदि के जरिये लोगों का मनोरंजन करते हैं।

विजन स्टेटमेंट

आकाशवाणी का स्वतंत्रतापूर्व एवं स्वातंत्र्योत्तर का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसने एफएम ट्रांसमीटर समेत विभिन्न ट्रांसमीटरों, सहायक रिसीवर केंद्रों, एवं प्रसारण केंद्रों की स्थापना के जरिए कवरेज में काफी प्रगति हासिल की है। आकाशवाणी प्रसार भारती के कार्य-क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। 86 चयनित केंद्रों से किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण बच्चों पर केन्द्रित बाल कार्यकम, महिला कार्यक्रम, शैक्षणिक (इग्नू, एनसीईआरटी, सीआईटी) प्रसारण, इग्नू के साथ मिलकर सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम (एड्स एवं अन्य स्वास्थ्य जागरुकता), राष्ट्रीय विज्ञापन पत्रिका, वित्त मंत्रालय के जरिए सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रम जैसी कई नई पहल आकाशवाणी ने की हैं। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित संगीत एवं नाटक कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं। अभियांत्रिकी पक्ष पर, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर एवं द्वीप समूह क्षेत्र के विशेष पैकेज, एफएम सेवाओं के विस्तार, निर्माण कार्यक्रमों एवं प्रसारण सुविधाओं का डिजीटलीकरण, नई प्रौद्योगिकीयों को लागू करने के जरिए विभिन्न पहल आकाशवाणी ने की हैं। समाचार सेवा प्रभाग तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के तहत भी कई कदम उठाये गये हैं। इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि इन कदमों का उचित ढंग से समय पर क्रियान्वयन किया जाए।

प्रसार भारती: दूरदर्शन

भारत में टेलीविजन का सूत्रपात सितम्बर, 1959 में हुआ। इसके लिए परीक्षण के तौर पर दिल्ली से प्रसारण शुरू किया गया, जिसे बाद में 1965 में नियमित सेवा के रूप में उन्नत बना दिया गया। दूसरे शहर (मुंबई) में टेलीविजन की शुरुआत काफी बाद में यानि 1972 में हुई। शुरू में टेलीविजन आकाशवाणी का एक हिस्सा था। अप्रैल, 1976 में इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया और इस प्रकार दूरदर्शन अस्तित्व में आया। रंगीन टेलीविजन और राष्ट्रीय नेटवर्किंग की शुरुआत 1982 में हुई और तब से इसमें निरंतर प्रगति हो रही है। दूरदर्शन अब पुष्ट होकर दुनिया के अग्रणी टेलीविजन संगठनों में शामिल हो गया है।

1. मौजूदा स्थिति

दूरदर्शन के फिलहाल 30 चैनल हैं और 64 स्टूडियो तथा पूरे देश में स्थापित अलग-अलग क्षमताओं के 1397 ट्रान्समीटरों से युक्त इसका अपना विशाल नेटवर्क है। देश की 91 प्रतिशत जनता को स्थलीय प्रसारण मोड में टीवी कवरेज उपलब्ध है। दूरदर्शन फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवाएं भी प्रदान करता है। छोटे आकार के डिश अभिग्रहण यूनिट के जरिए डीटीएच सिग्नल देश के किसी भी हिस्से (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित) में रिसीव किए जा सकते हैं।

2. वर्ष 2006-07 के दौरान विकासात्मक कार्यक्रम

2006-07 के दौरान दूरदर्शन की उपलब्धियां इस प्रकार रहीं -

2.1 नया चैनल

एक नया चैनल 'डीडी उर्दू' शुरू किया गया है। इस चैनल के कार्यक्रम दिल्ली से अपलिंक किए जा रहे हैं और प्रसारण इनसैट-3ए उपग्रह के जरिए हो रहा है। डीडी उर्दू चैनल दूरदर्शन के डीटीएच (केयू बैन्ड) प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है।

2.2 स्टूडियो केन्द्र

रांची में एक अतिरिक्त स्टूडियो (दूरदर्शन केन्द्र रांची में दूसरा स्टूडियो) की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। गोरखपुर में स्थायी स्टूडियो सैटअप की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और विभागीय स्थापना का कार्य चल रहा है। गोरखपुर में स्थायी स्टूडियो सैटअप के 2006-07 के अंत तक तैयार हो जाने की आशा है।

2.3 डीटीएच सेवा का विस्तार

दूरदर्शन ने अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" दिसम्बर 2004 में शुरू की थी इसमें 33 टीवी चैनल शामिल किए गए थे। डीटीएच के भू-केन्द्र की क्षमता बढ़ा दी गई है अब इससे 50 टीवी चैनल प्रसारित किए जा सकते हैं। फिलहाल डीटीएच प्लेटफार्म पर 36 चैनल उपलब्ध है।

2.4 डिजिटलीकरण

दूरदर्शन की मौजूदा पंचवर्षीय योजना (2002-07) में डिजिटलीकरण पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। 2006-07 के दौरान जालंधर, श्रीनगर, तिरुअनंतपुरम, भुवनेश्वर,

भोपल तथा लखनऊ स्थित 6 प्रमुख स्टूडियो को डिजिटल बनाया जा रहा है। इन 6 प्रमुख स्टूडियो को डिजिटल बनाने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। शिलांग, तुरा, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल, सिलचर, डिब्रूगढ़, एज़ल, पुणे, विजयवाड़ा, अगरतला, संबलपुर, शिमला, मऊ, जलपाईगुड़ी, इलाहाबाद, राजकोट, इन्दौर और गुवाहाटी (कार्यक्रम निर्माण केन्द्र) स्थित अपेक्षाकृत छोटे 19 स्टूडियो केन्द्रों को आंशिक रूप से डिजिटल बनाया जा रहा है। शिमला, विजयवाड़ा तथा गुवाहाटी (कार्यक्रम निर्माण केन्द्र) स्थित स्टूडियो केन्द्रों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 16 केन्द्रों के डिजिटलीकरण का कार्य अलग-अलग स्तर पर है। 2006-07 के अंत तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

2.5 स्थलीय कवरेज

स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए, 2006-07 के दौरान नीचे दी गईं ट्रांसमीटर परियोजनाओं ने कार्य करना शुरू कर दिया है-

एचपीटी:	करनाल	डीडी1
	धरमपुरी (अंतरिम)	डीडी1
	श्रीनगर (1 कि.वा. से 10 कि.वा. में उन्नयन)	डीडी न्यूज
	श्रीनगर (1 कि.वा. से 10 कि.वा. में उन्नयन)	डीडी कशीर
	साम्बा (स्थायी सेटअप)	डीडी1
	श्रीनगर (प्रतिस्थापन)	डीडी1
	कुर्सियोंग (प्रतिस्थापन)	डीडी1

इसके अलावा निम्नलिखित ट्रान्समीटर स्थापित किए जा रहे हैं। यह कार्य 2006-07 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है-

एचपीटी:	तिरुनेलवेली (डीडी1)	धर्मशाला (डीडी1)
	हिसार (डीडी1)	धर्मशाला (डीडी1 स्थायी सैटअप)
	हिसार (डीडी न्यूज)	भटिंडा (डीडी न्यूज)
	राधनपुर (डीडी1)	कुर्सियोंग (डीडी न्यूज)
	सागर (डीडी1)	पांडिचेरी (डीडी1 स्थायी सैटअप)
		भटिंडा (डीडी1 - प्रतिस्थापन)
		जलगांव (डीडी1 - स्थायी सैटअप)

एलपीटी: हरिद्वार (डीडी न्यूज)

2.6 एलपीटी प्रसारण बेहतर बनाना

मौजूदा वर्ष के दौरान दूरदर्शन ने निम्नलिखित स्थानों में 21 ऑटोमोड एलपीटी (पुराने एलपीटी के स्थान पर) चालू किए

गुंटकल	नगॉव
फोरबेसगंज	गिरिडीह
सासाराम	दुमका
जमुई	घाटशिला
खगड़िया	कायमकुलम
गया	राउरकेला
मधेपुरा	पुरी
गोलपाड़ा	मधुबनी
बेगुसराय	नरसिंहपुर
परलखेमुंडी	भद्रक
रायगाडा	

प्रत्येक एलपीटी केन्द्र पर पूर्ण अतिरेक उपलब्ध कराने वाले 500-500 वाट के दो सॉलिड स्टेट ट्रान्समीटर स्थापित किए गए हैं। ऑटोमोड वाले और 34 एलपीटी के लिए उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आशा है कि 2006-07 के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

2.7 राज्य नेटवर्किंग

दूरदर्शन केन्द्र, एज़ल और दूरदर्शन केन्द्र, अगरतला पर निर्मित कार्यक्रमों को क्रमशः मिजोरम तथा त्रिपुरा स्थित ट्रान्समीटरों (एचपीटी और एलपीटी) ने रिले करना शुरु कर दिया है। दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून पर निर्मित कायाक्रमों को उत्तरांचल में स्थित सभी ट्रान्समीटरों (एचपीटी, एलपीटी और वीएलपीटी) ने रिले करना शुरू कर दिया है। राज्य नेटवर्कों की संख्या 8 से बढ़कर अब 11 हो गई है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में स्थित वीएलपीटी पहले अपनी पूरी प्रसारण अवधि के दौरान दिल्ली से फीड किए गए कार्यक्रम रिले करते थे। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की अनुसंधान तथा विकास इकाई द्वारा विकसित ऑटो स्विचिंग सुविधा उपरोक्त वीएलपीटी को उपलब्ध करा दी गई है। अब ये ट्रांसमीटर क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समयावधि में राजधानी स्टेशनों यानि दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर, दूरदर्शन केन्द्र, रांची और दूरदर्शन केन्द्र शिमला में फीड किए गए कार्यक्रम अपने संबंधित राज्यों में प्रसारित कर सकेंगे।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं :

मिशन

भारत और विदेश में टेरेस्ट्रियल, केबल एवं सेटेलाइट ट्रांसमीशन द्वारा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए रेडियो और टेलीविजन प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाना।

उद्देश्य :

(क) बड़े पैमाने पर ग्राहकों को विशिष्ट समाधान उपलब्ध कराने के लिए बाजार में मौजूदा हिस्से को बढ़ाना।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तकनीकी परामर्श देना।

(ग) अन्य संबद्ध क्षेत्रों में नई संभावनाओं को खोजना।

(घ) विदेशी बाजारों में निरंतर आधार पर संभावनाएं खोजना।

(च) बाजार अनुसंधान और उत्पादों का विकास।

(छ) टी वी चैनलों तथा दूर शिक्षण के लिए सेटेलाइट अपलिंक और डाउनलिंक प्रणालियां स्थापित करना।

(ज) प्रसारण केंद्रों की स्थापना और रख-रखाव।

(झ) सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के निरंतर प्रयास करना।

अध्याय-2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	एनआईसी सहायता से सीएफसी के समूचे कामकाज का आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए तकनीकी उपकरण प्रदान करना	-	0.50	-	वेबसाइट साफ्टवेयर तैयार हैं, हार्डवेयर लगा दिए गए हैं, सर्वर रूम की स्थल तैयारी पूरी कर ली गयी है। हार्डवेयर एलएएन लगा दिया गया है।	पूरी तरह वेब संचालित अनुप्रयोग और प्रमाणन प्रणाली चालू की जाएगी। यह योजना मुंबई कार्यालय में अमल में लाई जा रही है। इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुंबई कार्यालय से जोड़ने और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को निकनेट के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इससे डाटा तेजी से ट्रांसमिशन करने और ईमेल के जरिए पत्र व्यवहार की सुविधा मिलेगी।	इंटरनेट के जरिए	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना और मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करना।	इन क्षेत्रों में बनने वाली फिल्मों के प्रमाणन की व्यवस्था करना		0.50		कार्यक्रम को एसएफसी की मंजूरी मिलनी है।	कार्यक्रम को एसएफसी की मंजूरी मिलनी है।	कार्यक्रम को एसएफसी की मंजूरी मिलनी है।	कार्यक्रम को एसएफसी की मंजूरी का इंतजार है। एसएफसी की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी।
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकीकरण	कार्यशालाओं का आयेजन, अध्ययन करवाना और सिनेमाघरों में सेंसरशिप के उल्लंघनों की जांच के लिए प्राइवेट खुफिया एजेंसियों को काम पर लगाना।		1.00		नियमित अंतराल पर बोर्ड के सदस्यों और सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। सिनेमाघरों में अंतर्वेशन की जांच कराना।	इससे अंतर्वेशन के मामलों में कमी आयेगी।	प्राइवेट खुफिया एजेंसियों के माध्यम से	कार्यक्रम प्रगति पर है।
4.	क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग डिजिटल वीडियो प्रमाणन इकाइयां लगाना।	आधुनिकीकरण की मांग पूरी करना		0.01		प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति के साथ गति बनाये रखना।	प्रौद्योगिकी विषयक प्रगति		कार्यक्रम को अमल में लाया जा रहा है।
	कुल			2.01					

बाल फिल्म समिति, भारत

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5		6	7 8
			4(i) गैर योजना बजट	**4(ii)** योजना बजट	**4(iii)** पूरक अतिरिक्त बजट				
	चालू प्रोग्राम								
1	**फिल्म निर्माण** 1) फीचर और लघु फिल्मों का निर्माण 2) फिल्मों की डबिंग 3) फिल्मों के उपशीर्षक बनाना 4) फिल्मों की खरीद 5) प्रिंट की लागत	- बच्चों के लिए मूल्य आधारित उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण और खरीद				6 फीचर फिल्में + 4 लघु फिल्में, 14 डबिंग, 12 फिल्मों के उपशीर्षक बने। 2 या 3 फिल्में खरीदी जानी हैं। इनके अलावा विभिन्न कैसेट व फिल्म सामग्री। 21,12.06 के पत्र 4/73/2006-पी.सी. के अनुसार प्रस्तावित 5.73 करोड़ रु. के बजट अनुमान के अनुसार लक्ष्य बताए गए हैं।			निर्माण कार्य फिल्म बनाने में शामिल लोगों, बाल कलाकारों की उपलब्धता, शूटिंग के स्थान, मौसम, धन की उपलब्धता, कार्यकारी निर्माता द्वारा फिल्म के रफकट, तैयार सामग्री आदि देने में देरी आदि कारकों पर निर्भर होता है।
2	**फिल्म समारोह** 1) बाल फिल्म समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन								
	2) अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों में हिस्सेदारी	- देश की बाल फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और बाल फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ संवाद को बढ़ावा देना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मों का पूरा अनुभव दिलाना।	11.73*					31,3,2008	-भारतीय फिल्मों का विदेशी दर्शकों के सामने प्रदर्शन और सीएफएसआई की फिल्मों के विपणन की संभावनाएं तलाशने के लिए।

1	2	3		4	5	6	7	8
3	**आधुनिकीकरण** 1) वीडियो 2) सूचना प्राद्योगिकी	- कार्यालय संचालन में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल - कंप्यूटर तकनीकों का उन्नयन, कर्मचारियों और अधिकरियों का प्रशिक्षण, साफ्टवेयर की खरीद						- बच्चों के फिल्म निर्माण
4	**एनीमेसन और फिल्म निर्माण कार्यशालाएं**	- बच्चों को फिल्म निर्माण, फिल्म लेखन और लेखन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना और उनकी शिक्षा देना।					31,3,2008	और समालोचना की सरल तकनीकों से परिचित कराने के लिए।
5	- दर्शक अनुसंधान और बाजार सर्वेक्षण और सीएफएसआई फिल्मों का विपणन	- सीएफसीआई की फिल्मों पर प्रतिक्रिया पाने और सुधार के योग्य क्षत्रों का पता लगाने और दर्शकों की पसंद का आंकलन करने के लिए।						
6	सीएफएसआई की फिल्मों का डिजिटल रूपांतरण सीएफएसआई को इंटरनेंट पर डालना लाइब्रेरी	- सीएफएसआई की फिल्म लाइब्रेरी और वेबसाइट की रखरखाव ताकि और ज्यादा फिल्मों का डिजिटल रूपांतरण हो सके और उनकी पहुंच ज्यादा हो।			1. डिजिटल रूपांतरण - 15 घंटों की फिल्म सामग्री के 0.63 करोड़ रु. की अनुमानित राशि से डिजिटल रूपांतरण का प्रस्ताव है। 2. वेबसाइट पर प्रसारण - तीस घंटों की फिल्म सामग्री, मौजूदा 94.57 घंटों की सामग्री में शामिल की जाएगी और अनुमानित 0.08 करोड़ रु. के व्यय से वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।			

1	2	3		4	5	6	7	8
7	- नगर निगम स्कूलों में बाल फिल्मों का प्रदर्शन	- देश भर के बच्चों पहुंचने और उन्हें परिपूर्ण और सार्थक मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए		0.60	25 लाख बाल दर्शकों के लिए 5,000 प्रदर्शन			
	नई योजनाएं हैदराबाद में सीएफएसआई परिसर	- बाल फिल्म परिसर का निर्माण जहां फिल्म बनाने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों		2.00	- बाल फिल्म परिसर का निर्माण। मोटा लागत अनुमान और संभाव्यता रिपोर्ट मत्रालय को भेजी जा चुकी है और स्वीकृति की प्रतीक्षा है। भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच रूपात्मकता के रूपों पर काम चल रहा है।			
	कुल योग			2.71				

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(करोड़ रुपये में)

	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	टिप्पणी जोखिम घटक
1.	2	3	4	–	–	5	6	7	8
			4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचना- धारणा और संप्रेषण	1. स्थापना 2. प्रदर्शनी 3. डिस्प्ले वर्गीकृत 4. रेडियो स्पॉट 5. मुद्रित प्रचार 6. वितरण 7. बाह्य प्रचार	14.77 1.15 41.50 0.12 2.40 0.95 0.50	0.00 0.30 10.00 15.00 0.40 – 0.30		 650 25435 5940 205 250	सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में विभिन्न माध्यमों-बाह्य प्रचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र और पोस्टर/ पुस्तिकाओं, के जरिए प्रचार करने से जन समुदाय में जागरूकता पैदा होगी और विकास में उनकी भागीदारी को प्रेरित किया जा सकेगा।	आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य किए जाते हैं।	
		कुल (1)		**61.39**	**26.00**				
	डीएवीपी का आधुनिकीकरण	1. कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण 2. कार्यालय ढांचा 3. मानव संसाधन विकास			0.01				
		कुल (2)			**0.01**				
		कुल (1 और 2)		**61.39**	**26.01**				

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

योजना स्कीम

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	दौरे आयोजित करना/दक्षता उन्नयन	इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नेताओं, रिसोर्स पर्सन सहित सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, किसान, दस्तकारों, शिक्षकों, विद्यार्थियों आदि के सफल कार्यक्रमों पर तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकासात्मक कार्यों पर विचार जानना ताकि वे संदेश वाहक बन सकें और अपनी जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें।	शून्य	0.01	शून्य	लगभग 169 लोगों को सफलता एवं विभिन्न विषयों पर हो रहे परिवर्तनों की पहले जानकारी हुई है और इन्हें अपनी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाई है।	शिक्षित और जागरूक लोगों ने दौरों, कृषि परिव्यय में सुधार, एस.एस.आई, की स्थापना साक्षरता तथा स्वास्थ्य परिचर्चा आदि में सुधार से काफी कुछ सीखा है, और अनुभव लिया है।	1) दौरे आयोजित करने के लिए योजना तैयार करना 2) संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना 3) दौरे आयोजित करना 4) दौरे पर गए लोगों से सूचना एकत्र करना और उसे डी.एफ.पी. मुख्यालय योजना	दौरे अपेक्षित निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम		परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
2.	क्षेत्रीय कार्यालयों/ यूनिटों का कंप्यूटरीकरण	शीघ्र कार्य का निपटारा, तेज जन सम्पर्क, ई-मेल, अभिलेखों का भण्डारण आदि करके डी.एफ.पी. कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार करना आर.टी.आई. मामले बेहतर ढंग से निपटाना	शून्य	0.10	शून्य	वर्ष 2007-08 के दौरान डी.एफ.पी. की योजना 150 कम्प्यूटर (खरीदने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 150 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	कार्य की गुणवत्ता एवं गति में सुधार करने के लिए बेहतर आई.टी. सुविधाएं तत्काल जानकारी के लिए अभिलेखों/आंकड़ों का भण्डारण, बेहतर और तीव्र संचार	डी.टी.एस. एण्ड डी. की दरों पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति के लिए आदेश देना स्टाफ के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित करना	अनुमानित भौतिक परिव्यय आर.ई.। एफ.जी. अवस्था पर आवश्यक निधियों के आवंटन पर निर्भर करेगा
3.	ए.बी.हार्डवेयर का उन्नयन/ डाटा प्रोजेक्टर की खरीद डी.वी.डी. प्लेयर/ वायरलैस	फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रम, चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के संदेशों/ स्कीमों एवं नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र यूनिटों को उचित आडियो/वीडियो उपकरण प्रदान करना	शून्य	0.01	शून्य	वर्ष 2007-08 के दौरान डी.एफ.पी. ने 35 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 35 डी.वी.डी. प्लेयर तथा 6 डिजिटल वीडियो कैमरा खरीदने का प्रस्ताव किया है।	एक वर्ष में लगभग 30-40 लाख लोगों को सरकार की कल्याण स्कीमों तथा नीतियों के बारे में जानकारी देना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना। समाज तथा देश में सामुदायिक सौहार्द पैदा करना, क्षेत्र में सम्पन्नता तथा प्राप्ति लाना	क) ए.वी. उपकरण आदि की खरीद के लिए टेंडर नोटिस प्रकाशित करना ख) टेंडर खोलना तथा सक्षम अधिकारी का	आई.ई. एफ.जी. स्तर पर निधियों की उपलब्धता पर तथा डी.जी.एस. एण्ड डी द्वारा रेट दर

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम		परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	पब्लिक एड्रेस सिस्टम की खरीद							अनुमोदन लेना ग) डी.जी.एस. एन्ड डी रेट दरों पर/खुली निविदा के आधार पर आपूर्ति आदेश देना घ) यूनिट में उपकरण प्राप्त होने पर बिलों का निपटारा करना	को अन्तिम रूप देने पर तथा खुली निविदा प्राप्त होने पर उपकरणों की खरीद निर्भर करेगी।
			शून्य	0.12	शून्य				

गैर-योजना बजट

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	लघु कार्य	क्षेत्र प्रचार निदेशालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को सुविधाएं एवं कार्य को बेहतर अवस्थाएं प्रदान करना तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय की प्रचार-प्रसार गतिविधियों में अधिकारियों/कर्मचारियों का बढ़चढ़कर भाग लेने के लिए वातावरण तैयार करना और उसके साथ-साथ सीमावर्ती, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों को सरकार के	1.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 के दौरान क्षेत्रीय कार्यलय. जम्मू व कश्मीर के कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। एफ.पी.ओ., सेप्पा परिसर में बाउन्डरी दीवार का निर्माण तथा पेय जल सुविधा पूरी कर ली जाएगी।	इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अपने-कार्य को सुचारू रूप से निपटाने में प्रोत्साहन एवं सहायता मिलेगी तथा इससे अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप संगठन का कार्यनिष्पादन बेहतर होगा।	1) निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए सी.पी.डब्ल्यू-ए.आई.आर. से अनुमान प्राप्त करना। 2) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना 3) सी.पी. डब्ल्यू ए.आई.आर. द्वारा कार्यों का सम्पादन। ये कार्य इस वर्ष कर लिए जाएंगे	इस कार्य का निष्पादन सक्षम अधिकारी से समय पर अनुमोदन तथा वित्त प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		विकासात्मक, परिवार कल्याण एवं सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी देना। वर्ष 2007-08 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों जम्मू-कश्मीर में कार्यालय भवन का निर्माण। एफ.पी.ओ., सेप्पा में परिसर की दीवार का निर्माण तथा कर्मचारी परिसर में पेय जल सुविधा मुहैया कराई जाएगी।							
2.	अन्य अधिभार	सरकार की नीतियों एवं कल्याण स्कीमों का फिल्म शो, परस्पर वार्ता	0.61	शून्य	शून्य	60,000 फिल्म शो, 8.40 विशेष कार्यक्रम 63,000 सामूहिक विचार विमर्श, तथा 25,000 फोटो प्रदर्शनी	इस कार्यक्रम का उपयोग सामाजिक विषयों एवं सरकार की नीतियों एवं स्कीमों के बारे में लोगों को	क) कार्य योजना तैयार करना/ क्षेत्र का चयन बजट तैयार करना	प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्र यूनिटों में

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्र प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें प्रति माह लगभग 3000 कार्यक्रम करती हैं और एक वर्ष में कुल 40,000 विशेष और सामान्य कार्यक्रम किए जाते हैं					जानकारी देने तथा इन्हें शिक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा, प्रत्येक कार्यक्रम फार्मेट में लगभग 100 लोगों की भागीदारी से क्षेत्र प्रचार निदेशालय जागरूकता पैदा करने तथा प्रति वर्ष 1-1.5 करोड़ लोगों में सूचना का प्रचार-प्रसार करने में समर्थ होगा।	ख) कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन ग) इस कार्यक्रम पर ध्यान देने के लिए स्थानीय नेताओं/विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क करना घ) कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा सूचना रिपोर्ट प्राप्त करना	स्टाफ तथा गाड़ी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
3.	पोल	उपरोक्त	1.55	शून्य	शून्य	गतिशीलता प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग होती है। ये कार्यक्रम बहुधा सीमावर्ती, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में	लोगों को जानकारी देने और उन्हें सामाजिक विषयों पर सरकारी नीतियों एवं स्कीमों के बारे में परिचित कराने के लिए सूचना व प्रचार-प्रसार करने के लिए पहचान	उपरोक्त	दौरे के दिन गाड़ी की उपलब्धता उसकी हालत एवं ड्राइवर

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम		परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						आयोजित किए जाते हैं, पोल का उपयोग एक वर्ष में 24,000 टूरिंग दिन पूरे करने में किया जाता है जिसमें प्रत्येक यूनिट द्वारा औसतन 12-15 टूरिंग दिन पूरे किए जाते हैं।	किए गए क्षेत्रों में कर्मचारियों एवं मशीनों आदि को ले जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम फार्मेट के लिए 100 स्रोतों/भागीदारों के साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रतिवर्ष औसतन 1 से 1.5 करोड़ लोगों में जागरूकता एवं सूचना का प्रचार-प्रसार करता है।		की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
4.	डी.टी.ई.	उपरोक्त	1.45	शून्य	शून्य	बहुधा दूर-दराज के जनजातीय, पिछड़े तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अधिकारी तथा कर्मचारी एक माह में 12-15 दिन दौरे पर रहते हैं। इस प्रकार के दौरों को मिलाकर प्रतिवर्ष 24,000 दौरे वाले दिन बन जाते हैं	लोगों को और अधिक जानकार और शिक्षित बनाना, प्रत्येक कार्यक्रम फार्मेट में औसतन श्रोता/भागीदारों के साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रति वर्ष औसतन 1 से 1.5 करोड़ लोगों में जागरूकता एवं सूचना का प्रचार-प्रसार करता है	उपरोक्त	उपरोक्त

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात प्रोत्साहन (योजना राजस्व क. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ख. विदेशी फिल्म समारोहों में भाग लेना ग. भारत पैनोरमा फिल्मों का चयन।	इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया ताकि फिल्म समारोहों में भाग लेकर और निर्यात को प्रोत्साहन देकर बेहतर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा दिया जा सके।	3.82	क. भारत के अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। ख. विभिन्न देशों में आयोजित 45 विदेशी फिल्मों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी। ग. 21 फीचर और 21 गैर-फीचर फिल्मों का चयन।	फिल्म समारोहों में निर्यात को प्रोत्साहन देकर बेहतर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना। इससे पूरे विश्व में भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को सिनेमा के माध्यम से फैलाने में मदद मिलेगी।	वर्ष के दौरान लागू किया जाना है।	
2.	फिल्म समारोह परिसर-फेरबदल और अतिरिक्त निर्माण-प्रमुख कार्य (योजना पूंजी)	सिरी फोर्ट परिसर का नवीनीकरण और सुविधाओं में सुधार ताकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।	3.40	अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नवीनीकृत ऑडिटोरियम	घरेलू और निर्यात क्षमता वाली भारतीय फिल्मों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तथा समृद्ध एवं विविध भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए भी केन्द्र। नवीनीकृत ऑडिटोरियम/	वही	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
					परिसर को अन्य पार्टियों को किराए पर देकर अधिक राजस्व अर्जित करना।		
3.	पूंजी अनुभाग डीएफ.एफ में प्रिन्ट यूनिट का उन्नयन	इस नई योजना के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट प्रदान किया जायेगा जिससे प्रिन्टों के लम्बे समय तक भण्डारण में मदद मिलेगी। यह फिल्म समारोहों के जरिए भारत तथा विदेश में निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के मंतव्य से है।			उपकरण रैंकों तथा तकनीकी सुविधाओं जैसे तापमान तथा आर्द्रता को ठण्डा बनाए रखने के साथ प्रिन्टों को लम्बे समय तक भण्डार करने हेतु उचित सुविधा का सृजन।	भारतीय तथा विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी के जरिए अच्छे भारतीय सिनेमा के निर्यात को बढ़ावा देना जिससे समृद्ध भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।	वही

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	प्रशासन से संबंधित व्यय	वेतन, मजदूरी, और ओई, डीटीई आदि	1.13				
2.	छोटे-मोटे कार्य	सिरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रख-रखाव व देखभाल।	2.80	पूर्ण रूप से सुसज्जित सुंदर आडिटोरियम जिसमें कला, संस्कृति, सिनेमा आदि क्षेत्र में उच्च स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।	इस परिसर का अधिकतम उपयोग करके अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करना।	एक वर्ष	
3.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह		0.05	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत और विदेशों में 12 फिल्म समारोहों का आयोजन।	भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत आने वाले रास्ते के साथ सबंधों को मजबूत बनाया।	एक वर्ष	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता।	0.95	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करना।	भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार लाना तथा बेहतर प्रतिभाओं को मान्यता प्रदान करना ताकि भारतीय सिनेमा को बेहतर बनाया जा सके।	एक वर्ष	

फिल्म प्रभाग
योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय ब.अ. 2007-08	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
1	अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	मुख्य उद्देश्य मुम्बई में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह आयोजित करना है। अगली योजना अवधि में दो फिल्म समारोह आयोजित किए जाने हैं।	1.00	(1) 10वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फरवरी 2008 में आयोजित किया जाना है। (2) मंत्रालय ने इसके लिए आयोजन समिति गठित कर ली है। (3) आयोजन समिति की बैठक की जानी है और समारोह के नियमों तथा आवेदन फार्मों को अन्तिम रूप दिया जाना है। (4) समारोह के नियमों और एण्ट्री फार्म की छपाई और वितरण किया जाना है।	नौवां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 3-9 फरवरी, 2006 के दौरान मुंबई में संपन्न हुआ। इसके अलावा 2008 में दसवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए काम जारी है।	फिल्म समारोह एक द्विवार्षिक आयोजन है इसके लिए विश्व भर से फिल्म निर्माताओं से आवेदन/एण्ट्रीज मांगी जाती हैं। प्रतिष्ठित निर्णायकों की सिफारिशों पर पुरस्कार दिए जाते हैं।	कोई विशेष जोखिम नहीं।
2	फिल्म प्रभाग की फिल्मों का डिजीटलीकरण और वेबकास्टिंग	उद्देश्य फिल्म प्रभाग की लघु और एनिमेशन फिल्मों तथा वृत्त चित्रों का इंटरनेट के जरिए प्रसार है। इसके लिए हाई डेफिनेशन टेक्नालाजी के जरिए फिल्मों को डीवीडी में डाला जाता है। इससे फिल्म प्रभाग की फिल्में इसकी वेबसाइट www.filmsdivision.org पर उपलब्ध होंगी।	3.50	फिल्म प्रभाग की फिल्मों को इंटरनेट पर डालना है ताकि स्वतंत्रता के बाद के भारत के फिल्म माध्यम के बारे में आडियो विजुअल विश्वकोष के जरिए इन्हें सभी को उपलब्ध कराया जा सके। फिल्मों को डिजिटल रूप में बदलकर संरक्षित करना है। परिणामात्मक उपलब्धियां - वेबसाइट की सामग्री में लगातार सुधार और फिल्मों को डीवीडी में डालना	वेबसाइट में फिल्म सामग्री में लगातार बदलाव और फिल्मों को डीवीडी में डालना।	फिल्मों को बाहरी एजेंसी की मदद से वेबसाइट पर कोड किया जा रहा है। डीवीडी में फिल्मों को बदलने के लिए टेण्डर मंगाए गए हैं। वेबकास्टिंग निरंतर प्रक्रिया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान 6,000 फिल्मों को पूरा किया जाएगा।	कोई जोखिम नहीं।

3	चलचित्र संग्रहालय की स्थापना	उद्देश्य फिल्म निर्माण तथा प्रमुख निर्देशकों की फिल्मों के प्रदर्शन से जुड़ी कला वस्तुओं का स्थायी संग्रहालय बनाना है जिसका सामान्य दर्शक और फिल्म प्रेमी लाभ उठा सकें। इसके अलावा फिल्म निर्माताओं और फिल्म विधा के छात्रों के लिए संगोष्ठियां और वर्कशाप भी आयोजित की जानी हैं।	5.00	भारतीय सिनेमा को आडियो विजुअल रूप से प्रदर्शित करने के लिए मुंबई में फिल्म प्रभाग का संग्रहालय बनाना और भारतीय फिल्मों के इतिहास से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन परिणामात्मक उपलब्धियां – मुंबई मे उक्त संग्रहालय का निर्माण। यह निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।	फिल्म उद्योग के लोगों और सामान्य दर्शकों के लिए मुंबई में एक मंच प्रदान करना। वर्तमान पीढ़ी को भारतीय सिनेमा के जन्म और विकास से अवगत कराना। दर्शकों और अन्य फिल्म प्रेमियों को फिल्म निर्माण, प्रदर्शनियों, निर्माताओं, संस्थाओं आदि से जुड़ी राष्ट्रीय फिल्म विरासत की महत्वपूर्ण वस्तुओं से परिचित कराने के लिए स्थायी संग्रहालय बनाना। फिल्म निर्माता और विद्यार्थियों के लिए सेमिनार और वर्कशाप आयोजित करना। भावी पीढ़ियों के मन में फिल्म आन्दोलन के प्रति रुचि जगाना।	मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एनबीसीसी, नई दिल्ली को प्रस्तावित संग्रहालय के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है।	ज्यादा समय लगने का जोखिम है क्योंकि एनबीसीसी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने पर योजना की प्रगति निर्भर करती है।
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण		0.01	पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के बारे में 20 वृत्तचित्रों का निर्माण।	पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के बारे में दो-दो वृत्तचित्र बनाना। आवंटित धनराशि मात्र टोकन प्रावधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर के बारे में कुछ वृत्तचित्र अस्थायी निर्देशकों को फीस के भुगतान के आधार पर बनाने को कहा जाएगा।	नई योजना	कोई विशेष जोखिम नहीं।
5	जनसंचार अध्ययन केंद्र की स्थापना		0.01	फिल्म और टेलिविजन संस्थान जैसा ही मीडिया अध्ययन संस्थान फिल्म प्रभाग के लिए बनाना। इसके लिए फिल्म प्रभाग के ही भवन, कर्मचारी और उपकरण लिए जाने का प्रस्ताव है।	मुंबई में फिल्म प्रभाग का मीडिया अध्ययन संस्थान बनाया जाना है। आवंटन टोकन प्रावधान लगता है। इसलिए आंकड़े जमा करने और पाठ्यक्रम तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्य बाहरी विशेषज्ञों की मदद से किए जाएंगे।	नई योजना	कोई विशेष जोखिम नहीं।

6	पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय फिल्म निर्माण केंद्र की स्थापना		0.01	पूर्वोत्तर क्षेत्र, प्राथमिकता के तौर पर शिलांग में, क्षेत्रीय महत्व की फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माण केंद्र स्थापित करना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में फिल्म निर्माण केंद्र बनाना। आवंटन टोकन प्रावधान लगता है। निर्माण केंद्र के लिए जगह तय की जाएगी और ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा।	नई योजना	कोई विशेष जोखिम नहीं।
7	जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय फिल्म निर्माण केंद्र		0.01	जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय महत्व की फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माण केंद्र स्थापित करना।	जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण केंद्र बनाया जाना है। आवंटन टोकन प्रावधान लगता है। निर्माण केंद्र के लिए जगह तैयार की जाएगी और ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा।	नई योजना	कोई विशेष जोखिम नहीं।
8	वीडियो/डिजिटल पाठयपुस्तकें तैयार करना		0.10	विभिन्न शैक्षिक तथा कारपोरेट संस्थाओं/विश्वविद्यालयों तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के लिए विभिन्न विषयों की वीडियो/डिजिटल पाठयपुस्तकें तैयार करना।	आवंटन टोकन प्रावधान लगता है। पाठ्यपुस्तकों के सिलेबस को बाहरी विशेषज्ञों की मदद से अंतिम रूप दिया जाएगा।	नई योजना	कोई विशेष जोखिम नहीं।
	कुल		**9.64**				

'ख' लक्ष्यवार वर्गीकरण (राजस्व और पूंजी)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	गतिविधि	2005-06 के लिए वास्तविक			स्वीकृत बजट अनुमान 2006-07			स्वीकृत संशोधित अनुमान 2006-07			स्वीकृत बजट अनुमान 2007-08		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फिल्म प्रभाग का आधुनिकीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2	अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	99.14	0.00	99.14	10.00	0.00	10.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	100.00
3	फिल्म प्रभाग की फिल्मों को इंटरनेट पर डालना और डिजीटलीकरण	237.84	0.00	237.84	200.00	0.00	200.00	800.00	0.00	800.00	350.00	0.00	350.00
4	चलचित्र संग्रहालय की स्थापना	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	250.00	0.00	250.00	500.00	0.00	500.00
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर के लिए वृत्तचित्रों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
6	जनसंचार माध्यमों के अध्ययन संस्थान की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
7	पूर्वोत्तर में प्रादेशिक फिल्म निर्माण केन्द्र की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8	जम्मू-कश्मीर में प्रादेशिक फिल्म निर्माण केंद्र की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
9	वीडियो/डिजिटल पाठयपुस्तकों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	कुल	**336.98**	**0.00**	**336.98**	**1010.00**	**0.00**	**1010.00**	**1183.00**	**0.00**	**1183.00**	**964.00**	**0.00**	**964.00**
	कुल राजस्व और पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतर्लेखा हस्तांतरण घटाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**336.98**	**0.00**	**336.98**	**1010.00**	**0.00**	**1010.00**	**1183.00**	**0.00**	**1183.00**	**964.00**	**0.00**	**964.00**

'ग' लक्ष्यवार वर्गीकरण (राजस्व)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	गतिविधि	2005-06 के लिए वास्तविक			स्वीकृत बजट अनुमान 2006-07			स्वीकृत संशोधित अनुमान 2006-07			स्वीकृत बजट अनुमान 2007-08		
		योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन (एलटीसी सहति)	1.01	1315.32	**1316.33**	0.00	1319.50	**1319.50**	0.00	1319.50	**1319.50**	1.50	1380.00	**1381.50**
2	समयोपरि भत्ता	1.36	3.71	**5.07**	0.00	3.00	**3.00**	0.00	4.00	**4.00**	1.50	4.00	**5.50**
3	चिकित्सा	0.00	0.00	**0.00**	0.00	47.75	**47.75**	0.00	40.00	**40.00**	0.00	40.00	**40.00**
4	घरेलू यात्रा व्यय	10.02	34.75	**44.77**	3.00	40.00	**43.00**	3.00	40.00	**43.00**	13.40	40.00	**53.40**
5	बैंक से नकद लेन-देन पर कर	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.50	**0.50**	0.00	0.50	**0.50**	0.00	0.50	**0.50**
6	अन्य प्रशासनिक व्यय	15.74	0.00	**15.74**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	18.10	0.00	**18.10**
7	अन्य व्यय	16.72	144.27	**160.99**	21.00	149.50	**170.50**	17.00	160.00	**177.00**	20.80	165.00	**185.80**
8	सामग्री और आपूर्ति	0.62	483.38	**484.00**	0.00	693.50	**693.50**	0.00	450.00	**450.00**	1.00	475.00	**476.00**
9	व्यावसायिक व विशिष्ट सेवा का भुगतान	1.43	13.70	**15.13**	0.00	20.49	**20.49**	0.00	20.00	**20.00**	2.00	15.00	**17.00**
10	किराया, दर और कर	0.00	25.69	**25.69**	0.00	27.71	**27.71**	0.00	27.00	**27.00**	0.00	27.00	**27.00**
11	लघु कार्य	0.00	153.47	**153.47**	0.00	100.00	**100.00**	0.00	60.00	**60.00**	0.00	60.00	**60.00**
12	पैट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स	4.00	8.16	**12.16**	0.00	7.50	**7.50**	0.00	7.50	**7.50**	4.00	8.00	**12.00**
13	विदेश यात्रा व्यय	9.26	0.00	**9.26**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	10.00	0.00	**10.00**
14	विज्ञापन, बिक्री और प्रचार	3.75	7.54	**11.29**	0.00	9.45	**9.45**	0.00	7.50	**7.50**	2.70	8.00	**10.70**
15	अन्य प्रभार	273.07	112.07	**385.14**	186.00	145.00	**331.00**	786.00	114.00	**900.00**	389.00	130.00	**519.00**
16	सहायता अनुदान	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.10	**0.10**	0.00	0.10	**0.10**	0.00	0.10	**0.10**
	कुल	**336.98**	**2302.06**	**2639.04**	**210.00**	**2564.00**	**2774.00**	**806.00**	**2250.10**	**3056.10**	**464.00**	**2352.60**	**2816.60**

भारत और विदेश में फिल्म बाजार में भागीदारी

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	अभियुक्ति/ जोखिम घटक
1.	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विदेशी फिल्म समारोह/बाजारों में भागीदारी	भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय फिल्मों के लिए बाजार का विस्तार करते हुए फिल्मों को एक उद्योग के रूप में मजबूती प्रदान करना।		2.20		● केन्स फिल्म बाजार-मई, 2007 में भागीदारी, ● अमरीकी फिल्म बाजार-नवंबर, 2007 में भागीदारी। ● फिल्म बाजार/ आईएफएफआई का आयोजन- नवंबर-दिसंबर 07 ● एनएफडीसी और सिनेमार्ट, रोटर्डम के बीच भागीदारी। ● बर्लिन फिल्म समारोह-फरवरी, 2008 में हिस्सा लेना।	विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की उपस्थिति बढ़ाना और भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देना।	मंत्रालय द्वारा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सेदारी की योजना पर विचार करने के लिए बाजारों के शुरू होने से काफी समय पहले बैठकें आयोजित की जायेंगी।	कालम पांच में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त फिल्मों की उपस्थिति बढ़ाने के उपायों पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है जैसे फिक्की द्वारा आयोजित वार्षिक मनोरंजन सम्मेलन-फ्रेम्स को सहायता।

						● हांगकांग फिल्म मार्ट में भागीदारी ● टोरेन्टो फिल्म समारोह/बाजार में भागीदारी ● फिक्की द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन-फ्रेम्स में भागीदारी ● विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सहायता से भारतीय फिल्मों का प्रचार।			
2.	ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी नयी योजना	उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में केंद्र की स्थापना।	-	0.10	-	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रयास यह रहेगा कि नैस्कोम से कहा जाए कि वह परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप दे ओर उसके बाद परियोजना के परामर्शदाता की नियुक्ति करे।	परामर्शदाता सभी आवश्यक ब्योरे देते हुए परियोजना की व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा।	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था और स्थापना में लगने वाले समय के मुद्दे स्पष्ट होंगे।	यह योजना सरकारी-निजी भागीदारी में लागू की जानी है। इसलिए निजी पार्टियों के योगदान की पहचान करनी होगी।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

वार्षिक योजना की समीक्षा (2005-06)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का रूप	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया समयबद्धता	31.3.06 को कालम 5 से उपलब्धियां	टिप्पणी/
(क)	एफटीआईआई पुणे का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण						
(i)	मशीनरी एवं उपकरण	आधारभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने, विद्यमान उपकरणों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण तथा फिल्म निर्माण के एचटीवी उत्पादन के क्षेत्र में उच्च व्यावसायिक शिक्षा के मानकों में समग्र सुधार करने के लिए समुचित आधारभूत सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना	0.46	मंत्रालय के एस.एफ.सी. के अनुमोदन से मदें खरीदी जाती हैं और कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व प्रारंभ में ही लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया जाता है तथा विभागीय बैठकों, मासिक व्यय रिपोर्टों एवं मंत्रालय के लिए तिमाही पेटर्न के माध्यम से उनकी उपलब्धता की गहन मानीटरी की जाती है।	**प्रक्रियाएं :** (1) उपयोगकर्ता विभाग से मांग पत्रों की पावती (2) जहां कहीं आवश्यक हो समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करते हुए कोटेशन मंगाना (3) निर्धारित अवधि के बाद कोटेशन एवं निविदाओं को खोलना तथा उनकी जांच करना (4) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना (5) आपूर्ति/ खरीद/कार्य आदेश देना (6) उपयोग करने वाले विभाग द्वारा सामग्री तथा वस्तुओं का निरीक्षण करना (7) मात्रा तथा गुणवत्ता की दृष्टि से सामग्री के निरीक्षण पर रिपोर्ट। उपकरणों का कार्यनिष्पादन	0.41	
(ii)	सिविल निर्माण कार्य		0.66			0.40	
(iii)	कम्प्युटरीकरण एवं आधुनिकीकरण		0.93			0.62	
		योग	2.05				

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का रूप	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया समयबद्धता	31.3.06 को कालम 5 से उपलब्धियां	टिप्पणी/
					तथा कार्य आदेश में अन्य विशिष्ट स्थितियां, विभागीय बैठकों में समयवधि पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा संबंधित कार्य योजना में तिथियां निर्धारित की जाती हैं ताकि तिमाही, वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें		
(ख)	**एफ.टी.आई.आई., पुणे में मानव संसाधन विकास**						
(i)	सामुदायिक रेडियो की स्थापना	इस स्कीम का उद्देश्य मानव संसाधन विकास करना है। इसमें स्थानीय लोगों की सामाजिक आवश्यकता को पूरा किया जाता है। यह स्थानीय योग्य व्यक्तियों के लिए एक मंच होगा और विद्यार्थियों द्वारा अन्वेषण करने के लिए उपकरण होगा। इसमें विचारों के अनुभवों तथा योग्यता का इसी प्रकार के अन्य संस्थानों विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी।	0.10	एफ.टी.आई.आई. द्वारा सामुदायिक रेडियो की टर्नकी परियोजना की स्थापना आरंभ की गई तथा परियोजना नोट को अंतिम रूप दे दिया गया और समझौता ज्ञापन के अनुसार कारवाई की जा रही है, इसमें न केवल कार्यक्रम तैयार करना शमिल है बल्कि ट्रांसमीटर के लिए सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना भी शामिल है।		0.02	
(ii)	कैप्टिव टी.वी. चैनल स्थापित करना			गांवों में जाने वाले डाक्टरों के जीवन एवं अनुभव पर 13 एपीसोड सीरियल तैयार करने का कार्य चल रहा है		0.00	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का रूप	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया समयबद्धता	31.3.06 को कालम 5 से उपलब्धियां	टिप्पणी/
(iii)	विद्यार्थियों के लिए स्कालरशिप तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम सहित एच.आर.डी. पहलू		0.10	जून, 2005 में वन वर्ल्ड ब्राडकास्टिंग ट्रस्ट स्कालरशिप के तहत एक विद्यार्थी का लन्दन-ब्रिटेन में डेपुटेशन		0.00	
	कुल		**0.30**			**0.02**	
	कुलः (क+ख)		**2.35**			**1.45**	

वार्षिक योजना (2007-08) का मूल्यांकन

(करोड़ रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2007-2008 का परिणाम	प्रत्यक्ष परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
(क)	जारी योजनाएं					
1.	एफ.टी.आई.आई., पुणे का अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण					
क.	मशीनरी एवं उपकरण	(1) फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग दोनों में आधुनिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों की प्राप्ति और संसाधनों में वृद्धि	0.00	मंत्रालय के एस.एफ.सी. से अनुमोदन मिलने पर सामग्री एकत्र की जाएगी तथा कार्य पूरा किया जाएगा। वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे तथा विभागीय बैठकों में उपलब्धियों पर नजदीकी नजर रखी जाएगी तथा मासिक व्यय की रिपोर्ट एवं तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय को दी जाएगी।	**प्रक्रियाएं :** (1) प्रयोग किए जाने वाले विभाग से मांग की प्राप्ति। (2) जहां आवश्यक हो निविदा मंगाने के लिए समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशित करना। (3) निर्धारित अवधि के बाद निविदा/टेंडर को खोलना तथा उसकी जांच। (4) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना। (5) आपूर्ति/खरीद कार्य पूरा करने का आदेश देना। (6) विभाग द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्री/माल का निरीक्षण। (7) माल की मात्रा एवं गुणवत्ता आदि की निरीक्षण रिपोर्ट देना। खरीद आदेश में निर्धारित अन्य शर्तों	विस्तृत टिप्पणी अलग से संलग्न की जा रही है
ख.	सिविल निर्माण कार्य	(2) नई तकनीक जैसे हाईडेफिनिशन टी.वी. विकसित कम्पयूटर एनिमेशन, डिजिटल फिल्म रिकार्डिंग आदि को लाना। (3) कार्यक्रमों के लिए एफ.टी.आई.आई. के वर्तमान प्रांगण में स्थान की कमी है। वर्तमान योजना में एफ.टी.आई.आई. के भवन में जहां तक संभव हो कुछ स्थानों को बढाने का प्रस्ताव है।	0.00			

(करोड़ रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2007-2008 का परिणाम	प्रत्यक्ष परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
		एक आधुनिक स्त्रोत एवं ज्ञान केन्द्र की योजना भी बनाई जा रही है जिससे सभी स्त्रोतों जैसे पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, इंटरनेट, व्युइंग स्टुडेंट्स सेंटर, फैकल्टी एवं कान्फ्रेन्सिंग केंद्र के लिए चर्चा कक्ष आदि को एक जगह लाया जा सके।			के अनुरूप उपक्रणों की गुणवत्ता का निरीक्षण **समयबद्धता** : विभागीय बैठकों में चर्चा की जाती है तथा भोतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तारीख निर्धारित की जाती है।	
ग.	**कम्प्युटरीकरण एवं आधुनिकीकरण**		0.00			
		कुल :	6.00			

(करोड़ रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2007-2008 का परिणाम	प्रत्यक्ष परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
2)	**एफ.टी.आई.आई. पुणे के लिए मानव संसाधन विकास**					
क)	सामुदायिक रेडियो की स्थापना	यह योजना विद्यार्थियों को रेडियो कार्यक्रमों, श्रोताओं एवं नये क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बनाई गई है।	0.00	10वीं योजना समाप्त होने के साथ रेडियो कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किये जाते हैं। कार्यक्रमों के रिले एवं निर्माण के लिए और ट्रांसमीशन सिस्टम के रखरखाव के लिए प्रावधान किये गये हैं।		
ख)	कैपटिव टी वी चैनल की स्थापना	यह भी पहले से जारी योजना है जिसे कार्यक्रमों एवं ब्राडकास्टिंग के क्षेत्र में छात्रों के अनुसंधान, परिवर्तन एवं प्रयोग के उद्देश्य से 10वीं योजना के आरंभ से प्रारंभ किया गया। मूल विचार यह है कि लक्षित श्रोताओं के साथ पारस्परिक संबंध और नजदीकी बनाई जा सके।	0.00	कार्यक्रमों की फिल्म बना ली गई है तथा कार्यक्रमों की अतिरिक्त फिल्म बनाने एवं उसके प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है।		
ग)	एच.आर.डी. का पक्ष जिसमें छात्रों आदि के लिए छात्रवृत्ति तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान शामिल है।	एफ.टी.आई.आई. की गतिविधियों को और आगे बढ़ाना। छात्रों तथा संकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक गतिविधियों का अध्ययन एच.आर.डी. कार्यक्रम के आदान कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना।	0.00	आदान-प्रदान कार्यक्रम की गतिविधि से छात्र अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर फिल्म स्कूलों से मिलकर फिल्म निर्माण के नये विचार प्राप्त करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आधुनिक तकनीक से परिचित हो। एफ.टी.आई.आई. की योजना		

(करोड़ रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2007-2008 का परिणाम	प्रत्यक्ष परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
				है कि भारत के विश्वविद्यालयों एवं फिल्म स्कूलों के साथ-साथ अन्य देशों में अपनी गतिविधि बढ़ाए। आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थानों से छात्रों के दौरे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं : (क) मोहम्मद अमीन फाउंडेशन नैरोबी, कीनया, (ख) मीडिया विश्वविद्यालय, शुटगोर्ट, जर्मनी।		
ख)	**ख) नई योजना**					
1.	ग्लोबल फिल्म स्कूल	1) एफ.टी.आई.आई. आधुनिक इंटरनेट तकनीक से लाभान्वित होने के लिए प्रयासरत है जिससे वह देश और देश के बाहर समान उद्देश्य वाली संस्थाओं के साथ मिलकर ग्लोबल फिल्म स्कूल का भाग बन सके।	0.01	यह एक नई योजना है। प्रस्तावित व्यय एफ.टी.आई.आई., पुणे के मास्टर प्लान में सिनेमाटोग्राफी एवं टी वी इंजीनयरिंग विभाग की मशीनरी एवं उपकरणों के लिए है, जिसमें आडिटोरियम, क्लास-कम-थियेटर, इंटरनल रोड, पार्किंग रोड, पैदल यात्री क्षेत्र तथा भवन निर्माण स्टूडियो फ्लोर, आडिटोरियम प्रिव्यु	**प्रक्रियाएं :** (1) सेवाएं चाहने वाले विभाग से आवेदन की प्राप्ति। (2) जहां आवश्यक हो, निविदा मंगाने के लिए समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशित करना। (3) निर्धारित अवधि के बाद निविदा/टेंडर को खोलना तथा उसकी जांच। (4) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना। (5) आपूर्ति/खरीद कार्य पूरा करने का आदेश देना। (6) विभाग	

(करोड़ रुपये में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2007-2008 का परिणाम	प्रत्यक्ष परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
				थियेटर, होस्टल एवं स्टाफ क्वाटर्स शामिल हैं	द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सामग्री/माल का निरीक्षण। (7) माल की मात्रा एवं गुणवत्ता आदि की निरीक्षण रिपोर्ट देना। खरीद आदेश में निर्धारित अन्य शर्तों के अनुरूप उपकरणों के निष्पादन। **समयबद्धता :** विभागीय बैठकों में चर्चा की जाती है तथा भोतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तारीख निर्धारित की जाती है।	
		कुल (ख)	0.01			
		कुल (क+ख)	6.21			

वार्षिक योजना की समीक्षा (2007-08)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का रूप	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2005-06	कार्यालय एवं परिणाम	प्रक्रिया समयबद्धता	टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6	7
	वेतन, पेंशन ग्रेच्यूटी, अवकाश वेतन अंशदान, यात्रा, किराया, शुल्क, कर, विद्युत, टेलीफोन, रा-स्टॉक, औजार तथा उपकरण, भवन का रख-रखाव तथा अन्य फुटकर व्यय.	संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले फिल्म तथा टी.वी. पाठ्यक्रम निर्धारित समय से चलाए जा रहे हैं।	7.05	सभी प्रकार के दावे संबंधित नियमों तथा प्रक्रिया विधि का पालन करते हुए निपटाए जाते हैं।	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एस.बी.जी/आर.ई. के अनुसार व्यय किया जाता है।	

स्पष्टीकरण नोट

फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में पुणे में की गई थी। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण की कला और तकनीकों में प्रशिक्षण देना है। 1974 से इसने टेलीविजन कार्यक्रम उत्पादन में दूरदर्शन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नाम बदलकर बाद में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। एफ टी आई आई विभिन्न विषयों में फिल्म एवं टेलीविजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम संचालित करता रहा है। इन विषयों में निर्देशन सिनेमाटोग्राफी, आडियोग्राफी एवं संपादन ये तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम तथा अभिनय एवं कला निर्देशन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठयक्रम एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़-वर्षीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम तथा टेलीविजन में एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। निर्देशन, इलेक्ट्रिक सिनेमाटोग्राफी, मीडिया एडिटिंग, आडियोग्राफी एवं टेलीविजन इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता शामिल है। पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम भी शामिल हैं।

इस समय संस्थान द्वारा विभिन्न पाठयक्रमों के लिए सूचीबद्ध 253 छात्र हैं। संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठयक्रमों के लिए कड़ी प्रतियोगिता रहती है। दाखिले की भीड़भाड़ इस बात का संकेत है कि इस संस्थान के पाठयक्रमों की काफी मांग है, समाज इनकी जरूरत महसूस करता है। इस संस्थान से पास होकर निकले छात्र सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं और उनका स्तर सराहनीय है। भारतीय सिनेमा को उनका उल्लेखनीय योगदान है। आज यह संस्थान भारत में ही नहीं, एशिया और यूरोप में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विख्यात हैं। इस संस्थान के छात्रों द्वारा तैयार की गई फिल्में भारत और अन्य देशों के फिल्म समारोहों में प्रविष्टि के तौर पर भेजी जाती हैं। अनेक सम्मानित डिप्लोमा फिल्मों का यह एक बड़ा संग्रह बन गया है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अनेक फिल्में शामिल हैं। इस संस्थान के छात्र फिल्म अभिनता और लोग बन गए हैं। यह इस इस संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठयक्रमों के परिणामस्वरूप संभव हो पाया है।

लेकिन इन सबका सिर्फ वित्तीय ढंग से मूल्यांकन करना उचित होगा। ये परिणाम वार्षिक परिव्यय के नतीजे नहीं हैं, बल्कि पिछले कई वर्षों से सरकार ने जो निवेश किया है, उसके संचयी परिणाम हैं।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

2007-08 (योजना) के लिए परिणाम बजट में उपलब्धियां / लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय	भौतिक प्रगति	अनुमानित प्रगति	प्रक्रिया/समयोचितता		टिप्पणी/जोखिम घटक
					मध्यवर्ती	अंतिम	
1	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में अपना टीवी चैनल स्कीम	–	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में ''एक फीडर टेलीविजन साफ्टवेयर आधार''के विकास के लिए प्रस्तावित योजना। इसे समाज और सामुदायिक विकास के लक्ष्य वाले नए उभरते स्थानीय टेलीविजन नेटवर्कों के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आन-लाइन टेलीविजन के क्षेत्र में मदद के लिए तैयार किया गया था।	अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें। वैसे, इस प्रोजेक्ट के सुगठित हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से प्रायोजकों के मिलने की संभावना है जिससे तैयार किए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माण लागत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर निकल आएगी।	इस परियोजना को चालू करने का काम बीईसीआईएल, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इसमें उपकरणों आदि की खरीद का काम भी शामिल होगा। बीईसीआईएल ने उपकरणों की खरीद का काम शुरू कर दिया है। विभागीय बैठकों में हुई चर्चाओं के अनुसार पत्रांक G.24(28)/ ACCTS/ SRFTI/ 2002-03/ दिनांक04.04.05 के माध्यम से प्रोजेक्ट के पूरा होने की तिथि की सूचना दे दी गई है।		1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 लाइसेंस आदि के लिए सरकार की मंजूरी की प्राप्ति। 3 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।
2	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना	–	~~सामुदायिक रेडियो की इस~~ स्कीम में परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा के सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता और स्थानीय रुचियों के अनुसार विशेष मनोरंजन पर जोर दिया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के क्षेत्र में छात्रों के लिए आफ-लाइन प्रशिक्षण आधार तैयार करना है।	अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें। वैसे, इस प्रोजेक्ट के सुगठित हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से प्रायोजकों के मिलने की संभावना है जिससे तैयार किए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माण लागत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर निकल आएगी।	इस परियोजना को चालू करने का काम बीईसीआईएल, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इसमें उपकरणों आदि की खरीद का काम भी शामिल होगा। स्टूडियो और ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा हो गया है और इन्हें बीईसीआईएल से प्राप्त किया जा रहा है। विभागीय बैठकों में हुई चर्चाओं के अनुसार पत्रांक G.24(28)/ACCTS/ SRFTI/ 2002-03/ दिनांक 04.04.05 के माध्यम से प्रोजेक्ट के पूरा होने की तिथि की सूचना दे दी गई है।		1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 लाइसेंस आदि के लिए सरकार की मंजूरी की प्राप्ति। 3 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।

3	सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में छात्रवृत्तियां और विनिमय कार्यक्रम समेत मानव संसाधन विकास के पहलू	0.15+0.10	इस स्कीम में विदेशों में प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ निरंतर छात्र/संकाय आदान-प्रदान की व्यवस्था है ताकि वे फिल्म निर्माण के उभरते नए रुझानों और प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें।	अनिवार्यतया इस स्कीम का उद्देश्य संस्थान में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि छात्रों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकें और क्षेत्र में वे उत्कृष्टता हासिल कर सकें।	छात्र विनिमय का नया दौर आरम्भ किया जाएगा। छात्रवृत्ति/ इंटर्नशिप कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे। विभागीय बैठकों में हुई चर्चाओं के अनुसार पत्रांक G.24 (28)/ACCTS/ SRFTI/ 2002-03/ दिनांक 04.04.05 के माध्यम से प्रोजेक्ट के पूरा होने की तिथि की सूचना दे दी गई है।	1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 लाइसेंस आदि के लिए सरकार की मंजूरी की प्राप्ति। 3 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।
4	सामाजिक रूप से उपयोगी फिल्मों के निर्माण के संदर्भ में प्रशिक्षण और कौशल विकास	0.50	इस प्रोजेक्ट में फिल्म तथा टेलीविजन क्षेत्र के युवा छात्रों को संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के बहु-प्रतीक्षित मूल्य-वर्द्धन का अनिवार्य रूप से समावेश करने पर जोर दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रस्तावित तत्वों को संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों की पूर्ति करना है ताकि उद्योग की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने वाले संस्थान के युवा छात्रों की मदद की जा सके।	इस स्कीम से संकाय सदस्यों को सिनेमा तथा टेलीविजन के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में बदलते रुझानों को समझने में मदद मिलेगी। आवासीय कार्यक्रम में कलाकार विख्यात राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सृजनशील कलाकार के साथ वे विचारों और सोच का आदान-प्रदान कर सकेंगे। छात्रों को विभिन्न स्तरों पर परस्पर विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा। फिल्म निर्माण के प्रावधान से छात्रों को फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण का अत्यंत आवश्यक व्यावहारिक अनुभव मिल सकेगा जिससे वे अपने पेशेवर कैरियर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक मंचों और टेलीविजन पर अपनी फिल्मों के प्रदर्शन की संभावना से उन्हें संस्थान के छात्रों के रूप में प्राप्त अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने का अवसर भी मिलेगा। छात्र फिल्म समारोह की इस स्कीम में 'क्लैपस्टिक' और 'डोसेज' (डाक्यूमेंटरी पिचिंग सैशन) से युवा छात्रों और फिल्म प्रेमियों में फिल्म जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। संस्थान के	1 संकाय बारी-बारी से फिल्म निर्माण और सम्बद्ध विषयों के विभिन्न पहलुओं के बारे में अल्पावधि कोर्स करेंगे ताकि वे फिल्म निर्माण के नवीनतम रुझानों के प्रति आलोचनात्मक और प्रौद्योगिक समझ पैदा कर पाएं। उन्हें संस्थानों, सेमिनारों, समारोहों आदि में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 2 आवासीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें किसी प्रख्यात सृजनशील कलाकार को आमंत्रित किया जाएगा और संकाय तथा छात्रों दोनों ही को विभिन्न स्तरों पर परस्पर विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा। 3 नियोजन वर्षों के दौरान संस्थान के संकाय के लिए छात्रों के सहयोग से पूरी लम्बाई की तीन फीचर फिल्में और तीन वृत्तचित्र बनाने का प्रावधान होगा। 4 संस्थान 'क्लैपस्टिक' (छात्र फिल्म समारोह) और 'डोसेज' (डाक्यूमेंटरी पिचिंग सैशन) का आयोजन करेगा जिससे युवा छात्रों और फिल्म प्रेमियों में फिल्म जागरूकता फैलाने में मदद	1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।

				शैक्षणिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों को उजागर करने की योजना के तहत एक उच्च कोटि का न्यूज़लैटर भी प्रकाशित किया जाएगा।	मिलेगी। ये आयोजन 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेंगे और शैक्षणिक कार्यकलापों को उजागर करने वाला एक उच्च कोटि का एक न्यूज़लैटर भी प्रकाशित होगा।	
5	कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था	7.00	प्राजेक्ट में अनिवार्यतया बुनियादी सुविधाओं (उपकरण आधार) का वांछित स्तर तैयार करने और एकसाथ पढ़ने वाले तीन बैचों को फिल्म तथा टेलीविजन के क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। मौजूदा सुविधाएं 120 छात्रों के तीन बैचों का दबाव झेलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।	संस्थान की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और यह आत्म-निर्भर हो जाएगा। छात्र समुदाय लाभान्वित होगा और समय पर अपने कोर्स पूरे कर सकेगा। नियमित गतिविधियों को व्यवस्थित करने के बारे में संस्थान भारतीय मीडिया के समग्र स्तर को सुधारने के लिए अपनी गतिविधियों को और अधिक विकसित और विविधीकृ त कर सकता है।	निर्माण और परिवर्तन का काम आकाशवाणी के सीसीडब्लू द्वारा किए जाएंगे। उपकरणों की खरीद संस्थान के अपने ही क्रय विभाग द्वारा की जाएगी। कार्मिकों की भर्ती विज्ञापन की मदद से की जाएगी।	1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।
6	ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग	0.01	पिछले कुछ सालों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है, वह ऐनीमेशन और मल्टी-मीडिया प्रयोगों का है। एनीमेशन की लोकप्रियता और संभावनाओं के बारे में हर कोई जानता है और इस बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैब से	संस्थान की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और छात्र समुदाय लाभान्वित होगा तथा उसे एक नए कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। एक नए उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संस्थान, भारतीय मीडिया के समग्र स्तर को सुध ारने के लिए अपनी गतिविधियों में अधि क विविधता ला सकेगा और क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराके उद्योग को सहारा दे सकेगा।	निर्माण और परिवर्तन का काम आकाशवाणी के सीसीडब्लू द्वारा किया जाएगा। कार्मिकों की भर्ती विज्ञापन की मदद से की जाएगी।	1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।

			जुड़े प्रयोगों और ऐनीमेशन फिल्मों के साथ-साथ मल्टी-मीडिया सीडी-रोम्स/गेम्स का एक विशाल गतिशील और संभावनाओं से भरा बाज़ार मौजूद है। अगले कुछ वर्षों में भारत ऐनीमेशन से जुड़े काम के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इन गतिविधियों में मदद करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी मांग है। इस प्रकार दृश्य-श्रव्य कला के बदलते परिवेश के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए इस कोर्स को चलाने का यह सही समय है। बदलते रुझानों और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, संस्थान में अध्ययन की एक नई शाखा जोड़ना वक्त की मांग है। इसीलिए संस्थान ने 'ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग' में दो साल का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक बैच में 10-10 छात्रों को लेने का प्रस्ताव है।			

7	फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम प्रबंध विभाग	0.01	दृश्य-श्रव्य मीडिया, एक बहु-शाखीय मीडिया है और वह भी व्यापक विविधताओं लिए। एक सफल कार्यक्रम के निर्माण के लिए सभी विविधताओं को एक व्यवस्थित और किफायती एकजुटता में बांधना जरूरी है। इसमें कुशल और पेशेवर प्रबंध को लाने के लिए मीडिया के कार्यकलापों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले योग्यता प्राप्त प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। ये प्रबंधक व्यापार से जुड़ा अनुशासन और पारदर्शिता लाने में कामयाब हो सकेंगे जिससे कार्यक्रम निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और विश्वसनीय बन सकेगा। आज विशेषज्ञता का युग है, इसलिए उद्योग की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और प्रयोग करना जरूरी हो गया है। फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, संस्थान का फिल्म तथा टेलीविजन निर्माण प्रबंध में दो साल का एक स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कोर्स के प्रत्येक बैच में 10-10 छात्र लिए जा सकेंगे। यह कोर्स वर्ष 2011-12 में शुरू होगा।	संस्थान की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और छात्र समुदाय लाभान्वित होगा तथा उसे एक नए कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। संस्थान, भारतीय मीडिया के समग्र स्तर को सुधारने के लिए अपनी गतिविधियों में अधिक विविधता ला सकेगा और क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराके उद्योग को सहारा दे सकेगा।	निर्माण और परिवर्तन का काम आकाशवाणी के सीसीडब्लू द्वारा किया जाएगा। कार्मिकों की भर्ती विज्ञापन की मदद से की जाएगी।	1 स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 2 संस्थान के बूते से बाहर का कोई अन्य कारण।

भारतीय जनसंचार संस्थान

बजट 2007-08 की तालिकाओं का प्रारूप

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संशोधन				
ए:	**योजना** आईआईएमसी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्व-विद्यालय में परिवर्तित करना	प्रस्तावित विश्वविद्यालय प्रदान करेगा (क) वर्तमान सामान्य सीटों के साथ ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण और (ख) तीसरे विश्व देशों के भागीदारों को मास मीडिया में आधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान अवसर प्रदान करना। इससे विकसित और विकास-शील देशों को कक्षाओं/ कैंपस वातावरण में बहु सांस्कृतिक छात्रों की आपसी बातचीत के जरिये और पास आने में मदद मिलेगी।	-	10.00	-	2007-08 के दौरान निम्न-लिखित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संस्थान निम्न-लिखित प्रारंभिक कार्य शुरू करेगा: 1. सामान्य सीटों को घटाए बिना ओबीसी को 27% आरक्षण को चरणबद्ध लागू करना। 2. अतिरिक्त कक्षों (15) का निर्माण 3. इलेक्ट्रोनिक और मुद्रण मीडिया अध्ययनों का प्रबंध और अद्यतन 4. 2 ओबी वेन, 3 बसों और 10 कारों का प्रबंध 5. कैंटीन और प्रिंटिंग प्रेस को उन्नत बनाना 6. उपयुक्त स्तर पर संकाय, तकनीकी और सचिवीय पदों का सृजन (कुल 120) 7. योजना अवधि के दौरान छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना 8. डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए यूजीसी	प्रस्तावित विश्वद्यिालय पत्रकारिता और मास मीडिया के क्षेत्र में तीसरे विश्व देशों की प्रशिक्षण तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह कैंपस में छात्रों को बहु-संस्कृति का माहौल भी प्रदान करेगा और विकसित तथा विकासशील देशों को नजदीक आने में मदद करेगा, और वैश्विक प्लेसमेंट के लिए उपयुक्त प्रशिक्षु छात्र तैयार करेगा।	1. प्रथम-चरण के अंतर्गत 5 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण 2. लाइब्रेरी का विस्तार (चरण 1) 3. 18 अतिरिक्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति 4. सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की खरीद 5. छात्रावास सुविधा का विस्तार 6. चरणबद्ध तरीके से ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान 18% अधिक छात्रों को प्रवेश।	संस्थान ने योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।

						को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया			
ख:	**गैर-योजना** जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान	पत्रकारिता/जनसंचार के क्षेत्र में आईआईएमसी द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश में सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ चलने में उपयोगी हैं।	395.00 (शुद्ध सहायता)	-	*210.00	नई दिल्ली और ढेंकनाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी) में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन; इसके अलावा नई दिल्ली में पत्रकारिता (हिंदी), रेडियो और टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन और जन-संपर्क में पी.जी. डिप्लोमा तथा ढेंकनाल में उड़िया पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा	आईआईएमसी द्वारा संचालित विभिन्न, डिप्लोमा कार्यक्रमों में कुल 225 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संस्थान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार आईआईएस अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश पूर्ण करने के बाद (जुलाई 2007 तक) ये पाठ्यक्रम एक अगस्त 2007 से शुरू हो जाएंगे और अप्रैल 2008 में समाप्त हो जाएंगे।	मास मीडिया संबंधी विषयों में पशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन ही आईआईएमसी का मुख्य उद्देश्य है और ये अकादमिक गतिविधियां प्रत्येक अकादमिक वर्ष के दौरान आयोजित की जाती हैं।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

परिणाम बजट 2007-08

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कंप्लीमेंटरी बजट अतिरिक्त संसाधन				
1.	अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन।	फिल्मों की प्राप्ति एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना	1.49	1.00	कोई नहीं	1.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का खर्च 600 फिल्में/डीवीडी/ वीएचएस/पीसीडी प्राप्त करने में किया जाएगा।	फिल्मों की प्राप्ति एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना।	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का प्रयोग करना
2.		अभिलेखा प्रकाशन निकालना	--	0.01	कोई नहीं	एक या दो अभिलेखा प्रकाशन प्रकाशित करना।	अभिलेखा प्रकाशन	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आवंटन के आधार पर।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
परिणाम बजट 2007-08

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कांप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का उत्पादन	2		3,00		2	–	–	–
2.	इक्विटी भागीदारी	–		0.10		–	–	–	–
	कुल			3.10					

पत्र सूचना कार्यालय
2007-08 के लिए परिणाम बजट

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	नई दिल्ली में पीआईबी के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का निर्माण	10.00	मिट्टी का काम खुदाई, नींव का काम, आरसीसी काम, तहखाने हेतु, भूतल, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, सभी मंजिलों की फिनिशिंग	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	पहली तिमाही-मिट्टी का काम नींव का काम, निचले तहखाने का आरसीसी कार्य दूसरी तिमाही - बाकी काम ऊपरी तहखाना, भूतल का आर सीसी कार्य निचले तहखाने की फिनिशिंग तीसरी तिमाही - भूतल का शेष कार्य प्रथम तल, ऊपरी और निचले तल की फिनिशिंग, प्रथम तल का आर सी सी कार्य चौथी तिमाही - दूसरे, तीसरे तल का फिनिशिंग कार्य, भूतल और प्रथम तल की फिनिशिंग	कालम 7 में बताए गए अनुसार लक्ष्य पूरे किए जाएंगे
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	सार्वजनिक सूचना अभियान(सा.सू.अ.) चला कर,प्रेस वार्ताएं आयोजित करके, सफलता समाचार देकर	0.09 सांकेतिक व्यवस्था	120 सार्वजनिक सूचना अभियान चलाना, 6 प्रेस वार्ताएं, 25 सफलता समाचार और 10 दौरे	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	**प्रथम ति.** 30 स.सू.अ., प्रेस वार्ता 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 2 दौरों की व्यवस्था करना	स्तंभ 7 में दर्शाए गए समय के अनुसार लक्ष्य पूरे किए जाएंगे

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
		और मौके पर पत्रकारों को ले जा कर सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचना देना		पत्रकारों के आयोजित करना		**द्वितीय ति.** 30 स.सू.अ., 2 प्रेस वार्ताएं, 25 सफलता और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना **तृतीय ति.** 30 स.सू.अ., प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 2 दौरे आयोजित करना **चौथी ति.** 30 स.सू.अ., 2 प्रेस वार्ताएं, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना।	
3.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय समारोह	मौके पर मीडिया केंद्र की स्थापना करके पत्रकारों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना। विशेष प्रत्यायन, प्रेस वार्ताएं, विज्ञप्तियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, अखबार, फोटोकापी आदि की व्यवस्था	0.01 सांकेतिक व्यवस्था	मौके पर मीडिया केंद्र खोलना सुविधाओं की व्यवस्था करना और पत्रकारों को विज्ञप्तियों, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, फोटो कापी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	**तृतीय ति.** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां तीसरी तिमाही में शुरू की जाएंगी। फिल्म समारोह हर साल नवंबर दिसंबर में गोवा में होता है।	- वही -
4.	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	पीआईबी विशेष प्रत्यायन हेतु अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए सुविधाएं भी जुटाते हैं।	0.01 सांकेतिक व्यवस्था	प्रवासी दिवस समारोह में पीआईबी का विशेष, प्रत्यायन के लिए अधिकारी भेजता है। वे	कालम 5 में दिए विवरण के अनुसार	**चौथी ति.** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां चौथी तिमाही में की जाएंगी क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हर	लक्ष्य कालम 7 की समय तालिका

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
				सुविधाएं-मीडिया सेंटर में पत्रकारों की सुविधा हेतु कंप्यूटर किराए पर लेते हैं।		वर्ष नई दिल्ली में जनवरी में होता है।	केअनुसार पूरे किए जाएंगे।
5.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु मीडिया प्रबंधन एवं सुविधा प्रस्ताव	पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर की स्थापना, विभिन्न पत्रकारों में इन खेलों के प्रति रुचि जगाना, मीडिया को सही सूचना देना, जागरूकता बढ़ाना और महा आयोजन में और खेलों में लोगों की रुचि जगाना।	0.01 सांकेतिक व्यवस्था	रुचि जगाना, समय पर सटीक सूचना देना, इन खेलों के प्रति मीडिया में जागरूकता लाना। ये खेल नई दिल्ली में 2010 में होंगे।	कालम 5 में दिए विवरण के अनुसार	**सभी तिमाहियों में** - इन खेलों के प्रति रूचि जगाना, सही सूचना देना, मीडिया सेंटर खोलने की तैयारी करना, इस संबंध में राष्ट्रमंडल की आयोजन समिति, युवा एवं खेल मामलों के मत्रालय के साथ संपर्क रखना। **तीसरी ति.** पी.आई.बी. के अधिकारियों का एक दल बीजिंग जा कर वहां की गई प्रेस व्यवस्था के अनुभवों और ग्रीष्म ओलंपिक 2008 की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है।	- वही -
6.	मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रम	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान (सा.आ.प्र.) कार्यक्रम एवं संयुक्त कार्यकारी आयोग/ समझौते	0.01 सांकेतिक व्यवस्था	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान के 6 कार्यक्रम और 2 कार्यकारी आयोग/ समझौते	कालम 5 में दिए विवरण के अनुसार	प्रथम ति. 2 सां.अ.प्र. (1 आएगा, 2 जाएंगे) दूसरी ति. 2 सां.अ.प्र. (1 आएगा 1 जाएगा)	सभी लक्ष्य कालम 7 के अंतर्गत विवरण के अनुसार पूरे किए जाएंगे।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
						तीसरी ति. - 1 सा.अ.प्र. (1 जाएगा और 1 संयुक्त कार्यकारी आयोग आएगा) चौथी ति. - सां.आ.प्र. (1 जाएगा और संयुक्त कार्यकारी आयोग बाहर जाएगा)	
			10.13				

भारतीय प्रेस परिषद

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	परिषद किसी अन्य योजना पर कार्य नहीं कर रही है क्योंकि यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था है	प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना तथा और भारत में समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार	2.37	लागू नहीं क्योंकि योजना बजट में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है	परिषद पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और समाचार एजेंसियों से प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 16 के अंतर्गत है से शुल्क अर्जित करती है तथा जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करती है। इस वर्ष परिषद शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों से 35 लाख रुपये अदा करेगी। इसके अलावा इसे भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होगा।	चूंकि प्रेस परिषद का कार्य अर्ध कानूनी प्रकृति का है तथा यह नीतिगत रूप से प्रेस पर नियंत्रण करता है, भौतिक उपलब्धियां और परिणाम को निर्धारित नहीं किया जा सकता।	जैसा कालम 5 में बताया गया है	शिकायतकर्ता की आवश्यकता की पूर्ति तथा परिषद की जांच पर निर्भर है।	शिकायतों के निपटान में कोई जोखिम नहीं है।

फोटो प्रभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	प्रलेखन, प्रचार तथा क्रास रेफ्रेंसिंग, विजुअल चित्रों के जरिए सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रसार	राजनीतिक, वित्तीय और सामाजिक परिवर्तनों का अभिलेखन एवं प्रचार	गैर-योजना 2.33 रुपये	निरन्तर फोटो प्रलेखन उस समय में हुए परिवर्तनों की दृश्य रपट है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए रिकार्ड करना है। ये अत्यधिक कीमती दस्तावेज हैं जिन्हें जरूरत होने पर बार-बार इस्तेमाल किया जाता है,	इन प्रलेखनों के सृजन से क्रॉस रेफ्रेंसिंग के जरिए सही इतिहास तक देश की पहुंच बनने में मदद मिलेगी		

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	फोटोग्राफी का राष्ट्रीय केन्द्र	अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.01	देश से बाहर उपलब्ध इस आधुनिक तकनीक के साथ कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करना तथा अधिकारियों को सूचना/ज्ञान वितरित करना।		एक वर्ष	
2.	पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप	पूर्वोत्तर आदि के विकास पर विशेष प्रलेखन	0.01	पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर आदि का विशेष अभियान। कम से कम दो विकासात्मक गतिविधियां कवर की जायेंगी।			

नोट : फोटो प्रभाग का जो कार्य है उसे देखते हुए इसके वास्तविक परिणाम की मात्रा देना संभव नहीं है।

प्रकाशन विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			गैर-नियोजित बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		पत्रिकाएं और किताबें प्रकाशित करना	13.47	–	20 पत्रिकाएं, 120 पुस्तकें प्रकाशित करना, दिल्ली और दिल्ली से बाहर 180 पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन।	(i) विभाग का उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है-राष्ट्रीय महत्व की उन पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, जो आमतौर पर दूसरे प्रकाशक प्रकाशित नहीं करते। साथ ही इन्हें जनता तक वाजिब मूल्यों में पहुंचाना भी विभाग का लक्ष्य है। (ii) विविधता में एकता की अवधारणा और भावना, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करना।	वार्षिक आधार पर	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	योजना और कुरुक्षेत्र के पुराने अंकों को डिजीटलाइज करना	लेखों और लिखित सामग्रियों को कंप्यूटर पर टाइप कराना ताकि उन्हें मूल्यवान संदर्भों के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके।	0.01	–	योजना और कुरुक्षेत्र के हिंदी-अंग्रेजी के पुराने अंकों को कंप्यूटर में संग्रह करना।	ऑटोमेशन से सारी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लेखों को सुरक्षित रखा जा सकेगा	वार्षिक आधार पर	
2.	योजना की वेब-साइट्स तैयार करना	ब्रांड और विस्तृत सामग्री देकर पाठकों के दायरे में विस्तार। लेखकों और पाठकों के दायरे को बढ़ाना है।	0.01	–	योजना के हिन्दी और अंग्रेजी अंकों की वेबसाइट शुरू की जानी है।	इस योजना के तहत सिर्फ एक क्लिक से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।	वार्षिक आधार पर	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
3.	योजना दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	योजना दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	0.01	–	योजना की 13 इकाइयों में 2 कंप्यूटर लगने हैं, यूपीएस प्रिंटर्स और स्कैनर्स समेत इनकी खरीद होगी साथ ही इनमें आधुनिक फर्नीचर लगेंगे। दो-दो एयरकंडीशंड 13 इकाइयों में लगेंगे	योजना लागू होने से कार्य संस्कृति सुधरेगी और अच्छी सेवाएं दी जा सकेंगी	योजना 11वीं पंच वर्षीय योजना के पहले साल पूरी हो जाएगी	
4.	व्यापार दफ्तरों और बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण	दो बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण और उन्हें मोबाइल बुक/वैन देना।	0.01		दो बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण और हर साल एक मोबाइल वैन की खरीद	बिक्री केंद्रों का पूरी तरह से ऑटोमेशन होगा ताकि इवेंटरी मैनेजमेंट सुचारू हो	वार्षिक आधार पर	
	योग		0.04	–				

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	आधुनिकीकरण ऑटोमेशन एवं उन्नयन	अनुलग्नक 'क'	–	0.01	–	(क: अनुभागों का पुनरुद्धार (ख) 4 कम्प्यूटरों एवं प्रिंटरों की खरीद (ग) साफ्टवेयर का अधिग्रहण (घ) स्टाफ का प्रशिक्षण (5 कर्मचारी) (ङ) 2 एसी की खरीद (च) दो आकस्मिक डाटा एंटरी आपरेटरों की सेवाएं	(क) विज्ञापन, लेखा तथा प्रसार अनुभागों का पुनरुद्धार (ख) विज्ञापन तथा लेखों और प्रसारण अनुभागों में कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की आधुनिकतम तकनीक का प्रावधान	8-12 महीने	पुनरुद्धार/ अधिग्रहण का कार्य चालू काम को बिना छेड़े किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पूर्णतया स्वचालित कार्य माहौल में तब्दील हो जाए।

निरन्तर आधुनिकीकरण, नूतन पहलें तथा उन्नयन एम्पलॉयमेंट न्यूज के विकास की धुरी है। यह प्रक्रिया प्रकाशन, मुद्रण, डिजाइनिंग, प्रेषण, विज्ञापन को जारी करने तथा लेखा एवं वितरण व प्रसार प्रक्रियाओं आदि के सभी पहलुओं के लिए अपेक्षित है। इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपकरणों, मशीनरियों, सभी प्रकार की संचार सुविधाओं तथा कार्यालय मूलभूत ढांचा आदि पर खर्च होगा। इसलिए, ऐसा प्रस्ताव है कि सभी अनुभागों की दीवारों पर टाइलें, कम्प्यूटरों के लिए वर्क स्टेशन, फाइलों के भण्डारण आदि के लिए अलमारियां आदि लगाकर पुनरुद्धार किया जाये।

परिणाम बजट 2007-08 (गैर-योजना) के अध्याय-II में तालिकाओं का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	कॉम्प्लीमेंटरी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.		एम्पालयमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार का प्रकाशन	28.17	–	–	अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक अंक निकालना	एम्पलायमेंट न्यूज प्रकाशित करके यह एकक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। (i) केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में नौकरियां, यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के परिणामों तथा प्रवेश अधिसूचनाओं/परीक्षा	8-12 महीने	पुनरुद्धार/ अधिग्रहण का कार्य चालू काम को बिना छेड़े किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्यप्रणाली पूरी तरह से स्वचालित हो जाये।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम		परिव्यय 2007-08		मात्रात्मक लाभ/	अनुमानित परिणाम वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	यौजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
							अधिसूचनाओं की जानकारी देना। (ii) स्व-उद्यमिता तथा विभिन्न उभरते क्षेत्रों तथा परम्परागत क्षेत्रों में कैरियर पर लेखों की शृंखला निकालकर रोजगार के आयामों की जानकारी लोगों को देना। (iii) एम्पलायमेंट न्यूज की वैबसाइट के जरिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी रिक्तताओं की जानकारी उपलब्ध की जा रही है। :- वेबसाइट के जरिए आधुनिकतम मूल्य-संबंधित सेवाएं जैसे ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग तथा पाठकों को सीधे ई-मेल पर जानकारी उपलब्ध कराना आदि प्रदान की जा रही हैं।		

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	–	जैसा कॉलम 6 में है	**गैर-योजना बजट** 2.48 करोड़	* शीर्षक सत्यापन-22,000 * पंजीकरण मामले-3,000 * समाचार पत्र प्रमाणपत्र-20 से 50 * प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए प्रकाशनों को जारी किए जाने वाले अनिवार्यता प्रमाणपत्र-7 से 10 * पात्रता प्रमाण-पत्र - 700-900 * प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रार्थनाओं पर आधारित	इन गतिविधियों से पीआरबी अधिनियम 1867 में निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मीडिया परिदृश्य के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। प्रसार दावों की समीक्षा के बाद आरएनआई द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के आधार पर इन प्रकाशनों को डीएवीपी द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने में मदद मिलेगी।	ये मामले निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निपटा लिए जाएंगे।	

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कांप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	आरएनआई का आधुनिकीकरण - मुख्यालय	-	-	0.01	-	-	-		
2.	आरएनआई को मजबूत करना - गुवाहाटी, भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना	समाचार-पत्रों को तत्काल, कुशल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने तथा पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने हैं	-	0.01	-	गुवाहाटी तथा भोपाल में आरएनआई के क्षेत्रीय कायालिय स्थापित किए जायेंगे तथा चालू किए जायेंगे।	अन्तिम उपभोक्ता यानी जनता, जो आरएनआई के साथ सम्बन्धित हैं, को बहुत फायदा होगा चूंकि वे शीर्षक सत्यापन एवं शीर्षकों के पंजीकरण, प्रसार दावों आदि के सत्यापन से सम्बंधित सभी मामलों के लिए आरएनआई के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आये बिना क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।	कार्यालय 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के चालू किए जायेंगे।	

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

परिणाम बजट 2007-08 के अध्याय में तालिका प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कंप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	**गैर-योजना** अ) मास मीडिया के विविध पहलुओं से सम्बंधित प्रलेखन सेवाओं को प्रदर्शित करना	मास मीडिया में इसकी पत्रिका सेवाओं के माध्यम से इसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचना एकत्रित, व्याख्यायित और प्रचार-प्रसारित करना	ए से ई तक 1.04	-	-	इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान प्रभाग का लक्ष्य 59 प्रलेखन सेवाओं को लाने का है। (विस्तृत जानकारी अध्याय-1 में दी गई है)	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम 5 में दिए गए हैं।	समयावधि के अनुसार	कमी आदि की समस्याओं के अलावा कोई विशेष जोखिम नहीं है।
	ब) भारत में मास मीडिया का संकलन और संपादन—एक वार्षिक प्रकाशन	मास मीडिया पत्रकारिता से संबंधित मीडिया कर्ताओं, मीडिया नीति-निर्धारकों,	-	-	-	भारत में मास मीडिया-2006 एक वार्षिक प्रकाशन निकालना	जैसा कॉलम 5 में है	वार्षिक समयावधि के अनुसार	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	**4(ii)**	**4(iii)**				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कंप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
		अध्यापकों और छात्रों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है							
	स) इंडिया एक वार्षिक संदर्भ का संकलन और संपादन	देश के विविध पहलुओं इसके भौगोलिक और जन सांख्यिकीय आकारों, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है।	-	-	-	इंडिया — एक वार्षिक संदर्भ - 2007 को निकालना	- वही -	- वही -	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	**4(ii)**	**4(iii)**				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कंप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
	द) डायरी ऑफ इवेंट्स एक पाक्षिक सेवा तैयार करना	मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दैनिक महत्वपूर्ण विकासों के बराबर रखना।				इस योजना के अन्तर्गत कार्यालय ने 24 पाक्षिक 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालने का लक्ष्य रखा है।	कॉलम 5 में दिए गए सभी वास्तविक प्रतिफल	कार्यक्रम के अनुसार	- वही -
	ई) भा.सू.से. के अधिकारियों का प्रशिक्षण	भा.सू.से. के अधिकारियों की प्रवीणता को अद्यतन करना।	-	-	शून्य	आईआईएमसी, आईआईएम तथा अन्य प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 160 अधिकारियों के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।	कॉलम 5 में दिए गए सभी वास्तविक प्रतिफल	कार्यक्रम के अनुसार	प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों की उपलब्धता के लिए मीडिया इकाई को सहमत करने की आवश्यकता है। वे सामान्यतः अधिकारियों की कमी का बहाना करके अनिच्छुक रहते हैं

परिणाम बजट 2007-08 के अध्याय-II में दिए गए ब्यौरे का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कंप्लीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	गवेषणा इकाई	–	शून्य	0.01	शून्य	योजना आयोग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करना।			
2.	संदर्भ इकाई	–	शून्य	0.01	शून्य	योजना आयोग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करना।			

गीत एवं नाटक प्रभाग

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति		प्रचार कार्यक्रम	-	4.00	-	6565 कार्यक्रम		2007-08
	क. पर्वतीय/रेगिस्तानी/जनजातीय/ संवेदनशील/सीमावर्ती इलाके में प्रभाव मूल्यांकन		- वही -	2.16	-		4320	4320	2007-08
	ख. चिन्हित 78 जिलों में		- वही -	-	0.38	-	760	760	2007-08
	ग. साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार		- वही -	-	0.32	-	800	800	2007-08
	घ. राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर मंच कार्यक्रम			-	0.70	-	-	-	2007-08
	च. एस एंड डीडी का आधुनिकीकरण			-	0.04	-	-	-	-
2.	पी एस एस (एन)		विभा/निजी सूचीबद्ध कलाकारों द्वारा कार्यक्रम	255	-	-	5100 कार्यक्रम	5100 कार्यक्रम	2007-08
3.	एम एस (एन पी)		-	22	-	-	300 कार्यक्रम	300 कार्यक्रम	2007-08

उक्त तालिका का स्तंभ-2

वांछित परिणाम

1. क. 43200 श्रम दिनों के बराबर रोजगार-सृजन होगा

   ख. 21,60,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी

2. क. 7600 श्रम दिनों के बराबर रोजगार सृजन होगा

   ख. 280,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी

3. क. 6400 श्रम दिनों के बराबर रोजगार सृजन होगा

   320,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी

4. क. 8000 श्रम दिनों के बराबर रोजगार सृजन होगा

   ख. 400,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी

5. क. 13,500 श्रम दिनों के बराबर रोजगार सृजन होगा

   ख. 225,000 लोगों तक संदेश/सूचना पहुंचेगी

6. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुना सुधार होगा।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कम्पलीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	5 नये टावरों का सह-स्थापना	शेष राशि कार्यों/आइटमों की आपूर्ति के लिए अपेक्षित है		रुपये 100		परियोजना पूरी की जानी है	निजी एफ एम नीति का क्रियान्वयन	मैसर्ज ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स कंसल्टेंट्स इंडिया लि. (बेसिक) परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है। यह परियोजना जून, 2007 तक पूरी की जायेगी।	

केंद्रीय अनुश्रवण सेवा

परिणाम बजट 2007-08 (योजना/गैर-योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कम्पलीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	इलेक्ट्रोनिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर (ई एम एम सी) की स्थापना	निजी/विदेशी टी वी चैनल्स के कार्यक्रमों की मानिटरिंग ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) एक्ट 1995 में निर्धारित विज्ञापन नियमों और अन्य तथा कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।	3.00 करोड़ रुपये	2.90 करोड़ रुपये	शून्य	यह चूंकि एक मानिटरिंग कार्यक्रम है, लाभ की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। तथापि सुविधाओं का क्रियान्वयन एवं सुचारू कार्यान्वयन वास्तविक प्रतिफल होगा।	यह सुविधा सरकार को विज्ञापन एवं कार्यक्रम संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक होगी। जिनका प्रावधान केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) एक्ट, 1995 में और उसके तहत निर्धारित अन्य नियमों द्वारा किया गया है।	जितनी जल्दी ईएमएमसी परियोजना पूरी होगी सामग्री की मानिटरिंग आरंभ हो जाएगी। 2007-08 के दौरान इसके शुरू होने की संभावना है बशर्ते एंटीना आदि स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाए।	चूंकि पुष्पा भवन, ईएमएमसी के लिए स्थल की छत पर एंटिना लगाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी की मंजूरी न मिलने के कारण परियोजना रोक दी गई थी, एंटिना लगाने के लिए किसी वैकल्पिक उचित स्थल का पता लगाया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

यह योजना अभी आरम्भिक स्तर पर है जिसमें इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2007-08 के लिए बजट में 0.97 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न है।

परिणाम बजट 2007-08 के अध्याय-II में तालिकाओं का प्रपत्र

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	अन्तर्राष्ट्रीय चैनल	अल जजीरा बीबीसी, सीएनएन आदि की तर्ज पर अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना।	गैर-योजना बजट	गैर-यौजना बजट 0.97 करोड़	कांम्पली-मेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन	यह चैनल एशियाई लोगों की आकांक्षाओं तथा जीवन को उजागर करना।	खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करना तथा विदेश में भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंत्रालय की रक्षा करना।	प्रस्ताव आरम्भिक स्तर पर है	

सामुदायिक रेडियो

परिणाम बजट 2007-08 (संशोधित) में तालिकाओं का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां	सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए स्वीकृति प्रदान करना		0.01 रुपये	–	नीति के बारे में एमजीओ/सीएसओ में जागृति पैदा करना	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जागरूकता, समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक सामन्जस्य के माध्यम से सामुदायिक विकास	कार्यशालायें एवं सेमिनार प्रचार, विज्ञापन हैंडबिल आदि	–

सूचना भवन का निर्माण

परिणाम बजट 2007-08 के में तालिकाओं का प्रपत्र

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	कांपलीमेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
	सूचना भवन- चरण-4 का निर्माण (चालू योजना)	चरण-4 का लम्बित कार्य निपटाना	शून्य	करोड़	शून्य	लम्बित कार्य मंत्रालय द्वारा पूरा किया जायेगा।	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सूचना भवन चरण-4 का निर्माण (नई योजना)	पाकेट 'सी' की पांचवीं मंजिल के ऊपर तीन मंजिलों का निर्माण.	शून्य	शून्य	शून्य	सीसीडब्ल्यू से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की प्रगति के अनुसार फन्ड जारी किए जायेंगे।	पाकेट 'सी' की पाँचवीं मंजिल के ऊपर तीन मंजिलों को पूरा करना	ऐसी सम्भावना है पॉकेट 'सी' की पांचवी मंजिल से ऊपर तीन मंजिलों का निर्माण किया जायेगा।	निविदाएं आमन्त्रित करने, निविदाओं को स्वीकार करने तथा कार्य को शुरु करने जैसी आरंभिक गतिविधियों सहित समय-सीमा अनुसार कार्य की प्रगति देखना

अर्थिक विश्लेषण इकाई

(नई योजना)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2007-08			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	अभियुक्ति/ जोखिम घटक
1.	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विकास संबंधी पहल का आर्थिक विश्लेषण	-फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना; -फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के बारे में नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन		रु0 0.08 करोड़		• एमआईएस विकास • अध्ययन आयोजित करना	i) इससे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र-इसकी विकास में आने वाली रुकावटों, विकास में इसके इसके योगदान के बारे में मौजूदा ज्ञान के आधार का विस्तार होगा। ii) इससे मंत्रालय के स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत करने में सहायता मिलेगी। iii) लोक क्षेत्र के लिए सूचना संप्रेषण		

प्रसार भारती: आकाशवाणी

(गैर-योजना व्यय)

क्रम. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/निष्कर्ष	व्यय 2007-08 (करोड़ रुपये में)			वितरण योग्य परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित निष्कर्ष	प्रक्रिया/ समय-सारणी	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	राजस्व गैर-योजना		गैर-योजना	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	वेतन (आईआरएलए लिए मान्य प्रतिनियुक्ति और गैर-आईआरएलए)	यह व्यय आकाशवाणी के नियमित कर्मचारियों के गैर-योजना रॉल पर नियमित मासिक वेतन, एलटीसी भुगतान और मानदेय के लिए है।	307.21	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	वेतन प्रावधान आकाशवाणी (प्रसारभारती) के कर्मचारियों के लिए मान्य डीए, एचआरए और अन्य भत्ते सहित मासिक वेतन भुगतान के लिए है। कुल मंजूरी प्राप्त पद-25388। इस उपशीर्ष के माध्यम से मानदेय और एलटीसी दावे का भी निपटारा किया जाता है।	स्तम्भ-3	भुगतान एक नियमित के अनुसार एलटीसी और मानदेय का भुगतान विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाता है।	इसमें प्रसार भारती के मासिक प्रक्रिया है। पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और प्रसार भारती के कर्मचारियों दोनों के वेतन भुगतान शामिल हैं। नोट: प्रसार भारती के दस्तावेज के अनुसार 01-04-2005 को मंजूर पद। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए प्रसार भारती के साथ अंकेक्षण के 114 कर्मचारी भी कार्यरत हैं, जिन्हें प्रसार भारती से इस उपशीर्ष से वेतन मिलता है।
2.	चिकित्सा उपचार	सुविधाएं स्वीकार्यता और मामला-विशेष के अनुसार देय हैं।	5.00	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह प्रावधान प्रसार भारती (आकाशवाणी) के उन पात्र कर्मचारियों के गैर-योजना रॉल पर चिकित्सा उपचार पर आने वाले व्यय के लिए है, जिन्हें	स्तम्भ-3 के अनुसार	यह प्रसार भारती (आकाशवाणी) के कर्मचारियों के लिए मान्य कल्याण उपायों के अनुसार है।	

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
						उपरोक्त वेतन प्रावधान में से वेतन दिए जाते हैं। इस व्यय का उद्देश्य चिकित्सा अदायगी का भुगतान करना भी है।			
3.	ओवरटाइम भत्ता	केन्द्रों का यथोचित संचालन ओवरटाइम पर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा सुनिश्चित होता है।	3.50	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह प्रावधान उन उपलब्ध कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते के भुगतान के लिए है जिन्हें विभिन्न केन्द्रों में कर्मचारियों की कमी के कारण और कार्यक्रमों की नई शुरुआत, प्रसारण अवधि बढ़ने और शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों के ड्यूटी अवधि के तनाव के कारण अधिक काम के सृजन होने से ओवरटाइम ड्यूटी पर रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के कारण रिक्त पदों के नहीं भरने और पदों के मान्य समापन के साथ नये पदों के सृजन पर रोक के कारण कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की संख्या अनुकूल नहीं हैं।			
4.	घरेलू यात्रा व्यय	संगठन के यथोचित संचालन के क्रम में मुख्य लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता और उपयुक्त पर्यवेक्षण है।	2.90	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	व्यय का आशय ड्यूटी के दौरान यात्रा और तबादले के दौरान यात्रा है, जिसमें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, स्थानांतरण अनुदान, पैकिंग भत्ता, सड़क माइलेज आदि शामिल हैं जो प्रसार भारती (आकाशवाणी) के गैर योजना रॉल पर नियमित कर्मचारियों के लिए है।	निरीक्षण/ पर्यवेक्षण आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों को निपटाने के लिए ड्यूटी के दौरान यात्रा करने की जरूरत होती है। प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों	व्यय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों के आधार पर चलती है।	

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
						उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 में कुल मंजूर पदों की संख्या दर्शायी गई है।	की यथोचित प्रतिनियुक्ति का संबंध सार्वजनिक हित में तबादले से है।		
5.	विदेश यात्रा भत्ता	खेलों और महत्वपूर्ण गतिविधियों के कवरेज के माध्यम से शीघ्र परिणाम महसूस किए जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने हेतु विदेश यात्रा पर जाने वाले अधिकारियों को अवधारणाओं प्रदर्शनों आदि को तत्परतापूर्वक लागू करने के बारे में सीखना चाहिए और इस क्रम में देश और संगठन के लिए उपलब्ध संसाधनों और सबसे उपयुक्त अभिनव तरीके का इस्तेमाल होना चाहिए	0.30	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय विदेश यात्रा पर आने वाली लागत के लिए है, जिसमें आवागमन किराया, ठहराव, महंगाई भत्ता, आकस्मिक खर्च, स्थानीय यात्रा आदि शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राओं में विदेश में पद स्थापित आकाशवाणी के विशेष संवाददाताओं और खेलों के व्यापक कवरेज के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विदेश दौरे के कवरेज प्रसारण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए तैनात अधिकारियों की विदेश यात्रा शामिल है।	विदेश यात्रा के बल पर आकाशवाणी के अधिकारी सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के अधिदेश लक्ष्य, नीतियों और उद्देश्यों तक पहुंचते हैं।	स्तम्भ-5 के अधीन सामान्य दृष्टिकोणों से भिन्न आकाशवाणी जनता तक वह जानकारी पहुंचाती है और संगठन के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभवों को संगठन के हित में लागू करती है।	ये स्वाभाविक रूप से समय-समय पर होते हैं।
6.	कार्यालय व्यय	कार्यालय के यथोचित संचालन के लिए नियमित खर्च के रूप में यह व्यय है।	15.25	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय एआर इकाइयों, आरएनयू और डीटीएच सेवाओं सहित केन्द्रों के लिए टेलीफोन शुल्कों, प्रमुख घटनाओं के कवरेज के लिए गैर-विनिमय लाइनों की बुकिंग करने, किराये और ध्वनि गुणवत्ता सर्किटों, पेय जल शुल्क, कार्यालय के लिए स्टेशनरी की ख़रीद करने,	स्तम्भ संख्या-3 के अनुसार	यह व्यय नित्य और निरंतर है।	

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
						टाइपराईटर, फोटोकॉपीयर, फैक्स मशीनों, कम्प्यूटरों जैसे विभिन्न उपकरणों की खरीद के लिए है। गर्म करने/ठंडा करने की व्यवस्था, सीबीए सम्मेलन, 2006 पर व्यय, आकस्मिक तौर पर लोगों को काम पर लगाने हेतु भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए ग्राहक सेवा, अधिकृत कर्मचारियों के लिए जीविका भत्ता आदि भी इसमें शामिल हैं।			
7.	किराया, दर और कर	यह एक वैधानिक आवश्यकता है जिसे पूरा करना होता है।	6.90	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	आकाशवाणी कार्यालयों और स्थापनाओं के संपत्ति कर, सेवा कर, म्यूनिसिपल और अन्य करों के निपटान हेतु	स्तंभ-3 के अनुसार	नियमित और निरंतर प्रक्रिया	आकाशवाणी क्योंकि एक स्वायत्त संस्था 'प्रसार भारती' बन गई है, अत: कुछ राज्य सरकारें संपत्ति कर की दर बढ़ाने पर जोर दे रही है।
8.	सहायता अनुदान	कर्मचारी सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए यह एक उपाय है।	0.03	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय विभिन्न कर्मचारी मनोरंजन क्लबों और अन्य कल्याण संगठनों के लिए सहायता अनुदान हेतु है, जो आकाशवाणी केन्द्रों में स्थापित हैं।	यह कर्मचारियों को नैतिक बल प्रदान करता है।	नियमित और निरंतर प्रक्रिया	
9.	अन्य प्रशासनिक खर्चे	यह एक आवश्यक व्यय है और गतिविधियों, विचार गोष्ठियों और वैधानिक जरूरतों के अनुसार आवश्यक है।	0.26	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय केन्द्रों में हिन्दी सम्मेलनों और विभिन्न संसदीय समितियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे सहित अनेक सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के आयोजन के लिए है।	स्तम्भ-3 के अनुसार	यह एक निरंतर और समय-समय पर होने वाला व्यय है।	
10.	पेंशन शुल्कों और	यह एक आवश्यक व्यय	29.33	उपलब्ध	आईईबीआर	यह व्यय आकाशवाणी के	स्तम्भ-3 के	यह निरंतर व्यय है	

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	छुट्टी के दौरान वेतन योगदान	है और भारत सरकार को इसका भुगतान करना जरूरी है।	और 21.72	नहीं		उन कर्मचारियों के दोनों योगदानों की प्रतिपूर्ति की वैधानिक देयताओं के लिए है, जो फिलहाल विदेश में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।	अनुसार	और खाते में इसका वास्तविक समंजन किया जाता है।	
11.	लघु कार्य	यह मरम्मत और रखरखाव के द्वारा स्थापना और संपत्ति को काम के लिए अनुकूल स्थिति में रखने के लिए है।	7.00	उपलब्ध	आईईबीआर	यह व्यय सिविल और विद्युत कार्यों से जुड़े विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों और स्थापनाओं के कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए है। ट्रांसमीटरों की मरम्मत, कार्यालय भवन स्टूडियो, कर्मचारी आवासों, एआरएमओ सिविल और बिजली मरम्मतों, रेडियो कालोनियों में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत और आकाशवाणी परिसरों के लिए बाउंडरी वाल जैसे सिविल और बिजली स्थापनाओं के रख-रखाव पर आने वाले खर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।			
12.	औजार और संयंत्र	यह मशीनों और उपकरणों को काम के अनुकूल स्थिति में रखता है।	5.65	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय एचपी केबल लाइनों, ट्रांसफॉमर तेल, डीटीएच उपकरण, एवीपी, मोटरों, विद्युत सामानों आदि सहित सामानों और उपकरणों की खरीद और सीटीआर, कंसोलों, एससीटी, आरएन ट्रांसमीटरों, मॉनीटरिंग एम्प्लीफायरों, अग्निशमन	प्रसारण निर्बाध होता है।	नियमित और निरंतर	संयंत्र, उपकरण, औजार और मशीनों के लिए इस प्रकार का नियमित रखरखाव जरूरी होता है।

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
						उपकरण, एसी संयंत्रों आदि के नियमित रखरखाव के लिए है ताकि वे यथोचित और निर्बाध रूप से संचालित हों।			
13.	बिजली आपूर्ति शुल्क	स्टूडियो और ट्रांसमीटरों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति	103.18	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय स्थापना के संचालन के लिए बिजली आपूर्ति के भुगतान हेतु है। इसमें बिजली गुल होने की अवधि के दौरान डीजल जेनेरेटरों के इस्तेमाल हेतु एचएसडी की खरीद पर आने वाला खर्च भी शामिल है ताकि प्रसारण और अन्य गतिविधियों के लिए निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति हो सके।	ट्रांसमीटर और स्टूडियो का निर्बाध संचालन	नियमित और निरंतर प्रक्रिया	
14.	सशस्त्र गार्ड के के लिए भुगतान आकाशवाणी	आकाशवाणी की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित है।	12.25	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय राज्य पुलिस संगठनों द्वारा आकाशवाणी की विभिन्न स्थापनाओं पर उपलब्ध कराए गए सशस्त्र गार्डों के लिए वेतन और भत्ते के भुगतान हेतु है। यह व्यय आकाशवाणी की स्थापनाओं, कार्यालयों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।	स्तम्भ-3 के अनुसार	यह एक नियमित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और पूरे 24 घंटे इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है।	आतंकवाद संभावित क्षेत्रों में अत्यधिक चुनौती को ध्यान में रखते हुए स्थापनाओं के लिए और भी अधिक सुरक्षा की जरूरत है।
15.	अन्य शुल्क	यह व्यय संचालन खर्च के हिस्से के रूप में है और संगठन की गतिविधियों के लिए जरूरी भी है।	0.08	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	अनुमानित भौतिक परिणाम संचार मंत्रालय को फ्रीक्वेंसी के लिए रॉयल्टी शुल्क और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के रूप में है और पत्रिकाओं और समाचारपत्रों तथा आमंत्रित	स्तम्भ-3 के अनुसार	स्वभाविक रूप से समय-समय पर होने वाला व्यय	

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
						श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय भी इसमें शामिल है।			
16.	मोटर वाहन	यह व्यय आकाशवाणी की की स्थापनाओं के निपटारे के लिए मोटरवाहनों के संचालन के लिए है। प्रस्तावित बजट में 30 मोटरवाहनों की खरीद का प्रावधान किया गया है।	6.85	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय पीओएल पर सर्विस वाहन के संचालन और वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए है। इसका इस्तेमाल खराब गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों की खरीद के लिए भी किया जाता है। हालांकि खरीद और प्रतिस्थापन पर विभिन्न प्रतिबंधों के कारण यह व्यय मुख्य रूप से पीओएल और वाहनों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर किया जाता है।	स्तम्भ-3 के अनुसार	नियमित और निरंतर गतिविधि	
17.	छात्रवृत्ति और वजीफा	व्यय का परिमाण प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या पर तय होता है। हालांकि यह संगठन के प्रत्यक्ष फायदे की तुलना में वैधानिक बाध्यताओं की प्रतिपूर्ति अधिक है।	0.14	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय बीओएटी द्वारा नामित विभिन्न पॉलीटेक्नीकों और डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजों के इंजीनियरिंग प्रशिक्षुओं पर किया जाता है जो एप्रेंटिसेज अधिनियम के अधीन वैधानिक बाध्यता के अनुसार है।	प्रशिक्षुओं की सेवाओं से संगठन को लाभ मिलता है और प्रशिक्षुओं को इसके बदले में वजीफे के अलावा अनुभव प्राप्त होता है।	नियमित प्रक्रिया	
18.	आपूर्ति और सामग्री	उपकरण की खरीद की संख्या से परिणाम का पता चलता है।	9.72	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	यह व्यय ट्रांसमीटरों आदि के रखरखाव और संचालन के लिए उपकरण और पुर्जों, ट्रांसफॉर्मरों की खरीद आदि के लिए किया जाता है। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्र इसके सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं	ट्रांसमीटरों का निर्बाध संचालन आदि।	नियमित	

1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
						और उनसे प्राप्त प्रतिस्थापन और रखरखाव के अनुरोध के आधार पर सेंट्रल स्टोर इसे पूरा करता है। सेंट्रल स्टोर इस कोष का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।			

प्रसार भारती: आकाशवाणी

(महिलाओं के लिए बजट)

क्रं. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/निष्कर्ष	व्यय 2007-08 (करोड़ रुपये में)परिमाण भौतिक (प्रस्तावित)			वितरण योग्य निष्कर्ष परिणाम	प्रस्तावित समय-सारणी	प्रक्रिया/ जोखिम के कारक	टिप्पणी/
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	राजस्व गैर-योजना		गैर-योजना	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	राजस्व गैर-योजना	बहुत-से कार्यक्रमों के लिए लक्षित श्रोता समूह के रूप में महिलाएं हैं।	537.85	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	उपलब्ध नहीं	आकाशवाणी द्वारा तैयार और प्रसारित कई कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए होते हैं। आकाशवाणी केन्द्र ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए उनके सुविधाजनक समय में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।	यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।	

प्रसार भारती: आकाशवाणी

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बजट)

क्रं. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/निष्कर्ष	व्यय 2007-08 (करोड़ रुपये में)योग्य परिमाण (प्रस्तावित)			वितरण निष्कर्ष भौतिक परिणाम	प्रस्तावित समय-सारणी	प्रक्रिया/ जोखिम के कारक	टिप्पणी/
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	राजस्व गैर-योजना		गैर-योजना	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	राजस्व गैर-योजना	लागू नहीं	537.85	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	लागू नहीं	उपलब्ध नहीं	—	सामान्य रूप से आकाशवाणी द्वारा तैयार और प्रसारित कार्यक्रम समाज के सभी हिस्सों के लिए होते हैं।

प्रसार भारती: आकाशवाणी

(पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट)

क्रं. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/निष्कर्ष	व्यय 2007-08 (करोड़ रुपये में) (प्रस्तावित)		योग्य परिमाण	वितरण निष्कर्ष भौतिक परिणाम	प्रस्तावित समय-सारणी	प्रक्रिया/ जोखिम के कारक	टिप्पणी/
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	राजस्व गैर-योजना		गैर-योजना	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	राजस्व गैर योजना	आकाशवाणी (स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) सूचनाएं प्रदान करने के अलावा देश के उस भाग के लक्षित श्रोता समूह को शिक्षित करती है और उसका मनोरंजन भी करती है।	537.85	उपलब्ध नहीं	आईईबीआर	देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित रेडियो केन्द्र उस क्षेत्र के लोगों के स्थानीय मुद्दों, रामस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं और उन क्षेत्रों को सांस्कृतिक विरासतों, भाषाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं का पोषण भी करते हैं।	प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी उन क्षेत्रों को विशेष फोकस करते हुए अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों को पूरा करती है और राष्ट्रीय एकता बनाये में सहायता देती है तथा अपने सार्वजनिक प्रसारणकर्ता होने के दायित्व का निर्वहन करती है।	यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है	स्तम्भ 4 में दर्शित वित्तीय व्यय में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित गैर-योजना केन्द्रों तथा सिक्किम के गंगटोक केन्द्र और पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग केन्द्र के प्रावधान भी शामिल हैं।

प्रसार भारती-आकाशवाणी

आकाशवाणी-वार्षिक योजना (2007-08)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/निष्कर्ष	व्यय 2007-08 (करोड़ रुपये में)	वितरण योग्य परिमाण	प्रक्रिया/समय-सारणी (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
ए	**जारी योजना**	पूंजी राजस्व	78.95 63.30 15.65			
1.	जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज	जम्मू-कश्मीर राज्य में रेडियो कवरेज के विस्तार हेतु पूंजी राजस्व	4.00 0.85 3.15	कारगिल में होस्टल का काम पूरा करना और अन्य छोटे-छोटे लंबित कार्यों के साथ ही और राजस्व प्रावधान तैयार करना जिनकी परियोजनाएं तैयार हैं।		जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज में सुधार लाना
2.	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज मजबूत करना। पूंजी राजस्व	25.00 22.50 2.50	1. **19 नये एफएम स्टेशन**-स्थान का अधिग्रहण और एफएम टीआरएस की खरीद 2. चिनसुरा-1000 किलोवाट मी.वे. टावर सिविल कार्यों का आबंटन कर उसे पूरा करना और टीआरएस तथा मास्ट की मरम्मत हेतु आदेश देना। 3. **डीएसएनजी/एमएसएस टर्मिनल**-उपकरण की खरीद 4. 100 वाट एफएम रिले केंद्र (100 सुदूर स्थानों में) राज्य सरकार के सहयोग से स्थान का चयन किया जाएगा और टीआरएस की खरीद की जाएगी।	1. **19 नये एफएम स्टेशन**-6 स्थानों के बारे में निर्णय लेकर भुगतान की व्यवस्था की गई। 4 स्थानों का चयन किया गया है और लागत की डिमांड की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य स्टेशनों के लिए स्थानों का चयन किया जा रहा है। तीसरी तिमाही में सौंपे गए स्थानों के लिए आवंटन होने की आशा है और एफएम टीआरएस के लिए आदेश मिलने की भी आशा है। 2. **चिनसुरा**- दूसरी तिमाही सिविल कार्य सौंपना; तीसरी तिमाही-ट्रांसमीटर के लिए आर्डर 3. **डीएसएनजी/एनएसएस टर्मिनल**-तीसरी तिमाही-उपकरण के लिए आर्डर चौथी तिमाही-उपकरण की प्राप्ति और स्थापना	सरकार ने मई 06 के अंतिम सप्ताह में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष पैकेज के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज में सुधार होगा तथा आकाशवाणी की सुविधाएं सुदृढ़ होंगी।

1	2	3	4	5	6	7
					4. **100 वाट एफएम रिले केंद्र**-ट्रांसमीटर के लिए स्थलों की पहचान की जा रही है। तीसरी तिमाही-ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दिए जाने की संभावना है।	
3.	मी.वे. सेवाओं का विस्तार	ट्रांसमीटरों का उन्नयन, ताकि प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत बनाया जा सके।	1.87	**नजीबाबाद-200 किवा. मी.वे.ट्रा.** - भवन का कार्य पूरा हो चुका है। ट्रांसमीटर स्थापित किया जा चुका है तथा परीक्षण का कार्य चल रहा है। **कोटा-20 कि.वा. मी.वे.ट्रा.** लंबित सिविल कार्य तथा उपकरण के शेष भुगतान के लिए प्रावधान। **धर्मनगर**-भवन तकनीकी क्षेत्र तैयार किया जा चुका है। ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। **डुंगरपूर**-भवन के तकनीकी क्षेत्र का कार्य समापन के करीब है। **दिल्ली तथा रायपुर-100 किवा मीवे ट्रांसमीटर**-बकाया के भुगतान का प्रवधान। **राजकोट-1000 किवा मीवे ट्रांसमीटर** सिविल कार्य तथा ट्रांसमीटर और मास्ट की खरीद के आदेश का कार्य प्रगति पर।	**नजीबाबाद-200 किवा. मी.वे. ट्रा.**-पहली तिमाही- ट्रांसमीटर चालू करना **धर्मनगर**-पहली तिमाही-स्थापना का कार्य सम्पन्न। दूसरी तिमाही-परीक्षण तथा मापण **कोटा**- चालू **डुंगरपूर**- भवन का कार्य सम्पन्न तथा स्थापन का कार्य शुरू। दूसरी तिमाही-स्थापना का कार्य सम्पन्न। **राजकोट-1000 किवा मीवे. ट्रांसमीटर**-दूसरी तिमाही-सिविल कार्य संपन्न। तीसरी तिमाही-ट्रांसमीटर की खरीद के लिए आर्डर। चौथी तिमाही-ट्रांसमीटर मास्ट के लिए आर्डर।	उत्तराखंड के पड़ोसा जिलों में कवरेज बढ़ेगा। धर्मनगर स्टेशन से त्रिपुरा में कवरेज में सुधार होगा। कोटा में 20 किवा मीवे ट्रांसमीटर तथा डुंगरपूर में नये स्टेशन से क्षेत्र में कवरेज मजबूत होगा और लोगों की अपेक्षाएं पूरी होगी। पुराने ट्रांसमीटर अत्याधुनिक डिजिटल ट्रांसमीटर से बदले जा रहे हैं। ये ट्रांसमीटर ज्यादा सक्षम हैं और इनमें बिजली की कम खपत होती है।
4.	एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार किया जाएगा जो अपनी बेहतर गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हो गए हैं।	9.00	निम्नलिखित परियोजनाओं के संस्थापन का कार्य पूरा करना: 5 किवा. एफएम ट्रांसमीटर-एक 10 किवा. एफएम ट्रांसमीटर-28	5 किवा एफएम ट्रांसमीटर-पहली तिमाही-सिविल कार्य पूरा किया गया। तीसरी तिमाही-संस्थापन का कार्य पूरा किया गया। 10 किवा एफएम ट्रांसमीटर:तीसरी तिमाही -8 ट्रांसमीटर का संस्थापन कार्य पूरा किया	चालू योजनाओं के पूरा होने के बाद एफएम कवरेज मौजूदा लगभग 35.00 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचने की आशा है।

1	2	3	4	5	6	7
				20 किवा. एफएम ट्रांसमीटर-6	गया। चौथी तिमाही-20 ट्रांसमीटर का संस्थापन का पूरा किया गया। 20 किवा. एफएम ट्रांसमीटर: पहली तिमाही- 3 ट्रांसमीटर का संस्थापन कार्य पूरा किया गया। दूसरी तिमाही-एक ट्रांसमीटर का संस्थापन कार्य पूरा किया गया। तीसरी तिमाही-दो ट्रांसमीटर का संस्थापन कार्य पूरा किया गया।	
5.	प्रोडक्शन सुविधाओं का डिजिटलीकरण	विषय-वस्तु की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	15.00	1. **लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो**-(सीमित कार्य अवधि) तकनीकी क्षेत्र में सिविल कार्य पूरा किया गया। 2. **जयपुर और मैसूर में स्थायी स्टूडियो**-भवन निर्माण और उपकरण संस्थापन का कार्य पूरा किया गया। 3. **वाराणसी, रोहतक, लेह, औरंगाबाद और सिलचर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन**	1. **लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो**-(सीमित कार्य अवधि) दूसरी तिमाही-संस्थापन का कार्य शुरू किया गया। तीसरी तिमाही-संस्थापन का कार्य पूरा किया गया। 2. **जयपुर और मैसूर में स्थायी स्टूडियो** दूसरी तिमाही-सिविल कार्य पूरा करके संस्थापन कार्य शुरू किया गया। चौथी तिमाही-संस्थापन का कार्य पूरा किया गया। 3. **वाराणसी, रोहतक, लेह, औरंगाबाद और सिलचर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन** दूसरी तिमाही-सिलचर को छोड़कर उपकरण का आर्डर दिया गया आदि। तीसरी तिमाही-सिलचर के लिए उपकरणों के आदेश दिए जा रहे हैं चौथी तिमाही-उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना 4. **कम्प्यूटर हार्ड डिस्क आधारित 564 प्रणालियों और एमएसएस टर्मिनलों आदि की खरीद** चौथी तिमाही-उपकरणों की प्राप्ति और	डिजिटल कंसोल जैसे डिजिटल उपकरण शामिल किया गया। डिजिटल अपलिंक/डाउनलिंक के बल पर कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ी है। कम्प्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों से निर्मित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ है। पोर्टेबल एमएसएस टर्मिनल मोबाइल उपग्रह अपलिंक स्टेशन हैं और इन्हें महत्वपूर्ण आयोजनों/मौके से समाचारों के सीधे कवरेज के लिए तुरंत तैनात किया जा सकता है।

1	2	3	4	5	6	7
					स्थापना	
6.	नई प्रौद्योगिकियां (इंटरनेट रेडियो प्रसारण तथा डिजिटल प्रसारण आदि)	इंटरनेट, डिजिटल प्रसारण आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत	0.00	1. आकाशवाणी मुख्यालय में ऑन-लाइन डाटा एक्सचेंज का सुदृढ़ीकरण 2. आकाशवाणी को संदेश भेजने। ई-मेल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना	तीसरी तिमाही-परियोजना का समापन चौथी तिमाही-परियोजना का समापन	बुनियादी ढांचे में सुधार
7.	कर्मचारियों के आवास (महानगरों में आवास)	प्रसार भारती के स्टाफ के लिए मेट्रो केन्द्रों में आवासों का निर्माण	10.00	**दिल्ली**-निर्माण प्रगति पर **कोलकाता**-स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्ताव को अभी मंजूरी दी जानी है। **चेन्नई**-वही **मुंबई**-वही		कल्याणकारी कार्यकलाप
8.	राजस्व	सॉफ्टवेयर	10.00			
बी	ग्यारहवीं योजना स्कीम	सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया। पूंजी राजस्व	4.08			
1.	ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कनेक्टिविटी तथा डीटीएच चैनलों का डिजिटलीकरण		4.00	डिजिटल मोड में राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए शा.वे. डीआरएम ट्रांसमीटर एफएम विस्तार, स्टूडियो डिजीटलीकरण तथा कनेक्टिविटी	मंजूरी अभी मिलनी है। ग्यारहवीं योजना के मंजूर होने पर अतिरिक्त धनराशि मांगी जाएगी	मंजूरी अभी मिलनी है
2.	डिजिटल के जरिए बाह्य सेवाओं को मजबूत बनाना		0.01	पुराने ट्रांसमीटर को बदलना और तिब्बत-सीमा सेवा को मजबूत बनाने के लिए नए ट्रांसमीटर का प्रावधान	वही	वही
3.	राष्ट्रमंडल खेल, ई-प्रशासन, प्रशिक्षण सुरक्षा कार्यालय के अतिरिक्त		0.06	बुनियादी ढांचे में सुधार	वही	वही

1	2	3	4	5	6	7
	परिसर, स्टाफ क्वार्टर आदि					
4.	नई प्रौद्योगिकी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी		0.01	मल्टी मीडिया सेवा, वेब कास्टिंग/पौडकास्टिंग	वही	वही
5.	स्थापना तथा एमएंडई और प्रभारित व्यय					
सी	आकाशवाणी कुल		78.95			
		पूंजी	63.30			
		राजस्व	15.65			

कुल परिव्यय 2007-08 (डीबीएस) का क्रमवार वित्तीय ब्यौरा:

पहली तिमाही-10 प्रतिशत 7.90
दूसरी तिमाही-20 प्रतिशत 15.79
तीसरी तिमाही-30 प्रतिशत 23.68
चौथी तिमाही- 40 प्रतिशत 31.58
कुल—78.95

दूरदर्शन
योजना (पूंजी)

(रूपये करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत (2007-08)	परिमाणेय निर्वातिय भौतिक उत्पाद	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ अवधि	टिप्पणी/ जोखिम कारक
ए.	जारी स्कीमें						
1.	जम्मू कश्मीर विशेष योजना	जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज में सुधार। जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण लागू किया गया, केवल अमृतसर में टावर स्थापित करने की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। इससे जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज और प्रसारण की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर विशेष योजना का अगला चरण सरकार के सम्मुख विचाराधीन है।	20.00	अमृतसर में टावर लगाने का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। अगले चरण में जम्मू कश्मीर अर्थ स्टेशन, एचपीटी एवं एलपीटी में यूपीएस के उन्नयन का प्रस्ताव है। डीटीएच के प्रदर्शन के वास्ते टीवी सेट सहित 10 हजार डीटीएच रिसीव यूनिट देने का लक्ष्य है।	300 मीटर ऊंचे टावर का निर्माण कार्य पूरा करना तथा इस टावर पर एंटीना के साथ एचपीटी (डीडी-1, डीडी न्यूज) लगाना ताकि एचपीटी से मौजूदा कवरेज 65 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड हो जाए। 10 हजार सेट टॉप बॉक्स की खरीद।	अमृतसर में तीसरी तिमाही में टावर का निर्माण पूरा करना। चौथी तिमाही में एचपीटी पूरा करना। सेट टॉप बॉक्स की आपूर्ति।	
2	निर्माण सुविधा का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण	कार्यक्रमों के तकनीकी गुणवत्ता में सुधार। सभी प्रमुख दूरदर्शन स्टूडियों केंद्रों को पूर्णत: डिजीटल स्वरूप किया जा रहा है। छोटे स्टूडियों केंद्रों को 10वीं योजना के अनुसार 50 प्रतिशत तक डिजीटल रूप प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम निर्माण में शत प्रतिशत डिटलीकरण के लिए 11वीं योजना के दौरान सभी छोटे स्टूडियों केंद्रों को डिजीटलीकृत करने की योजना है ताकि पूरी अधिग्रहण, निर्माण उत्तर निर्माण तथा प्रसारण पूर्णत	61.43	स्टूडियों केंद्रों का आधुनिकीकरण, केंद्रीकृत रिकार्डिंग, सभी प्रमुख दूरदर्शन केंद्रों में उत्तर निर्माण के लिए एसएएन (स्टोरेज एशिया नेटवर्क) के जरिए एडिटिंग एवं प्लेबैक। ओबी सुविधा को उन्नत बनाना तथा न्यूज प्रसारण को द्रुत बनाना। सभी स्टूडियों केंद्र डिजीटल परिसीमा में होंगे। अकाईव सुविधा का डिजीटलीकरण	10 छोटे स्टूडियों केंद्रों का पूर्ण डिजीटलीकरण और उससे कार्यक्रम निर्माण में सुधार	एनआईटी-दूसरी तिमाही में जारी करना। उपकरण-दूसरी तिमाही में खरीद का आदेश उपकरण-चौथी तिमाही में आपूर्ति। उपकरण-चौथी तिमाही में प्राप्ति	

		डिजीटलकृत हो जाए। इससे दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता बढ़ेगी।					
3	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज	पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज। पूर्वोत्तर एवं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में दूरदर्शन सेवा के सुधार एवं विस्तार के लिए 256.85 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को सरकार से मंजूरी मिली (हार्डवेयर 134.3 करोड़, सॉफ्टवेयर 122.55 करोड़) यह पैकेज ग्यारहवीं अवधि योजना के मध्य तक पूरा किया जाना है।	25.00	प्रमुख स्कीमें इस प्रकार है: 2 पूर्वोत्तर चैनल, टीवी सेट के साथ 25,000 डीटीएच रिसीव यूनिट, एचपीटी कोकराझाड़ मेंटेनेंस केंद्र-2 (पासीघाट, अगरतला) डीएसएनजी यूनिट-4 पोर्ट ब्लेयर में ओ बी और उत्तर-निर्माण कार्यों में सुधार। अंडमान निकोबार के वास्ते, सी बैंड अपलिंक दस चैनल, अंडमान निकोबार के लिए 1,000 सी बैंड डीटीएच रिसीव युनिट टीवी सैट के साथ, पोर्ट ब्लेयर के लिए डीएसएनजी यूनिट, एचपीटी, (डीडी-1 और डीडी न्यूज) पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार में डीडी न्यूज एलपीटी, नयी वीएलपीटी-22 नंबर, वीएलपीटी-15 नंबर में सुधार।	पूर्वोत्तर में टीवी के साथ 25,000 सेट टॉप बॉक्स की आपूर्ति, एलपीटी-1, वीएलपीटी-2 वीएलपीटी (उन्नत)-15, अंडमान निकोबार के लिए अर्थ स्टेशन (10+1 एमसीपीटी) पोर्ट ब्लेयर स्टूडियो में सुधार डीएसएनजी युनिट-5 की आपूर्ति। पूर्वोत्तर चैनलों के लिए अर्थ स्टेशन, इनसे अब तक छूटे हुए क्षेत्रों में टीवी कवरेज आसान हो जाएगी। फ्री टू एयर डीटीएच सेटअप (सी बैंड) अंडमान निकोबार द्वीपों में उपलब्ध होगा	सेट टॉप बॉक्स-पहली तिमाही में आपूर्ति, वीएलपीटी-दूसरी तिमाही में आपूर्ति, स्टूडियो पोर्ट ब्लेयर: दूसरी तिमाही में सुधार, अर्थस्टेशन-दूसरी तिमाही में आपूर्ति, डीएसएनजी-5 दूसरी तिमाही में आपूर्ति वीएलपीटी-4 अंडमान निकोबार-चौथी तिमाही में डीटीएच के वास्ते 10+1 एमसीपीसी की स्थापना	
4	डीटीएच	इस स्कीम का उद्देश्य स्थलीय प्रसारण से अछूते रहे टीवी क्षेत्रों में प्रदान करना है। डीटीएच की वर्तमान क्षमता 50 टीवी चैनल है। चरणबद्ध तरीके से और टीवी चैनल इससे जुड़ जाएंगे। मूल्यवर्धित सेवा के साथ ग्यारहवीं योजना में टीवी चैनलों की संख्या 200 चैनलों तक बढ़ाने की योजना है।	10.00	दसवीं योजना के दौरान चैनलों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 की योजना है। इंटर एक्टिविटी जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं के जरिए रिटर्न चैनल प्राप्त होंगे, डीटीएच सेवा में मांग के आधार पर वीडीयो और विज्ञापनों की स्वत: आपूर्ति भी लागू की जायेगी।	टोडापुर में नई डीटीएच बिल्डिंग का निर्माण पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए सेट टॉप बॉक्स 2000 नंबर की आपूर्ति की जायेगी।	डीटीएच अपलिंक-चौथी तिमाही में नए भवन का निर्माण। सेट टॉप बाक्स-पहली तिमाही में आपूर्ति।	

5	एचडीटीवी	एचडीटीवी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो उत्तम तस्वीर एवं चौड़े स्क्रीन इमेज के रूप में कई लाभ प्रदान करती है। चौड़े स्क्रीन इमेज में देखना काफी आसान हो जाता है जो इस प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाता है और 35 एमएम फिल्म्स के जैसे तस्वीर उपलब्ध कराता है। एचडीटीवी से अच्छी डिजीटल सराउंड ध्वनि भी मिलती है। एचडीटीवी निर्माण एवं प्रसारण जापान, अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया एवं खाडी देश समेत कई अन्य देशों में प्रारंभ हो चुका है। एचडीटीवी की स्थापना 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर है।	39.20	ऐसा प्रस्ताव है कि दिल्ली में ही मार्च 2010 खेलों को प्रारंभ होने से पहले ही 11वीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में सभी सुविधाओं से युक्त टीवी स्टूडियो केंद्र, जरूरी ओबी वैनस उनसे संबंधित अंग्रेजी इकाईयां उत्तर निर्माण सुविधाएं और अप-लिंकिंग सुविधाएं स्थापित की जाएं। दूरदर्शन की योजना है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी निर्माण एवं भूस्थलीय प्रसारण को लागू किया जाए। कोलकाता और चेन्नई के अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2010 के कवरेज के लिए सुविधाएं दूरदर्शन के D 'H प्लेटफार्म पर दो HDTV चैनल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। चार मेट्रो केन्द्रों से भी HDTV अपलिंकिंग भी दिए जाने का प्रस्ताव है।	एचडीटीवी के तहत (इसे दसवीं योजना के दौरान मंजूरी दी गई) बाहरी कवरेज के लिए इस सुविधा की उपलब्धता, दिल्ली में एचडीटीवी में कार्यक्रम निर्माण के लिए स्टूडियो उपलब्ध हो जाएंगे (2009-2010)	NIT-पहली तिमाही में जारी करना, उपकरण-दूसरी तिमाही में खरीद के आदेश उपकरण-चौथी तिमाही में आपूर्ति।	
6	कर्मचारियों का समायोजन/ आधारभूत ढांचे और सुरक्षा को उन्नत करना।	कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा का प्रावधान विभिन्न केंद्रों में बुनियादी ढांचे का उन्नतिकरण एवं सुरक्षा को मजबूत किया जाना।	6.00	चार महानगर केंद्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आवासीय परिसर का निर्माण गैर महानगरीय शहरों (ग्यारह स्थान) में भी आवासीय परिसर का निर्माण। विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के उन्नत करने का स्कीम	महानगरों (चार महानगर) गैर महानगर (ग्यारह स्थान) में आवासीय परिसर का निर्माण एवं बुनियादी तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रगति पर है।	इस वर्ष के दौरान सभी स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं।	
7	ट्रांसमीटर का डिजीटलीकरण	नई प्रौद्योगिकी के लागू किए जाने के कारण दुनिया भर में एनालॉग ट्रांसमीटर खत्म किए जा रहे है। सभी प्रमुख संगठन भू-स्थलीय डिजीअल प्रसारण प्रौद्योगिकी अपना रहे है। दूरदर्शन को भी चरणबद्ध तरीके से डिजीटल भू-स्थलीय प्रसारण शुरू करना है।	40.00	152 डिजीटल एचपीटी और 250 डिजीटल एलपीटी ग्यारहवी योजना के दौरान लगाए जाने का प्रस्ताव है। सन् 2010 तक सभी प्रमुख शहरों को डीटीटी उपलब्ध करा दिए जाने की आशा है।	25 नए डीटीटी एचपीटी के स्थापना का कार्य शुरू किए जाएंगे जिसके लिए स्कीम की मंजूरी विशेषीकरण की तैयारी और खरीद पर काम करना होगा। इसके अलावा डिजीटल मापने वाले उपकरण (डीएमसीयूपीएस और एफपीटी के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।	स्कीम-पहली तिमाही में मंजूरी, विशेषीकरण की तैयारी-दूसरी तिमाही में, उपकरण-तीसरी तिमाही में खरीद के आदेश, उपकरण-चौथी तिमाही में आपूर्ति।	

8	राष्ट्रमंडल खेलों के कवरेज	राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल देशों के खिलाडियों के लिए हर चार वर्ष में होने वाला बहुत बड़ा खेल समारोह है। कुछ खेलों को एचडीटीवी फॉरमेट के तहत कवर किया जाता है। मेलबॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) में राष्ट्रमंडल 2006 और दोहा (कतर) एशियाई खेल 2006 में कुछ खेलों का एचडीटीवी कवरेज किया गया। बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेल 2008 में एचडीटीवी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेल के लिए एचडीटीवी फॉरमेट में कवरेज किए जाने की बड़ी मांग की उम्मीद है। अतः दूरदर्शन एचडीटीवी फारमेट में कई खेलों का कवरेज करने का विचार कर रहा है।	0.01	इस स्कीम के तहत एचडीटीवी ईएनजी कवरेज IBC सेटअप पोस्ट प्रोडक्शन आदि के साथ लगाने का प्रस्ताव है।	इस स्कीम को मंजूरी मिलने के के बाद NIT जारी किया जाना और विशेषीकरण की तैयारी।	कार्यक्रम की मंजूरी-तीसरी तिमाही में	टोकन प्रावधान रखे गए है ग्यारहवीं योजना की मंजूरी के बाद स्कीम पर काम शुरू किया जाएगा।
	दूरदर्शन (पूंजी)	**डीबीएस**	**201.64**				

राजस्व-योजना-दूरदर्शन

वार्षिक योजना 2007-08 डीएसबी

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत (2007-08)	परिमाणय निर्वातिय भौतिक उत्पाद	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया समयनिष्ठा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	जम्मू कश्मीर के लिए सॉफ्टवेयर	I) सीमापार दुष्प्रचार के विरूद्ध कार्यक्रम का निर्माण II) घाटी में लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना	30.00	1. कार्यक्रम का निमार्ण/अधिग्रहण 2. फिल्में 201 दिखाना	1. प्रतिवर्ष करीब 3650 घंटे का कार्यक्रम 2. प्रतिवर्ष 260 फिल्म दिखाना	जारी प्रक्रिया	सरकार को अभी जम्मू कश्मीर पैकेज को मंजूरी देना है (चरण-II)
2	पूर्वोत्तर के लिए सॉफ्टवेयर	I) पूर्वोत्तर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के कार्यक्रमों का निर्माण II) पूर्वोत्तर की आबादी को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना	15.00	पूर्वोत्तर के सभी केन्द्रों से विशेष समाचार कार्यक्रमों का निर्माण	2400 एपीसोड का निर्माण/ अधिग्रहण पूर्वोत्तर के सभी केंद्रों से विशेष समाचार	जारी प्रक्रिया	कमिशनिंग के तहत प्रस्तावों की मंजूरी की प्रक्रिया लंबी है।
3	पूर्वात्तर सेटेलाइट (सेवा)	I) पूर्वोत्तर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के कार्यक्रमों का निर्माण II) पूर्वोत्तर की आबादी को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना	0.00	न्यूज चैनलों पर 24 घंटे प्रसारण वाले कार्यक्रमों का निर्माण/अधिग्रहण	पूर्वात्तर के नये चैनलों पर 24 घंटे प्रसारण	नई स्कीम	
4	भारतीय क्लासिक्स का निर्माण	भारतीय साहित्यिक कृतियों पर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण	5.00	भारतीय क्लासिक्स पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण	प्रतिवर्ष भारतीय क्लासिक्स पर आधारित कार्यक्रम के 750 एपिसोड	मार्च 08	

5	समाचार एवं समसामयिक (डीडी-न्यूज)	दर्शकों का वस्तुनिष्ठ एवं सटीक जानकारी देना	35.00	1. समाचार बुलेटिन का निर्माण 2. समसामयिक कार्यक्रमों का निर्माण 3. चर्चा कार्यक्रम का निर्माण	1. समाचार बुलेटिन का निर्माण 2. समसामयिक कार्यक्रमों का निर्माण 3. चर्चा कार्यक्रमों का निर्माण	मार्च 08	
6	उर्दू चैनल (डीडी उर्दू)	प्रसार भारती कानून के अनुच्छेद 12के तहत सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना	5.00	डीडी उर्दू के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण और फिल्मों का अधिग्रहण	प्रतिवर्ष 2920 घंटे सॉफ्टवेयर से निर्माण तथा 365 फिल्मों का प्रसारण	मार्च 08	
7	अन्य कार्यक्रम (शेष डीवीएस)	प्रसार भारती कानून के अनुच्छेद 12 के तहत सूचना देना, शिक्षण करना एवं मनोरंजन करना	15.00	डीडी अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य चैनलों के लिए गुणवत्ता पूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण	गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण/अधिग्रहण	मार्च 08	
	राजस्व (गैर योजना)						
8	स्थापना लागत	संगठन और इसके कर्मियों की आवश्यकताओं का ख्याल रखना।	422.90	प्रयुक्त नहीं	प्रयुक्त नहीं	मार्च 08	

मंजूर 07-08 (बीडीएस) करोड़ रुपये में

मंजूर वार्षिक योजना डीबीएस 2007-08

II	दूरदर्शन		
1	**जम्मू कश्मीर विशेष योजना**	**50.00**	
	पूंजी	20.00	
	राजस्व	30.00	
2	निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो/ओबी) का डिजीटलीकरण और आधुनिकीकरण	61.43	
3	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज	40.00	
	पूंजी	25.00	
	राजस्व	15.00	
4	डीटीएच	10.00	
5	एचडीटीवी	39.20	
6	कर्मचारियों हेतु आवास, आधारभूत ढांचे एवं सुरक्षा का अपग्रेडेशन	6.00	
7	सॉफ्टवेयर अधिग्रहण/निर्माण (सामान्य)	60.00	
8	ट्रांसमीटरों का डिजीटलीकरण	40.00	(नई स्कीम)
9	राष्ट्रमंडल खेलों का कवरेज	0.01	(नई स्कीम)
	योग दूरदर्शन	**306.64**	
	दूरदर्शन (पूंजी)	201.64	
	दूरदर्शन (राजस्व)	105.00	

ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) एक वाणिज्यिक संगठन है और इसे भारत सरकार से कोई भी बजटीय सहायता/अनुदान नहीं मिलता है। बी.ई.सी.आई.एल. द्वारा किया गया कार्य वाणिज्यिक प्रकृति का होता है तथा व्यय अर्जित आय के आधार पर किया जाता है। व्यय का निर्णय वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। कार्यों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था अतिरिक्त स्रोतों से तथा पूंजीगत आवश्यकताओं की व्यवस्था बैंक से उधार लेकर पूरी की जाती है।

बी.ई.सी.आई.एल., सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पांच राज्यों में एफएम टॉवर स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त बीई.सी.आई.एल. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र भी स्थापित कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस परियोजना के लिए रकम उपलब्ध करा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2007-08			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	5 नये टावरों की सह-स्थिति	घरेलू राशि की कार्य/सामग्री की आपूर्ति के लिए आवश्यकता है	–	1.00	–	परियोजना पूरी हो जाएगी		जून, 2007 तक पूरी हो जाएगी।	
2.	निजी एफ.एम. ब्रॉडकास्टिंग देहरादून के लिए टावर की सह-स्थिति	निजी एफ.एम. के लिए 75 मीटर के टावर का निर्माण एवं आपूर्ति	–	2.28	–	75 मीटर ऊंचाई के नये टावर का निर्माण (स्थान की तैयारी के साथ)	निजी एफ.एम. नीति का तेजी से कार्यान्वयन	31 मार्च, 2008	
2.	इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र की स्थापना	इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित सामग्री की मानीटरिंग	–	2.90	–	केन्द्र की स्थापना के लिए उपकरण प्राप्त कर लिए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध राशि से उपकरण प्राप्त किये जाएंगे।	भारत में सेटेलाइट टी.वी. चैनलों द्वारा सरकारी निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना के मामलों की निगरानी और ऐसा होने पर उनके प्रसारण रोकना।	चूंकि बी.ई.सी.आई.एल द्वारा मांगी गई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है इसलिए यह परियोजना वित्त वर्ष 2008-09 में पूरी होने की संभावना है।	

अध्याय-3

मंत्रालय की नीतिगत पहल और सुधार के उपाय

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सरकार के निर्देशों के अनुरूप, सभी विवरण इंटरनेट पर डाल दिए गए हैं। ई-खरीद के अंतर्गत 50000 रुपए से ज्यादा की किसी भी खरीद को नेट पर डालने का निर्णय लिया गया है।

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

14 नवंबर 2006 को समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह के उद्घाटन के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की थी कि वर्ष 2007-08 से बच्चों की फिल्मों का प्रदर्शन मुफ्त कर दिया जाएगा। इसी के अनुरूप, निर्णय लिया गया है कि 2007-08 से बच्चों की फिल्म प्रदर्शनों में कोई टिकट नहीं लिया जाएगा।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की केन्द्रीकृत विज्ञापन एजेंसी है जो देश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता/आतंकवाद निवारण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं का समाचारपत्रों, टीवी चैनलों, रेडियो, बाह्य प्रचार माध्यमों, मुद्रित प्रचार सामग्री आदि के जरिए व्यापक जन समुदाय में प्रचार करती है। सरकार ने मुद्रित माध्यम के लिए नई विज्ञापन नीति जारी की है, जो 1 जून 2006 से लागू है। सरकार ने प्रचार और विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जरिए विज्ञापन/प्रचार के बारे में श्रव्य-दृश्य नीति भी तैयार की है। इन नीतियों से इस क्षेत्र में और भी पारदर्शिता आई है। डीएवीपी लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है। यह विभिन्न माध्यमों के जरिए सरकारी-निजी भागीदारी के तहत विकास गतिविधियों में भागीदार बनने के लिए लोगों को प्रेरित करती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

निदेशालय अपने कार्मिकों की संख्या को उचित स्तर पर लाकर स्वयं को नया स्वरूप दे रहा है ताकि इसकी कार्यक्षमता में सुधार हो। इस समय मुख्य जोर ऐसे जनजातीय सीमावर्ती, दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर किया जा रहा है जहां इलेक्ट्रानिक मीडिया की पूरी तरह पहुंच नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत

निदेशालय ने राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों में अपनी 61 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां या तो बन्द कर दी हैं या उन्हें दूसरी इकाइयों में मिला लिया है और कर्मचारियों को ऐसी इकाइयों में भेजा गया है जहां इनकी संख्या कम थी।

फिल्म समारोह निदेशालय

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2007 तथा वर्ष 2006 के लिए पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अलावा, निदेशालय अगले साल में तीन निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेगा -

(i) 2007 के ग्रीष्मकालीन महीनों (तिथियां अभी तय होनी हैं) यूके में एक भारतीय समारोह आयोजित करना।

(ii) भारत में सार्क फिल्म समारोह (जो लगभग जुलाई-सितम्बर, 2007 में आयोजित किया जायेगा)।

निदेशालय वर्षभर विश्व में फिल्म समारोहों में भागीदारी तथा सीईपी के तहत भारत में फिल्म समारोहों के आयोजन जैसी अपनी नियमित गतिविधियों में लगा रहेगा।

फिल्म प्रभाग

1. समय-समय पर वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में सख्त आर्थिक बचत उपाय लागू करके खर्च घटाने में वांछित उद्देश्य प्राप्त किए गये हैं।
2. वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.12.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (1)/पर्स/ई-कोआर्ड/ओबी/2005 में बताए गए सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
3. सामान की खरीद सामान्य वित्तीय नियम (1.7.2005 से लागू) के अनुसार की जा रही है। इससे विभाग को अधिक पारदर्शिता और सर्वाधिक किफायती तरीके से खरीद में सहायता मिली है।

भारत और विदेश में फिल्म बाज़ारों में भागीदारी

परंपरागत दृष्टि से सरकार लोगों के कल्याण के वांछित लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख भूमिका अदा करती रही है। बात चाहे विकास की हो, सामाजिक, राजनीतिक अथवा गतिविधि-उन्मुखी हो, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग सही विकल्प चुनें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर देश में समूचा ढांचा तैयार किया गया है। किंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान नई प्रौद्योगिकियों के उदय से मनोरंजन उद्योग का पूरी दुनिया में जबरदस्त विकास हुआ है। पिछले दो सालों में सरकार की एकाधिकार की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। प्राइवेट कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक समूह, यहां तक कि कार्पोरेट संगठन भी अपने सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में इस कार्य में निरंतर मदद कर रहे हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में सरकार की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता

आन पड़ी है। यही वजह है कि मनोरंजन क्षेत्र में विभिन्न पक्षों के साथ भागीदारी के प्रबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार को मनोरंजन क्षेत्र की दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदाता और अनुकूल नीति वातावरण तैयार करने वाले घटक की भूमिका निभानी चाहिए।

2. फिल्म क्षेत्र हालांकि ज्यादातर निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है परंतु यह भारत में एक सशक्त सांस्कृतिक उद्योग है। भारत का संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में पहला स्थान है। किंतु, राजस्व हासिल करने की दृष्टि से विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की भागीदारी नगण्य है। प्रौद्योगिकी में प्रगति की फिल्म उद्योग के विकास के सभी क्षेत्रों-यानी फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्म उद्योग द्वारा इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। इसे देखते हुए निम्नांकित योजनाएं (नई) प्रस्तावित की गयी हैं :-

नई योजना-ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना :

वैश्वीकरण से निर्माण और सेवाओं के आउटसोर्सिंग यानी उनमें बाहरी एजेंसियों को शामिल करने की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। मीडिया उद्योग-खासकर फिल्म क्षेत्र में उच्चस्तरीय रचनात्मक कार्य विकसित देशों द्वारा अधिकाधिक बाहरी एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं ताकि सिनेमा में निर्माण लागत कम की जा सके। विकासशील देशों, विशेषकर चीन और मैक्सिको के बीच विकसित देशों से ऐसे आउटसोर्सिंग कार्य आकर्षित करने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। इन विशेष प्रभाव और दृश्य प्रभाव क्षेत्रों के अलावा देश में गेमिंग, ऐनीमेशन जैसे डिजिटल विषयवस्तु उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। किंतु इस क्षेत्र को कार्मिकों के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग को अपेक्षित प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी स्थापना सरकारी-निजी भागीदारी में की जाएगी ताकि उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की कमी दूर की जा सके।

3. निम्नांकित दो कार्यक्रमों के घटक भी इस उद्योग के प्रयासों में मदद पहुंचाने वाले हैं, हालांकि वे पूरी तरह सरकारी-निजी भागीदारी से संबद्ध नहीं हैं :-

i) विदेशी फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी : विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की हिस्सेदारी प्रोत्साहित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/बाजारों में हिस्सा लेता है। केन्स फिल्म समारोह/बाजार में भारतीय पेवेलियन का संचालन निजी उद्योगों की शीर्ष संस्था सीआईआई के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन 'फ्रेम्स' के लिए भारत सरकार सहायता देती है। अमरीकी फिल्म बाजार जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए एनएफडीसी के जरिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

ii) एंटी-पाइरेसी/समारोहों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी : भारतीय फिल्म समिति परिसंघ द्वारा फिल्मों की चोरी (पाइरेसी) रोकने और फिल्म समारोहों के किए जाने वाले समग्र खर्च के छोटे हिस्से के रूप में सरकार भी योगदान करती है। सरकार इन क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित समारोहों के लिए निजी प्रयासों मे सहायता करती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

अपने क्षेत्र का प्रमुख संस्थान होने के नाते यह फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। भारत सरकार इसके अनुरक्षण, समुन्नयन और यहां प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना और गैर-योजना मदों के अंतर्गत अनुदान देती रही है। होने वाले व्यय का एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण है। मशीनरी एवं उपकरण की खरीद अत्यधिक पारदर्शी माहौल में खुली बोलियां आमंत्रित करके की जाती हैं। भवन निर्माण/विद्युत कार्य मंत्रालय के संबद्ध अनुभागों द्वारा किया जाता है।

इस संस्थान द्वारा तैयार की गई फिल्में नियमित रूप से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्टि के रूप में भेजी जाती हैं। इससे छात्रों को देश-विदेश का अनुभव मिलता है। इस वर्ष इस संस्थान ने विभिन्न 27 समारोहों/उत्सवों में भाग लिया है।

अन्य विशेष बातें

1. संस्थान के छात्रों की दो परियोजनाओं - ऋतु लाहा की 'आमची कसौटी' और विभु पुरी की 'चाभी वाली पाकेट वाच' को 22 से 27 अप्रैल 2006 को दुबई मीडिया सिटी में आयोजित समारोह में टीवी वृत्तचित्र एवं फिल्म वर्गों में 2005 के सर्वश्रेष्ठ आई बी डी ए पुरस्कार प्राप्त हुए। दोनों विद्यार्थी इस पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए।

2. एफटीआईआई विद्यार्थियों - केशव पांडे और प्रिया बेलियप्पा ने 3 से 10 जून 2006 तक आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय छात्र फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए तेल अवीव (इस्राइल) की यात्रा की। वे साथ में अपनी डायलाग एक्सरसाइज फिल्में भी ले गए।

3. एफटीआईआई डिप्लोमा फिल्मों के संग्रह 'मास्टर स्ट्रोक' का 7 जुलाई 2006 को नई दिल्ली के इंडिया हैबीटाट सेंटर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री एस. के. अरोड़ा के हाथों उद्घाटन किया गया।

4. 17 से 21 जुलाई 2006 तक तृतीय टैलंट कैंपस, भारत (ओशियन्स सिनेफैन) मे तीन छात्र-फिल्मों को प्रविष्टि के रूपों भेजा गया।

5. डिप्लोमा फिल्म 'क्षत्रज्ञ'(निर्देशक : अमित दत्ता) को गैर-व्यावसायिक संगठन लाइट कोन डिस्ट्रीब्यूशन, पेरिस में विशेष रूप से भेजा गया। 14 से 16 सितंबर 2006 तक इसका प्रिव्यू हुआ। उसे 15 से 19 सितंबर 2006 तक टेट माडर्न गैलरी, लंदन में 'सिनेमा आफ प्रयोग - इंडियन एक्सपेरीमेंटल फिल्म वीडियो 1913-2006, में प्रदर्शित किया गया।

6. एफटीआईआई के छात्र और 'माया' फिल्म के आडियोग्राफर आलोक तिवारी ने 10 से 24 सितंबर 2006 को 25 एफपीएस समारोह, झगरेब, क्रोएशिया में भाग लिया।

7. पांच डिप्लोमा फिल्में भारत के फिल्म समारोह-2006, गोवा के इंडियन पेनोरमा वर्ग के लिए चुनी गईं। इनके नाम हैं - 1. गधा जन्म सफल, 2. ए रूट काल्ड थ्री, 3. पारसी वाड़ा तारापोर-प्रेजेंट डे, 4. चाभी वाली पाकेट वाच और 5. क्षितिज।

8. डीडी भारती हर बुधवार को एफटीआईआई छात्रों की फिल्में दिखाता है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

स्पष्टीकरण टिप्पणियां

फिल्म निर्माण कला और तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एक प्रमुख संस्थान के रूप में इस संस्थान की स्थापना 1995 में हुई थी। तब से ही यह संस्थान फिल्म उद्योग की जरूरतों को पूरा करता आ रहा है और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करता आ रहा है। यह संस्थान देश के संपूर्ण पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भाग को कवर करता है। सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, फिल्म तथा टेलीविजन में निर्देशन, छायांकन, ध्वन्यांकन और सम्पादन जैसी विभिन्न विधाओं में तीन साल का स्नानकोत्तर डिप्लोमा कराता है। संस्थान ने ऐनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग तथा फिल्म और टेलीविजन में कार्यक्रम निर्माण प्रबंध में दो-दो साल के नए स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने का भी प्रस्ताव किया है।

बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि कोर्स और विभिन्न प्रोजेक्ट भी कराता है।

इस समय संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों में 71 छात्र दाखिल हैं। हाल ही में संस्थान ने नए बैचों के लिए प्रवेश सूचना प्रकाशित की है और इन कोर्सों में दाखिला लेने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और तगड़ी प्रतियोगिता है। इससे साफ पता चलता है कि संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कोर्सों की भारी मांग है और समाज में भी ये कोर्स लोकप्रिय हैं। इस संस्थान से निकले कई छात्र फिल्म उद्योग में सफल सिद्ध हुए हैं और भारतीय सिनेमा के प्रति उनका योगदान साफ दिखाई देता है। आज, सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। दुनिया भर में इसकी ख्याति है। संस्थान के छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों को देश-विदेश के विभिन्न समारोह में स्थान मिला है और कुछ फिल्मों ने तो सराहना और पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। यह संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों का ही परिणाम है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

आईआईएमसी द्वारा सार्वजनिक/व्यक्तिगत भागीदारी, वैकल्पिक डिलीवरी प्रक्रिया, सामाजिक तथा महिला सशक्तीकरण प्रक्रियाओं, ज्यादा विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक तथा अंतिम परिणामों से संबद्ध सुधार के उपाय और नीतिगत पहल की गई।

जनसाधारण के साथ आईआईएमसी की प्रमुख संपर्क-बिंदु विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश है। संस्थान प्रवेश की सूचना देश के लगभग सभी प्रमुख समाचारपत्रों में सही समय पर प्रकाशित कराता है। बार कोड की शुरुआत कर संस्थान ने प्रवेश प्रक्रिया में एक बेहद पारदर्शी उपाय किया है ताकि कोई भी उम्मीदवार किसी अन्य के रोल नंबरों या स्क्रिप्ट को न पहचान सके। परिणाम पूरा होने पर, उम्मीदवारों को पोस्ट के जरिये व्यक्तिगत सूचना दी जाती है और परिणामों के साथ-साथ व्यक्तिगत सूचनापत्रों को संस्थान की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है ताकि सभी उम्मीदवार सही समय में सूचना प्राप्त कर सकें।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए सुधार उपाय तथा नीति पहलें, यदि कोई हैं।

कृपया नहीं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

प्रारंभ से ही, भारतीय फिल्म उद्योग की वृद्धि को भारत और विदेश दोनों में ही आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निगम कार्य कर रहा है। समय के साथ फिल्म उद्योग के आकार में और आर्थिक समृद्धि रूप से वृद्धि हुई है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि निगम की गतिविधियों से फिल्म उद्योग किस क्षेत्र में लाभांवित हो सकता है, निगम की गतिविधियों को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। तदनुसार, एन एफ डी सी आगामी दो-तीन वर्षों में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान देने का प्रस्ताव करता है :

i. विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में सामाजिक सम्बद्धता और सौन्दर्यपरक मूल्यों के साथ अच्छे दर्जे की फिल्मों का निर्माण;

ii. अन्तर्राष्ट्रीय सह-निर्माण;

iii. फिल्मों का निर्यात और ग्लोबल मार्किट में विभिन्न भाषाओं में बनी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना;

iv. पटकथा (स्क्रिप्ट) विकास।

कार्यान्वयन के लिए योजना

क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण

सिनेमा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं को बनाए रखने और इनका संवर्धन करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। खास तौर पर यह देखते हुए कि सिनेमा मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। अनुमान है कि भारत में एक करोड़ लोग प्रतिदिन थिएटरों में फिल्में देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति की किसी और विधा का जन-जीवन एक ऐसा व्यापक प्रभाव नहीं है और सिनेमा संस्कृति का जन-माध्यम बनकर उभरा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 11वीं योजना अवधि में एनएफडीसी को क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निमार्ण के लिए सरकारी मदद दिए जाने का प्रस्ताव है।

हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय/घरेलू सह-निर्माणों, निर्यात तथा पटकथा विकास के लिए बजट परिव्यय निगम के आंतरिक संसाधनों से जुटाया जाएगा, लेकिन विभिन्न भारतीय भाषाओं में अच्छी फिल्में बनाने के लिए सहायता मांगी गई है क्योंकि यह मूलतः एक विकास गतिविधि है, अपना खर्च खुद निकालने वाली व्यापारिक गतिविधि नहीं है। फिल्मों के निर्माण से प्राप्त राजस्व को योजना कार्यक्रम में ही डालने का प्रस्ताव है। निगम की अधिकृत पूंजी 14 करोड़ रुपए है। फिल्म निर्माण की भारी लागत को देखते हुए यह रकम अपर्याप्त है इसलिए निगम में सरकारी अधिकृत और चुकता पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय/घरेलू सह-निर्माण

एन एफ डी सी को बहुत सारे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय सह-निर्माणों का श्रेय प्राप्त है। ग्लोबल मार्किट के खुल जाने से तथा कहानियों की वैश्विक अपील को देखते हुए अब फिल्म निर्माण राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ रहा है तथा फिल्म निर्माता दूसरे देशों के साथ सह-निर्माण कार्यों के लिए अधिक से अधिक अभिमुख हो रहे हैं। इस उद्देश्य से -

(i) फिल्म के दर्शकों के आधार को बढ़ाना;

(ii) विभिन्न देशों के द्वारा दिये गये टैक्स एवं अन्य वित्तीय लाभों को प्राप्त करते हुए फिल्म निर्माण की लागत को कम से कम करना।

जहां तक भारतीय फिल्म निर्माताओं का सम्बंध है, अन्तर्राष्ट्रीय सह-निर्माण अभी उदीयमान अवस्था में है। जबकि पिछले वर्षों में भारत के साथ सह-निर्माण में काफी वृद्धि हुई है फिर भी इस क्षेत्र में काफी कुछ होना है। उभरते हुए तथा नई फिल्म निर्माता या तो सम्बंध स्थापित नहीं करने के कारण अथवा पूंजी आकर्षण शक्ति नहीं होने से दूसरे देशों के साथ सह-निर्माण नहीं कर पाते। अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू सह-निर्माण के लिए एन एफ डी सी इस क्षेत्र में अच्छी संभावना वाले देशी-विदेशी सह-निर्माणों के लिए प्रारंभिक पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।

ग्लोबल मार्किट में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना

विदेशी फिल्म और टेलीवीजन मार्किट में एन एफडी सी की निर्यात रणनीति तथा सहभागिता के मुख्य उद्देश्य हैं -

(i) विभिन्न चैनलों पर प्रदर्शन के लिए वितरण हेतु भारतीय फिल्मों का विदेशों में निर्यात करना;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय सह-निर्माण के लिए सहभागियों की पहचान करना

(iii) लाइन प्रोडयूसर के रूप में एन एफ डी सी की सेवाओं को बढ़ावा देना;

(iv) भारत को फिल्मों की शूटिंग के केन्द्र के रूप में बढ़ावा देना;

(v) भारतीय बाजार के लिए विदेशी फिल्मों का आयात करना।

पटकथा (स्क्रिप्ट) विकास

ऐसा महसूस किया जाता है कि फिल्म उद्योग को पटकथा विकास पर अधिक जोर देने की जरूरत है। भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पटकथा क्षेत्र की गुणवत्ता, रेंज और उच्च आकांक्षा को बढ़ावा देने का एन एफ डी सी प्रयास करेगा। एन एफ डी सी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले बाजारी उत्पादन हेतु पटकथा विकास के लिए प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में भारतीय लेखकों की मदद करेगा।

वास्तविक लक्ष्यों के साथ अनुमानित उपलब्धियों तथा वास्तविक उपलब्धियों का वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकृति योजना परिव्यय ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकृति परिव्यय		वर्ष 2005-06 की प्रत्याशित उपलब्धियाँ		वर्ष 2005-06 की वास्तविक उपलब्धियाँ	
		आर्थिक	वास्तविक	आर्थिक	वास्तविक	आर्थिक	वास्तविक
1.	फिल्मों का निर्माण (स्व. निर्माण, सह निर्माण एवं सब्सिडी योजना)	4.65	13	0.32	2	0.09	1
2.	मैट्रो केन्द्रों पर खुद की प्रदर्शनी हेतु ढाँचागत सुविधाएं विकसित करना	1.10	1	–	–	–	–
3.	तकनीकी उपकरणों का आधुनिकीकरण व प्रतिस्थापन और नई परियोजनाओं की शुरूआत	1.50	–	0.10	–	0.10	–
4.	बाजार ढाँचे का निर्माण और भारतीय फिल्मों को विदेशों में बढ़ावा	0.50	–	0.16	–	0.11	–
	कुल :	**7.75**		**0.58**		**0.21**	

अन्तर्राष्ट्रीय/घरेलू सह-निर्माण, निर्यात तथा पटकथा विकास के लिए बजट परिव्यय निगम के आंतरिक संसाधनों से पूरे किये जायेंगे जैसा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं भाषाओं में अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के लिए सहायता मांगी गई है। यह गतिविधि मुख्य रूप से विकासात्मक प्रवृति की है। इस निधि से निर्मित फिल्मों के द्वारा जो भी राजस्व प्राप्त होगा उसे वापस इसी योजना कार्यक्रम में लगाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में निगम की पूंजी में अधिकृत हिस्सेदारी 14 करोड़ रुपये है। फिल्म निर्माण की बढ़ती लागत को देखते हुए यह रकम कम है। भारत सरकार द्वारा निगम की अधिकृत तथा चुकता पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

पत्र सूचना कार्यालय

आम आदमी तक पहुंचने के सरकारी प्रयासों के एक भाग से रूप में पत्र सूचना कार्यालय राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक सूचना अभियान शुरू कर रहा है। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू किये गए निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं प्रचारित करना और जागरूकता पैदा करना है :

1. भारत निर्माण
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
4. सर्व शिक्षा अभियान
5. दोपहर भोजन का कायक्रम
6. जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण मिशन
7. सूचना प्राप्ति अधिकार कानून
8. प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यक कल्याण का 15 सूत्रीय नया कार्यक्रम।

2. इन अभियानों का इस्तेमाल देश के पहले से तय 200 रोजगार गारंटी अधिनियम वाले जिलों में से 120 जिलों और 63 शहरों/कस्बों तक पहुंचना है जहां जवाहरलाल नेहरू शहरी पुर्ननिर्माण में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने और लागू करने वाले मंत्रालयों द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सहायक अभियान शुरू करना है। सार्वजनिक सूचना अभियानों को 2 चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण जून 2006 से नवम्बर 2006 तक चला और दूसरा दिसम्बर 2006 से मार्च 2007 तक चलाया जा रहा है।

भारतीय प्रेस परिषद्

प्रेस परिषद एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जो प्रेस की नीतिगत स्तर को नियंत्रित करती है। परिषद ने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं उसमें सुधार के लिए निम्न कदम उठाए हैं -

1. सुधार के उपाय

वर्ष के दौरान प्रेस के विरुद्ध की गई शिकायतों के मामले में जांच प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। प्रेस द्वारा उसकी स्वतंत्रता को खतरे के मामले में पद्धति को असाधारण गजट में लिया गया है। परिषद को अपने निर्देशों को लागू करने के लिए अधिकार देने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने, परिषद द्वारा आचार संहिता ने उल्लंघन के दोषी पाए गए समाचार पत्रों के खिलाफ, अपनी विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है।

2. नीतिगत उपाय

1. पत्रकारों के प्रत्यापन के लिए मानक नीति बनाना।
2. परिषद को अधिकार देना - केंद्र सरकार को संदर्भ भेजा गया है।
3. मीडिया में अश्लीलता की रोकथाम के संबंध में प्रेस से संवाद।

3. पारदर्शिता

1. सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करना।
2. वेबसाइट पर काननी एवं अन्य मामलों पर की गई कार्रवाई को उपलब्ध कराना।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य विकास कार्यों और उनके परिणामस्वरूप देश में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन को फोटोग्राफ के माध्यम से संजोकर रखना है तथा इस मंत्रालय की मीडिया इकाइयों तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों /विभागों को फोटोग्राफ उपलब्ध कराना है। फोटो प्रभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार के लिए, प्रभाग ने ''फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण'' कार्य योजना के तहत फ़ोटो उपकरणों के उन्नयन तथा चित्रों के डिजीटलीकरण का कार्य शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, फोटो प्रभाग की वेबसाइट के विकास तथा उस पर डिजीटलीकृत चित्रों की अपलोडिंग भी शुरू की गई है ताकि आम जनता आसानी से उन तक पहुंच सके।

प्रकाशन विभाग

सुधार के उपाय और नीतिगत पहल

रोजगार समाचार/इंप्लायमेंट न्यूज की ओर से की गई पहल का ब्योरा अलग से दिया गया है। जबकि विभाग के प्रशासनिक, संपादकीय, व्यवसाय, उत्पादन और पत्रिका योजना की ओर से उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं।

3.1 प्रशासन

(1) विभाग-प्रमुखों को व्यय की मंजूरी के आकस्मिक अधिकार हटा लिए जाने के बाद, विभाग की प्रार्थना पर विभाग-प्रमुख को मंत्रालय से वर्ष 2005 से पहले की स्थिति के अनुरूप ही, अधिकार प्राप्त हो गए।

(2) डिवीजन की जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इन्हें जीएफआर नियमों के मुताबिक लागू किया गया है।

(3) फील्ड दफ्तरों से नियमित रूप से टेलीफोन से बात की गई ताकि प्रशासनिक मसलों पर इनकी फीडबैक मिल सके और कोई परेशानी हो तो उन्हें हल किया जा सके।

(4) वेतन तथा लेखा कार्यालय से बैठक की गई और लंबित बिलों के भुगतान से जुड़ी समस्याएं हल की गईं। वेतन एवं लेखा कार्यालय सभी प्राप्त बिलों का क्यू.न. (क्रम संख्या) देने को राजी हुआ।

3.2 प्रोडक्शन

(1) मुद्रकों का एक नया पैनल बनाया जा रहा है ताकि प्रिंटिंग की गुणवत्ता में सुधार हो और लागत में कमी आए।

(2) कागज की किस्म पर समझौता न करने के कदम के बाद किताबें छापने में इस्तेमाल किए गए कागजों की गुणवत्ता काफी सुधरी है।

(3) टेंडर लाने और उन्हें खोलने के अनिवार्य 21 दिन के अंतराल को अनिवार्य रूप से लागू किया गया।

3.3 संपादकीय

(1) किताबों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पुस्तक समिति बनाई गई है, जो किताबों को लिखवाने के प्रस्तावों की जांच करती है और सर्व-सम्मति से उन्हें स्वीकृति देती है।

(2) विभाग की किताबों के कवर डिजाइनों को अच्छी तरह जांचा गया, और कलाकारों को इंटरनेट से आइडिया लेने को प्रेरित किया गया।

(3) को-ऑर्डिनेटिंग एडीटर का पद जिसे खत्म कर दिया गया था, पुनर्जीवित कर दिया गया है। ताकि संपादकीय से जुड़े फैसलों का विकेंद्रीकरण किया जा सके।

(4) पहली बार 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादकों का एक पैनल बनाया गया है। यह काम उनकी स्क्रिप्ट देखकर किया गया है। इसी तरह प्रूफ रीडर्स का पैनल बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

3.4 व्यापार

(1) हाई-प्रोफाइल लोकार्पण/विज्ञापन और पुस्तक समीक्षाओं के जरिये प्रकाशन विभाग और इसकी किताबों और पत्रिकाओं की छवि सुधारने की जोरदार कोशिश की गई है।

(2) आम लोगों के लिए किताबों के दाम वाजिब हों इसके लिए एक मूल्य नीति बनाकर मंत्रालय को भेजी गई है।

(3) कई साल बाद इस बार योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती और दूसरी पत्रिकाओं में विज्ञापन की दर बाजार के अनुरूप संशोधित की गई है।

(4) पहली बार विभाग के फरीदाबाद स्थित फीडर स्टोर से स्टॉक हटाने के सिलसिलेवार प्रयास किए गए। पिछले कई दशक से पड़े अप्रासंगिक किताबों को पहली बार स्टॉक से हटाया गया।

3.5 योजना

(1) योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं के कवर की बारीकी से समीक्षा की गई और कवर को मानवीय पहलुओं पर केंद्रित करने पर ध्यान दिया गया। अमूर्त डिजाइनों की बजाय कवर पर आकर्षक चित्रों को जगह दी गई।

(2) पहली बार योजना पत्रिका के प्रकाशन के पचास साल पूरे होने पर इसमें छपे 50 सर्वश्रेष्ठ लेखों का संकलन कर स्वर्ण जयंती विशेषांक के तौर पर निकाला गया।

(3) योजना और कुरुक्षेत्र में पृष्ठों की सही संख्या ठीक करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

रोज़गार समाचार

परिणाम एवं अन्तिम परिणाम

गैर-योजना

i) कुल राजस्व एवं शुद्ध आधिक्य

एम्प्लॉयमेंट न्यूज ने 2004-05 के दौरान 3951.54 लाख रुपये की तुलना में 2005-06 में 4110.29 लाख रुपये का कुल राजस्व कमाया। खर्च निकालने के बाद शुद्ध लाभ 2004-05 के दौरान 1546.45 लाख रुपये की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 1550.05 लाख रुपये हो गया।

ii) राजस्व

एम्पलायमेंट न्यूज ने नौकरी बाजार में अपनी 'न्यूमरो यूनो' पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है तथा वर्ष के दौरान अधिक विज्ञापन लेने में सफल रहा है। स्टाक की कमी के बावजूद विज्ञापन राजस्व 2005-06 में 2081.14 लाख रुपये से बढ़कर 2005-06 में 2441.55 लाख रुपये हो गया है। इस साप्ताहिक पत्र के चालू वित्त वर्ष में 17 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ कमाए जाने की संभावना है।

iii) पेजों की औसत संख्या :

एम्पलायमेंट न्यूज में छापे जाने वाले पृष्ठों की औसत संख्या 2000-01 में 39.55 पृष्ठों से बढ़कर 2004-05 में 48.04 पृष्ठों तक पहुंच गया है।

वर्ष 2005-06 में यह और बढ़कर 50.61 पृष्ठ हो गया तथा इस वर्ष पृष्ठों की औसत संख्या प्रति अंक बढ़ने की सम्भावना है। दिसम्बर 2006 तथा जनवरी 2007 के महीनों में एम्पलायमेंट ने लगातार 6 अंकों में प्रति अंक 64 पेज निकाले हैं तथा यह सुनिश्चित किया गया कि स्टाफ की अधिक कमी के बावजूद साप्ताहिक

समय पर उपलब्ध हो ताकि लोगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

iv) अच्छी अर्थव्यवस्था हासिल करने तथा देश के कोने-कोने तक पहुंचने में समर्थ होने के लिए रोजगार समाचार अपनी मुद्रण तकनीकों को दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के प्रस्तावों को लागू कर रहा है।

v) एम्पलॉयमेंट न्यूज अपने पाठकों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर अपने नेटवर्क पर निर्भर करता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पाठकों के पास सीधे ग्राहक बनाने की भी सुविधा है। एम्पलॉयमेंट न्यूज ने खुले विज्ञापन के जरिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करके वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान डीलरों के अपने आधार को विस्तारित किया।

vi) **इन्टरएक्टिव वेबसाइट**

एम्पलॉएमेंट की सबसे बड़ी सफलता इसकी वेबसाइट www.employmentsnews.gov.in को शुरू करना है जिसे प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वेबसाइट सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हो रही है। वेबसाइट के जरिए पेश की जा रही ऑन लाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श, सरकारी क्षेत्र में नौकरी रिक्तताओं के बारे में अग्रिम जानकारी तथा यह जानकारी सीधे पाठकों के ई-मेल पर उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक

विगत वर्षों में, प्रिन्ट मीडिया ने अपना क्षेत्र प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 से काफी आगे तक विस्तारित कर लिया है। तदनुसार, पीआरबी अधिनियम, 1867 तथा उसके तहत बने नियमों की समीक्षा की जाती है ताकि अधिनियम को प्रिन्ट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक बनाया जा सके।

आरएनआई ने अपनी वेबसाइट पर शीर्षक सत्यापन पत्र रखने की नई पहल की है। अब आरएनआई के नई दिल्ली कार्यालय में आने की बजाय प्रार्थी इस वेबसाइट से अपना शीर्षक सत्यापन पत्र कभी भी, कहीं से भी डाउनलोड करके अपनी घोषणा फाइल करके फिर अपना प्रकाशन शुरु कर सकता है। इससे विलम्ब नहीं होगा, अधिक पारदर्शिता होगी तथा प्रार्थी का समय और पैसा बचेगा।

आरएनआई ने कम्प्यूटरीकृत स्वचालित डि-ब्लाकिंग सिस्टम भी शुरू किया है। अब निर्धारित समय के भीतर पंजीकृत न होने वाले शीर्षकों की डि-ब्लाकिंग स्वचालित होगी जिससे शीर्षकों की उपलब्धता बढ़ जायेगी।

धीरे-धीरे आरएनआई का उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। समाचारपत्रों की बढ़ती संख्या के कारण आरएनआई पर शीर्षक सत्यापन, संशोधित पंजीकरण, न्यूजप्रिन्ट तथा सम्बद्ध उपकरण के आयात के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र तथा प्रसार सत्यापन आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य आ गया है। 1956 में इसके गठन के समय के बाद आरएनआई में कर्मचारियों की संख्या 1992-93 में ही संशोधित की गई जिसमें आठवीं योजना के तहत मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई में तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये। समाचारपत्रों को तत्काल, कुशल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने तथा पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर 11वीं योजना अवधि के दौरान (2007-12) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में भोपाल के दो क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण विभाग

वर्ष 2006-07 के लिए प्रभाग की कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है।

गीत एवं नाटक प्रभाव

इस प्रभाग की स्थापना 1954 में एक छोटी आजमाइशी इकाई के रूप में देश में उपलब्ध पारंपरिक माध्यमों के जरिए संचार के उद्देश्य से की गई थी। इसको जीवंत माध्यम के रूप में जाना जाता है। इसने साबित भी कर दिया है कि यह संचार प्रभावी है क्योंकि यह दर्शकों के साथ तुरंत तादात्म्य स्थापित कर सकता है, इसमें समसामयिक विषय लिए जा सकते हैं और नए विचारों का प्रचार किया जा सकता है। इसीलिए इसे अधिक पहुंच देने और पर्वतीय, रेगिस्तानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य जन के स्तर पर पहुंच सकने के उद्देश्य से इस प्रभाग का विस्तार किया गया।

इस प्रभाग की वेबसाइट के अनुसार प्रभाग का मुख्य कार्य जन सामान्य में सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्रीय आदेशों के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि सीमावर्ती लोग भी रक्षा तैयारियों के प्रति सचेत हों, वे देश के अन्य लोगों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करें, दूर-दराज में तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे और शहरी और ग्रामीण लोक कलाओं के जरिए उनका मनोरंजन हो।

अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए यह प्रभाग अनेक कला रूपों का प्रयोग करता है। इनमें लोक गीत, पारंपरिक नाटक, नृत्य नाटिका, ओपेरा, नृत्य और वाचिक परंपराएं शामिल हैं। जादू की कला तक का लाभ उठाया जाता है। इसके अलावा यह प्रभाग ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का भी इस्तेमाल आधुनिक तकनीकों के साथ करता है। इसमें सैकड़ों कलाकार शामिल होते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि विषयों पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

देश के विभिन्न भागों में प्रचालित पारंपरिक लोक कला रूपों का इस्तेाल करते हुए जहां यह प्रभाग इन कला रूपों का प्रोत्साहक और उद्धारक बन गया है वहां इसने सैकड़ों कलाकारों की दक्षता का इस्तेमाल करके और उनकी भाषा, मुहावरों और बोलियों के जरिए जनता तक पहुंच कायम की है और कलाकारों को रोजगार दिया है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रभाग आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण कर रहा है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

निजी एफ एम रेडियो एफ एम चरण-I नीति के द्वारा 1999 में खोला गया। चरण-I के दौरान बड़े पैमाने पर हुई चूकों के मद्देनजर तथा ट्राई की अनुशंसाओं तथा अन्य प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखते हुए, प्राइवेट एजेंसियों (चरण-II) के माध्यम से एफ एम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार के लिए एक नई नीति को 30 जून, 2005 को मंजूरी दी गई जिसे 13.7.2005 को अधिसूचित किया गया। चरण-II निजी एफ एम रेडियो प्रसारण का क्रियान्वयन पूरे जोरों पर है। चरण-II के लिए कुल 337 चैनलों को बोली देने के लिए आमंत्रित किया गया जिनमें से 280 चैनलों ने सफलतपूर्वक बोली दी। मूल्यांकन के बाद, विभिन्न कम्पनियों को 245 एफ एम चैनलों

के परिचालन के लिए अधिकार पत्र भेजे गये। वर्तमान में, चरण-I में परिचालित 21 चैनलों सहित 53 चैनल चल रहे हैं। सरकार ने 2006-07 के दौरान वार्षिक शुल्क के रूप में 27.29 करोड़ रुपये (जैसा 21.2.07 तक है) तथा चरण-II लाइसेंसधारकों से 1145.48 करोड़ रुपये "वन टाइम एन्ट्री फीस" के रूप में कमाए। 2007-08 के दौरान लगभग 38.16 करोड़ रुपये वार्षिक शुल्क के रूप में मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय अनुश्रवण सेवा

सरकार ने 2005-06 में 11.65 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ योजना स्कीम स्वीकृत की। इसमें से 2.90 करोड़ रुपये पिछले वर्षों के दौरान बेसिल को, जोकि कार्यकारी एंजेसी है, परियोजना चलाने के लिए पहले ही जारी कर दिये हैं। परियोजना के लिए योजना के तहत स्वीकृत बजट अनुदान 2006-07 में 05.85 करोड़ रुपये था जबकि गैर-योजना के अन्तर्गत 3.00 करोड़ रुपये था। यह राशि संशोधित अनुमान 2006-07 में योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के लिए 0.02 करोड़ रुपये तक घटा दी गई चूंकि आबंटित भवन की छत पर एंटीना लगाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी का अनापत्ति न मिलने के कारण दिसम्बर 2006 तक स्वीकृत बजट अनुदान का कोई भी भाग इस्तेमाल नहीं किया गया। एंटीना लगाने के लिए एक वैकल्पिक स्थल चुन लिया गया है। इसलिये, फिलहाल यह परियोजना रुकी हुई है। जैसी ही स्थल को अन्तिम रूप दिया जायेगा, परियोजना पर काम फिर शुरू हो जायेगा।

वित्तीय वर्ष के चौथे भाग के दौरान कुल बजट का केवल एक तिहाई भाग ही खर्च किया गया। योजना बजट को संशोधित अनुमान के स्तर पर 2.00 करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया क्योंकि पहले दो तिमाही के दौरान बजट का इस्तेमाल नहीं हो सका। इसके मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान इस उद्देश्य के लिए उच्च बजट आबंटन (9.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है। यह परियोजना 2007-08 के दौरान चालू होने की सम्भावना है बशर्ते कि अभिग्रहण एंटीना आदि लगाने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाए। 2007-08 के लिए बजट आबंटन योजना तथा गैर-योजना के लिए निम्न है

योजना	2.90 करोड़ रुपये
गैर-योजना	3.00 करोड़ रुपये

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

प्रसार भारती द्वारा तैयार किए गये कच्चे अनुमानों के अनुसार, 300 से 500 करोड़ रुपये के वार्षिक परिचालन लागतों के साथ, जो विस्तृत व्यापारिक योजनाओं पर आधारित होगा, 500 करोड़ रुपये तक का खर्च है। यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार को औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानों, मनोरंजन उद्योग आदि से, जो भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संभाव्य को विदेश में दिखाने के इच्छुक हैं, 100 करोड़ रुपये सालाना की दर पर 11वीं योजना अवधि के दौरान 500 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी।

सामुदायिक रेडियो

दिसम्बर 2002 में भारत सरकार ने आईआईटी/आर्टआईएमटी सहित सुस्थापित शैक्षिणिक संस्थाओं में सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक नीति स्वीकृत की थी। 101 संस्थानों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 62 पात्र संस्थानों को अधिकार पत्र जारी कर दिये गये हैं तथा 38 ने लाइसेंस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में 20 सीआरएस कार्यरत हैं।

सरकार ने ट्राई, संसद सदस्यों की सलाहकार समिति तथा मई 2004 में आयोजित कार्यशाला की अनुशंसाओं पर इस विषय पर पुन: विचार किया तथा दिसम्बर 2006 में इस नीति का विस्तार करके इसके दायरे में अव्यावसायिक संगठनों जैसे सिविल सोसायटी तथा स्वैच्छिक संगठनों को लाने का निर्णय लिया ताकि विकास एवं सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित मुद्दों पर जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो।

सूचना भवन का निर्माण

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान, पूरे चरण-V के निर्माण में 75.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन वार्षिक योजना वर्ष 2007-08 के लिए 10.60 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के बदले योजना आयोग ने वार्षिक योजना वर्ष 2007-08 के लिए 2.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

1.	सूचना भवन चरण IV (चालू योजना) का निर्माण	1.00 करोड़ रुपये
2.	सूचना भवन चरण V का निर्माण	1.00 करोड़ रुपये (नया)

सूचना भवन की चालू योजना के सम्बन्ध में चरण-IV का लम्बित कार्य निपटाया जायेगा।

आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर कार्यान्वियन एजेंसी और मंत्रालय के स्तर पर निगरानी की व्यवस्था है।

प्रसार भारती

आकाशवाणी

प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी के और अधिक विकास के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णयों के अंतर्गत कई पहल की गई हैं ताकि आकाशवाणी सही अर्थों में सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रूप में नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य निभा सके। जैसा कि अध्याय-1 में कहा गया है, ये उद्देश्य आम लोगों और विशेष लक्षित समूहों की जरूरतों का तुरंत समाधान करके पूरे किए जाते हैं। शैक्षिक प्रसारणों और सामाजिक तथा आम सशक्तिकरण प्रक्रियाओं के कार्यक्रमों के परिणामों का दायरा बड़ा है और इसमें ज्यादा वक्त लगता है। दूसरी ओर मनोरंजक कार्यक्रमों के परिणामों को स्तर में सुधार के जरिए बताया जा सकता है लेकिन इसका मात्रात्मक मापन नहीं हो सकता। केवल यही बताया जा सकता है कि कितने क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या तक कार्यक्रम पहुंचाए गए।

प्रसार भारती : दूरदर्शन

नए कदम

1. मोबाइल टीवी

दूरदर्शन ने दिल्ली स्थित मौजूदा डिजीटल स्थलीय ट्रांसमीटर के इस्तेमाल से डीवीबी-एच की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। आवश्यक उपकरण खरीद लिए गए है और इन्हें स्थापित किया जा चुका है। 2006-07 के अंत तक डीवीबी-एच प्रसारण शुरू हो जाने की आशा है। इस प्रसारण की शुरुआत से, ट्रांसमीटर के कवरेज जोन में मोबाइल फोनों पर टीवी सिग्नल प्राप्त करना संभव हो जाएगा। भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां मोबाइल टी.वी. सेवा शुरू हो गई है।

2. एचडीटीवी (हाई डेफिनेशन टेलीविजन)

एचडीटीवी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें अत्यंत साफ तस्वीर तथा वाइड स्क्रीन इमेज जैसे कई फायदे हैं। वाइड स्क्रीन इमेज दर्शक को टेलीविजन पर कार्यक्रम देखने का सुखद अनुभव कराती है। पारंपरिक टीवी पिक्चर की तुलना में एचडीटीवी पिक्चर में पांच गुना ज्यादा दृश्य सूचना होती है। दूरदर्शन की एचडीटीवी में प्रायोगिक परियोजना को हाल ही में मंजूरी मिली है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में एचडीटीवी में फील्ड प्रॉडक्शन के लिए सुविधाएं 2007-08 तक दिल्ली में स्थापित कर ली जाएंगी।

3. समाचार संकलन

समाचार संकलन सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में 70 स्थानों पर वी-सैट (वैरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) का एक नेटवर्क स्थापित करने की एक स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस नेटवर्क का एक केन्द्रीय हब दिल्ली में होगा। वी-सैट टर्मिनलों की खरीद के लिए कारवाई शुरू कर दी गई है। उपरोक्त वी-सैट नेटवर्क की स्थापना से देश के 70 स्थानों से उपग्रह के जरिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार इकाइयों को समाचार उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। इस नेटवर्क से उन स्थानों के बीच ध्वनि/डाटा संचार भी सुलभ हो जाएगा, जहां ये टर्मिनल स्थापित किए गए हैं।

4. वाणिज्यिक विज्ञापनों का स्क्रोल

भुगतान के आधार पर वाणिज्यिक विज्ञापनों का स्क्रोल की प्रारंभ में 10 अ.श.ट्रा. से शुरुआत की गई थी। बाद में इसे 12 उ.श.ट्रा. तक बढ़ा दिया गया। अब और 494 ट्रांसमीटरों से इस स्क्रोल को शुरू करने का प्रस्ताव है। स्क्रोलिंग के लिए आवश्यक उपकरण खरीद लिए गए हैं और इन्हें ट्रांसमीटर केन्द्रों में स्थापित किया जा रहा है। लगभग 400 ट्रांसमीटरों पर उपकरण लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

5. पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों के लिए विशेष पैकेज

पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में दूरदर्शन सेवा के विस्तार और सुधार के लिए एक विशेष पैकेज को सरकार ने मई, 2006 में मंजूरी दी थी। इसके लिए 256.85 करोड़ रुपये (हार्डवेयर-134.43 करोड़ रुपये, सॉफ्टवेयर-122.55 करोड़ रुपये) की लागत तय की गई थी। उपरोक्त पैकेज में शामिल स्कीमें इस प्रकार हैं—

पूर्वोत्तर राज्य

1. दो पूर्वोत्तर चैनलों की शुरुआत
2. कोकराझार में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना
3. कवर नहीं किए क्षेत्रों में डीटीएच अभिग्रहण इकाइयों तथा टीवी सैटों (25,000) का प्रावधान
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों में ओबी तथा निर्माण उपरान्त सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
5. डीएसएनजी इकाइयां-6
6. पासीघाट तथा अगरतला में दो अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

1. पोर्ट ब्लेयर (डीडी 1 तथा डीडी न्यूज) में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना
2. 16 नए अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों (डीडी 1-10 तथा डीडी न्यूज-6) की स्थापना
3. मौजूद छह अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन
4. कार निकोबार डीडी 1 एलपीटी की स्थापना
5. पोर्ट ब्लेयर स्टूडियो का सुदृढ़ीकरण, पोर्ट ब्लेयर के लिए डीएसएनजी
6. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए सी बैन्ड पर डीटीएच
7. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 1000 डीटीएच अभिग्रहण इकाइयों तथा टीवी सैटों का प्रावधान
8. पोर्ट ब्लेयर में अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना

लक्षद्वीप

1. 6 वी.एल.पी.टी. (डीडी न्यूज) की स्थापना
2. मौजूदा नौ वी.एल.पी.टी. का उन्नयन

उपरोक्त स्कीमों का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है। 2008-09 तक इन स्कीमों को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है।

6. 2007-08 के लिए लक्ष्य

2007-08 के दौरान जिन परियोजनाओं को संपन्न किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, वे इस प्रकार हैं—

(क) दूरदर्शन केन्द्र जम्मू तथा पणजी में अतिरिक्त स्टूडियो

(ख) पोर्ट ब्लेयर में स्टूडियों का सुदृढ़ीकरण

(ग) छतरपुर, सहरसा तथा पोर्ट ब्लेयर (डीडी 1 तथा डीडी न्यूज) में एचपीटी

(घ) बलूरघाट, बाड़मेर, कुम्बकोनम, खड़गपुर, कन्नूर, अमृतसर (डीडी1 तथा डीडी न्यूज) और वडोदरा (डीडी 1 तथा डीडी न्यूज) में एचपीटी (स्थायी सेटअप)

(च) एल.पी.टी., कार निकोबार (डीडी न्यूज)

(छ) 100 स्थलों पर पुराने एल.पी.टी. की जगह ऑटो मोड एल.पी.टी. लगाना

(ज) वी.एल.पी.टी. परियोजनाएं : 30 (नए-20, मौजूदा वी.एल.पी.टी. का उन्नयन-15)

(झ) दिल्ली में एमसीपीसी (10+1) उपग्रह अपलिंक (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सी-बेन्ड पर डीटीएच सेवाओं के लिए)

7. प्रशिक्षण

प्रसारण प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे बदलावों को देखते हुए दूरदर्शन अपने स्टाफ के प्रशिक्षण पर बल देता रहा है। 2006 (जनवरी-नवम्बर,2006) के दौरान 1189 इंजीनियर, अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण स्थानों में तथा उपकरण निर्माताओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया। इसका विवरण इस प्रकार है:-

एसटीआई (टी) दिल्ली - 662

आरएसटी (आई) भुवनेश्वर-146

एफटीआई (टी) पुणे - 28

उपकरण निर्माता-353

छह अधिकारियों को एम.टेक. पाठ्यक्रम के आईआईटी, कानपुर भेजा गया।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड

बीईसीआईएल को महिलाओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), रोजगार सृजन, ग्रामीण घटक, जनजातीय उपयोजना विशेष घटक योजना, स्वैच्छिक क्षेत्र, सूचना एवं प्रचार, अल्पसंख्यक कल्याण आदि से संबंधित केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित कोई योजना नहीं सौंपी गई है। न ही बीईसीआईएल सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना की कोई स्कीम लागू कर रहा है। इसे देखते हुए मंत्रालय द्वारा सुधार अथवा नीतिगत उपायों के अंतर्गत कोई पहल नहीं की जाती। बीईसीआईएल ने वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के लिए मंत्रालय के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहमति पत्रों में वित्तीय एवं अन्य लक्ष्य स्पष्ट किए गए हैं।

अध्याय-4

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(लाख रुपये में)

क्र स	कार्यक्रम का नाम	10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परिव्यय	वार्षिक योजना 2005-06						
			स्वीकृत परिव्यय	31.03.2006 तक वास्तविक खर्च	खर्च का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	प्रतिशत	कमी का कारण
1.	2.	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	390.13	140.00	94.51	67.51	सीएफसी के समूचे कामकाज का आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए तकनीकी उपकरण प्रदान करना	मुबंई क्षेत्रीय कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। मुंबई कार्यालय को पीसी सेट उपलब्ध कराये गये हैं। वेबसाइट साफ्टवेयर तैयार हैं, हार्डवेयर लगा दिए गए हैं, एमटीएनएल द्वारा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को लीज्ड लाइन से जोड़ दिया गया है। सर्वर रूम की स्थल तैयारी पूरी कर ली गयी है। हार्डवेयर एलएएन लगा दिया गया है। साफ्टवेयर का परीक्षण किया जा रहा है।	50	कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।
2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना।	97.00	21.00	1.65	07.80	इन कार्यालयों के लिए पदों का सृजन	सीबीएफसी, नई दिल्ली, के जीर्णोद्धार के लिए खर्च किया गया।	–	कार्यक्रम को अभी एसएफसी की मंजूरी नहीं मिली है।

3.	प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकीकरण	675.00	175.0	83.03	47.45	1952 के अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिए प्राइवेट खुफिया एजेंसियों की सहायता लेना। टाटा इन्स्टिट्यूट आफ सोशल साइंसिज़ की मदद से व्यवहार विज्ञान के सामाजिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन कराना। बोर्ड सदस्यों और पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं का आयोजन करना।	कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। खुफिया एजेंसी का कार्य प्रगति पर है।	65	खुफिया एजेंसी का काम प्रगति पर है।
	कुल	1162.13	336.00	179.19	53.33 %				

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(लाख रुपये में)

क्र स	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय2007-08	परिमाणनीय डयूरेबल्स	31 दिसम्बर 2007 तक खर्च
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	सीबीएफसी में प्रमाणन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपकरणों की खरीद	50.00	प्रमाणन प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत की जाएगी और 9 क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए टीवी, वी सी डी, डीवीडी और अन्य तकनीकी उपकरण खरीदे जायेंगे।	31 दिसम्बर, 2007 तक करीब 26 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें बुनियादी ढांचे , तकनीकी उपकरण, डाटा एंट्री, टीवी /डीवीडी और वीसीआर संबंधी खर्च शामिल हैं।
2.	नई दिल्ली कटक और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना और मौजूदा ढांचे को सुदृढ बनाना।	इन क्षेत्रों के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना।	50.00	पूर्वोत्तर, उत्तर भारत और उड़ीसा राज्य के निर्माताओं द्वारा सेलुलाइड और वीडियो, दोनों ही फार्मेट में तैयार विज्ञापनों और फिल्मों का प्रमाणन सिनेमैटोग्राफी अधिनियम-1952 के प्रावधानों के उल्लघनों की जांच करना।	एसएफसी की मंजूरी का इंतजार है।
3.	प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण और निगरानी	कार्यशालाओं का आयोजन, अध्ययन करवाना और सिनेमैटोग्राफी अधिनियम के उल्लंघनों की जांच में राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता के लिए खुफिया एजेंसियों को लगाना।	100.00	बोर्ड के सदस्यों और परामर्श पैनल के सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं का आयोजन। प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कराना / तत्संबंधी जानकारी एकत्र करना। राज्य सरकार की सहायता के लिए सभी 9 अंचलों के लिए खुफिया एजेंसियां काम में लगाना।	31 दिसम्बर, 2007 तक 30.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म प्रमाणन के निरीक्षण अधिकारियों/बोर्ड सदस्यों और पैनल सदस्यों की कार्यशालाओं के आयोजन और टाटा इन्स्टिट्यूट आफ सोशल साईंसिज, जैसे संगठन के जरिए अध्ययन कराके जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था है।
4.	क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग डिजिटल वीडियो प्रमाणन इकाइयों की स्थापना करना।	सीबीएफसी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति के साथ गति बनाये रखने के लिए वीएचएस के स्थान पर वीसीडी और डीवीडी प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकता है।	01.00		31 दिसम्बर 2007 तक करीब 45000 रुपये खर्च का प्रस्ताव था।

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

(उपलब्धियां)

उपलब्धियां	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धियां 2006-07		लक्ष्य 2007-08
2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसंबर 2006	जनवरी=मार्च 2007	

योजना - 1 निर्माण

1.	निर्माण	4 फीचर फिल्में	5 फीचर+2 लघु फिल्में	4 फीचर+5 लघु फिल्में	4 फीचर + 1 लघु फिल्म	5 फीचर+ 2 लघु फिल्में
2.	डबिंग	6 फिल्में	14 फिल्में	2 फिल्में पूरी हो गईं	3 फीचर + 1 लघु फिल्म	14 फिल्में
3.	उप-शीर्षक	–	10 फिल्में	2 फिल्में	करीब 5 फिल्में	10 फीचर + 2 लघु फिल्में
4.	खरीद	1. फीचर फिल्म	3. फिल्में	–	–	3 फिल्में
5.	प्रिंट की लागत	–	–	–	–	–

योजना-II-समारोह

1.	समिति द्वारा आयोजित बाल फिल्म समारोह	14 समारोह	–	स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह	–	15 बाल फिल्म समारोह
2.	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी	15	15	14	5	15

योजना-III आधुनिकीकरण और विकास

1.	वीडियो	–	–	–	–	–
2.	सूचना व प्रोद्योगिकी	मौजूदा कम्पूटरों का उन्नयन	सहायक उपकरणों की खरीद व मौजूदा कंप्यूटरों का उन्नयन	–	मौजूदा कंप्यूटरों का उन्नयन व दफ्तर के श्रम के लिए लिए सॉफ्टवेयर की खरीद	2 लैपटॉप कंम्प्यूटरों की खरीद और मौजूदा कंप्यूटरों का उन्नयन

योजना-IV - कार्यशालाएं

1.	एनिमेशन	17	8	5	3	8
2.	फिल्म निर्माण					

योजना-V - दर्शक अनुसंधान व बाजार सर्वेक्षण

–	–	–	–	–	–	–

योजना-VI डिजिटल रूपांतरण और इंटरनेट पर प्रसारण

1.	डिजिटल रूपांतरण	–	–	–	–	करीब 15 घंटों की फिल्मों के डिजिटल रूपांतरण का प्रस्ताव है
2.	इंटरनेट पर प्रसारण	–	समिति की वेबसाइट का रखरखाव			समिति की वेबसाइट का रखरखाव

योजना-VII नगर निगम के स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन

सरकारी स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन	27 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए 7026 प्रदर्शन आयोजित	25 लाख से ज्यादा बाल दर्शकों के लिए 5000 प्रदर्शन आयोजित	22 लाख से ज्यादा बाल दर्शकों के लिए 4359 प्रदर्शन आयोजित	तमिलनाडु कर्नाटक व केरल में 6 लाख बाल दर्शकों के लिए प्रर्दशनों की योजना	25 लाख बाल दर्शकों के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन

नई योजना - हैदराबाद में समिति परिसर

हैदराबाद में सी एफ एस आई बाल फिल्म परिसर	–	–	–	–	हैदराबाद में बाल फिल्म परिसर का निर्माण

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

(I) वर्ष 2005-2006 के लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय

(लाख रुपये में)

(बजट अनुमान 2005-2006)			(वास्तविक खर्च 2005-2006)		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
309.00*	5889.00	6198.00	293.89	6167.12	6461.01

* इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 31.00 लाख रुपये शामिल हैं।

वास्तविक प्रदर्शन:

वार्षिक योजना 2005-2006

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

वार्षिक योजना 2005-06 के अंतर्गत जारी एक कार्यक्रम यानी 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा और संप्रेषण' के लिए 309.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। मार्च 2006 तक इसमें से 293.89 लाख रुपये खर्च किए गए। इस प्रकार वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में 95.10 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गयी। यह योजना कार्यक्रम बाह्य प्रचार, मुद्रित प्रचार, डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन, तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यम पर सूचना संप्रेषण के जरिए लागू किया गया।

1. **बाह्य प्रचार :-** "राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सदभाव'' और "तंबाकू विरोधी'' अभियान के लिए बाह्य प्रचार के अंतर्गत 61 होर्डिंग्स, 1830 बस पैनल, 535 किऑस्क, 18 एनिमेशन डिस्प्ले प्रणालियां, 125 मैट्रो ट्रेन इन्साइड पैनल, 10 मैट्रो किऑस्क और 10 मैट्रो डिस्प्ले बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश भर में प्रदर्शित किए गए।

2. **मुद्रित प्रचार :-** यूपीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में पुस्तिकाओं की 2,55,000 प्रतियां हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित और देश भर में वितरित की गयीं।

3. **डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन :-** डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जयंती, दहेज विरोध, ध्वनि प्रदूषण, एचआईवी एड्स, सरदार पटेल जयंती और गणतंत्र दिवस के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए।

4. **इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर सूचना संप्रेषण :-** दूरदर्शन और प्राइवेट चैनलों के जरिए देशभर में विभिन्न अभियानों के अंतर्गत प्रचार किया गया। इसके अंतर्गत महिला अधिकारिता और महिलाओं से संबद्ध मुद्दों के बारे में टीवी स्पॉट्स फिल्में बनायी गयीं और प्रदर्शित की गयीं। स्वच्छता के बारे में वीडियो स्पॉट दिखाया गया। एचआईवी/एड्स और भारत उदय के बारे में वीडियो/ऑडियो स्पॉट दूरदर्शन और निजी चैनलों के जरिए प्रदर्शित/प्रसारित किए गए।

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

वर्ष 2005-06 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं:

क्र.स	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	650	810
2	डिस्प्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	22571	23384
3	रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन	5735	4975@
4	मुद्रित प्रचार	170	184*
5	बाह्य प्रचार	250	470

@ इसके अंतर्गत सभी भाषाओं में तैयार किए गए रेडियो स्पॉट्स/प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम शामिल हैं। जिनमें 83395 प्रसारण और 50528 टेलीकास्ट शामिल हैं।

* विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 535 आइटम शामिल हैं।

(II) वर्ष 2006-2007 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

बजट आबंटन

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
259.00*	5925.0	6184.00

* इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 26.00 लाख रुपये शामिल हैं।

वास्तविक प्रदर्शन:

क) वार्षिक योजना 2006-07 :- पहले से जारी 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा और संप्रेषण' के लिए 259.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 26.00 लाख रुपये का स्वीकृत परिव्यय भी शामिल था। 31 दिसम्बर, 2006 तक इस राशि में से 74.03 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे।

उपलब्धियां :-

वार्षिक योजना 2006-07 में वर्णित योजना कार्यक्रम विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए लागू किये जा रहे हैं।

1. **बाह्य प्रचार :-** बाह्य प्रचार के जरिए "बालिका शिशु" और "बाल विवाह" के बारे में पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर में 75 होर्डिंग्स, 1400 बस पैनल, 40 मैट्रो पिलर किऑस्क, 100 मैट्रो ट्रेन इन्साइड पैनल, 550 ट्रेन पैनल और 10 मैट्रो किऑस्क प्रदर्शित किए गए।

2. **मुद्रित प्रचार :** यूपीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में पुस्तिकाओं और 'रिपोर्ट टू द पीपल' की 97,000 प्रतियां हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित और वितरित की गयीं।

3. **डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन:-** सरदार पटेल जयंती, सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए।

4. **इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर सूचना संप्रेषण:-** इस वर्ष के मुख्य प्रचार अभियानों में महिला अधिकारिता और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में टेलीविजन स्पॉट्स का निर्माण और प्रदर्शन, गांधीजी के बारे में वीडियो/ऑडियो स्पॉट का प्रदर्शन, भारत उदय और नक्सलवाद की समस्या के बारे में वीडियो/ऑडियो स्पाट का प्रदर्शन/प्रसारण शामिल हैं। ये अभियान दूरदर्शन और कुछ प्राइवेट चैनलों के माध्यम से देशभर में चलाए गए।

(ख) योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग 2006-07)

क्र.स	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां 31.03.07 तक प्रत्याशित उपलब्धिया
1	प्रदर्शनी	650	665
2	डिस्प्ले/वगीकृत विज्ञापन	25435	22466
3	रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन	4595	2764@
4	मुद्रित प्रचार	160	195*
5	बाह्य प्रचार	250	250

@ इसके अंतर्गत सभी भाषाओं में तैयार किए गए रेडियो स्पॉट्स/प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम शामिल हैं। जिनमें 50450 रेडियो प्रसारण और 56618 टेलीकास्ट शामिल हैं।

* विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 600 आइटम शामिल हैं।

(III) वर्ष-2007-08 के लिए लक्ष्य

वित्तीय

बजट अनुमान

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
2601.00*	6139.25	8740.25

* इसमें देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 226.00 लाख रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

भौतिक लक्ष्य

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

क्र.स	ब्योरा	लक्ष्य
1	प्रदर्शनी	650
2	डिस्प्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	25435
3	रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन	5940
4	मुद्रित प्रचार	205
5	बाहय प्रचार	250

डीएवीपी की वार्षिक योजना : 2007-08

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की बहु-मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करती है और उन्हें एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करती है। यह ग्रामीण और शहरी लोगों को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देती है और उन्हें विकास गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है।

वार्षिक योजना 2007-08 के अंतर्गत 2 कार्यक्रम यानी (i) पहले से जारी "विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचना : धारणा और संप्रेषण" तथा (ii) "डीएवीपी का आधुनिकीकरण" नामक नया कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के लिए कुल 2601.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें 260.00 लाख रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शामिल हैं। पहले से जारी कार्यक्रम "विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचना : धारणा और संप्रेषण" का संबंध सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों के प्रसार के बारे में राष्ट्रीय महत्व के अभियानों से है। ये अभियान बहु-प्रचार माध्यमों यानी प्रदर्शनी, बाह्य प्रचार, इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर सूचना संप्रेषण और वर्गीकृत विज्ञापन तथा मुद्रित प्रचार के जरिए चलाए जाते हैं।

वार्षिक योजना 2007-08

(लाख रुपये में)

क्र स	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2007-08 (प्रस्तावित परिव्यय)	सामान्य घटक	पूर्वोत्तर घटक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचना :धारणा और संप्रेषण			
	क) प्रदर्शनी	30.00	27.00	3.00
	ख) डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन	1000.00	900.00	100.00
	ग) इलेक्ट्रोनिक मीडिया सूचना संप्रेषण	1500.00	1350.00	150.00
	घ) मुद्रित प्रचार	40.00	36.00	4.00
	ङ) बाहय प्रचार	30.00	27.00	3.00
	कुल (एक)	**2600.00**	**2340.00**	**260.00**
2.	डीएवीपी का आधुनिकीकरण			
	क) कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण	1.00	1.00	0.00
	ख) कार्यालय ढांचा			
	ग) मानव संसाधन विकास			
	कुल (2)	**1.00**	**1.00**	**0.00**
	कुल योग	**2601.00**	**2341.00**	**260.00**

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

विगत कार्य निष्पादन की समीक्षा

वित्तीय कार्य निष्पादन

(हजार रुपये में)

योजना/गैर-योजना	2005-06		2006-07		2007-08
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
योजना	22600	5667	11301	7956	1200
गैर-योजना	231200	23441	262595	198600	259910

2005-6 - इसमें दो योजना स्कीमों फिल्म एवं कैसेट की खरीद तथा कैपिटल स्टाफ का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन' है। पहली स्कीम के तहत 3463 कैसेट/सी.डी. खरीदी गईं तथा दूसरी स्कीम के तहत 15 डाटा प्रोजेक्टर, 15 डी.वी.डी. प्लेयर, 50 डब्ल्यू.पी.ए. प्रणाली खरीदी गई और 4 कम्पयूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। लक्ष्य की प्राप्ति में कमी इस कारण से थी कि वित्त मंत्रालय के प्रतिबध आदेश के कारण गाडियां नहीं खरीदी जा सकीं तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष में आपूर्ति न कर पाने के कारण कम्प्यूटर नहीं खरीदे जा सकें।

2006-07 -प्रथम स्कीम 'फिल्म एवं कैसेटों की खरीद' के तहत फिल्म प्रभाग तथा डी.ए.वी.पी. को आदेश दिए गए तथा पूरी धनराशि जारी की गई। दूसरी स्कीम के तहत 69.564 लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया तथा वायरलैस सिस्टम, डाटा प्रोजेक्टर, डी.वी.डी. प्लेयर आदि के लिए खरीद आदेश दे दिए गए।

वास्तविक (कार्यक्रम) निष्पादन

(हजार रुपये में)

योजना (गैर-योजना)	2005-06		2006-07		2007-08
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
दौरे वाले दिन	33816	29053	33816	14626	28536
फिल्म शो	60924	40422	60924	25443	59556
विशेष कार्यक्रम	7380	10977	7380	4758	7380

2005-06 - उपलब्धियों में कमी का कारण डी एफ पी में स्टाफ और गाड़ियों की कमी है।

2006-07 - उपलब्धियों में कमी का कारण डी.एफ.पी. में स्टाफ और गाड़ियों की कमी है।

फिल्म समारोह निदेशालय

गैर-योजना शीर्ष के तहत 2005-06 तथा 2006-07 (31.12.2006 तक) के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2005-06 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2005-06	कमी के कारण	2006-07 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2006-07 से 31.12.06 तक	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वेतन	–	–			–	–
2.	समयोपरि भत्ता	–	–	–	–	–	–
3.	घरेलू व्यय	–	–	–	–	–	–
4.	कार्यालय व्यय	–	–	–	–	–	–
5.	किराया, दर, कर	–	–	–	–	–	–
6.	लघु कार्य	–	–	–	–	–	–
7.	मजदूरी	–	–	–	–	–	–
8.	अन्य प्रभार	–	–	–	–	–	–
9.	देश विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन	*12	14	शून्य	12	3	**
10.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	*01	01	शून्य	01	**	**
11,	बैंकिंग रोकड़ विनिमय कर	–	–	–	–	–	0
12.	चिकित्सा खर्च	–	–				
	कुल						

* अंतिम भुगतानस्तर पर बढ़ाई गई राशि

* कार्यक्रमों की संख्या

* फिल्मों का चयन मेजबान देश द्वारा अपनाए गए मानदंड पर निर्भर करता है

* राष्ट्रीय जूरी द्वारा फिल्म का चयन पूरा कर लिया गया है। केवल पुरस्कार समारोह ही होना शेष है जिसे अदालती मुकद्दमें के कारण रोका हुआ है।

योजना शीर्ष के तहत 2005-06 तथा 2006-07 (31.12.2006 तक) के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

(हजार रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2005-06 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2005-06	कमी के कारण	2006-07 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2006-07 31.12.06 तक	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेश यात्रा खर्च	–	–	–	–	–	–
2.	भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन	01	01	शून्य	01	01	शून्य
3.	(i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	45	52	शून्य	45	35	शून्य
	(i) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य
4.	फिल्म समारोह परिसर फेरबदल और अतिरिक्त	*	–	*	–	–	*
	कुल						

* योजना के तहत "एफ एफ परिसर का नवीनीकरण और सुविधाओं में सुधार" के घटक को लागू करने की प्रशासनिक स्वीकृति चालू वर्ष के दौरान दी जा चुकी है। इसकी कुल लागत 3.18 करोड़ रुपये है। सी सी डब्ल्यू के जरिये कार्यों को करने के लिए 2.10 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति भी दिसम्बर, 2006 में जारी कर दी गई।

फिल्म प्रभाग

निर्माण गतिविधि

(लाख रुपये में)

2005-06 का वास्तविक			2006-07 का बजट अनुमान			अनुमोदित बजट अनुमान 2006-07			अनुमोदित बजट अनुमान 2007-08		
योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़
00.00	820.10	820.10	00.00	923.04	923.04	00.00	810.04	810.04	00.00	846.94	846.94

अ. (वृत चित्र - न्यूज मैगजीन सहित)

		उपलब्धिया 2005-06	लक्ष्य 2006-07	अप्रैल 2006 से दिसंबर 2006 से	संभावित उपलब्धियां 2006-07 जनवरी 2007 मार्च 2007	लक्ष्य 2006-07
1.	**फिल्म प्रभाग द्वारा निर्माण**					
	अ. गैर-योजना			4	4	
(i)	न्यूज मैगजीन	12	0(*)	10		
(ii)	वृत्तचित्र सिनमा रिलीज	24	26	17	20	26
(iii)	वृत्तचित्र गैर-सिनेमा रिलीज	12	10	7	5	10
(iv)	शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संबंधी फिल्में	4	0	2	1	0
	जोड़	52	36	36	30	36
2.	बाहरी निर्माताओं सहित बाहर करवाया निर्माण					
अ	गैर योजना (वृतचित्र)	6	0(*)	2	3	0(*)
	जोड़	**6**	**0**	**38**	**33**	**0**

(*) फिल्म प्रभाग केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों की विदेश यात्राओं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं/आपदाओं पर फिल्में बनाता है। अतः न्यूज मैगजीन फिल्मों के निर्माण का कोई लक्ष्य तयं

नहीं होता। लेकिन फिल्म प्रभाग का प्रयास होता है कि हर साल कुल 52 वृत्तचित्र जरूर बनाए जाएं ताकि हर हफ्ते उसके सिनेमा मार्केट द्वारा सिनेमाघरों को फिल्में उपलब्ध कराई जाती रहें।

(**) बाहरी निर्माताओं से गैर-योजना (वृत्तचित्र) बनवाने का कोई लक्ष्य तय नहीं है। फिल्मों की संख्या धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

3. योजना

	उपलब्धि 2005-06	लक्ष्य 2006-07	संभावित उपलब्धियां 2006-07		लक्ष्य 2007-08
			अप्रैल 2006 से दिसं. 2006 तक	जन. 2007 से मार्च 2007 तक	
फिल्म प्रभाग के निदेशकों एवं बाहरी निर्माताओं द्वारा विशेष लघु कथा चित्रों का ग्रामीण दर्शकों के लिए निर्माण			स्कीम बंद कर दी गई है		

उक्त फिल्मों के अलावा नीचे लिखी फिल्में भी बनाई गईं जिनका खर्च अन्य विभागों द्वारा वहन किया गया -

विभाग	उपलब्धियां 2005-06	लक्ष्य 2006-07	संभावित उपलब्धियां 2006-07		लक्ष्य 2007-08
			अप्रैल 2006 से दिसं. 2006 तक	जनवरी 2007 से मार्च 2007 तक	
1. परिवार कल्याण विभाग (24 रीलें)	2	0	0	1	0
2. अन्य विभाग	0	0	1	0	0
जोड़	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**

नोट : फिल्म प्रभाग सिनेमाघरों को देने के लिए वृतचित्र एवं न्यूज मैगजीन बनाता है। रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण आदि के लिए बनाई जाने वाली फिल्में इसमें शामिल नहीं हैं।

ब. न्यूज मैगजीन

अ. न्यूज मैगजीन का निर्माण उप मुख्य निर्माता (न्यूज रील) के नेतृत्व में एक अधिकारी दल द्वारा किया जाता है। इनका मुख्यालय मुंबई है। 13 मुख्य कैमरामैन एवं 5 सहायक कैमरामैन मुंबई, कोलकता, चेन्नई और नई दिल्ली आदि में तैनात हैं। मुख्य कैमरामैन न्यूज मैगजीन एवं दूरदर्शन द्वारा इस्तेमाल के लिए अन्य केंद्रों से भी घटनाओं की फिल्मों प्राप्त करने की व्यवस्था करता है।

ब. 2005-06 के दौरान फिल्म प्रभाग ने 12 न्यूज मैगजीन तैयार थीं। 2006-07 के दौरान 14 न्यूज मैगजीन तैयार किए जाने का कार्यक्रम हैं लेकिन सरकार ने सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए कोई न्यूज मैगजीन न बनाने का फैसला किया है। इसके बाद 52 वृतचित्र बनाए जाएगे- हर हफ्ते एक फिल्म/ राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और अति विशिष्ट व्यक्तियों की विदेश यात्राओं का कवरेज चीफ कैमरामैन द्वारा जारी रखा जाएगा।

4. वितरण

फिल्म प्रभाग सिनेमा और गैर-सिनेमा वर्गो की न्यूज मैगजीनों और वृतचित्रों के विवरण का काम संभालता है। सिनेमा के लिए वितरण सिनेमाघरों के जरिए किया जाता है। अनिवार्य प्रदर्शन स्कीम के तहत उन्हें 609 मीटर (2001 फीट) तक अनुमोदित फिल्में दिखना जरूरी है।

(वित्तीय)

(लाख रुपये में)

	2005-06 का वास्तविक		2006-07 का बजट अनुमान			अनुमोदित बजट अनुमान 2006-07			अनुमोदित बजट अनुमान 2007-08		
योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़
00.00	1180.94	1180.94	00.00	1307.64	1307.64	0.00	1147.55	1147.55	0.00	1199.83	1199.83

प्रत्यक्ष

प्रिंटिंग एवं कैसेट की संख्या	उपलधियां 2005-06	लक्ष्य 2006-07	उपलब्धियां 12/2006 तक	संभालित उपलब्धियां 01/2007 से 03/2007 तक	लक्ष्य 2007-08
सिनेमा रिलीज	14150	14000	9791	3290	13,500
गैर सिनेमा रिलीज	128	245	65	180	200
डी एफ पी को वी एच एस कैसेट की सप्लाई	7613	10,000	183	1600	4,000
डी एफ पी को वीसीडी की सप्लाई	273		1207	1500	4000
प्रिंट्स की बिक्री					
35 एमएम/16 एम एम (कलर)	0	25	0	10	10
35 एम एम/16 एम एम (ब्लैक/व्हाईट)	4	25	0	8	5
बीटा (ब्लैक एंड व्हाइट)	7	0	4	0	0
बीटा (कलर)	0	10	0	10	20
डीवीडी (कलर)	241	0	0	0	20
वीएचएस कैसट (कलर)	1364	2000	185	1000	3000
वीसीडी (कलर)	2268	5000	996	2000	4000
परिवार कल्याण					
बीटा (कलर)	0	10	0	10	10
वी एम एस कैसेट्स	0	10	0	10	10
वीसीडी	0	20	0	10	20

2. जिन सिनेमाघरों को अनुमोदित फिल्में दिखाने के लिए हर हफ्ते फिल्में सप्लाई की गईं, उनकी संख्या नीचे दी जा रही है।

2005-06	9480
2006-07	9376
2007-08	9372

3. सिनेमा वितरण के लिए फिल्म प्रभाग हर सप्ताह एक न्यूज मैगजीन या वृत्तचित्र जारी करता है और इसके लिए पूरे देश को एक सर्किट माना जाता है। हर हफ्ते 353 प्रिंट तैयार किये जाते हैं।

4. फिल्म प्रभाग एन एफ डी सी एवं अन्य एजेंसियों के जरिये अपनी फिल्मों का विदेशों में वाणिज्यिक वितरण करता है इसके अतिरिक्त वह सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों पर स्टाफ शाट्स भी बेचता है।

5. विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय दूतावासों को फिल्म प्रभाग के वृतचित्रों और न्यूज मैगजीन के प्रिंट भेजे जाते हैं। वे इन्हें सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संगठनों, शिक्षा संस्थानों आदि को नि:शुल्क दिखाने के लिए देते हैं। ये प्रिंट विदेशों में गैर-वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए बेचे भी जाते हैं। फिल्म प्रभाग कुछ वृत्तचित्रों और न्यूजरील्स को विदेश में वाणिज्यिक आधार पर रॉयल्टी लेकर भी बेचे जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी इसमें सहयोग करता है।

6. फिल्म प्रभाग द्वारा देश में वाणिज्यिक प्रदर्शन, प्रिंट्स की बिक्री और स्टॉफ शाट्स बेचने तथा फिल्मों का कबाड़ बेचने से 2005-06 में कमाए गए राजस्व और 2006-07 तक अनुमानित राजस्व का विवरण दिया जा रहा है।

राजस्व - दिसंबर 2006 तक (लाख रुपये में)

	लघु शीर्ष	2005-06 में वास्तविक	संभावित प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2006-07	अनुमान 2007-08
1.	किराया	811.00	900.00	800.00
2.	प्रिंट्स और स्टॉफ शाट्स	39.33	17.02	18.00
3.	अन्य प्राप्तियां	25.29	6.00	6.00
	जोड़	875.62	923.02	824.00

1. अधिकांश फिल्म प्रदर्शकों ने मांग किए जाने के बावजूद 1995-1999 की अवधि की राशि नहीं अदा की जिसे देखते हुए संबद्ध राज्यों के उच्च न्यायालयों के समक्ष डब्लूपीएम/डब्लू ए एस दायर किया गया।

2. उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली पंजाब और मध्य प्रदेश के 500 से अधिक सिनेमाघरों ने वित्त वर्ष के दौरान फिल्म प्रभाग से अनुमोदित फिल्मे लेना बंद कर दिया।

5. प्रशासनिक व्यय

2005-06 के लिए वास्तविक			2006-07 का बजट अनुमान			2006-07 का अनमोदित संशोधित अनुमान			2007-08 का अनुमोदित बजट अनुमान		
योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़	योजना	गैर योजना	जोड़
00.00	301.02	301.02	00.00	333.32	333.32	00.00	292.51	292.51	00.0	305.84	305.84

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी

	समारोहों की संख्या	फिल्मों की संख्या जिन्हें प्रविष्टि दी गई
राज्य फिल्म समारोह	21	270
राष्ट्रीय फिल्म समारोह	04	28
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	06	60
जोड़	**31**	**358**

वित्तीय आवश्यकताएं
'क' कार्यकलापवार वर्गीकरण
(राजस्व)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि	2005-06 के लिए वास्तविक			स्वीकृत बजट अनुमान 2006-07			स्वीकृत संशोधित अनुमान 2006-07			स्वीकृत बजट अनुमान 2007-08		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उत्पादन	0.00	820.10	820.10	0.00	923.04	923.04	0.00	810.04	810.04	0.00	846.94	846.94
2	वितरण	0.00	1180.94	1180.94	0.00	1307.64	1307.64	0.00	1147.55	1147.55	0.00	1199.83	1199.83
3	प्रशासन	0.00	301.02	301.02	0.00	333.32	333.32	0.00	292.51	292.51	0.00	305.84	305.84
	कुल	0.00	2302.06	2302.06	0.00	2564.00	2564.00	0.00	2250.10	2250.10	0.00	2352.61	2352.61

वास्तविक आधार पर योजना कार्यक्रमों पर व्यय

विश्लेषण के बाद 36:51:13 के अनुपात में गैर-योजना व्यय

भारत और विदेश में फिल्म समारोहों में भागीदारी

फिल्म स्कन्ध में दो मुख्य सचिवालय योजना कार्यक्रम हैं, यानी (i) विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी और (ii) फिल्मों की चोरी की रोकथाम में लगे गैर-सरकारी संगठनों/समारोहों को सहायता। वर्ष 2005-06 के दौरान उपरोक्त दोनों योजनाओं का कार्य निष्पादन इस प्रकार रहा :-

(i) विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी : यह योजना एसएफसी द्वारा 2002 में मंजूर की गयी थी। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग द्वारा स्वयं निर्यात संवर्द्धन के उपाय करने में समर्थ होने अथवा इस निर्णय को देखते हुए कि कुछ बाजारों का लाभकारी दोहन नहीं किया जा सकता, उसकी सहायता करना है। वास्तव में फिल्म बाजारों में फिल्म उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर खर्च करने की आवश्यकता है।

फिल्म बाजारों में भागीदारी का प्रयोजन भारतीय फिल्म उद्योग को उजागर करना है, और साथ ही फिल्मों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी हासिल करना है ताकि वास्तविक व्यापार में संलग्न होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। विश्व में केन्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म समारोह आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार और समारोह की सफलता को देखते हुए सरकार का प्रयास है कि भारत में फिल्म बाजार के आयोजन सहित भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन का प्रत्येक अवसर प्रदान किया जा सके।

इस कार्यक्रम के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उन्हें हासिल भी किया गया, किंतु ऐसे लाभों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी इस उद्योग का स्थिर और निरंतर विकास स्पष्ट रूप से हुआ है। वर्ष 2005-06 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की गयी/जारी की गयी धनराशि का ब्योरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

बजट अनुमान 2005-06	**संशोधित अनुमान 2005-06**	**जारी धन**
100.00	100.00	99.00
बजट अनुमान 2006-07	**संशोधित अनुमान 2006-07**	**दिसंबर 2006 तक जारी धन**
100.00	100.00	62.00

(ii) फिल्म चोरी की रोकथाम (एंटी-पाइरेसी) में लगे गैर-सरकारी संगठन तथा फिल्म समारोह

इस कार्यक्रम के निम्नांकित तीन घटक है :-

क) एफएफएसआई को सहायता अनुदान

ख) फिल्म चोरी रोकथाम

ग) राज्य प्रायोजित फिल्म समारोहों को सहायता।

एफएफएसआई करीब 250 फिल्म समितियों का शीर्ष संगठन है, जिसे सहायता अनुदान दिया जाता है ताकि सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म संवेदना और श्रोताओं की अभिरुचि का विकास करने में उनकी सहायता की जा सके। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एफएफएसआई के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। 2005-06 की वार्षिक योजना में किए गए 4 लाख रुपये के प्रावधान की समूची राशि जारी की गयी। वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान अभी तक 3 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के दूसरे घटक यानी ''फिल्म चोरी की रोकथाम में लगे गैर सरकारी संगठनों/फिल्म समारोहों के आयोजन को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में 16 लाख रुपये के प्रावधान के साथ कुल 80 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया था। इस उपघटक की एक गतिविधि का संबंध फिल्म चोरी रोकने से संबद्ध है और अन्य गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन में राज्य सरकार के निकायों को सहायता देने से संबद्ध है। पिछले और चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

बजट अनुमान 2005-06	**शोधित अनुमान 2005-06**	**जारी धन**
20.00	20.00	12.78
बजट अनुमान 2006-07	**संशोधित अनुमान 2006-07**	**दिसंबर 2006 तक जारी धन**
20.00	20.00	18.50

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

शैक्षणिक निष्पादन

वर्ष 2006-07 के दौरान इस संस्थान में विभिन्न पाठक्रमों के लिए 221 छात्रों ने पंजीकरण कराया हुआ था :

फिल्म एवं टी.वी.में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम	टी.वी. में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठयक्रम अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छाया चित्रों में पटकथा लेखन का एक एक ग्राफिक्स में वर्षीय स्नातकोत्तर पाठक्रम	एनीमेशन एवं कंप्यूटर डेढ़ वर्षीय पाठयक्रमप्रमाणपत्र पाठयक्रम
118 कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम 12	30 38 जोड़ 221	11	12

सभी छात्र पास हो गए हैं। अतीत की तरह हमारे छात्र तकनीकी एवं सौंदर्य शास्त्र - दोनों ही दृष्टियों से सिनेमा का स्तर बढ़ाने में सक्रिय रहे हैं। भारतीय सिनेमा के हर क्षेत्र में उनका स्पष्ट योगदान रहा है।

प्रत्यक्ष निष्पादन

वर्ष 2005-06 प्रमुख स्कीमों के लिए रु. 220.60 लाख का योजना अनुदान स्वीकृत किया गया था। ये हैं - (1) एफटीआईआई, पुणे का समुन्नयन एवं आधुनिकीकरण तथा (2) एफटीआईआई पुणे का मानव संसाधन विकास।

इन दोनों उद्देश्यों से लक्ष्य पूरे किए गए। कमी केवल यह रही कि छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 2.67 लाख की राशि का इस्तेमाल नहीं हो सका और मानव संसाधन विकास की यह स्कीम अधूरी रही।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

शैक्षणिक प्रदर्शन

वर्ष 2006-07 के दौरान, संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों में 71 छात्र दाखिल हैं। इस संस्थान से निकले कई छात्र फिल्म उद्योग में सफल सिद्ध हुए हैं और भारतीय सिनेमा के प्रति उनका योगदान साफ दिखाई देता है।

वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 37 छात्रों ने डिप्लोमा कोर्स पूरे किए हैं।

भौतिक प्रदर्शन

वर्ष 2006-07 के दौरान, निम्नलिखित स्कीमों पर अमल के लिए 794.00 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था।

समाज को मिले फायदे को वित्तीय पैमाने पर नहीं मापा जा सकता है। ये परिणाम भी वार्षिक परिव्ययों के सीधे परिणाम नहीं हैं। ये पिछले कई सालों से सरकार के निवेश का संचयी प्रभाव हैं।

इस प्रकार, फिल्म और फिल्म से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकार सत्यजित रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की देन हैं।

क्रमांक	स्कीम का नाम
1	प्रशिक्षण तथा कौशल विकास
2	छात्रवृत्ति, छात्र/संकाय विनिमय कार्यक्रम
3	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण तथा मानव संसाधन सहित बुनियादी ढांचा
4	कैप्टिव टेलीविजन की स्थापना
5	सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना

उपरोक्त स्कीमों के लिए मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत केवल 3.91 लाख रुपए की राशि का उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत छात्रों की कमी पड़ गई थी।

भारतीय जनसंचार संस्थान

योजना	2005-06			2006-07		
का नाम	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने के कारण	वास्तविक लक्ष्य	दिसंबर 2006 तक की उपलब्धियां	लक्ष्य पूरा न होने के कारण
निर्माण और आवास परियोजना	छात्रावास इमारत, निदेशक, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और वार्डेन इत्यादि के आवास के निर्माण कार्यों को पूरा करना। छात्रावास और निदेशक के आवास की सजावट।	मरम्मत का कार्य पूर्ण। निदेशक के आवास का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण और इलेक्ट्रीकल/इंटीरियर कार्य लिया गया। 14 कमरों वाली छात्रावास इमारत का निर्माण कार्य जारी।	आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए जेएनयू से क्लीयरेंस नहीं मिली।	आडीटोरियम में अग्नि-शामक उपकरणों की स्थापना; निदेशक के आवास की सजावट, छात्रावास इमारत का सिविल/ इलेक्ट्रिकल कार्य पूरा। छात्रावास इमारत की सजावट, परियोजना पूरी, ओ/एस बिलों का सेटलमेंट	निदेशक के आवास का निर्माण कार्य पूरा। 14 कमरों वाली छात्रावास इमारत का निर्माण कार्य जारी	सीसीडब्ल्यू की वार्षिक योजना में बजट प्रावधानों की कमी की वजह से ऑडीटोरियम में अग्निशमन उपकरण नहीं लगाए जा सके।
इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट/ रेडियो और टीवी पत्रकारिता के लिए सुविधाओं का आधुनिकी-करण और विस्तार	ऑटोमैटिक प्रिंटिंग मशीन और टीवी स्टूडियो करेक्टर जनरेटर, पोर्टेबल वीडियो एडीटर, आनलाइन डाटा नेटवर्क की सदस्यता, सामुदायिक रेडियो परियोजना और इंटरनेट कनेक्टिविटी का सुधार कार्य करना।	2004-05 के दौरान मांगे गए उपकरणों को प्राप्त किया और डिजिटल वेन तथा कैमरा चेन उपकरण प्राप्त करने के लिए आदेश दिए गए। डिजिटल वेन के लिए उपकरणों की आंशिक प्राप्ति।	संस्थान द्वारा बीईसीआईएल को जिन उपकरणों की आपूर्ति के आदेश दिए गए थे उनको अप्रैल 2006 में मिलने की उम्मीद है।	टीवी केमरा चेन और डिजिटल वेन प्राप्त करना और उपकरणों को कमीशन करना। ऑडियो-विजुअल तथा आईटी संबंधी आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करना।	बीईसीआईएल को उपकरणों को प्राप्त करने के लिए आर्डर दे दिए गए। कैमराचेन उपकरण और डिजिटेल वेन प्राप्त हो चुकी है और बाकी कुल बिल (डिजिटल वेन को छोड़कर) समायोजित कर लिए गए हैं। 25 लाख रुपये के उपकरण तय कर लिये गए हैं और इसकी खरीद के लिए अधिकृत स्वीकृति ले ली गई है। शेष उपकरणों (33 लाख रु. मूल्य) का चयन कर लिया गया है।	योजनानुसार स्कीम लागू की जा रही है।
अनुसंधान और मूल्यांकन	जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर 3-4 अनुसंधान अध्ययन	तीन अनुसंधान अध्ययन पूरे किए और एक नया अध्ययन	संस्थान में संकाय पदों के रिक्त होने के चलते योजनाओं	जनसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन कराना।	आन लाइन पुस्तकों को अपडेट करने का काम	योजनानुसार स्कीम लागू की जा रही हैं।

अध्ययन	कराना; नए मीडिया केंद्र के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा फर्नीचर इत्यादि प्राप्त करना तथा डिजिटिलाइजेशन; इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सदस्यता; हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए अंग्रेजी पुस्तकों/लेखों का अनुवाद; हिंदी पत्रकारिता के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण; मास मीडिया संबंधी पुस्तकें लिखने के लिए प्रमुख लेखकों को फेलोशिप प्रदान करना। हिंदी पत्रकारिता में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पाठ्य संदर्भ सामग्री प्राप्त करना	हाथ में लिया। फर्नीचर और हार्डवेयर प्राप्त किया। नए मीडिया केंद्र के लिए उपकरणों की खरीद के लिए आर्डर दिए गए। हिंदी में पुस्तकों का अनुवाद कार्य जारी। 'मैनी वाइसेज एंड वन वर्ल्ड' नाम की पुस्तक हिंदी में प्रकाशित की गई।	के कुछ कार्यक्रम पूरी तरह लागू नहीं किए जा सके।	इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना। आनलाइन पुस्तकों को अपडेट करना। हिंदी में संचार। नए मीडिया केंद्र के लिए नई पुस्तकों/संदर्भ सामग्री की खरीद। शीर्षकों के डाटाबेस का सृजन और कंप्यूटर टर्मिनल पर उपयोग के के लिये उपलब्ध कराना।	जारी। पीआईबी के 'जनसूचना अभियान' पर अनुसंधान अध्ययन का काम हाथ में लिया। पुस्तकों के शीषकों के डाटाबेस के सृजन का कार्य जारी। यूनेस्को प्रकाशन के अंतिम संपादन में प्रगति। आलोक वर्मा की पुस्तक की पांडुलिपि अंतिम संपादन के लिए तैयार। 'इंस्टीट्यूट अलुम्नाई' पर एक अनुसंधान अध्ययन पूरा। डीएवीपी के लिए प्रायोजित अनुसंधान का काम हाथ में लिया।	
क्षेत्रीय शिक्षण केंद्रों के साथ सहयोग	परामर्श प्रदान कर क्षेत्रीय केंद्रों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना, शिक्षण सहायता, विशेषज्ञता और लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं इन केंद्रों पर जनसंचार/पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान के अपने केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकारों/क्षेत्रीय केंद्रों को प्रोत्साहन देना।	नगालैंड विश्वविद्यालय के लिए उपकरण स्थानांतरित किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पत्रकारों के लिए लघु कार्यशालाएं आयोजित की।	अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के चलते कश्मीर विश्वविद्यालय और अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग नहीं हो सका।	क्षेत्रीय शिक्षण केंद्रों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम आयोजित करना।	पूर्वोत्तर के प्रशिक्षु पत्रकारों के लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। नगालैंड विश्वविद्यालय के छात्र संस्थान में आए और पढ़ने तथा इंटर्नशिप के लिए यहां ठहरे/कुछ कक्षाएं उनके लिए आयोजित की गईं।	किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी सहयोग नहीं हो सका।

पाठ्यक्रमों की उपलब्धियां और लक्ष्य

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	2005 -2006		2006-2007		2007-08
	नियमित पाठ्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दिल्ली और ढेंकनाल)	2 पाठ्यक्रम (45* + 40)	2 पाठ्यक्रम (41* + 39)	2 पाठ्यक्रम (45* + 40)	2 पाठ्यक्रम	2 पाठ्यक्रम (45*+ 40)
2.	विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 पाठ्यक्रम (50*)	1 पाठ्यक्रम (50)	1 पाठ्यक्रम (50*)	1 पाठ्यक्रम (50*)	1 पाठ्यक्रम (50*)
3.	हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (40)	1 पाठ्यक्रम (40)
4.	रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 पाठ्यक्रम (35*)	1 पाठ्यक्रम (35*)	1 पाठ्यक्रम (35*)	1 पाठ्यक्रम (35*)	1 पाठ्यक्रम (35*)
5.	पत्रकारिता (ढेंकनाल में उड़िया) में नौ महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 पाठ्यक्रम (15)	1 पाठ्यक्रम (15)	1 पाठ्यक्रम (15)	1 पाठ्यक्रम (15)	1 पाठ्यक्रम (15)
6.	विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	2 पाठ्यक्रम (25 + 25)	2 पाठ्यक्रम (22 + 24)	2 पाठ्यक्रम (25 + 25)	2 पाठ्यक्रम (20 + 23)	2 पाठ्यक्रम
7.	आईआईएम ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन/ गोष्ठियां, प्रायोजित और रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों सहित	25	15	25	25 से 31 जनवरी 2007 तक	25

*आंकडों में एनआरआई उम्मीदवार शामिल हैं।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

वित्तीय समीक्षा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वास्तविक व्यय 2004-05	वास्तविक व्यय 2005-06	स्वीकृत बजट अनुसार 2006-07	संशोधित अनुमान 2006-07	31.12.06 तक वास्तविक व्यय
1.	चालू योजना फिल्मों की प्राप्ति एवं अभिलेखा फिल्मों का प्रदर्शन	0.71	1.08	0.73	0.73	0.61
2.	नई योजना एनएफएआई पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य	0.40	3.00	4.00	6.47	4.00
	कुल	1.11	4.08	4.73	7.20	4.61

वास्तविक उपलब्धियां

अप्रैल से दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान अभिलेखागार ने 249 पुस्तकें, 29 स्लाइडें, 32 फिल्म फोल्डर, 197 फिल्म स्क्रिप्ट्स, 982 छाया चित्र, 182 गीत पुस्तिकाएं, 28200 पत्र कतरनें, 178 दीवार पोस्टर्स, 18 वीडियो कैसेटें, 105 डीवीडी प्राप्त कीं तथा 868 इमेजों को सीडी में परिवर्तित किया। 16 भारतीय फिल्मों में अंग्रेजी के सबटाइटल लगाए गये।

एनएफएआई पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य

एनएफएआई पुणे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2007 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

योजनावार वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां
(2005-06 और 2006-07)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वास्तविक लक्ष्य 2005-06	वास्तविक उपलब्धियां 2005-07	वास्तविक लक्ष्य 2006-07	वास्तविक उपलब्धियां 31.12.2006 तक	कमी के कारण यदि कोई है
	चालू योजना अभिलेखा फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन	700 अदद फिल्में/पुस्तकें/डीवीडी वीएचएस प्राप्त करना	880 अदद फिल्में/पुस्तकें/डीवीडी वीएचएस प्राप्त कीं	700 अदद फिल्में पुस्तकें/डीवीडी वीएचएस प्राप्त करना	802 अदद फिल्में पुस्तकें/डीवीडी प्राप्त की	कोई कमी नहीं
	नई योजना एन एफएआई पुणे में चरण-II भवन का निर्माण	परियोजना के सिविल निर्माण कार्य को पूरा करना	निर्माण कार्य प्रगति पर था	योजना परियोजना को पूरा करना	कार्य प्रगति पर है	कार्य प्रगति पर है

गैर-योजना शीर्ष

एनएफएआई के गैर-योजना खर्च बिजली प्रभार, डाक टेलीफोन, स्टाफ को वेतन तथा स्टोर एवं स्टेशनरी आइटमों पर हुए खर्च से सम्बन्धित है। गैर-योजना के तहत शीर्ष-वार बजट इस प्रकार है

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वास्तविक खर्च 2005-06	स्वीकृत बजट अनुदान 2006-07	संशोधित अनुमान 2006-07	बजट अनुमान 2007-08
1.	वेतन	59.97	57.00	42.00	68.00
2.	समयोपरि भत्ता	0.08	0.10	0.10	0.10
3.	चिकित्सा खर्च	0.00	1.00	1.00	1.00
4.	घरेलू यात्रा खर्च	2.58	2.50	2.50	2.70
5.	कार्यालय व्यय	39.51	39.90	40.00	40.00
6.	किराया, दर एवं कर	2.50	2.50	2.50	2.50
7.	बी.सी.टी. कर	0.00	0.10	0.10	0.10
8.	लघु कार्य	26.36	36.70	33.00	35.00
9.	अन्य प्रभार	0.08	0.20.	0.10	0.00
	कुल	131.08	140.00	143.30	149.40

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे

(जेंडर बजट)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वित्तीय व्यय बजट अनुमान 07.08	महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय व्यय, (यदि लागू है)	वास्तविक परिणाम मात्रात्मक लाभ, एस सी/एस टी के लिए विशेष	अनुमानित परिणाम महिलाओ के लिए विशेष माध्यमिक/आंशिक/अन्तिम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम सम्बंधी घटक
			कोई नहीं				

(अनुसूचित जाति/जनजाति बजट)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वित्तीय व्यय बजट अनुमान 07-08	अनु.जा./ज.जा. के लिए विशेष वित्तीय व्यय (यदि लागू है)	वास्तविक परिणाम/मत्रात्मक लाभ अनु.जा./ज.जा. के लिए विशेष	अनुमानित परिणाम अनु.जा./ज.जा. के लिए विशेष माध्यमिक/आंशिक/अन्तिम	प्रक्रियाएं/समबद्धता	टिप्पणी जोखिम संबधी घटक
				कोई नहीं			

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे
(पूर्वोत्तर के लिए बजट)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वित्तीय व्यय बजट अनुमान 07-08	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष वित्तीय व्यय (यदि लागू है)	वास्तविक परिणाम/ मत्रात्मक लाभ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष	अनुमानित परिणाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष माध्यमिक/आंशिक/ अन्तिम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम सम्बन्धी घटक
				कोई नहीं			

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

वास्तविक लक्ष्यों के साथ अनुमानित उपलब्धियों तथा वास्तविक उपलब्धियों का वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकृति योजना एवं गैर-योजना परिव्यय ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकृति परिव्यय		वर्ष 2005-06 की प्रत्याशित उपलब्धियाँ		वर्ष 2005-06 की वास्तविक उपलब्धियाँ		वर्ष 2005-06 के लिए गैर-योजना कर्ज	
		आर्थिक	वास्तविक	आर्थिक	वास्तविक	आर्थिक	वास्तविक	आर्थिक	वास्तविक
1.	फिल्म निर्माण, (स्व-निर्माण, सह-निर्माण तथा सब्सिडी योजना)	465	13	32	2	9	1	477	-
2.	मैट्रो केन्द्रों पर खुद की प्रदर्शनी हेतु ढाँचागत सुविधाएं विकसित करना	110	1	-	-	-	-	-	-
3.	तकनीकी उपकरणों का आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन तथा नई योजनाओं की शुरूआत	150	-	10	-	1	-	-	-
4.	बाजार ढाँचे का निर्माण और भारतीय फिल्मों को विदेशों में बढ़ावा	50	-	16	-	11	-	-	-
	कुल	**775**		**58**		**21**		**477**	-

वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृति योजना परिव्यय (वास्तविक लक्ष्यों सहित) तथा अनुमानित उपलब्धियाँ और वर्ष 2007-08 की वार्षिक योजना के लिए योजना प्रस्ताव का सार वित्तीय एवं वास्तविक लक्ष्यों सहित इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृति परिव्यय		वर्ष 2006-07 की प्रत्याशित उपलब्धियाँ		योजना का नाम	वार्षिक योजना 2007-08 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	
		आर्थिक	वास्तविक	आर्थिक	वास्तविक		आर्थिक	वास्तविक
1.	फिल्मों का निर्माण, (स्व-निर्माण, सह-निर्माण तथा सब्सिडी योजना)	4.75	13	5.00	13	विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में फिल्म निर्माण	12.00	5
2.	मैट्रो केन्द्रों पर खुद की प्रदर्शनी हेतु ढाँचागत सुविधाएं विकसित करना	1.10	1	1.10	1	अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सह-निर्माण	5.00	2
3.	तकनीकी उपकरणों का आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन तथा नई योजनाओं की शुरूआत	1.50	-	1.50	-	ग्लोबल मार्किट में भारतीय फिल्म निर्माण	0.50	-
4.	बाजार ढाँचे का निर्माण और भारतीय फिल्मों को विदेशों में बढ़ावा	0.50	-	0.50	-	स्क्रिप्ट विकास	0.50	8
	कुल	**7.85**		**8.10**			**18.00***	

* वर्ष 2007-08 के लिए 18.00 करोड़ रु. के प्रस्तावित वार्षिक योजना परिव्यय में स्वीकृति योजना आवंटन के 3.10 करोड़ रुपये से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के फिल्म निर्माण के लिए 3.00 करोड़ रुपये तथा 0.10 करोड़ रुपये इक्विटी सहभागिता के लिए हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पूँजीगत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के लिए एन.एफ.डी.सी. को 15 करोड़ रुपये ऋण सहायता के सम्बंध में प्रस्ताव भारत सरकार के अधीन विचारणीय है :

क्र. सं.	ऋण का प्रयोजन	राशि
(i)	100 एन एफ डी सी फिल्मों के परिरक्षण हेतु हाई डिफीनीशन डिजीटलीकरण के लिए	1.50 करोड़ रुपये
(ii)	डीवीडी ऑथरिंग तथा प्रसिद्ध एन एफ डी सी फिल्मों की प्रतिकृति के लिए	1.00 करोड़ रुपये
(iii)	मार्केटिंग के लिए फिल्मों को प्राप्त करने हेतु	2.50 करोड़ रुपये
(iv)	प्रादेशिक फिल्मों के निर्माण के लिए	10,.00 करोड़ रुपये
	कुल	रुपये 15.00 करोड़

यह राशि वर्ष 2006-07 के दौरान अनुदान के लिए अनुपूरक मांग के तीसरे और अंतिम बैच में माँगी गई है।

पत्र सूचना कार्यालय

वर्ष 2006-07 में दिसंबर 2006 तक की योजना स्कीम में प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	एसबीजी 2006-07	दिसं. 2006 तक लक्ष्य		दिसं. 2006 तक उपलब्धि		कमी		कमी के कारण		मार्च 2007 से पहले पूरे उपयोग के लिए प्रस्तावित उपाय
			वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	1000.00 (सी)	750.00 (सी)	1, दिल्ली शहरी आर्ट्स कमीशन द्वारा ले आउट प्लान की स्वीकृति 2. भवन निर्माण योजना आदि की स्वीकृति 3. ठेकेदारों के चयन आदि की प्रक्रिया			750.00	शहरी विकास मंत्रालय सी पी डब्ल्यू डी से अनुरोध करने को कहा गया है कि वह स्वीकृति प्राप्त करे और एन डी एम सी को दिल्ली शहरी आर्ट्स कमीशन को अनुरोध भेजने को कहे। एन सी डी एम से पुराना बंगला गिराने की अनुमति मांगी गई है।		शहरी विकास मंत्रालय सी पी डब्ल्यू डी से अनुरोध करने को कहा गया है कि वह स्वीकृति प्राप्त करे और एन डी एस सी को दिल्ली शहरी आर्ट्स कमीशन को अनुरोध भेजने को कहे। एन डी एम से पुराना बंगला गिराने की अनुमति मांगी गई है।	शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि भवन र्मिाण अनुमति को अंतिम रूप से और इसकी सूचना एनडीएमसी को भेजे ताकि शहरी आर्ट्स आयोग को अनुरोध भेजा जा सके। इसी बीच एनडीएमसी से पुराने बंगले आदि को गिराने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	एसबीजी 2006-07	दिसं. 2006 तक लक्ष्य वित्तीय	दिसं. 2006 तक लक्ष्य प्रत्यक्ष	दिसं. 2006 तक उपलब्धि वित्तीय	दिसं. 2006 तक उपलब्धि प्रत्यक्ष	कमी वित्तीय	कमी प्रत्यक्ष	कमी के कारण वित्तीय	कमी के कारण प्रत्यक्ष	मार्च 2007 से पहले पूरे उपयोग के लिए प्रस्तावित उपाय
2.	पत्र सूचना कार्यालय (पसूका) की गतिविधियों का आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण क. डिजिटल स्टोरेज एवं उच्च गति संचार ख. सूचना केंद्र की स्थापना और कनेक्शन देना	82.55 37.55 (आर) 45.00 (सी) 43.41 (आर)	61.91 28.96 (आर) 33.75 (सी) 32.56(आर)	ए एमसी कंज्यमूक्स, साफ्टवेयर एवं ट्रेनिंग आई एस पी चार्जेस पसूका मुख्यालय में एवी यूनिट की स्थापना, शिमला और भुवनेश्वर में मिनी मीडिया सेंटर चलाने और रख-रखाव का खर्च, वाहनों का किराया	21.49 (आर) 28.90 (आर)	पसूका मुख्यालय में अस्थायी रूप से ए वी यूनिट की स्थापना कर दी गई है और ए एम सी, आई एस सी सेवाओं के किराये देने आदि पर खर्च हुआ है। 12-09-2006 से यह यूनिट काम कर रही है और गैर योजना निधियों से इसका खर्च किया जा रहा है।	-6.67 (आर) - -33.75 (सी) -3.66 (आर)			सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पसूका मुख्यालय में ए वी यूनिट लगाने के लिए रु. 45.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति की सूना दी है। सू एवं प्र मंत्रालय ने भी पसूका मुख्यालय में ए वी यूनिट लगाने के लिए पूंजी योजना शीर्ष में रु. 45 लाख की स्वीकृति की सूचना दिसंबर 06 में भेजी है।	इस राजस्व शीर्ष के लिए वर्ष के अंत तक निधियों का उपयोग कर लेने के प्रयास किए जाएंगे। व्यय की स्थिति संतोषजनक है।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	एसबीजी 2006-07	दिसं. 2006 तक लक्ष्य		दिसं. 2006 तक उपलब्धि		कमी		कमी के कारण		मार्च 2007 से पहले पूरे उपयोग के लिए प्रस्तावित उपाय
			वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां जमीन आबंटित कर दी गई है, पसूका भवन का निर्माण	25.00 (सी)	18.75 (सी)	पसूका, आईज़ोल में कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण। डी एफ पी और डी ए वी पी के कार्यालय भी इसमें होंगे।	शून्य	मिजोरम सरकार द्वारा दी गई जमीन का इस्तेममाल करने और पसूका आईज़ोल के भवन के निर्माण के लिए योजना आयोग की अनुमति पाने का प्रस्ताव भेजा गया है। सू एवं प्र मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप इस स्कीम का एस एफ सी मेमो और रु. 2.70 करोड़ लागत वाला प्रस्ताव 25.9.2006 को भेजा गया है। सू. एवं प्रसारण मत्रालय ने सूचित किया है कि अब यह मामला इतनी देर से शुरू करने की जरूरत नहीं और यह स्कीम 11वीं योजना में लागू की जाएगी।	18.75 (सी)		शून्य	यह फैसला किया गया है कि जब तक पक्के अनुमान और भवन उपलब्ध नहीं होते, तब तक इस स्कीम पर अमल रोक दिया जाए	सू. एवं प्र. मंत्रालय ने पसूका को कहा है कि अब यह स्कीम 11वीं योजना में लागू की जाए
		1150.96 80.96 (आर) 1070.00 (सी)	863.22 60.72 (आर) 802.50 (सी)	50.39 आर		-832.83 -10.33 आर 0 713.33 (सी)					

पत्र सूचना कार्यालय

(2005-06)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	वार्षिक योजना 2005-06						
		अनुमोदित परिव्यय	31.3.6 तक वास्तविक खर्च	खर्च का प्रतिशत	प्रत्यक्ष लक्ष्य	प्रत्यक्ष उपलब्धि	प्रतिशत	कमी के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	1819.50	700.00 (मार्च 08 तक)	38.45%	1. नेशनल बिल्डिंग्स कंट्रस्कशन कंपनी लि. और पसूका के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर 2. दिल्ली शहरी आर्ट्स कमीशन द्वारा समन्वित ले आउट का अनुमोदन 3. भवन निर्माण योजना का अनुमोदन 4. ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया	1. रु. 35.00 करोड़ लागत वाली इस स्कीम को प्रशासनिक अनुमोदन मिल चुका है। 2. परियोजना निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 3. दिल्ली शहरी आर्ट्स कमीशन को ले आउट भेजा गया है। अनुमति की प्रतीक्षा है। 4. अनुमोदित अनुमानित लागत का 20% एन बी सी सी को जारी किया गया है।	25%	दिल्ली शहरी आर्ट्स कमीशन/सीपी डब्लूडी आदि से अनुमति प्राप्त न होने के कारण निर्माण शुरू नहीं किया जा सका है।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	वार्षिक योजना 2005-06						
		अनुमोदित परिव्यय	31.3.6 तक वास्तविक खर्च	खर्च का प्रतिशत	प्रत्यक्ष लक्ष्य	प्रत्यक्ष उपलब्धी	प्रतिशत	कमी के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पसूका की गतिविधियों का आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण क. डिजिटल स्टोरेज एवं उच्च गति संचार	56.35	53.2825%	94.55%	ए एम सी, कांज्यूमेनल्स सोफ्टवेयर एवं आई एस पी प्रशिक्षण प्रभार, सर्वर तथा साफ्टवेयर का अपग्रेडेशन	ए एम सी पर हुआ खर्च, आईएमवी किराए की अदायगी सर्वर एवं प्रशिक्षण का खर्च	100% प्रत्यक्ष आधार पर	राजस्व में मामूली कमी
	ख. सूचना केंद्र की स्थापना और कनेक्शन देना	42.65 44.15 (अंतिम अनुदान) 60.00 (जम्मू-कश्मीर)	43.33 60.00 (जम्मू-कश्मीर)	98.15% 100%	ए एम सी,साफ्टवेयर का अपग्रेडेशन, कांज्यूमेबल्स, प्रशिक्षण, भुवनेश्वर. और शिमला में पसूका के निजी मीडिया सेंटर के अनुरक्षण पर खर्च, वाहन किराए पर लेना	साफ्टवेयर का अपग्रेडेशन, पसूका अधिकारियों का प्रशिक्षण,कांज्यूमेबल्स की खरीद, ए एम सी और वाहनों का किराया, शिमला और भुवनेश्वर में सिनेमीडिया और सेंटर के रखरखाव पर खर्च	100%	- वही -
3.	जिन राज्यों में पसूका कार्यालय नहीं हैं उनकी राजधानी में कार्यालय खोलना	00.00	00.00		इस स्कीम को योजना आयोग ने सिद्धांत रूप में अनुमति नहीं दी है अंत: इसे सितंबर 2003 बाद से रोक दिया गया है।			

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	वार्षिक योजना 2005-06						
		अनुमोदित परिव्यय	31.3.6 तक वास्तविक खर्च	खर्च का प्रतिशत	प्रत्यक्ष लक्ष्य	प्रत्यक्ष उपलब्धी	प्रतिशत	कमी के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	पूर्वोत्तर में जहां सरकार ने जमीन आबंटित कर दी है, पसूका कार्यालय भवन का निर्माण	15.00	शून्य	0%	आईज़ोल में जहां सरकार ने भूमि आबंटित करने का वादा किया था, पसूका कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण।	सू एवं प्र मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें आईज़ोल में इमारत बनाने की अनुमति योजना आयोग से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन का उपयोग किया जा सके।	इसे प्रतिशत में नहीं बताया जा सकता	स्तंभ 6 को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर कोई खर्च नहीं किया गया है।
5.	पूर्वोत्तर, (जम्मू-कश्मीर) तथा आदिवासी क्षेत्रों का समाचारकर्मियों का दौरा	00.00	00.00		इस स्कीम को योजना आयोग ने सिद्धांत रूप में मंजूरी नहीं दी है अतः इसे सितंबर 2003 और उसके बाद से रोक दिया गया है।			
	जोड़	1933 रु. 862.79 (अंतिम अनुदान)	856.61	एस बी जे का 44.30%				

भारतीय प्रेस परिषद्

पूर्व निष्पादित मामलों का मूल्यांकन

प्रेस परिषद का कार्यकलाप अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है, जो प्रेस के नीतिगत स्तर को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे भौतिक एवं प्राप्त परिणाम के आधार पर लक्ष्यों में सीमित करना संभव नहीं है। इसकी एकमात्र गतिविधि अर्ध-न्यायिक गतिविधि है। वर्ष 2005-06 और 06-07 की अवधि के दौरान शिकायत संबंधी जो मामले प्राप्त हुए हैं तथा जिनका निपटान किया गया है, उन्हें अनुलग्नक में बताया गया है। इसके अलावा, देश के विभिन्न भागों में और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों के एक हिस्से के रूप में, जो चर्चाएं आयोजित की गईं वे प्रेस के सामाजिक प्रभाव और जवाबदेही का नैतिक दृष्टि से अध्ययन करती है; साथ ही ये चर्चाएं युवा पत्रकारों को उन मूल्य और आचरणों को समझने में मदद करती है जिन्हें अपनाकर ये पत्रकार समाज/देश/मानवता के हित के लिए वचनबद्ध हो सकें।

प्रकरण का विवरण

क्र.सं	विवरण	2005-06	2006-07	अप्रैल 07 से अक्तूबर 08
1.	लम्बित मामले	975	760	721
2.	दर्ज मामले	726	750	350
3.	परिषद ने मामलों का निपटान किया	193	207	150
4.	अध्यक्ष ने मामलों पर निर्णय लिया	747	530	250
5.	परिषद के सामने मामले सीधे आए	1	2	–
6.	31.3.2006 को लम्बित मामले	760	771	–

फोटो प्रभाग

वित्तीय प्रदर्शन

2005-06

(लाख रुपये में)

बजट अनुमान			वास्तविक खर्च		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
110.00	238.00	348.00	102.09	227.52	329.61

2006-07

(लाख रुपये में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
बजट अनुमान	125.00	271.00	396.00
संशोधित अनुमान	155.00	218.75	373.75
वास्तविक खर्च (12/2006 तक)	78.34	186.30	264.64

2007-08

(लाख रुपये में)

बजट अनुमान		
योजना	गैर-योजना	कुल
2.00	233.10	235.10

वास्तविक प्रदर्शन

वर्ष	2005-06		2006-07		2007-08
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां 12/2006 तक	लक्ष्य
1. कार्यभार	5000	3980	5000	3146	5000
2. श्याम-श्वेत प्रिंट	100000	80664	75000	114600	150000
3. रंगीन प्रिंट	200000	77376	100000		
4. वीआईपी प्रस्तुति फोटो एलबम	150	179	150	100	150
5. पायलट परियोजना	70000	219737	300000	300591	–
6. आन्तरिक डिजीटलीकरण	60000	75578	80000	76441	80000

लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में भिन्नताओं के कारण :

श्वेत-श्याम प्रिन्टों में लक्ष्य/उपलब्धियों का गिरता रुझान

(i) प्रेस को हार्ड कापी की आपूर्ति की मुख्य मांग बन्द कर दी गई हैं।

(ii) पीआईबी ने प्रेस को हार्ड कापी (श्वेत-श्याम एवं कलर फोटोग्राफ) प्रदान करने के अपने रुझान में परिवर्तन करके इन्हें इन्टरनेट पर उपलब्ध कराना शुरू किया है। अब सभी चित्रों, जो जारी करने के लिए हैं, को पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है जहां से समाचारपत्र अपनी जरूरत की फोटोग्राफ को डाऊनलोड कर लेते हैं।

(iii) पीआईबी वेबसाइट में प्रयोग के लिए रंगीन चित्रों की मांग अधिक है। कलर कार्यभारों की सख्या बढ़ गई है। फिर भी इससे प्रभाग की कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चूंकि चालू वित्त वर्ष से प्रभाग ने प्रदर्शनी प्रिन्टों (ब्लो-अप्स) के उत्पादन को कई गुणा बढ़ा दिया है तथा प्रदर्शनी प्रिन्टों की संख्या में भारी वृद्धि की है।

प्रकाशन विभाग

खंड 2005-2006 के लक्ष्य और प्रदर्शन

वित्तीय

(लाख रुपये में)

बजट आकलन 2005-06			वास्तविक खर्च 2005-06		
नियोजित	गैर नियोजित	कुल	नियोजित	गैर नियोजित	कुल
46.00	1222.00	1268.00	25.98	1264.07	1290.05

कार्य

	2005-06	
	लक्ष्य	उपलब्ध
पत्रिकाएं	20	20
किताबें	120	159

योजना के तहत इंटरएक्टिव सीडी : वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित सीडीज निकाले गए

क्रम संख्या	सीडी के नाम
1.	गोवा-ए वर्ल्ड हेरिटेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन
2.	लिगेसी ऑफ आदि शंकराचार्या-कल्चर एंड नॉलेज
3.	सन टेम्पल ऑफ कोणार्क

4.2 2006-07 में लक्ष्य और प्रदर्शन

वित्तीय

(लाख रुपये में)

बजट आकलन			संशोधित आंकलन		
नियोजित	गैर-नियोजित	कुल	नियोजित	गैर नियोजित	कुल
–	1307.00	1307.00	–	1346.70	1346.70

कार्य

	2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धि
पत्रिकाएं	20	20
किताबें	120	दिसंबर 2006 तक 82

4.3 इंटरनेट पर इंडिया-2007

पहली बार 1200 पेज की भारत-2007 संदर्भ वार्षिकी कंप्यूटर के ई-पीडीएफ प्रारूप में डिजिटाइज्ड की गई। इसे प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in के डोमेन नाम के तहत डाला गया।

4.4 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का प्रारूप 11 भाषाओं में

पहली बार 11वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र का प्रारूप 11 भाषाओं में अनुवाद कराया गया और प्रकाशित हुआ।

4.5 2007-08 (गैर नियोजित) का लक्ष्य

वित्तीय

(लाख रुपये में)

बजट आकलन 2007-08 (गैर नियोजित)
1347.20

कार्य

2007-08 के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

	2007-08 लक्ष्य	
पत्रिकाएं	20	
किताबें	120	

दूसरे सरकारी विभागों से सहयोग

विभाग डाक विभाग से गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने की प्रक्रिया में है ताकि इसका नेटवर्क बढ़ाया जा सके। ऐसे गठजोड़ से विभाग की पत्रिकाएं और किताबें आम लोगों को बेची जा सकेंगी।

4.7 सरकारी-निजी क्षेत्र की साझेदारी

सरकारी-निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बड़े और अग्रणी पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विभाग की

किताबों की बिक्री बढ़ सके। पांडुलिपियों, प्रूफ रीडिंग, अनुवाद से जुड़े काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं। विभाग में पूरी प्रक्रिया के और सूचनाओं के ऑटोमेशन से पारदर्शिता बढ़ेगी। सारी सूचनाएं माउस के एक क्लिक से प्राप्त की जा सकती हैं। टेंडर से जुड़ी सारी जिज्ञासाएं www.publicationsdivision.nic.in पर क्लिक करके ली जा सकती हैं।

4.8 वार्षिक योजना 2007-2008

प्रकाशन विभाग अपनी किताबों और पत्रिकाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपने विक्रय केंद्रों के नेटवर्क के जरिये बेचता है। लेकिन अधिकतर विक्रय केंद्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। उनकी इस स्थिति की तुलना में निजी और दूसरे व्यावसायिक प्रकाशक अपनी किताबें शहर के प्रमुख स्थानों पर स्थित साफ-सुथरे और अच्छी तरह व्यवस्थित शो-रूम से बेचते हैं। अच्छी तरह सज्जित इनके शो-रूम न सिर्फ प्रकाशनों को बेहतरीन सौंदर्य दिलाते हैं बल्कि पाठकों को उन्हें खोजने में दिक्कत भी नहीं होती। बहरहाल, ऐसी परिस्थिति में इन प्रकाशकों से होड़ लेने के उद्देश्य से प्रकाशन विभाग ने धीरे-धीरे अपने सभी विक्रय केंद्रों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है।

4.9 विभाग की 2007-08 में निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यरूप देने का प्रस्ताव है।

(लाख रुपये में)

कार्य विवरण	मंजूर राशि
योजना और कुरुक्षेत्र के पिछले अंकों का डिजिटाइजेशन	1.00
योजना के लिए वेबसाइट बनाना	1.00
योजना दफ्तरों का आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण	1.00
विक्रय केंद्रों और व्यापार कार्यालयों का आधुनिकीकरण	1.00
कुल	**4.00**

4.10 मार्केटिंग और बिक्री संवर्धन

प्रकाशन विभाग के प्रकाशन लोगों तक विक्रय केंद्रों, आउटलट्स, पुस्तक प्रदर्शनियों और देश भर में फैले 450 एजेंटों के माध्यम से पहुंचते हैं। विक्रय केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना, तिरुवनंतपुरम में हैं। सेल्स आउटलेट्स बंगलौर, गुवाहाटी, अहमदाबाद के योजना कार्यालयों और भोपाल, इंदौर और जयपुर के प्रेस सूचना कार्यालयों में स्थित है। एक अप्रैल 2006 से 15 जनवरी 2007 तक प्रकाशन विभाग ने देश भर में निम्नलिखित पुस्तक प्रदर्शनियां और मेलों का आयोजन किया।

1.	उत्तरांचल पुस्तक मेला – देहरादून	हेडक्वार्टर	10.6.06 से 18.06.06 तक
2.	नवां नेवेली पुस्तक मेला, नेवेली	विक्रय केंद्र, चेन्नई	30.6.06 से 9.7.06
3.	10वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ग्वालियर	हेडक्वार्टर	28.7.06 से 6.8.06
4.	कोयंबटूर पुस्तक मेला, कोयंबटूर	विक्रय केंद्र, चेन्नई	27.7.06 से 6.8.06
5.	10वां राष्ट्रीय (एक्सपो) पुस्तक मेला, लखनऊ	विक्रय केंद्र, लखनऊ	1.9.06 से 10.09.06
6.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला, लखनऊ	विक्रय केंद्र, लखनऊ	1.9.06 से 10.9.06
7.	12वां दिल्ली पुस्तक मेला	हेडक्वार्टर	16.9.06 से 24.9.06
8.	गांधी जयंती के मौके पर पुस्तक प्रदर्शनी, रोशनआरा बाग, दिल्ली	विक्रय केन्द्र – पुराना सचिवालय	28.9.06 से 2.10.06
9.	रांची पुस्तक मेला, रांची	विक्रय केंद्र, पटना	1.9.06 से 10.9.06
10.	इंदौर में राष्ट्रीय पुस्तक मेला	हेडक्वार्टर	7.10.06 से 14.10.06
11.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला, चंडीगढ़	हेडक्वार्टर	4.11.06 से 12.11.06
12.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जयपुर	हेडक्वार्टर	4.11.06 से 12.11.06
13.	7वां राजधानी पुस्तक मेला, भुवनेश्वर	विक्रय केंद्र, कोलकाता	1.12.06 से 10.12.06
14.	21वां हैदराबाद पुस्तक मेला	विक्रय केंद्र, हैदराबाद	1.12.06 से 11.12.06
15.	पटना पुस्तक मेला, पटना	विक्रय केंद्र, पटना	1.12.06 से 12.12.06
16.	15वां इम्फाल पुस्तक मेला	विक्रय केंद्र, कोलकाता	15.12.06 से 24.12.06
17.	गुवाहाटी पुस्तक मेला	विक्रय केंद्र, कोलकाता	30.12.06 से 10.1.2007

18.	30वां चेन्नई पुस्तक मेला	विक्रय केंद्र, कोलकाता	10.1.07 से 21.1.2007
19.	18वां विजयवाड़ा पुस्तक मेला	विक्रय केंद्र, हैदराबाद	01.1.07 से 11.1.2007

प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2006 से जनवरी 2007 तक स्वतंत्रत पुस्तक प्रदर्शनियों या पीआईसी अभियानों का आयोजन किया है या उनमें हिस्सा लिया है। ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	कुतुबमीनार पर पुस्तक प्रदर्शनी	हेडक्वार्टर	1.4.2006
2.	सिविल सर्विस डे पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में पुस्तक प्रदर्शनी	हैडक्वार्टर	21.4.2006
3.	भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार समारोह के मौके पर शास्त्री भवन, नई दिल्ली में पुस्तक प्रदर्शनी	हेडक्वार्टर	12.5.06
4.	तिरुकुवेलई में मल्टी मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, चेन्नई	2.7.06 से 6.7.06
5.	औरंगाबाद में मल्टी मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, मुंबई	3.7.06 से 7.7.06
6.	मदुरै में मल्टी-मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, चेन्नई	16.7.06 से 20.7.06
7.	चेन्नई में मल्टी मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, चेन्नई	19.8.06 से 23.08.06
8.	बेलीपुरी में पी आईसी अभिधान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी, पुरुलिया जिला	विक्रय केंद्र, कोलकाता	4.08.06 से लेकर 8.8.06
9.	सिरी फोर्ट, नई दिल्ली में समर यात्रा के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	हेडक्वार्टर	9.8.06 से 15.8.06
10.	बंगलौर में मल्टी मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, बंगलौर	12,8.06 से 15.08.06
11.	नालगोंडा, आंध्र प्रदेश में मल्टी मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, हैदराबाद	29.8.06 से 2.9.06
12.	यवतमाल में स्वतंत्र पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, मुंबई	13.9.06 से 17.9.06
13.	पीआईसी के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी, रामनगर, पश्चिम बंगाल	विक्रय केंद्र, कोलकाता	16.9.06 से 20.9.06
14.	आलुमोडु एलपीएस, केरल में मल्टी मीडिया अभियान के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी	विक्रय केंद्र, तिरुवनंतपुरम	17.9.06 से लेकर 21.9.06
15.	पीआईसी के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी, दानापुर	विक्रय केंद्र, पटना	18.9.06 से लेकर 22.9.06
16.	विशेष पुस्तक प्रदर्शनी, अमरावती	विक्रय केंद्र, मुंबई	20.9.06 से लेकर 24.9.06
17.	स्वतंत्र पुस्तक प्रदर्शनी, गंगटोक, सिक्किम	हेडक्वार्टर	6.10.06 से 10.10.06

18.	पीआईसी में पुस्तक प्रदर्शनी, वैशाली	विक्रय केंद्र, पटना	20.11.06 से 24.11.06
19.	रायबरेली में पीआईसी अभियान	विक्रय केंद्र, लखनऊ	23.2.06 से 26.12.06

जनवरी, 2007 तक प्रकाशन विभाग ने मोबाइल वैन के जरिए पुस्तक प्रदर्शनी लगाई -

1.	दिल्ली और नई दिल्ली में पुस्तक प्रदर्शनी	हेडक्वार्टर	11.9.06 से 22.9.06
2.	प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पुस्तक प्रदर्शनी	हेडक्वार्टर	17.11.06 से 22.11.06

4.11 प्रकाशन विभाग ने अप्रैल से दिसंबर, 2006 तक 214.43 लाख (एंप्लायमेंट न्यूज को छोड़कर) का राजस्व हासिल किया। ये राजस्व पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापनों के जरिये हासिल हुआ।

4.12 अपने प्रकाशनों और पत्रिकाओं के अलावा प्रकाशन विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सीएसआईआर, आईसीआर. इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और आईसीसीआर जैसी सरकारी, स्वायत्त और अर्ध-सरकारी संस्थानों के प्रकाशनों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी संभाली।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों और मौकों पर विभाग ने पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया - 2007 तक का ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	विश्व पुस्तक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	24.4.2006 से 01.05.2006	(दस विक्रय केंद्रों पर)
2.	ग्रीष्मकालीन पुस्तक प्रदर्शनी	(14.06.2006 से 22.06.2006)	(दस विक्रय केंद्रों पर)
3.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	(14.08.2006 से 22.08.2006)	(दस विक्रय केंद्रों पर)
4.	शिक्षक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	(01.09.2006 से 09.09.2006)	(दस विक्रय केंद्रों पर)
5.	हिंदी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	(14.09.206 से 22.09-2006)	(दस विक्रय केंद्रों पर)
6.	गांधी जयंती पर पुस्तक प्रदर्शनी	(29.9.2006 से 13.10.2006)	(दस विक्रय केंद्रों पर)
7.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी	(10.11.2006 से)	(दस विक्रय केंद्रों पर)
8.	क्रिसमस व नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	(22.12.2006 से. 4.1.2007)	(दस विक्रय केंद्रों पर)

2006-07 में कुछ अन्य प्रदर्शनियां, जिनमें प्रकाशन विभाग के हिस्सा लेने की उम्मीद है -

1. कोलकाता पुस्तक मेला - फरवरी, 2007
2. 10वां बारहामपुर पुस्तक मेला - 19.2.07 - 27.2.07
3. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, पूर्णिया (बिहार) 19.1.07 - 28.1.07

4. 8वां, उत्तर-पूर्व पुस्तक मेला-2007, गुवाहाटी - 23.3.07 से 3.4.07

5. देहरादून पुस्तक मेला - 2007 - 3.2.07 से 11.2.07

6. जालंधर पुस्तक मेला - जनवरी-फरवरी, 2007

7. पुणे पुस्तक मेला - 2007 - मार्च, 2007

8. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला - फरवरी, 2007

प्रकाशन विभाग को मार्च, 2007 तक निम्नलिखित पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करना है, ब्योरा इस तरह है :

1. गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी - 21.1.2007 से 31.1.2007 (दस विक्रय केंद्रों पर)

2. उपभोक्ता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी (16.3.2007 से 27.3.2007 (दस विक्रय केंद्रों पर)

इसके अलावा प्रकाशन विभाग 2007-08 में मोबाइल वैन के जरिए दिल्ली और दिल्ली से बाहर पुस्तक प्रदर्शनी लगाएगा।

पूर्व प्रदर्शन की समीक्षा

2005-06 के दौरान प्रदर्शन बेहद संतोषजनक था चूंकि एम्पलॉयमेंट न्यूज ने पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विज्ञापन राजस्व तथा अधिक शुद्ध लाभ कमाया। यह रुझान चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान भी जारी रहा तथा 31 दिसम्बर, 2006 तक 3521.87 लाख रुपये का कुल राजस्व पहले ही मिल चुका है तथा एम्पलॉयमेंट न्यूज चालू वित्त वर्ष के दौरान 4500 लाख रुपये से अधिक की कुल बिक्री हासिल कर लेगा तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 1700 लाख रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त करने की सम्भावना है। यह एम्पलॉयमेंट न्यूज की इंटरएक्टिव वेबसाइट www.employmentnews.gov.in को शुरू करने में हुए खर्च के बावजूद है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक

वित्तीय

(लाख रुपये में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर योजना	कुल
बजट अनुमान	2005-06	19.70	239.00	258.70
वास्तविक खर्च	2005-06	8.22	220.38	228.60
बजट अनुमान	2006-07	शून्य	248.00	248.00
संशोधित अनुमान	2006-07	शून्य	225.60	225.60
बजट अनुमान	2007-08	*2.00	247.70	249.70

* बजट अनुमान 2007-08 में 1.00 लाख रुपये के टोकन प्रावधान के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक कार्य-योजना ''आरएनआई को मजबूत बनाना'' शामिल की गई है।

वास्तविक

क्र. सं.		2005/06		2006-07		2007-08
	क. कार्यक्रम/गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर 2006 तक)	लक्ष्य
1.	शीर्षकों की मंजूरी (आवेदनों का निपटान)	22000	21776	22000	11686	22000
2.	शीर्षकों की डि-ब्लाकिंग	***	8962	***	6796	***
3.	पंजीकरण	3000	3178 ताजे-2278 संशोधित-900 अन्य-शून्य	3000	2172 ताजे-1673 संशोधित-499	3000
4.	प्रसार नियंत्रण दावे	750	474	750	@@@	@@@
5.	प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्रों की संस्था	***	08	***	08	***
6.	एफसीआरए 1976 के तहत जारी समाचार पत्र प्रमाण पत्रों की संख्या	***	07	***	03	***
7.	न्यूज प्रिंट के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी पात्रता प्रमाणपत्रों की संख्या	***	760	***	636	***
8.	आरटीआई के तहत निबटाए गए प्रार्थना पत्र	***	13	***	75	***
	(ख) कार्यक्रम					
9.	आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट (भारत के समाचार पत्र)	2004-05 रपट	2004-05 रपट	2005-06 रपट	2005-06 रपट	2006-07 रपट

*** संख्या प्रकाशकों से प्राप्त आवेदनों पर निर्भर है इसलिए इन वर्गों में कोई लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता।

@@@ भारत सरकार की 1 जून 2006 से लागू नई विज्ञापन नतीति के अनुसार अब भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक से प्रसार संख्या की पुष्टि नहीं कराई जा सकती।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

'अ' गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	वर्ष 2005-06 के लिए वास्तविक			बजट अनुमान 2006-07			संशोधित अनुमान 2006-07			बजट अनुमान 2007-08		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	गवेषणा, संदर्भ और प्रलेखन तथा प्रशिक्षण	10.62	85.19	95.77	25.00	89.00	114.00	25.00	80.00	105.00	–	116.29	116.29

'ब' लक्ष्य वार वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	वर्ष 2005-06 के लिए वास्तविक			बजट अनुमान 2006-07			संशोधित अनुमान 2006-07			बजट अनुमान 2007-08		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	वेतन	–	67.92	67.92	–	70.00	70.00	–	80.00	80.00	–	84.00	84.00
2.	चिकित्सा	–	–	–	–	2.00	2.00	–	2.00	2.00	–	2.00	2.00
3.	समयोपरि भत्ता	–	00.30	00.30	–	00.50	00.50	–	00.35	00.35	–	00.35	00.35
4.	घरेलू यात्रा व्यय	–	00.97	00.97	00.75	01.50	02.25	00.75	01.50	02.25	–	01.50	01.50
5.	कार्यालय व्यय	–	16.00	16.00	0.75	15.00	15.75	00.75	20.00	20.75	–	16.00	16.00
6.	अन्य प्राशासनिक व्यय	10.62	–	10.62	23.50	–	23.50	23.50	–	23.50	–	–	–
7.	बैंक से रोकड़ लेन-देन टेक्स	–	–	–	–	0.10	0.10	–	00.10	00.10	–	00.10	00.10
8.	प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.29	32.29*
	कुल	**10.62**	**85.19**	**95.81**	**25.00**	**89.10**	**114.10**	**25.00**	**103.95**	**128.95**	**–**	**136.24**	**136.24**

* इस वर्ष से प्रशिक्षण को योजना से गैर-योजना में ले लिया गया है।

वास्तविक निष्पादन के लिए परिणाम बजट (गैर-योजना)

	2005-06		भिन्नताओं का कारण	2006-07		भिन्नताओं का कारण	2007-08
योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2006 तक)		लक्ष्य
I. एनडीसीएमसी मास मीडिया की पत्रिका सेवाओं के द्वारा इसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचना एकत्रित, व्याख्यायित और प्रचारित-प्रसारित करना।	59	55	1) कार्यालय के शास्त्री भवन से सूचना भवन में स्थान बदली के कारण स्टाफ स्थान बदली के कार्यों में लगा हुआ था। 2) वर्ष के दौरान सीडीओ का पद रिक्त था	59	36	1) कार्यालय के शास्त्री भवन से सूचना भवन में स्थान बदली होने से स्टाफ को स्थान बदली के विशेष कार्य में लगाये जाने के कारण थोड़ी भिन्नता आई। 2) वर्ष के दौरान सीडीओ का पद रिक्त रहा।	59
भारत में मास मीडिया (वार्षिक प्रकाशन) का संकलन और संपादन	1	1	लागू नहीं	1	–	लागू नहीं	1
II. अनुसंधान स्कंध 'भारत' संदर्भ वार्षिकी संकलन एवं संपादन	1	1		1	1	लागू नहीं	1
घटनाओं की डायरी की पाक्षिक सेवा तैयार करना	24	24		24	18	लागू नहीं	24
III. प्रशिक्षण	12	9	कुछ माध्यम एककों द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामांकन/कार्यमुक्त नहीं किए जाने के कारण	12	8	कुछ माध्यम एककों द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामांकन/कार्यमुक्त नहीं किए जाने के कारण	34

गीत एवं नाटक प्रभाग

लोक और परंपरागत प्रचार माध्यम ऐसे जीवन्त माध्यम है जिनका आम लोगों से भाषाई, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक घनिष्ठता तथा अपनेपन की वजह से विशेष महत्व है। यही नहीं, भारत के गांवों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में ये माध्यम काफी प्रभावशाली है। हमारे देश के संदर्भ में यह एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास प्राचीन और परंपरागत लोक माध्यमों का ऐसा भंडार है जिनके जरिए वांछित संदेश, सूचना और जानकारी ऐसे रूप में प्रस्तुत की जा सकती है जिसे आम जनता तुरंत समझ सके और उसके अनुरूप कार्य कर सके। गांवों की जनता की गरीबी दूर करने और उनकी भलाई की विकास योजनाओं और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार में इन माध्यमों का विशेष महत्व है।

सरकार द्वारा आम लोगों, खास तौर पर गरीब लोगों की भलाई के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण और दूर-दराज के सुविधाहीन क्षेत्रों में पहुंचाने में लोक तथा परंपरागत माध्यमों का विशेष महत्व है और इन्हें संपूर्ण मीडिया नीति के एक कारगर घटक के रूप में निरंतर इस्तेमाल किया जाना जारूरी है।

प्रभाग के लिए लगभग नियमित रूप से करीब 10 हजार लोक और पारंपरिक कलाकार काम कर रहे हैं। इनमें विभागीय मंडलियां, पैनल कलाकार और निजी पंजीकृत पार्टियां शामिल हैं। गीत और नाटक प्रभाग संभवतः भारत सरकार के ऐसे आदर्श संगठनों में एक है जो गैर-योजना व्यय को बिना बढ़ाए अपने कार्यक्षेत्र और कार्यक्रमों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि कर सकता है और इस तरह गैर-योजना व्यय को बढ़ाने से होने वाले दीर्घकालीन खर्चे से भी बच सकता है। प्रभाग के लिए काम करने वाले लोगों में केवल 8 प्रतिशत इसके नियमित कर्मचारी हैं। यही नहीं, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि परंपरागत अथवा जीवंत माध्यम जानकारी और शिक्षा देने की गतिविधियों के लिए सबसे किफायती माध्यम है। इसकी पहुंच, प्रभाव और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन क्षमता बहुत अधिक है।

निदेशक विभाग के प्रमुख हैं। विभाग निम्नलिखित स्तरों पर कार्य करता है – (1) दिल्ली स्थित मुख्यालय, (2) बंगलौर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, देहरादून, रायपुर और रांची स्थित 10 क्षेत्रीय केन्द्र, (3) दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, इम्फाल, नैनीताल और शिमला स्थित 7 सीमावर्ती केन्द्र जिनके प्रमुख सहायक निदेशक होते हैं। (4) भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में 6 विभागीय नाटय मंडलियां, जिनके प्रमुख मैनेजर होते हैं।

उपलब्धियां - 2005-06

वर्ष 2005-06 के लिए भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं -

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम (लक्ष्य)	कार्यक्रम (उपलब्धियां)
1.	गैर-योजना	5000	5485
2.	योजना	24264	3443
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	–	8091
4.	उपभोक्ता मामले	–	3952
5.	वन मंत्रालय और अन्य एजेंसियां	–	–

वर्ष 2006-07 की उपलब्धियां (दिसंबर 2006 तक)

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम (लक्ष्य)	कार्यक्रम (उपलब्धियां)
1.	गैर-योजना	3000	3000
2.	योजना	16149	11000
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	8800	7900
4.	उपभोक्ता मामले	1900	2359
5.	वन मंत्रालय और अन्य एजेंसियां	–	–

वर्ष 2006-07 की भौतिक उपलब्धियां

प्रभाग ने 2006-07 के दौरान भी राष्ट्रीय और सामाजिक-आर्थिक विषयों पर प्रेरक अभियान जारी रखे। बहुमाध्यम प्रचार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव, स्वतंत्रता संघर्ष, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, सूचना के अधिकार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत एड्स से बचाव के अभियान शामिल हैं। इसके अलावा सफाई, अंधापन रोकने के उपाय, सिविल डिफेन्स, तम्बाकू निषेध, रक्तदान, महिला और बाल विकास से जुड़े मुद्दे, डेंगू, चिकनगुनिया और बर्ड फ्लू से बचाव जैसे विषयों के बारे में भी प्रचार-प्रसार किया गया।

देश के 76 चुने हुए जिलों में आतंकवाद विरोध, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक एकता के बारे में विशेष प्रचार अभियान वर्ष 2006-07 का महत्वपूर्ण कार्य था। योजना घटक के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित पूरे देश में साझा न्यूनतम कार्यक्रम का विशेष प्रचार किया गया। गणतंत्र दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, कौमी एकता सप्ताह, शिक्षक दिवस, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जैसे अवसरों और समारोहों की पूरी कवरेज की गई। गीत और नाटक प्रभाग ग्राहक विभागों की प्रचार की जरूरतें पूरी करता है, अतः इन ग्राहक विभागों की जरूरतों के अनुरूप निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों में हमेशा बदलाव हो सकता है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

परियोजना 2006 में शुरू हुई। जनवरी 2007 तक परियोजना की स्थिति नीचे दी गई है।

क्र. सं.	स्थल नाम	स्थिति		टावर पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारण किया गया	कार्य समाप्ति की अनुमानित समय सीमा
		आधारशिला	टावर		
1.	जयपुर	पूर्ण	स्थापना कार्य पूरा	मार्च, 2007	पूर्ण
2.	हैदराबाद	पूर्ण	फ़ेब्रिकेशन कार्य चल रहा है	मार्च, 2007	मार्च 2007
3.	दिल्ली	निर्माणाधीन	फेब्रिकेशन कार्य कार्य चल रहा है	मार्च, 2007	मार्च 2007
4.	चेन्नई	निर्माणाधीन	फेब्रिकेशन कार्य कार्य चल रहा है	मार्च, 2007	मार्च 2007
5.	कोलकाता	काम शुरू किया गया	फेब्रिकेशन कार्य कार्य चल रहा है	मार्च, 2007	अप्रैल 2007

* परियोजना के पूरा होने में हुआ थोड़ा बिलम्ब स्थल को सौंपने में हुई देरी की वजह से है।

पांच शहरों में इस परियोजना के तहत हुआ खर्च का ब्यौरा निम्न है :

क्र.सं.	शहर का नाम	स्वीकृत लागत	लागत जो पहले लग चुकी है
1.	जयपुर	166.12 लाख रुपये	
2.	हैदराबाद	166.12 लाख रुपये	
3.	चेन्नई	220.83 लाख रुपये	333.15 लाख रुपये
4.	नई दिल्ली	439.05 लाख रुपये	
5.	कोलकाता	220.83 लाख रुपये	
		1212.95 लाख रुपये	333.15 लाख रुपये

परियोजना की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

लागू नहीं क्योंकि सी एम एस (ई एम एम सी) आरम्भिक स्तर पर है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

लागू नहीं चूंकि योजना अभी आरम्भिक स्तर पर है।

सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो में समुदायों को एकजुट करने का संभाव्य क्षमता है जिससे उन क्षेत्रों के उत्थान में मदद मिलेगी। यह एक जीवंत सामुदायिक प्रसारण प्रणाली भी है जिससे बाहुल्यवाद तथा एकता बढ़ेगी। अत: मंत्रालय ने इस नीति का अधिक से अधिक प्रचार करने और अनेक योजनाओं पर विचार करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने विशेषज्ञों/प्रशिक्षकों को तैयार करने का निर्णय लिया है जो क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर सामुदायिक रेडियो के प्रार्थियों के लिए आईईसी गतिविधियों को आयोजित करेंगे तथा प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर तथा हैंडबिल आदि के वितरण के जरिए इस योजना को व्यापक प्रचार देने का निर्णय लिया है। वार्षिक योजना 2007-08 में इस योजना के लिए 0.01 करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान रखा गया है।

सूचना भवन का निर्माण

2005-06 तथा 2006-07 वर्षों की वार्षिक योजना के दौरान कोई फण्ड आबंटित नहीं किया गया इसलिए इन वर्षों में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। वार्षिक योजना 2007-08 के वास्तविक लक्ष्य के सम्बन्ध में, इतनी अपर्याप्त राशि से सूचना भवन के चरण V के तहत शायद तीन मंजिल (पाकेट 'सी' की चौथी मंजिल से ऊपर) ही निर्मित की जा सकेंगी।

आर्थिक विश्लेषण एकक (नई योजना)

वर्ष 2007-08 के दौरान लागू की जा रही यह एक नई योजना है। इसलिए विगत निष्पादन की समीक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी

परिणाम बजट उपलब्धियां

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2006-97 (रुपये लाख में)	व्यय 2006-07 (रुपये लाख में)	परिमाणेय निर्वातय	प्रक्रिया/समयनिष्ठा	टिप्पणी/जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	**जारी स्कीमें**		**691.10**	**364.76**	**नजिबाबाद** 200 KWMW ट्रांसमीटर भवन तैयार प्रमुख उपकरणों के आदेश दिये गये। **धरमनगर** भवन निर्माण प्रगति पर है। ट्रांसमीटर उपलब्ध	**नजिबाबाद**-200 KWMW ट्रांसमीटर लगाये गये परीक्षण चल रहा है **धरमनगर** भवन तकनीकी क्षेत्र तैयार, उपकरण मार्च 2007 तक लगाये जायेंगे	उत्तराखंड के समीवर्ती जिलों में कवरेज बढेगा धरमनगर स्टेशन से त्रिपुरा में कवरेज में सुधार होगा।
	(ए) मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को सशक्त करने के लिए ट्रांसमीटर का उन्नयन	127.00	38.01			
	(बी) एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार करना एफएम अपने उत्तम गुणवत्ता के कारण लोकप्रियता हासिल कर चुका है।	156.00	26.89	लोंगथेराई भवन निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर	भवन तकनीकी क्षेत्र मार्च 07 तक तैयार होने की उम्मीद	लोंगथेराई स्टेशन से त्रिपुरा में कवरेज में सुधार होगा।
	(सी) आवासीय परिसर एवं कार्यालय परिसर	कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करना	19.00	35.86	पूर्ण, लंबित कार्य का प्रावधान		कल्याणकारी गतिविधियां
	(डी) शॉर्ट वेव सेवाओं का विस्तार		0.00		इस स्कीम के तहत कोष की मांग नहीं		
	(ई) अभिलेखागार		0.00		स्कीम टाली गयी		
	(एफ) विविध		118.10	48.89	एनबीएच दिल्ली, कैप्टिव अर्थ स्टेशन, माइक्रोवेव लिंक आदि के अधिकांश उपकरण प्राप्त और बकाया अदायगी के लिए प्रावधान बनाये गये	एनबीएच, दिल्ली कार्य प्रारंभ	डिजीटल एनबीएच स्टूडियो के कारण उत्तम कार्यक्रम
	(जी) जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज	जम्मू कश्मीर में रेडियो कवरेज का विस्तार	270.00	215.12	एसटीएल और हास्टल ब्लॉक में बदलाव जैसे बकाया कार्य पूरे करना	हॉस्टल कार्य में बदलाव का कार्य सौंपा गया। कार्य आगामी सर्दी के बाद पूरा हो जाएगा	जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के कवरेज में सुधार होगा।
		पूंजी	120.00	55.14			
		राजस्व विविध	150.00	159.98			
	(एच) स्थापना व्यय		0.00	5(डी) में शामिल			

2.	अपग्रेडेशन/स्कीम विस्तार		2334.50	1022.60			
	(ए) मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार	कवरेज क्षेत्र का विस्तार करना।	34.00	32.74	कोटा-20 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर बकाया सिविल कार्य पूर्ण करने का प्रावधान और शेष अदायगी।	कोटा-20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर दो अक्तूबर, 2006 से शुरू	
तक	(बी) एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार करना। एफएम अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण लोक-प्रियता हासिल कर चुका है।	2300.50	989.86	**5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर**-1 **(ओरस)** संख्या भवन निर्माण पूरा करना और उपकरण लगाना **10 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर**-30 सिविल कार्य को पूर्ण करना और ट्रांसमीटर खरीदना **20 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर-6 की खरीद के आदेश**	**5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर** ओरस भवन तकनीकी क्षेत्र के फरवरी 07 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। ट्रांसमीटर उपलब्ध है **10 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर** सिविल कार्य पूर्ण 28 के खरीद प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 06 को मंजूरी दिसंबर 06 में अग्रिम एटी ऑर्डर दिये गये **20 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर** मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद सितंबर 06 के पहले सप्ताह में निर्माण स्थान पर प्री डिस्पैच निरीक्षण। ट्रांसमीटर प्राप्त कर लगाये गये। इस वर्ष से काम शुरू करेंगे।	जारी प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के बाद एफएम कवरेज मौजूदा 35.00 % से बढ़कर 40 प्रतिशत आबादी हो जाने की आशा है।
3.	आधुनिकीकरण स्कीमें		1024.10	312.47			
	(ए) निर्माण सुविधाओं का डिजीटलीकरण	प्रसारण सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता सुधारना	616.50	33.92	1. लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो से संबंधित सिविल कार्य पूर्ण 2. जयपुर और मैसूर में स्थायी स्टूडियो भवन निर्माण कार्य के ठेके दिए गए और निर्माण कार्य प्रारंभ 3. हार्डडिस्क आधारित प्रणाली की खरीद	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो-तकनीकी क्षेत्र में सिविल कार्य पूर्ण, अप्रैल 07 के बाद अगामी सीजन में मशीन लगाने का कार्य पूरा होगा जयपुर और मैसुर में स्थायी स्टूडियों भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2007-08 के दूसरे तिमाही तक भवन बनकर	डिजीटल उपकरण जैसे-डिजीटल कंसोल आदि लगाने से कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार आएगा कम्प्यूटरीकृत वर्क स्टेशन से कार्यक्रम की गुणवत्ता में काफी सुधार आया
	(बी) स्टूडियो और प्रसारण सुविधाओं का संचालन	संचालन कार्य को कम करना	406.60	278.55			

						तैयार हो जाने की उम्मीद है। 6 हार्डडिस्क आधारित स्वचालित कार्य स्टेशन की खरीद प्रगति पर है।	है।
4.	स्थानापन्न स्कीमें (ए) मौजूदा उपकरणों को बदलना (बी)विविध	पुराने और समयातीत उपकरण को बदलना	910.30 828.90 81.40	363.71 200.42 163.29	राजकोट-1000 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर-ट्रासमीटर की खरीद की निविदा प्रक्रिया और सिविल वर्क का सौपा जाना रायपुर और दिल्ली-100 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर-ट्रांसमीटर की खरीद के आदेश दिए गए। दो स्थानों पर मोबाइल डीएसएनजी प्रणाली	राजकोट-1000 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर 18 अक्तूबर 2006 को एन.आई.टी. जारी सिविल कार्य सौंपे गए। निविदाए खोले गए और उस पर विचार चल रहा है। रायपुर और दिल्ली 100 कि.वा.एफएम ट्रांसमीटर सिविल कार्य पूरा। अगस्त 06 को मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद तैयार ट्रांसमीटर का प्री-डिस्पैज परीक्षण मोबाइल डीएसएनजी प्रणाली खरीद के आदेश दिये गये आपूर्ति मार्च 2007 तक	पुराने ट्रांसमीटरों को हटाकर उनके स्थान पंर अत्याधुनिक ट्रांसमीटर लगाए जा रहे है। जो ज्यादा कुशल हे और जिन्हें कम बिजली की आवश्यकता होती है। न्यूज कवरेज की डिजीटल गुणवत्ता वीआइपी, प्रसारण आदि
5.	नयी योजनाएं (ए) पूर्वोत्तर विशेष पैकेज पूंजी राजस्व (विविध) राजस्व (सॉफ्टवेयर) (बी) नई प्रौद्योगिकियां जैसे इंटरनेट, रेडियो प्रसारण, डिजीटल प्रसारण आदि	पूर्वात्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज को उन्नत बनाना नई प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट डिजीटल प्रसारण, आदि लागू करना	7011.00 1390.00 1200.00 0.00 190.00 56.50	5060.36 57.49 18.28 0.00 39.21 21.58	सीसीईए द्वारा पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के दूसरे चरण के मंजूर कर लिए जाने की उम्मीद है। सिद्धांतत: योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा	मई 2006 के अंतिम सप्ताह में पूर्वोत्तर विशेष पैकेज, भूमि का अधिग्रहण, उपकरण की खरीद जारी है।	इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज में सुधार होगा और आकाशवाणी संबंधी सुविधाएं मजबूत होगी सिद्धांतत: योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा

	(सी) कर्मचारियों का आवास	महानगरों एवं अन्य छह स्थानों पर आवासीय परिसर	1000.00	663.23	वडोदरा, रांची, लेह, पटना (2006-07) में आवासीय परिसर का निर्माण पूरा	लेह, मैसूर, पटना, वडोदरा में आवासीय निर्माण मार्च 07 तक पूरा हो जाएगा	यह एक कल्याणकारी गतिविधि
	(डी) स्थापना व्यय	कर्मचारी वेतन मान विद्युत शुल्क, टेलीफोन, कर, स्पेयर आदि पर व्यय	2600.00	1799.42			
	(ई) विविध स्कीमें, सुरक्षा समेत विभिन्न कदम, मौजूदा केंद्रों आदि में सुविधाओं में सुधार	सुरक्षा उपाय, सुविधाओं में सुधार मौजूदा केंद्र आदि	154.50	63.02	सिद्धांततः योजना की मंजूरी आयोग की प्रतीक्षा		सिद्धांततः योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा
	(एफ) सॉफ्टवेयर		1810.00	955.36			
6	राजस्व (विविध)	योजना अवधि के दौरान पूरी परियोजनाओं के प्रबंधन एवं संचालन के लिए	2690.00	1500.26	योजना अवधि के दौरान तैयार स्टेशनों के निरंतर संचालन के लिए कोष प्रदान किए जा रहे हैं।		
	सकल योग		**14660.00** **7160.00 डीबीएस** **7500.00 आईईबी-आर**	**7123.90** **3391.46** **3732.44**			
	योग (पूंजी)		**9820.00** **2320.00 डीबीएस** **7500.00 आईईबी-आर**	**4469.09** **736.35** **3732.44**			
	कुल (राजस्व-विधि)		**2840.00**	**1660.24**			
	कुल (राजस्व-सॉफ्टवेयर)		**2000.00**	**994.57**			

आकाशवाणी

वार्षिक योजना (2005-06)

परिणाम बजट की उपलब्धियां/लक्ष्य

क्रमांक	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2005-06	व्यय 2005-06	परिव्यय मात्रात्मक	प्रक्रिया समयबद्धता	टिप्पणी जोखिम घटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	**जारी स्कीमें** (ए) एमडब्ल्यू सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रांसमीटर का उन्नयन	**1590.60** 186.00	**1502.47** 591.00	नजीबाबाद 200 KW MW ट्रांसमीटर भवन का निर्माण पूरा। प्रमुख उपकरणों के खरीद के आदेश दिए गए। धर्मनगर भवन निर्माण कार्य जारी है।	नाजीबाबाद 200 KW MW ट्रांसमीटर लगाया गया और उसका परीक्षण चल रहा है। धर्मनगर भवन तकनीकी क्षेत्र तैयार मार्च 2007 तक स्थापना।	उत्तरांचल के समीपवर्ती जिलों में कवरेज में सुधार होगा। धर्मनगर स्टेशन से त्रिपुरा में कवरेज सुधार होगा।
	(बी) एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार करना जो अपनी बेहतर गुणवत्ता के कारण लोकप्रियता हासिल कर चुका है।	150.00	115.32	लॉग थेराई निर्माण कार्य प्रगति पर है।	भवन तकनीकी क्षेत्र के मार्च 2007 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।	लॉग थेराई स्टेशन से त्रिपुरा में एफएम कवरेज में सुधार होगा।
	(सी) आवासीय परिसर और कार्यालय	कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा	52.00	60.90	मथुरा पुरी, कोहिमा, इम्फाल, तिरुचिल्लापल्ली और कोयमबटूर में 2006-07 के दौरान आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूरा।	इम्फाल को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। केवल इम्फाल में कुछ कानूनी अड़चनों के कारण कार्य रुका हुआ है।	कल्याणकारी गतिविधियां
	(डी) एसडब्ल्यू सेवाओं का विस्तार		0.00	12.24	इस स्कीम के तहत कोश की व्यवस्था नहीं।		
	(ई) अभिलेखागार		10.50	0	स्कीम तल दिए गए		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	(एफ) विविध		372.10	347.09	अधिकांश उपकरण एनबीएच के लिए प्राप्त कर लिए गए। दिल्ली कैप्टिव अर्थ स्टेशन माइक्रोवेव लिंक आदि तथा शेष भुगतान के प्रावधान किए गए हैं।	दिल्ली कार्य प्रारंभ	डिजीटल एनबीएच स्टूडियो के कारण कार्यक्रम गुणवत्ता बेहतर हुआ।
	(जी) जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज	जम्मू कश्मीर में रेडियो कवरेज के विस्तार के लिए	520.00	576.00	कारगिल 200 कि.वाट. ट्रांसमीटर परियोजना पूरा किया जाना, तैयार परियोजनाओं के संचालन के लिए राजस्व प्रावधान।	ट्रांसमीटर लगाए गए और उसने काम करना शुरू किया।	जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज में सुधार।
	(एच) स्थापना व्यय	कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल, टेलीफोन, कर आदि की स्थापना।	300.00	5(डी) में शामिल			
2.	उन्नयन/विस्तार स्कीम		6634.40	1523.86			
	(ए) एम डब्ल्यू सेवाओं का विस्तार	कवरेज क्षेत्र का विस्तार करना	127.75	89.43	कोटा में 20 कि.वाट. ट्रांसमीटर की स्थापना	ट्रांसमीटर लगाया गया और उसने काम शुरू किया	कोटा और समीपवर्ती जिलों में कवरेज का विस्तार।
	(बी) एफएम सेवाओं का विस्तार	एफएम कवरेज का विस्तार करना जो अपनी बेहतर गुणवत्ता के कारण लोकप्रियता हासिल कर चुका है	6506.65	1434.43	निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर-1 (बारीपदा) 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर-18 20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर-6 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर रायरंगपुर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर-25	<u>5 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर-बारीपदा</u> ट्रांसमीटर लगाया गया <u>10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर</u> खरीद प्रस्ताव को अक्तूबर 2006 में मंजूरी मिली और दिसम्बर 2006 में अग्रिम एटी आर्डर दिए गए। <u>20 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर</u> मंत्रालय से स्वीकृति के बाद उत्पादकों के स्थल पर ट्रांसफारमरों का निरीक्षण सितंबर 2006 के प्रथम सप्ताह में पूरा किया गया। ट्रांसफारमर	जारी स्कीमों के लागू होने के बाद एफएम कवरेज में मौजूदा 35% से बढ़कर 40% आबादी तक कवरेज बढ़ने की उम्मीद है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						जो अभी प्राप्त हुए स्थापित किए जा रहे हैं। सभी ट्रांसमीटर वर्ष 2007-08 के दौरान चालू किए जाएंगे। 1 कि.वा. ट्रांसमीटर रायरंगपुर इनकी स्थापना फरवरी 07 तक कर ली जाएगी। 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर 25 जगहों पर स्थापित किए जा चुके है।	
	आधुनिकीकरण योजनाएं		**2260.95**	**2191.19**			
	(क) निर्माण सुविधाओं का डिजिटलीकरण (ख) स्टूडियो तथा प्रसार सुविधाओं का आटोमेशन	विषयवस्तु की तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि संचालन किफायती बनाना	991.35 1269.60	643.22 1547.97	निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूरा करना 1. त्रिचूर तथा सिलचर में स्टूडियो की साज-सज्जा 2. दिल्ली तथा मुंबई में सीईएस का उन्नयन और वाराणसी में नया सीईएस 3. सी बैंड डाउन लिंक, हार्डडिस्क आधारित सिस्टम, पोर्टेबल एमएसएस आदि की खरीद।	त्रिचूर और सिलचर में साज-सज्जा का कार्य सम्पन्न। दिल्ली और मुंबई में उन्नयन का कार्य पूर्ण। वाराणसी के लिए सीईएस मंगाने की प्रक्रिया चल रही है। 53-सी बैंड डिजिटल डाउन लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं। 62 की स्थापना का कार्य चल रहा है। 76 केंद्रों पर कम्प्यूटरीकृत वर्क स्टेशन उपलब्ध करा दिए गए हैं और 61 पर कार्य चल रहा है। पोर्टेबल एमएसएस की खरीद प्रक्रिया चल रही है।	डिजिटल कन्सोल जैसे डिजिटल उपकरण शामिल करना। डिजिटल अपलिंक/डाउनलिंक से कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आया है। कम्प्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों से निर्मित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आया है पोर्टेबल एमएसएस टर्मिनल उपग्रह अपलिंक स्टेशन होते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण आयोजनों तथा मौके से समाचारों के सीधे कवरेज के लिए

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							तुरंत लगाया जा सकता है।
4.	**प्रतिस्थापना योजनाएं**		**1075.95**	**539.88**			
	(क) मौजूदा उपकरणों का प्रतिस्थापन (ख) विविध	पुराने तथा अप्रयुक्त उपकरणों का प्रतिस्थापन	909.60 166.35	466.67 73.21	रायपुर और दिल्ली-100 कि.वा. मै.वा. ट्रां. के लिए आर्डर दे दिए गए 4 स्थानों पर डी एस एन जी प्रणाली	रायपुर और दिल्ली-100 कि. वा. मै.वा.ट्रां. सिविल कार्य संपन्न। मंत्रालय से अगस्त, 06 में मंजूरी मिलने के बाद आपूर्ति से पहले ट्रां. की जांच का कार्य संपन्न। ट्रां. प्राप्त हो चुके हैं और मार्च, 07 तक इसकी स्थापना का कार्य पूरा हो जाने की आशा है। डीएसएनजी प्रणाली आर्डर दे दिए गए हैं। मार्च, 07 तक इनके प्राप्त हो जाने की आशा है।	पुराने ट्रांसमीटरों की जगह अत्याधुनिक ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। ये ट्रां. ज्यादा सक्षम हैं और इनमें बिजली की कम खपत होती है। समाचार कवरेज, वी.आई.पी. प्रसारण की डिजिटल गुणवत्ता
5.	**नई योजनाएं**		11803.10	3695.38			
	(क) पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज पूंजी- राजस्व (सॉफ्टवेयर)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो कवरेज बढ़ाना	2090.00 1800.00 190.00	268.85 37.36 231.49	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज के दूसरे चरण को सीसीईए की मंजूरी अभी प्राप्त होनी है	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज के दूसरे चरण को मई, 06 के अंतिम सप्ताह में मंजूरी प्राप्त हुई। स्थल के अधिग्रहण और उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर।	इससे कवरेज में सुधार होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी की सुविधाएं मजबूत होंगी।
	(ख) इंटरनेट रेडियो प्रसारण, डिजिटल प्रसारण आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां	इंटरनेट, डिजिटल प्रसारण आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत	785.00	93.87	योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी का इंतजार		योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी का इंतजार।
	(ग) कर्मचारियों के लिए आवास	महानगरों तथा छह अन्य स्थानों पर कर्मचारी आवास	566.00	224.00	वडोदरा और रांची, लेह, मैसूर पांडिचेरी और पटना में कर्मचारी आवासों का	लेह, मैसूर, पांडिचेरी और पटना में कार्य पूरा। अन्य	यह एक कल्याण-कारी कार्यकलाप

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					निर्माण कार्य पूरा	स्थानों पर फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।	है।
	(घ) स्थापना प्रभार	स्थापना स्टॉफ का वेतन, विद्युत प्रभार, टेलीफोन, कर, कलपुर्जे आदि।	2350.00	2702.00			
	(च) सुरक्षा उपाय, मौजूदा केंद्रों पर सुविधाएं बनाने आदि जैसी विविध स्कीमें	मौजूदा केंद्रों पर सुरक्षा उपाय, सुविधाएं बेहतर बनाना आदि	536.60	405.69	योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी का इंतजार		योजना आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी का इंतजार।
	(छ) साफ्टवेयर		2210.00	2382.69			
	राजस्व (विविध)	दसवीं योजना के दौरान संपन्न परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव	2365.00	2543.33	दसवीं योजना के दौरान संपन्न परियोजनाओं के सहज संचालन के लिए कोष उपलब्ध कराया जा रहा है।		
	कुल		**23365.00** **10165.00 डीबीएस** **13200.00 आईईबीआर**	**14378.72** **8622.00** **5756.72**			
	पूंजी		**17200.00**	**8964.61**			
	राजस्व		**6165.00**	**5414.11**			

दूरदर्शन

परिव्यय तथा उपलब्धियां/लक्ष्य (2006-07) तथा वास्तविक उपलब्धियां : पूर्वोत्तर विशेष पैकेज

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2006-07	वास्तविक उपलब्धियां (उत्पादन)	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम तत्व
1	2	3	4	5	6	7
1	**अनुमोदित स्कीमें - चरण-I** पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का विस्तार (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांच स्थानों पर 1 के डब्ल्यू एच पी टी से 10 के डब्ल्यू का उन्नयन	0.10	ट्रांसमीटर लगाया गया।	पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन कवरेज का विस्तार। एच पी टी की कवरेज पिछले 40 के एम से 70 के एम की वृद्धि हुई है।	अधिशेष भुगतान-I तिमाही	
2	शिलांग एवं आइजोल में ई/एस का गठन	0.02	अर्थ स्टेशन लगाया गया।	शिलांग एवं आइजोल दूरदर्शन केन्द्रों से स्थानीय कार्यक्रमों और समाचार प्रसारण को अपलिंक करना संभव हो गया है।	अधिशेष भुगतान-I तिमाही	
ख	**चरण-II** पूर्वोत्तर चैनल का प्रारम्भ और केयू बैंड समूह में समायोजन					
क	2 पूर्वोत्तर (पूर्वोत्तर) चैनल	1.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र की मांग की पूर्ति के लिए दो टीवी चैनल।	पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय कायक्रम उपलब्ध रहेंगे।	एनआईटी जारी-I तिमाही आदेश का स्थापना-III तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-IV तिमाही	एनआईटी जारी होनी है
ख	केयू बैंड में समायोजन	0.30	डीटीएच प्लेटफार्म में चैनल उपलब्ध कराना।	क्षेत्र की संस्कृति का चित्रण करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यक्रम पूरे देश में उपलब्ध होगा।	-	
2	टीवी सेटों और केयू बैंड रिसीव सिस्टम का आबंटन 25000 टीवी सेटों का आबंटन	15.00	पूर्वोत्तर में स्थानीय निकायों को टीवी सेटों का आबंटन	दूरवर्ती क्षत्रों में लोग जो कोई टीवी सिगनल सिगनल (संकेत) प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे टीवी कायक्रम देखने में सक्षम होंगे।	ऑर्डर जारी-I तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-II तिमाही आदेश का स्थापन-III तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-IV तिमाही	

1	2	3	4	5	6	7
ख	केयू बैंड रिसीव सिस्टम का आबंटन	6.00	पूर्वोत्तर में डीटी एच प्राप्ति के आबंटन हेतु स्थानीय निकायों का गठन।	यथोपरि	-वही-	दो बार आमंत्रित टेंडर अस्वीकृत हुए, नये आमंत्रित।
3	पोर्ट ब्लेयर में डीडी-1 और डीडी-2 एलपीटी से एचटीपी का उन्नयन (2 नं.)	4.40	पोर्ट ब्लेयर में भूमध्य रेखीय ट्रांसमीशन का विस्तार	कवरेज में वृद्धि। कवरेज में 15 के एम से 40 केएम की वृद्धि होगी।	एनआईटी जारी-I तिमाही आदेश का स्थापन-II तिमाही उपकरणों की आपूर्ति- IV तिमाही	एन आई टी जारी होनी है।
4	कार निकोबार में डीडी-3 एलपीटीज और नये डीडी-2 एलपीटीज का उन्नयन।			कार निकोबार में डीडी समाचार चैनल उपलब्ध हो जायेगा।		
क	डीडी-1 कार-निकोबार का उन्नयन	0.53	पोर्ट ब्लेयर में भूमध्य रेखीय डीडी-1 ट्रांसमिशन का विस्तार	टीवी कवरेज का विस्तार क्योंकि अंडमान निकोबार में डीटीएच सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।	एनआईटी जारी-I तिमाही आदेश का स्थापन-II तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-IV तिमाही	
ख	नया डीडी 2 कार-निकोबार	0.50	पोर्ट ब्लेयर में भूमध्य रेखीय डीडी-II ट्रांसमिशन क विस्तार।	एलपीटीडीडी-1 कार निकोबार की कवरेज में सुधार होगा।	- वही -	टेंडर जारी होने हैं
5	नये वीएलपीटीज (अंडमान निकोबार द्वीप में 16 एवं लक्षद्वीप में 6) कुल 22					
	(क) अंडमान एंड निकोबार में 10 नये डीडी-1 वीएलपीटीज	1.00	पोर्ट ब्लेयर में स्थलीय डीडी-1 ट्रांसमिशन का विस्तार	टीवी कवरेज का विस्तार क्योंकि अंडमान-निकोबार में डीटीएच सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।	- वही -	
	(ख) अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में 12 नये डीडी-2 वीएलपीटीज	2.00	पोर्ट ब्लेयर में स्थलीय डीडी-II ट्रांसमिशन का विस्तार।	अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के 12 द्वीपों में समाचार चैनल कवरेज उपलब्ध हुआ है।	- वही -	
6	(अंडमान निकोबार में 6 और लक्षद्वीप में 9) 15 वीएलपीटीज का उन्नयन	4.00	पोर्ट ब्लेयर में स्थलीय डीडी-I ट्रांसमिशन का विस्तार	संबंधित द्वीप में सिगनल गुणवत्ता सुधरेगी और कवरेज में भी सुधार होगा।	- वही -	
7	3 रखरखाव केन्द्रों की देखभाल	0.80	टीवी स्टेशनों के रखरखाव की सुविधा	दूरवर्ती क्षेत्रों में टीवी स्टेशनों का बेहतर अनुरक्षण	- वही -	

1	2	3	4	5	6	7
8.	पोर्ट ब्लेयर में स्टूडियो सुविधा की वृद्धि	2.10	पोर्ट ब्लेयर में निर्माण सुविधा	सांस्कृतिक कार्यकलापों में स्थानीय जनता की आकांक्षा की पूर्ति	- वही -	
9.	पूर्वोत्तर केन्द्रों में ओबी एवं उत्पादनोत्तर सुविधाओं की वृद्धि					
	(क) पूर्वोत्तर में 3 मुख्य केन्द्रों में ओबी सुविधाओं की वृद्धि	2.00	पूर्वोत्तर में 3 केन्द्रों में ओबी	खेलकूद कार्यकलापों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यकलापों के बाह्य निर्माण हेतु।	- वही -	उपकरणों में टेंडर मांगे गए हैं
	(ख) पूर्वोत्तर में उत्पादनोत्तर सुविधा का डिजिटलाइजेशन और वृद्धि।	2.00	पूर्वोत्तर में उत्पादन/निर्माण सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण	कायक्रमों के उच्च गुणवत्ता सम्पादन और पैकेजिंग के लिए उत्पादनोत्तर सुविधाओं की वृद्धि हेतु	- वही -	
10.	पोर्ट ब्लेयर हेतु वाहन पर स्थापित डीएसएनजी यूनिट	2.00	पोर्ट ब्लेयर के लिए वाहन पर स्थापित डीएसएनजी सिस्टम	सेटेलाइट सम्पर्क के लिए अधिक फील्ड यूनिटें उपलब्ध कराना।	आदेश का स्थापन-I तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-II तिमाही	4 डीएसएनजी के लिए टेंडर मांगे गए
11.	पूर्वोत्तर के लिए 8 (4 केयू बैंड+4 सी बैंड) केयू बैंड और सीबैंड डीएसएनजी सिस्टम वाहन पर स्थापित एवं फ्लाइअवे	6.00	पूर्वोत्तर के लिए वीसैट टर्मिनल्स	सेटेलाइट सम्पर्क के लिए और अधिक फील्ड यूनिटें उपलब्ध कराना।	आदेश का स्थापन-I तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-II तिमाही	
12.	10 चैनल सी बैंड अपलिंक	2.50	10 चैनल अपलिंक के लिए अर्थ स्टेशन	अंडमान निकोबार में प्राप्ति के लिए सी बैंड में 10 चैनलों की अपलिंकिंग।	- वही -	
13.	अंडमान-निकोबार द्वीप में टीवी सेटों और सी बैंड रिसीव सिस्टम का आबंटन					टेंडरों की जांच की जा रही है
	क) 1000 टीवी सेटों का आबंटन	0.85	पूर्वोत्तर में स्थानीय निकायों को टीवी सेटों का आबंटन।	स्थानीय निकायों को सामुदायिक उपयोग के लिए 1000 टीवी सेटों की आपूर्ति।	आदेश का स्थापन-I तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-II तिमाही	
	(ख) सीबैंड रिसीव सिस्टम का आबंटन	0.30	सी बैंड रिसीव सिस्टम का आबंटन	स्थानीय निकायों को सामुदायिक उपयोग के लिए सी बैंड रिसीव सिस्टम की आपूर्ति।	आदेश का स्थापन-I तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-II तिमाही	
	कुल योग	**53.00**				

जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2006-07	वास्तविक उपलब्धियां (उत्पादन)	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम तत्व
1	2	3	4	5	6	7
1.	लेह में स्टूडियो एवं एस.क्यू.	0.75	निर्माण सुविधाएं	दूरदर्शन केन्द्र, लेह में स्टाफ कार्य अवधि में 8 टाइप-सी एस क्यू रिहायशी आवास की उपलब्धता। स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी कि केन्द्र की गतिविधियां और रखरखाव सुचारु ढंग से हो ताकि गतिरोध के बिना रिकार्डिंग और प्रसारण किया जा सके।	लेह स्टूडियो संपूर्ण/एस.क्यू. कार्य पूरा होने को : तृतीय तिमाही (2006-07)	
2.	कशीर चैनल के लिए स्टूडियो उपकरण	3.00	निर्माण सुविधाओं को बढ़ाना	ओ.बी. वैन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लेह की समृद्ध संस्कृति की आउटडोर कवरेज में सुविधा होगी।	पूरा होने को : तृतीय तिमाही (2006-07)	
3.	नौशेरा एचपीटी (डीडी-1 एवं डीडी-2)	0.03	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन का विस्तार	ट्रांसमीटर अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्यरत हैं तथा ये 90-100 कि.मी. की रेंज में कवरेज कर रहे हैं।	शेष भुगतान के लिए राशि उपलब्ध की गई।	
4.	टिथवाल एच.पी.टी. (डीडी-1, डीडी-2)	0.02	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन का विस्तार	ट्रांसमीटर अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्यरत हैं तथा ये 40 कि.मी. की रेंज में कवरेज कर रहे हैं।	शेष भुगतान एवं बचे हुए लघु कार्यों के लिए राशि उपलब्ध की गई।	
5.	कुपवाड़ा एच.पी.टी. (डीडी-1 एवं डीडी-2)	0.26	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन का विस्तार	अस्थायी टावर के साथ अंतरिम सेटअप कार्यरत हैं। स्थाई सेटअप पूरा होने की संभावना है और इसके साथ एचपीटी का कवरेज रेंज से ज्यादा वर्तमान में 40 कि.मी. बढ़ जाएगा।	शेष भुगतान एवं बचे हुए लघु कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई।	टॉवर स्थापित। एंटेना और फीडर केबल लगाने हैं।

1	2	3	4	5	6	7
6.	सम्बा एच.पी.टी. (डीडी-1 एवं डीडी-2)	0.15	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन का विस्तार	अस्थायी टावर के साथ अंतरिम सेटअप कार्यरत हैं। 2006-07 के दौरान स्थायी सेटअप पूरा होने की संभावना है और इसके साथ वर्तमान 40 कि.मी. की कवरेज रेंज की 70 कि.मी. तक बढ़ने की संभावना है।	शेष भुगतान एवं बचे हुए लघु कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई।	स्थायी रूप से ट्रांसमिशन चालू। कवरेज रेंज 40 कि.मी. से 70 कि.मी. हो गई।
7.	अमृतसर एच.पी.टी. (उन्नयन)	10.05	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन का विस्तार	सीमावर्ती क्षेत्रों एवं सीमा पार क्षेत्रों में कवरेज एवं क्वालिटी में वृद्धि करना।	पार्ट टावर सामग्री की आपूर्ति - प्रथम तिमाही, संपूर्ण टावर साग्री की आपूर्ति - द्वितीय तिमाही टावर की हॉलिंग प्रारंभ करना-तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही	टावर निर्माण शुरू होना है।
8.	10 कि.वा. दूरदर्शन-1 एच.पी.टी. को बदलना तथा 1 कि.वा. के कशीर चैनल एच.पी.टी. को श्रीनगर में 10 कि.वा. में उन्नयन करना।	0.25	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीशन का विस्तार	डीडी-1 एच.पी.टी. (बदलना) एवं कशीरी चैनल एच.पीयटी. (1 कि.वा. से 10 कि.वा. का करना) का कार्य 2006-07 तक पूरा होने की संभावना है। कशीरी चैनल एच.पी.टी. की कवरेज क्षमता वर्तमान 40 कि.मी. से बढ़कर 70 कि.मी. हो जाएगी। डीडी-1 एच.पी.टी. की कवरेज क्षेत्र की क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा।	शेष भुगतान एवं बचे हुए लघु कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई।	
9.	जम्मू-कश्मीर फेस-2 में दूरदर्शन सेवा में सुधार के लिए विशेष पैकेज	10.00		जम्मू-कश्मीर में सामुदायिक प्रदर्शन के लिए 10000 डीटीएच इकाइयों एवं टीवी सेटों की प्राप्ति।	योजना अनुमोदित-प्रथम तिमाही आदेश का प्लेसमेंट-द्वितीय तिमाही इकाइयों की आपूर्ति-तृतीय तिमाही	
	कुल	**24.51**				

कवरेज से वंचित क्षेत्रों में यू-बैण्ड पर उपग्रह से प्रसारण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना	परिणाम 2006-07	वास्तविक परिणाम	परिणाम	निर्धारित समयावधि	टिप्पणी/ जोखिम के कारक
1.	पायलट परियोजना के यू बैंड के जरिये टी वी प्रसारण का विस्तार उपग्रह वितरण टेक्नोलोजी (1) अपलिंक भू केन्द्र का 30 से 50 चैनल तक विस्तार (2) वीडियो लॉगर और ई पी जी की शुरूआत (3) मापन उपकरण (4) हिमाचल प्रदेश के लिए 20 हजार के यू बैंड रीसिव सिस्टम	9.00	डीटीएच के माध्यम से टेलीविजन एवं रेडियो के सिग्नलों का बहुचैनल प्रसारण	के यू बैण्ड अपलिंकिंग की शुरूआत 4 दिसम्बर को की गई और यह सफल रही। तत्काल ही और अधिक चैनल जोड़ने की मांग आने लगी। दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए चैनलों की संख्या बढ़ाने से उसमें विविधता आएगी। हिमचल प्रदेश में रिसीव सिस्टम के वितरण से दूर-दराज वाले क्षेत्रों में जहां अब तक टीवी के प्रसारण की पहुंच नहीं थी वहां के यू बैण्ड से उन्हें टेलीविजन प्रसारण मिलने लगेगा।	दूसरे तिमाही में चैनलों की संख्या 30 से बढाकर 50 करना। दूसरी तिमाही में हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में 20 हजार रिसिव सिस्टम का वितरण	50 चैनलों के प्रसारण के लिए डीटीएच बढ़ोत्तरी। डीटीएच रिसीव ईकाइयों के लिए पहले दो बार मंगाई गई निविदाओं को निरस्त करना। नई निविदाएं आमंत्रित की जानी है।
2.	तिरूवनंतपुरम, पोर्टब्लेयर और भुवनेश्वर में फलाइ अवे अत्यंत लघु अपरचर वाले टर्मिनल (वी सैट) की खरीद	0.25	समाचार एकत्रित करने के लिए वी सैट टर्मिनल की खरीद	दूर दराज के क्षेत्रों में समाचार एकत्रित करने की क्षमता के लिए विशेष समाचार चैनल शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि दूरदर्शन का संपर्क अधिक से अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए।	बकाया भुगतान-प्रथम तिमाही	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना	परिणाम 2006-07	वास्तविक परिणाम	परिणाम	निर्धारित समयावधि	टिप्पणी/ जोखिम के कारक
3.	अहमदाबाद और बंगलौर में वाहन पर लगे अत्यंत लघु अपरचर वाले टर्मिनल (वी सेट) की खरीद	0.25	समाचार एकत्रित करने के लिए वाहन पर लगे जी सैट टर्मिनल की खरीद	दूर-दराज के क्षेत्रों से समाचार एकत्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष समाचार चैनल शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि दूरदर्शन का संपर्क अधिक से अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए।	बकाया भुगतान- प्रथम तिमाही	
4.	डी डी डायरेक्ट प्लस के 50 से बढ़ाकर 100 चैनल तक उपग्रेडिंग करना	0.50	डीटीएच प्लेटफार्म में और अधिक चैनल	चैनलों की संख्या बढ़ाने से दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी तथा इससे देश के सभी घरों में टीवी की पहुंच का उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी।	योजना की स्वीकृति - प्रथम तिमाही उपकरणों की खरीद - तीसरी तिमाही प्रस्थापन - चौथी तिमाही	
	कुल	10.00				

कुल परिव्यय 2006-07 (डीबीएस) 87.51

दूरदर्शन

वार्षिक योजना (2005-06) की समीक्षा

व्यय एवं परिणाम/लक्ष्य (2005-06) का विवरण (2005 के परिणाम बजट के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	व्यय	मात्रात्मक/ निष्पादन योग्य	प्रक्रिया/ समय रेखा	मार्च 06 तक उपलब्धि	टिप्पणी
1	**जारी योजनाएं**		**13.07**				
1(ए)	**स्थलीय ट्रांसमीटर**		**5.06**				
(i)	नौ स्थानों पर एचपीटी की संस्थापना	डीडी-1 चैनल के स्थलीय कवरेज का विस्तार		नौ स्थानों पर टावरों की संस्थापना/नौ स्थानों पर एचपीटी (पीएमटी.सेटअप) का प्रारंभ	नौ स्थानों पर टावर कार्य की समाप्ति-तीसरी तिमाही	122 मीटर के टावर (जलगांव में) संस्थापित/ जिसमें 150 मीटर कार्य की पूर्णता होती है।	अस्थायी-टावरों के साथ अंतरिम सेटअप में 8 स्थानों से ट्रांसमीटर कार्यान्वित/मेसर्स टीएस एल के साथ 5 स्थानों पर टावरों के पूर्ण आदेश रद्द। 5 टावरों के लिए नए आदेश प्रस्तुत होंगे।
					पांच टावरों के लिए आदेश-दूसरी तिमाही	एक स्थान (पांडिचेरी) के शेष टावर कार्य के लिए आदेश प्रस्तुत/तीन स्थानों (खड़गपुर, कुंभ कोणम और बलूरघाट) के शेष टावर कार्य के लिए निविदा प्राप्त और पांच की जांच हो रही है। कन्नानुर स्थित टावर कार्य के लिए आमंत्रित निविदा रद्द। नयी निविदा आमंत्रित होगी।	
					तीन स्थानों पर टावर कार्य की समाप्ति-चौथी तिमाही।	बाड़मेर में टावर कार्य (आधार शिला कार्य) प्रगति पर। फजिल्का स्थित टावर कार्य समाप्त। बड़ोदरा में 60 मीटर ऊंचाई के अंतरिम टावर की संस्थापना।	
					पांच स्थानों पर टावर कार्य चतुर्थ तिमाही की पूर्णता।	एक स्थान (पांडिचेरी) में टावर की संस्थापना प्रगति पर। (2006-07 में अब तक दो टावरों के आदेश प्रस्तुत)	

					नौ स्थानों पर एचपीटी (पीएमटी सेटअप) का प्रारंभ - चतुर्थ तिमाही	जनवरी 2006 में अंतरिम सेटअप में बड़ोदरा में एचपीटी (डीडी I और समाचार) परियोजना छोड़ी गई।	
(ii)	डिब्रूगढ़ में टावर की ऊंचाई बढ़ाना	स्थलीय कवरेज का विस्तार					परियोजना छोड़ी गयी और मंत्रालय को अवगत करा दिया गया, 2006-07 में अजमेर एवं मैसूर में निर्माण कार्य पूर्ण होगा।
(iii)	एचपीटी टजमेर, मैसूर एवं कठुआ में स्टाफ क्वार्टर एवं अजमेर एवं मैसूर में नगर कार्यालय	कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा/एचपीटी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अजमेर एवं मैसूर में शहर कार्यालय की स्थापना		निर्माण कार्य का निर्णय। निर्माण कार्य की पूर्णता।	कठुआ में निर्माण कार्य की पूर्णता-द्वितीय तिमाही अजमेर एवं मैसूर में निर्माण कार्य का निर्णय द्वितीय तिमाही	कठुआ में निर्माण कार्य की समाप्ति-द्वितीय तिमाही अजमेर में निर्माण कार्य शुरू। पूर्व में मैसूर में निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित निविदा रद्द। नयी निविदा प्राप्त। (जनवरी-06 से कार्य का निर्णय)	
(iv)	पूर्ण परियोजनाएं						शेष अदायगी और छोटे लंबित कार्यों की पूर्णता के लिए।
1 (बी)	**उत्पादन सुविधाएं** पूर्ण परियोजनाएं वारंगल, कोयम्बतूर, मदुरै, दिल्ली में नए स्टूडियो एवं विभिन्न स्टूडियो केन्द्रों पर अतिरिक्त सुविधाएं।	दूरदर्शन नेटवर्क में कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं की वृद्धि	1.00	कर्मचारियों के लिए स्वीकृति। स्टूडियो का प्रारंभ होगा।	वारंगल, कोयम्बतूर एवं मदुरै में स्टूडियो के लिए कर्मचारी स्वीकृत -द्वितीय चरण वारंगल, कोयम्बतूर और मदुरै में स्टूडियो के लिए कर्मचारी स्वीकृत -द्वितीय चरण दिल्ली में स्टूडियो प्रारंभ-द्वितीय तिमाही	कर्मचारी की स्वीकृति अभी होनी है। दूरदर्शन के अन्य केन्द्रों में लाए गए कर्मचारियों की सहायता से सीमित गतिविधियों के कार्यक्रम क्रियान्वित। वारंगल स्थित स्टूडियो अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया था और कोयम्बतूर स्थित स्टूडियों अगस्त 2005 में प्रारंभ किया गया था। दिल्ली (दूरदर्शन भवन) का स्टूडियो कॉम्पलेक्स-अगस्त 2005 में प्रारंभ हुआ था।	शेष अदायगी एवं छोटे लंबित कार्यों की पूर्णता के लिए व्यय
1 (सी) (i)	**उपग्रह प्रसारण उपकरण** उपग्रह से संबंधित योजनाएं (बीएलपीटी का क्षेत्रीय स्विचिंग)	राष्ट्रीय चैनल के कार्यक्रमों के अतिरिक्त एचपी प्रसारण में क्षेत्रीय सेवाओं को वीएलपीटी की योग्यता	1.06	एचपी में 39 वीएलपीटी में रिमोट स्विचिंग की व्यवस्था	39 वीएलपीटी में स्विचिंग इकाई की स्थापना-द्वितीय तिमाही	संबंधित स्टेशनों पर 39 वीएलपीटी स्विचिंग इकाई निमित और सुपुर्द की जा चुकी हैं। सभी इकाइयों की संस्थापना समाप्त। (डीडी के शिमला से 39 वीएपीटी से क्षेत्रीय-सेवा	

						कार्यक्रम का प्रसारण)	
(ii)	मशीनरी एवं उपकरण	आंचलिक कार्यालयों में कार्यशालाओं में वृद्धि		उपकरणों की अधिकार एवं संस्थापना	डीटीई-द्वितीय चरण की स्वीकृति उपकरणों का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरण की आपूर्ति एंव संस्थापन - चतुर्थ तिमाही	डीटीई स्वीकृत उपकरण अधिकृत उपकरण संस्थापित	
1(ई)	**जे एंड के विशेष योजना**		5.95				
(i)	जम्मू-कश्मीर योजना-ट्रांसमिशन परियोजना	जे एवं के में डीडी-1, डीडीन्यूज और कश्मीर चैनल की स्थलीय कवरेज का विस्तार		4 स्थानों पर टावरों की स्थापना। एचपीटी की संस्थापना एवं प्रारंभ	कुपवाड़ा एवं संबा में टावर कार्य की समाप्ति-चतुर्थ तिमाही	150 मीटर की पूर्ण ऊंचाई के संबा स्थित टावर का निर्माण समाप्त। कुपवाड़ा में निर्माण कार्य प्रगति पर।	
					कुपवाड़ा एवं संबा में एचपीटी (पीएमटी सेटअप) का प्रारंभ-चतुर्थ चरण	30.9.2006 में प्रभावी संबा स्थित (डीडी 1 और समाचार स्थायी सेटअप) एचपीटी प्रारंभ। कुपवाड़ा स्थित टावर कार्य समाप्ति की ओर	
					अमृतसर में टावर कार्य का निर्णय प्रथम तिमाही श्रीनगर में टावर कार्य पूर्ण-तृतीय तिमाही	जून 2005 में अमृतसर में 300 मीटर टावर कार्य का निर्णय श्रीनगर में टावर पूर्ण	
					कशीर चैनल का एचपीटी पर श्रीनगर से प्रारंभ एवं एचपीटी का प्रतिस्थान (डीडी-1) श्रीनगर में-चतुर्थ तिमाही	दोनों एचपीटी कम शक्ति पर चलने लगे। फीडर केबल ठीक हो जाने के बाद अब ये पूरी क्षमता से चल रहे हैं।	
(ii)	जम्मू-कश्मीर स्टूडियो परियोजना	लेह एवं राजौरी में योजना उत्पादन की व्यवस्था, उत्पादन सुविधा की वृद्धि		राजौरी स्टूडियो का प्रारंभ	राजौरी स्टूडियों के लिए कर्मचारी की स्वीकृति द्वितीय तिमाही राजौरी स्टूडियों का प्रारंभ तृतीय तिमाही	राजौरी स्टूडियो के लिए स्टाफ की स्वीकृति होगी। प्रार्थित कर्मचारी की स्वीकृति एवं प्रतिनियुक्ति के पश्चात स्टूडियो प्रारंभ हो सकता है।	लेह में निर्माण केंद्र प्रारंभ/ श्रीनगर में उत्पादन सुविधा में वृद्धि।
2	**उन्नयन/विस्तार योजना**		42.75				
2(ए)	**उपलब्ध ट्रांसमीटरों के उन्नयन द्वारा स्थलीय कवरेज का विस्तार साथ ही साथ, डीडी-1 के संबंध में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना**		20.48				
(i)	डीडी-1 के कवरेज के लिए 11 स्थानों पर एचपीटी की स्थापना	डीडी-1 चैनल के स्थलीय कवरेज का विस्तार। प्रत्येक एचपीटी को 70 किमी के क्षेत्र		भवनों का निर्माण, टावरों का निर्माण, उपकरणों की प्राप्ति संस्थापना और	पांच स्थानों पर भवन निर्माण पूरा, दो स्थानों पर भवन निर्माण पूर्ण-तृतीय तिमाही	पांच स्थानों पर भवन बने दो स्थानों पर भवन निर्माण पूर्ण	दो स्थानों पर भवन बने

		के अंतर्गत कवरेज प्रदान करना होगा।		एचपीटी का प्रारंभ	दो स्थानों पर टावरों का निर्माण तृतीय तिमाही	एक स्थान (हिसार) पर टावर पूरी उंचाई तक निर्मित और टावर पर एंटीना पैनल्स होंगे। दूसरे स्थान (करनाल) में टावर का निर्माण प्रगति पर। (2006-07 में कार्य पूर्ण)	
						5 स्थानों पर टावरों का समापन -चतुर्थ तिमाही 3 टावरों के लिए आदेश - तृतीय तिमाही	सभी पांच स्थानों पर टावर कार्य प्रगति पर दो टावरों के आदेश तब से प्रस्तुत। तीसरे टावर के लिए निविदा आमंत्रित (आदेश 2006-07 में प्रस्तुत)
						2 एचपीटीएस की स्थापना एवं प्रारंभ - तीसरी तिमाही	दोनों स्थानों (करनवाल एवं धर्मपुरी) पर ट्रांसमीटर स्थापित एवं जांच किया गया। टावर कार्य समाप्त है।
						5 एचपीटी की स्थापना एवं एवं प्रारंभ- चतुर्थ तिमाही	स्थापना कार्य लिया गया है और प्रगति पर है।
(ii)	अब तक पूर्ण हो चुकी योजनाएं						शेष अदायगी और छोटी लंबित कार्यों के लिए आउट ले
2(बी)	डीडी-2 के संबंध में उपलब्ध ट्रांसमीटरों साथ ही साथ स्थापित नए ट्रांसमीटरों के उन्नयन द्वारा स्थलीय कवरेज का विस्तार	डीडी समाचार कवरेज का विस्तार प्रत्येक एचपीटी को करीब 70 किमी के अंतर्गत कवरेज को उपलब्ध कराना है।	1.35	एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ	तीन एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ- तृतीय तिमाही	(अंबाजोगई) में एक एचपीटी अगस्त 2005 में प्रारंभ। श्रीनगर में ट्रांसमीटर स्थापित और क्रियान्वित-पुराने फीडर केवल के लंबित प्रतिस्थापना के घटे शक्ति पर फीडर केबल का प्रतिस्थापन कार्य पूर्ण एवं ट्रांसमीटर क्रियान्वित। हिसार में ट्रांसमीटर स्थापित एवं जांच पूर्ण।	6 स्थानों अजमेर, राजमुंदरी, कसौली, बूंदी, कालीकट और बरेली में प्रारंभ। शेष 5 एचपीटी के लिए उपकरण की आपूर्ति संपन्न
					2 एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ चतुर्थ तिमाही	दोनों स्थानों (भटिंडा एवं कुर्सियांग में) स्थापना कार्य प्रगति पर	
2(सी)	केयू बैंड में मल्टीचैनल डिजिटल उपग्रह द्वारा अब तक		20.92				

	कवर न किए गए क्षेत्र का कवरेज						
(i)	केयू बैंड ट्रांसमिशन द्वारा कवरेज का विस्तार (डीटीएच भूस्टेशन की वृद्धि)	डीटीएच संग्रह में चैनलों की संख्या में 33 से 50 की बढ़ोत्तरी		आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना एवं प्रारंभ	उपकरण के आदेश-तृतीय तिमाही उपकरण की आपूर्ति स्थापना और प्रारंभ-चतुर्थ तिमाही	दिसम्बर 05 में आदेश प्रस्तुत उपकरण की आपूर्ति (जून 2006 में कार्य पूरा हो गया)	
(ii)	ओबी एवं समाचार के लिए केयू बैंड डीएसएनजी इकाई की प्राप्ति	दूरदर्शन नेटवर्क में ओबी सुविधा में वृद्धि		दो डीएसएनजी इकाई की प्राप्ति एवं प्रयोग			शेष भुगतान के लिए व्यय
(iii)	वी-सैट की प्राप्ति	समाचार अधिग्रहण के लिए		उपकरणों की आपूर्ति एवं आदेश की प्रस्तुति	5 वीएसएटी-द्वितीय तिमाही के आदेश की प्रस्तुति वीसैट-तृतीय तिमाही की आपूर्ति एवं संस्थापना	पांचवी सैट का आदेश सितंबर 2005 में प्रस्तुत आपूर्ति प्रतीक्षित	
(iv)	एचडीटीवी के लिए सम्पीड़न उपकरण	प्रायोगिक आधार पर एचडीटीवी का प्रसारण प्रारंभ		योजना की स्वीकृति उपकरणों की आपूर्ति एवं आदेश की प्रस्तुति	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरण का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरण की स्थापना एवं आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही	मंत्रालय से मुख्य डीटीएच योजना की बचत में से योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति की प्रतीक्षा परियोजना XI योजना में प्रस्तावित हो चुकी है।	
(v)	दर्शकों के साथ परस्पर संपर्क (इंटरएक्टिव सर्विसेस)	डीटीएच के दर्शकों को इंटर-एक्टिव सेवाएं प्रदान करना		योजना की स्वीकृति। आदेश की प्रस्तुति एवं उपकरणों की आपूर्ति	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरण का आदेश तृतीय तिमाही उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना चतुर्थ तिमाही	परियोजना XI योजना में प्रस्तावित है	
(vi)	डीवीबीएस II प्रायोगिक प्रसारण	आधुनिकतम उपग्रह तकनीक विशेषताओं को प्राप्त करना		योजनाओं की स्वीकृति। आदेश की प्रस्तुति एवं उपकरण की आपूर्ति	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरण का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना -चतुर्थ तिमाही	परियोजना योजना में प्रस्तावित है।	
3	**आधुनिकीकरण**		**137.46**				
3(ए)	**उत्पादन सुविधाओं (स्टेशन/ओबी)का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण**		**72.89**				
(i)	उत्पादन सुविधाओं का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण	कार्यक्रमों की तकनीकी विशेषताओं में वृद्धि		उपकरणों की प्राप्ति। उपकरणों की संस्थापना	दो स्टूडियों का पूर्ण डिजिटलाइजेशन-द्वितीय तिमाही दो स्टूडियों का पूर्ण	वीसीआर एवं कामकोडर अतिरिक्त कार्य पूरा एवं इसका आदेश होता है। -तथैव-	योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आंशिक उपकरणों की आपूर्ति हो चुकी है एवं

					डिजिटलाइजेशन-तृतीय तिमाही		स्थापना के अंतर्गत हैं। 2005-06 के दौरान चार स्टूडियों के पूर्ण डिजिटलीकरण की योजना है एवं छह स्टूडियों की आंशिक डिजिटलीकरण होगा।
					आंशिक उपकरण के आदेश-द्वितीय तिमाही	अधिकांश उपकरण की आपूर्ति	
					शेष उपकरण के आदेश-तृतीय तिमाही	एनआईटी प्रक्रिया के अंतर्गत	
					उपकरणों की आपूर्ति (चरणों में) -तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही	एनआईटी प्रक्रिया के अंतर्गत	
					छह स्टूडियों का आंशिक डिजिटलाइजेशन-चतुर्थ तिमाही	एनआईटी प्रकिया के अंतर्गत	
(ii)	विभिन्न केंद्रों पर उत्पादन सुविधाओं की वृद्धि संबंधित योजनाएं	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना		एसएफसी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति और उपकरणों की प्राप्ति	एसएफसी द्वारा योजना की स्वीकृति -तृतीय तिमाही	इन योजनाओं की स्वीकृति के लिए एसएफसी को अप्रैल के दौरान मिलने की संभावना है। (एसएफसी ने योजनाओं को अप्रैल 06 में स्वीकृत किया)	
					उपकरणों का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति स्थापना एवं प्रारंभ-चतुर्थ तिमाही		
3(बी)	**उपग्रह प्रसारण उपकरण का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण**		25.83				
(i)	15 स्थानों पर डिजिटल भू-स्टेशन	सिग्नल गुणवत्ता की वृद्धि एवं स्पेस क्षेत्र क्षमता की वृद्धि		अब तक 15 भू स्टेशन प्रारंभ	योजना पूर्ण		सभी भू-स्टेशन प्रारंभ हो चुके हैं और कार्यान्वित हैं। शेष भुगतान एवं लघु लंबित कार्य के लिए व्यय
(ii)	डीएसएनजी इकाई-8	कवरेज के लिए 8 केंद्रों पर ओबी सुविधाओं की वृद्धि		डीएसएनजी इकाई की प्राप्ति	4 डीएसएनजी इकाई के लिए आदेश-द्वितीय तिमाही	चार डीएसएनजी का आदेश	
					4 डीएसएनजी इकाई के लिए आदेश-तृतीय तिमाही	4 अन्य डीएसएनजी इकाई (वाहन) के लिए निविदा मांगी गई।	
					4 डीएसएनजी इंकाई की आपूर्ति-तृतीय तिमाही	तथैव	
					चार डीएसएनजी इकाई की आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही	तथैव	
(iii)	विभिन्न केन्द्रों के लिए 15 (संख्या) वीसैट और दिल्ली में वी-सैट एचयूबी	समाचार के लिए विभिन्न केंद्रों पर अपलिंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था		एसएफसी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति उपकरणों की प्राप्ति।	योजना स्वीकृति-प्रथम तिमाही वीसेट के लिए आदेश-तृतीय तिमाही वीसेट की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	योजना स्वीकृत हो चुकी है उपकरण का वर्गीकरण हो रहा है	
(iv)	फ्लाईअवे डीएसएनजी इकाई	खेत एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं		एसएफसी द्वारा योजनाओं	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही	योजना स्वीकृत	

	(4 संख्या) मेट्रो शहरों के दूरदर्शन केंद्र के लिए	के कवरेज के लिए ओबी सुविधाओं में वृद्धि		की स्वीकृति उपकरणों की प्राप्ति।	डीएसएनजी इकाई के लिए आदेश -तृतीय तिमाही डीएसएनजी की आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही		
(v)	डिजिटल सिग्नल की प्राप्ति के लिए प्राप्ति सेट-अप का उन्नयन	दूरदर्शन केंद्रों पर डिजिटल सिग्नल की प्राप्ति		एसएफसी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति उपकरणों की प्राप्ति।	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरण का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापन चतुर्थ तिमाही	योजना स्वीकृत हो चुकी है उपकरण की प्राप्ति के लिए निविदा प्रकाशाधीन है।	
3(सी)	**उपग्रह प्रसारण उपकरण का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण**	ट्रांसमिशन प्लेबैक एवं समाचार का स्वचालन	18.70	उपकरणों की प्राप्ति। विभिन्न केंद्रों पर उपकरणों की प्राप्ति	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरण का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापन चतुर्थ तिमाही	योजना स्वीकृत वर्गीकरण हो रहा है।	
3(डी)	ट्रांसमीटरों का स्वचालन (एलपीटी एवं पीएलपीटीएस)	पुराने एलपीटी का नए एलपीटी से परिवर्तन। परिणाम-स्वरूप, परिचालन कर्मचारियों में कमी और ट्रांसमिशन गुणवत्ता में कमी।	20.04	उपकरण की प्राप्ति। एलपीटी की संस्थापना एवं प्रारंभ	10 एलपीटी-प्रथम तिमाही की स्थापना 10 एलपीटी-प्रथम तिमाही की स्थापना 11 एलपीटी-तृतीय तिमाही की सम्भावना	26 एलपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ	
					50 एलपीटी के लिए आदेश-द्वितीय तिमाही 50 एलपीटी के लिए आदेश-चतुर्थ तिमाही	50 एलपीटी के आदेश प्रस्तुत	
					50 एलपीटी की आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही	50 एलपीटी की आपूर्ति	
					19 एलपीटी की स्थापना-चतुर्थ तिमाही	स्थापना किया गया (2006-07) से 14 एलपीटी प्रारंभ।	
4.	**प्रतिस्थापना योजनाएं**		39.37				
4(ए)	त्रुटि/पुराना/अप्रचलित आदि के कारण चालू ट्रांसमीटरों को बदलना	ट्रांसमिशन की गुणवत्ता की देखभाल एवं बाधा रहित सेवा	11.29	एचपीटी के प्रारंभ एवं संस्थापना। एचपीटी के लिए आदेश प्रस्तुत	2 एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ - प्रथम तिमाही 2 एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ -द्वितीय तिमाही	3 एचपीटी (इंदौर, नागपुर और वाराणसी) में प्रारंभ। 2 एचपीटी (कोचीन एवं कोडईकनाल) में स्थापना पूर्ण प्रारंभ	
					2 एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ -तृतीय तिमाही	स्थानों में (भटिंडा एवं कुर्सियांग) स्थापना कार्य प्रगति पर	
					1 एचपीटी की स्थापना एवं प्रारंभ -चतुर्थ तिमाही	2 तिमाही में प्रारंभ	
					2 एचपीटी के आदेश की प्रस्तुति-	चेन्नई के लिए 2006-07 में	

					-तृतीय तिमाही	2 एचपीटी के आदेश प्रस्तुत	
4(बी)	त्रुटि/पुराना/अप्रचलन आदि के कारण वर्तमान उत्पादन उपकरण (स्टूडियो/ओबी) की प्रतिस्थापना	कार्यक्रम उत्पादन की गुणवत्ता की देखभाल	15.03	उपकरणों की प्राप्ति एवं उनका प्रारंभ	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरणों के लिए आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	स्वीकृत योजनाएं निविदा कार्य लिया गया	
4(सी)	त्रुटि/पुराना/अप्रचलन आदि के कारण वर्तमान उपग्रह प्रसारण उपकरण की प्रतिस्थापना	उपग्रह ट्रांसमिशन की देखभाल एवं कम शक्ति की आवश्यकता के कारण परिचालन लागत में बचत	13.05	उपरिणों की प्राप्ति एवं उनका प्रारंभ	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरणों के लिए आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	स्वीकृत योजनाएं उपकरणों की प्रप्ति के लिए निविदा प्रकाशनाधीन (एचपीए के लिए 2006-07) में आदेश प्रस्तुत/आईआरडी के लिए आदेश प्रस्तुत	
5	नई योजनाएं		137.35				
5(ए)	नए पैकेज	उत्तर पूर्व के राज्यों में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार एवं विकास	40.00	सीसीइए द्वारा पैकेज की स्वीकृति/आवश्यक उपकरणों अंशिका की प्राप्ति	सीसीईए द्वारा स्वीकृति आंशिक उपकरणों के आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही	उत्तर पूर्व के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति नहीं (उत्तर पूर्व के लिए चरण-द्वितीय मई 06 में स्वीकृत)	
5(बी)	गोरखपुर, एवं देहरादून में स्थायी स्टूडियो केंद्रों की स्थापना अतिरिक्त स्टूडियो की सुविधा-रायपुर, रांची, पणजी, चंडीगढ़, लेह एवं जम्मू में	दूरदर्शन नेटवर्क में कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं में वृद्धि	10.57	भवन निर्माण भू-अधिग्रहण उपकरण की प्राप्ति। स्टूडियों की स्थापना एवं जांच	रायपुर स्टूडियों की स्थापना एवं जांच-द्वितीय तिमाही रांची में भवन निर्मित-द्वितीय तिमाही रांची स्टूयिो की स्थापना एवं जांच देहरादून स्टूडियो के लिए भू-अधिग्रहण द्वितीय तिमाही गोरखपुर भवन के लिए तकनीकी क्षेत्र की समाप्ति	रायपुर स्टूडियो की स्थापना पूर्ण स्टूडियो श्रृंखला की जांच रांची में स्टूडियो भवन स्थापना कार्य प्रगति पर और समाप्ति के करीब (2006-07 में पूर्ण) स्टूडियों के मद में जमीन के लिए अदायगी। राज्य प्राधिकरण से लिए गए भूमि का स्वामित्व तकनीकी क्षेत्र पूर्ण	
5(सी) (i)	3+1 एमसीपीसी भू-स्टेशन दिल्ली में	नए स्टूडियो कॉम्पलेक्स (दूरदर्शन भवन) में उपग्रह चैनल का अपलिंक	6.15	उपकरण की प्राप्ति	भू-स्टेशन उपकरण के लिए आदेश-द्वितीय तिमाही भू-स्टेशन की स्थापना एवं जांच तथा उपकरणों की आपूर्ति	आदेश प्रस्तुत उपकरणों की आपूर्ति प्रतीक्षित	

(ii)	टोडापुर में कैरियर मॉनिटरिंग भू-स्टेशन	तकनीकी गुणत्ता की सुनिश्चितता के लिए दूरदर्शन चैनल की केन्द्रीकृत निगरानी।		भू-स्टेशन की स्थापना एवं प्रारंभ	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरण का ओदश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही	अप्रैल 06 में एसएफसी संभव (एसएफसी ने योजना को मई 06 में स्वीकृत किया।)	
5(डी)	डीटीटी		0.02			क	
5(ई)	डीटीएच द्वारा अंतर्क्रिया रूक सेवा		3.00	योजना की स्वीकृति उपकरणों के आदेश एवं आपूर्ति की प्रतिस्थापना	योजना स्वीकृत-द्वितीय तिमाही उपकरणों के लिए आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	डीटीएच की योजना की बचत में से योजना क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित	
5(एफ)	एचडीटीवी	एचडीटीवी उत्पादन	3.00	उत्पादन उपकरण की प्राप्ति	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरणों का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति-चतुर्थ तिमाही	योजना आयोग द्वारा प्रधान स्वीकृति के लिए प्रस्ताव मंत्रालय में सुपुर्द	
5(जी)	आईटी युक्त मल्टीमीडिया	दूरदर्शन स्टूडियो/कार्यालय के कंप्यूटरीकरण के लिए	4.90	उपकरणों की प्राप्ति एवं इसकी स्थापना	योजना स्वीकृति - द्वितीय तिमाही	योजना आयोग से मुख्य स्वीकृति की प्राप्ति के लिए मंत्रालय में प्रस्ताव प्रस्तुत	
5(एच)	शोध एवं विकास/बाजार शोध		1.30				
(i)	दूरदर्शन केन्द्र-दिल्ली एवं मुंबई के बीच ब्राडबैंड नेटवर्किंग			उपकरणों की प्राप्ति एवं स्थापना	उपकरणों के लिए आदेश तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	परियोजना छोड़ दी गई	
(ii)	एमएचपी आधारित वृद्धि/ इंटरएक्टिव अनुप्रयोग विकास प्रक्रिया	नयी तकनीक में विशेषता की प्राप्ति		एसएफसी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति और उपकरण की प्राप्ति	योजना स्वीकृत-द्वितीय तिमाही उपकरणों का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	योजना स्वीकृत नहीं	
5(आई)	कर्मचारियों का सामंजस्य, आधार संरचना एवं सुरक्षा में वृद्धि		40.00				
5(आई) (ए)	लखनऊ, हिसार, जयपुर, पटना, ईटानगर, बंगलूर, त्रिचूर, इलाहाबाद, भवानीपटना, वाराणसी और संबलपुर में कर्मचारी आवास का निर्माण	कर्मचारियों के लिए हाउसिंग सुविधाओं की व्यवस्था		लखनऊ हिसार, जयपुर, पटना, ईटानगर, इलाहाबाद, वाराणसी में निर्माण कार्य किया जाएगा।	संबलपुर में कर्मचारी आवास का पूरा होना द्वितीय तिमाही कर्मचारी आवास के लिए निर्णय-	संबलपुर में कर्मचारी आवास के लिए प्रारंभिक अनुमान स्वीकृति के अंतर्गत (कार्य का निर्णय एवं प्रगति पर) 4 स्थानों पर कर्मचारी आवास	

					द्वितीय तिमाही शेष तीन स्थानों पर कर्मचारी आवास के कार्य का निर्णय तृतीय तिमाही	के निर्माण का कार्य (जयपुर, ईटानगर, हिसार, लखनऊ) प्रगति पर दो स्थानों (इलाहाबाद और वाराणसी में कर्मचारी आवास का निर्माण कार्य का निर्णय। पटना स्थित कर्मचारी आवास के लिए निविदा आमंत्रित किए जाएंगे। (निविदा अब तक प्राप्त। स्थानीय निकाय की स्वीकृति प्रतीक्षित)	
(बी)	मेट्रो-शहरों में कर्मचारी आवास का निर्माण	कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था		भवन योजना की स्वीकृति और निर्माण का प्रारंभ होना।	भवन योजना स्वीकृति -द्वितीय तिमाही एनआईटी का निर्गत होना-द्वितीय तिमाही कार्य का निर्णय एवं निर्माण कार्य का प्रारंभ-तृतीय तिमाही	दिल्ली में कर्मचारी आवास का निर्माण प्रारंभ, मुंबई में नींव के लिए निविदा मांगी गई। स्थानीय निकाय द्वारा भवन योजना की स्वीकृति प्रतीक्षित कोलकाता में आवास के लिए भवन आयोग की स्वीकृति प्रतीक्षित चेन्नई में स्थानीय निकाय को रेखाचित्र सुपुर्द	
(सी)	आधार-संरचना एवं सुरक्षा आदि के मिश्रित योजनाओं की वृद्धि।	आधार संरचना में वृद्धि। विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा में मजबूती		एसएफसी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति और निर्माण का प्रारंभ	योजना स्वीकृति द्वितीय तिमाही चरणों में कार्य का कार्यान्वयन -तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही	विभिन्न संख्या में योजनाएं क्रियान्वय के अंतर्गत और कुछ स्वीकृति की प्रक्रिया के अंतर्गत क	
5(जे)	प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि	वर्तमान प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं की मजबूती	0.21	उपकरणों की प्राप्ति की योजनाओं की स्वीकृति और इनकी स्थापना	योजना स्वीकृति-द्वितीय तिमाही उपकरणों का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	योजना आयोग द्वारा मुख्य स्वीकृति की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को सुपुर्द योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा	
5(के)	सेवा केंद्रों की स्थापना/ डिजिटल उपकरण के लिए	आंचलिक कार्यालयों में डिजिटल उपकरणों की मरम्मत की	2.90	योजनाओं की एसएफसी द्वारा स्वीकृति और	योजना स्वीकृति द्वितीय तिमाही	योजना आयोग द्वारा मुख्य स्वीकृति की प्राप्ति के लिए	

	कार्यशाला	सुविधा		योजनाओं की प्राप्ति	उपकरणों का आदेश-तृतीय तिमाही उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना-चतुर्थ तिमाही	प्रस्ताव मंत्रालय में सुपुर्द	
5(एल)	स्थापना एवं मध्यस्थता (सीसीडब्लू एवं आंचलिक कार्यालय)		25.30	सीसीडब्लू एवं आंचलिक कार्यालयों में परियोजना कर्मचारियों के वेतन पर व्यय			
		कुल	370.00				

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड

एफ एम टावरों का निष्पादन विवरण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नियमित रूप से भेजा जा रहा है। कंपनी के लिए त्रैमासिक लक्ष्य तय किया गया है। समय पर गतिविधि पूरी करने के आधार पर निर्माण कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीद की जाती है कि 31 मार्च 2007 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा और जो कुछ काम बच जाएगा उसे अगले साल पूरा किया जाएगा।

अध्याय-5

वित्तीय समीक्षा

2004-2005

मीडिया अनुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2004-2005			संशोधित अनुमान 2004-2005			वास्तविक 2004-2005		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्षक '2251' - सचिवालीय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	17000	155740	172740	14300	160100	174400	11415	207534	218949
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	19400	21565	40965	10500	22000	32500	7563	20548	28111
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	950	950		1000	1000	0	939	939
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**19400**	**22515**	**41915**	**10500**	**23000**	**33500**	**7563**	**21487**	**29050**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	8500	229970	238470	3700	240100	243800	3382	241162	244544
5. फिल्म समारोह निदेशालय	26500	43050	69550	20800	48300	69100	15589	44843	60432
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	7200	11108	18308	7100	11100	18200	7098	11249	18347
7. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहयाता	3600	31516	35116	1800	29300	31100	1800	36800	38600
8. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	43200	1500	44700	20000	1500	21500	20000	1500	21500
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	3000	55000	58000	2500	63900	66400	3000	62400	65400
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0		0
11. केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा (सीएमएस)	20000	40567	60567	10000	48600	58600	0	0	0
12. अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	1000	9035	10035	700	8300	9000	0	8808	8808

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2004-2005			संशोधित अनुमान 2004-2005			वास्तविक 2004-2005		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
13. भारतीय जनसंचार संस्थान को अनुदान सहायता	11200	37030	48230	3500	34500	38000	3054	34406	37460
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	118500	577450	695950	93500	547100	640600	105906	537388	643294
15. पत्र सूचना कार्यालय	5531	185302	190833	4000	193900	197900	6538	198509	205047
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	19500	19500	0	16700	16700	0	14226	14226
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	201	201	0	200	200	0	201	201
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4000	208811	212811	500	222700	223200	1605	224021	225626
21. संगीत और नाटक प्रभाग	24000	138520	162520	13400	142700	156100	15325	135367	150692
22. प्रकाशन विभाग	6650	114225	120875	1900	116400	118300	3044	116389	119433
23. रोजगार समाचार	0	200025	200025	0	225300	225300	0	233753	233753
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2950	22600	25550	500	22800	23300	0	22428	22428
25. फोटो प्रभाग	1000	24090	25090	600	22700	23300	600	22158	22758
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	0	100	100		100	100	0	0	0
अनुदान सहायता						0			0
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के प्रति योगदान	0	1500	1500	0	1500	1500	0	1265	1265
कुल: प्रमुख शीर्ष '2220'	**286831**	**1951200**	**2238031**	**184500**	**1997800**	**2182300**	**186941**	**1946873**	**2133814**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2004-2005			संशोधित अनुमान 2004-2005			वास्तविक 2004-2005		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**323231**	**2129455**	**2452686**	**209300**	**2180900**	**2390200**	**205919**	**2175894**	**2381813**
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उपप्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	1539500	8212700	9752200	756200	9243500	9999700	921200	9186600	10107800
कुल-प्रसारण	1539700	8212900	9752600	756400	9243700	10000100	921200	9186600	10107800
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	428460	0	428460	428700	0	428700	0	0	
कुल-राजस्व खंड	2291391	10342355	12633746	1394400	11424600	12819000	1127119	11362494	12489613

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाइयों के नाम	बजट अनुमान 2004-2005			संशोधित अनुमान 2004-2005			वास्तविक 2004-2005		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
केन्द्रीय खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	37500	0	37500	32400	0	32400	29783	0	29783
2. पत्र-सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	7469	0	7469	4000	0	4000	3689	0	3689
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	4500	0	4500	4409	0	4409
4. संगीत और नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400	396	0	396
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	6000	0	6000	1000	0	1000	975	0	975
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	12800	0	12800	5000	0	5000	5000	0	5000
8. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	35100	0	35100	25100	0	25100	27631	0	27631
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	7500	0	7500	1000	0	1000	0	0	0
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी- भवन									0
11. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0		0	0
12. चलचित्र के संग्रहालय की स्थापना - प्रमुख कार्य	10000	0	10000	1000	0	1000	1000	0	1000
13. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) का निर्माण	0	0	0	0	0	0		0	0
14. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण में भवन निर्माण	25000	0	25000	4000	0	4000	4000	0	4000
15. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	20000	0	20000	1500	0	1500	0	0	0
16. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0		0	0		0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाईयों के नाम	बजट अनुमान 2004-2005			संशोधित अनुमान 2004-2005			वास्तविक 2004-2005		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
17. सूचना भवन में निर्माण कार्य - प्रमुख कार्य	17000	0	17000	17000	0	17000	17000	0	17000
18. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर			0			0			
का निर्माण	0	0	0		0	0		0	
19. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	50000	0	50000	1500	0	1500	0	0	0
20. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0		0	0		0	0
21. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण आवास परियोजना	13500	0	13500	500	0	500	1500	0	1500
22. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	0	0	0	0	0	0		0	0
23. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0		0	0
निवेश									
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड									
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	252269	0	252269	98900	0	98900	95383	0	95383
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	1695000	0	1695000	909100	0	909100	859300	0	859300
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
एकमुश्त प्रावधान	561340	0	561340	97600	**0**	97600	0	**0**	0
कुल - पूंजी खंड	**2508609**	**0**	**2508609**	**1105600**	**0**	**1105600**	**954683**	**0**	**954683**
कुल - मांग संख्या - 58	**4800000**	**10342355**	**15142355**	**2500000**	**11424600**	**13924600**	**2081802**	**11362494**	**13444296**

वित्तीय समीक्षा
2005-2006

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्षक '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	17000	173600	190600	17000	177330	194330	38474	172430	210904
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	17500	23000	40500	17500	26000	43500	9862	24322	34184
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1100	1100	0	1100	1100	0	770	770
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**17500**	**24100**	**41600**	**17500**	**27100**	**44600**	**9862**	**25092**	**34954**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	29800	239700	269500	31500	238400	269900	33698	230206	263904
5. फिल्म समारोह निदेशालय	34800	48800	83600	34800	47000	81800	25460	44780	70240
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	7200	10900	18100	7200	13600	20800	10766	13108	23874
7. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहयाता	3700	38900	42600	3700	65100	68800	3050	62971	66021
8. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	50940	1500	52440	45400	1500	46900	44871	1500	46371
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	3000	61700	64700	3000	69800	72800	1772	67519	69291
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा (सीएमएस)	100000	51000	151000	73000	2500	75500			0
12. अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	1500	8600	10100	1500	8570	10070	1062	8667	9729
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	5200	36100	41300	1930	37200	39130	2430	38790	41220
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	27800	588900	616700	27800	598150	625950	29389	616712	646101
15. पत्र सूचना कार्यालय	6910	201200	208110	6960	203969	210929	7012	198344	205356
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	19000	19000	0	21731	21731	0	21448	21448
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	2000	231200	233200	700	239400	240100	908	234518	235426
22. संगीत और नाटक प्रभाग	74600	139200	213800	74600	133300	207900	79401	134741	214142
22. प्रकाशन विभाग	4600	122200	126800	4000	135050	139050	2598	126407	129005
23. रोजगार समाचार	0	230600	230600	0	279200	279200	0	255248	255248
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	1970	23900	25870	1970	24000	25970	822	22038	22860
25. फोटो प्रभाग	5000	23800	28800	5000	25000	30000	4997	22752	27749
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुदान सहायता	0	100	100	0	1400	1400	0	1357	1357
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के प्रति योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1326	1326
कुल: प्रमुख शीर्ष '2220'	**359020**	**2079400**	**2438420**	**323060**	**2146970**	**2470030**	**248236**	**2102432**	**2350668**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**393520**	**2277100**	**2670620**	**357560**	**2351400**	**2708960**	**296572**	**2299954**	**2596526**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	1622400	8473300	10095700	1622400	9429100	11051500	1351100	9429100	10780200
कुल-प्रसारण	**1622600**	**8473500**	**10096100**	**1622600**	**9429300**	**11051900**	**1351100**	**9429100**	**10780200**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	524200	0	524200	523700	0	523700	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**2540320**	**10750600**	**13290920**	**2503860**	**11780700**	**14284560**	**1647672**	**11729054**	**13376726**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1790	0	1790	1540	0	1540	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	14600	0	14600	3000	0	3000	4972	0	4972
4. संगीत और नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400	2447	0	2447
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	6000	0	6000	6000	0	6000	5212	0	5212
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5850	0	5850	6420	0	6420	5183	0	5183
8. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0			0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	19060	0	19060	19090	0	19090	19060	0	19060
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	15600	0	15600	10000	0	10000	8015	0	8015
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार									
बी- भवन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. चलचित्र के संग्रहालय की स्थापना - प्रमुख कार्य	74400	0	74400	0	0	0	0	0	0
13. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण में भवन निर्माण	40000	0	40000	40000	0	40000	30000	0	30000
15. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	20000	0	20000	20000	0	20000	19556	0	19556
16. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. सूचना भवन में निर्माण कार्य - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	181950	0	181950	66190	0	66190	.76000	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006			संशोधित अनुमान 2005-2006			वास्तविक 2005-2006		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
20. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण आवास परियोजना	11530	0	11530	1500	0	1500	0	0	0
22. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	0	0	0	80000	0	80000	80000	0	0
23. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवेश									
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड									
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**401680**	**0**	**401680**	**254140**	**0**	**254140**	**250445**	**0**	**94445**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	47700	47700	0	47700	47700
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	1749700	0	1749700	1749700	0	1749700	1754700	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
एकमुश्त प्रावधान	**588300**	**0**	**588300**	**34600**	**0**	**34600**	**0**	**0**	**0**
कुल - पूंजी खंड	**2739680**	**0**	**2739680**	**2038440**	**47700**	**2086140**	**2005145**	**47700**	**142145**
कुल - मांग संख्या - 58	**5280000**	**10750600**	**16030600**	**4542300**	**11828400**	**16370700**	**3652817**	**11776754**	**13518871**

वित्तीय समीक्षा
2006-2007

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड						
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालयी सामाजिक सेवाएं						
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	17000	174300	191300	16000	182804	198804
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन						
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	18600	27600	46200	18600	28500	47100
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1200	1200	0	908	908
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**18600**	**28800**	**47400**	**18600**	**29408**	**48008**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार						0
4. फिल्म प्रभाग	21000	256400	277400	80600	225010	305610
5. फिल्म समारोह निदेशालय	35300	47400	82700	21800	45240	67040
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	7300	14000	21300	7300	14330	21630
7. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहयाता	27900	48500	76400	27900	49039	76939
8. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	52130	1500	53630	34600	4000	38600
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	3000	68200	71200	3000	67236	70236
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0
11. केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा (सीएमएस)	58500	30000	88500	20000	200	20200
12. अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	2500	8900	11400	2500	10395	12895
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	3980	40000	43980	2800	37600	40400
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	23300	592500	615800	228900	593175	822075
15. पत्र सूचना कार्यालय	7196	216947	224143	7196	320198	327394
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	23153	23153	0	23050	23050
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	900	270100	271000	1139	262595	263734
21. संगीत और नाटक प्रभाग	72500	123600	196100	61250	131915	193165
22. प्रकाशन विभाग	0	130700	130700	0	134670	134670
23. रोजगार समाचार	0	291700	291700	0	280220	280220
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	0	24800	24800	0	22560	22560
25. फोटो प्रभाग	7500	27100	34600	10500	21875	32375
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकम अनुदान सहायता	0	1400	1400	0	1400	1400
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के प्रति योगदान	0	2000	2000	0	1380	1380
कुल: प्रमुख शीर्ष '2220'	**323006**	**2219000**	**2542006**	**509485**	**2246188**	**2755673**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**358606**	**2422100**	**2780706**	**544085**	**2458400**	**3002485**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)						
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)						
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)						
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)						
सहायता अनुदान	2981900	9358400	12340300	2505727	9392100	11897827
कुल-प्रसारण	**2982100**	**9358600**	**12340700**	**2505927**	**9392300**	**11898227**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना			0			
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	464600		464600	464777	0	464777
कुल-राजस्व खंड	**3805306**	**11780700**	**15586006**	**3514789**	**11850700**	**15365489**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
केन्द्रीय खंड						
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	12700	0	12700
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	4500	0	4500	4500	0	4500
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	8300	0	8300	8900	0	8900
4. संगीत और नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	2500	0	2500	2500	0	2500
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5000	0	5000	5000	0	5000
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	9370	0	9370	8200	0	8200
8. सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	51500	0	51500	51500	0	51500
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण	20511	0	20511	20511	0	20511
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण अधिग्रहण	6913	0	6913	5000	0	5000
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0
बी- भवन					0	
11. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0
12. चलचित्र के संग्रहालय की स्थापना - प्रमुख कार्य	70000	0	70000	25000	0	25000
13. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु)का निर्माण	0	0	0	0	0	0
14. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण में भवन निर्माण	40000	0	40000	64700	0	64700
15. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	31800	0	31800	21000	0	21000
16. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना,	0	0	0	0		0
भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण			0	0	0	0
17. सूचना भवन में निर्माण कार्य - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0
18. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0
19. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	100000	0	100000	45000	0	45000
20. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0
21. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण आवास परियोजना	2500	0	2500	2500	0	2500
22. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	100000	0	100000	41500	0	41500

(Rs. in thousands)

Name of Media Units/Activity	BE 2006-2007			RE 2006-2007		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
23. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0
निवेश						
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**462894**	**0**	**462894**	**318511**	**0**	**318511**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)						
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
(लघु शीर्ष)						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम						
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
प्रसार भारती						
ऋण और अग्रिम राशि	457100	0	457100	411100	0	411100
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना						
(प्रमुख शीर्ष - 4552)						
एकमुश्त प्रावधान	**654700**	**0**	**654700**	**505600**	**0**	**505600**
कुल - पूंजी खंड	**1574694**	**0**	**1574694**	**1235211**	**0**	**1235211**
कुल - मांग संख्या - 58	**5380000**	**11780700**	**17160700**	**4750000**	**11850700**	**16600700**

वित्तीय समीक्षा
विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2004-2005 योजना	गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2004-2005 योजना	गैर-योजना	वास्तविक 2004-2005 योजना	गैर-योजना	बजट अनुमान 2005-2006 योजना	गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2005-2006 योजना	गैर-योजना	वास्तविक 2005-2006 योजना	गैर-योजना	बजट अनुमान 2006-2007 योजना	गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2006-2007 योजना	गैर-योजना
राजस्व खंड																
वेतन																
पारित	1170	835486	640	886890	360	900007	650	910600	750	934680	487	911842	580	942690	610	946331
भारित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मजदूरी	0	6400	0	6125	0	5973	0	6325	0	6025	0	6350	0	6405	0	7000
समयोपरि भत्ता	15	9153	5	7890	693	7873	150	8418	150	7903	136	7590	0	8250	0	7865
चिकित्सा व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	26525	20	26235
घरेलू यात्रा व्यय	750	40914	335	40030	52	40318	1450	42252	1450	44328	1095	42161	7775	40276	3725	42730
विदेशी यात्रा व्यय	3200	4650	1710	4200	817	4191	4500	4500	4700	4500	1730	4703	3500	4725	2000	5000
कार्यालय व्यय	29481	120165	17025	121175	.15614	156461	35010	124475	34093	133070	25500	129205	38421	140630	39491	147560
किराया, दर और कर																
पारित	150	43007	150	46050	141	38620	150	46215	150	43159	141	39152	1650	35627	300	36053
भारित	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
प्रकाशन	1500	20650	50	21600	0	20652	600	23650	500	30126	498	30040	0	23600	0	29620
बैंक के नकद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	433
लेन-देन का कर																
अन्य प्रशासनिक व्यय	4150	6550	2235	7500	2639	7418	5950	6750	6350	7830	29690	9125	5500	9000	4850	8800
आपूर्ति और सामग्री	14750	215700	3950	229500	5066	233782	12400	230500	11300	256578	9654	244302	14200	287050	10139	250850
पी.ओ.एन.	0	15848	0	12825	0	13342	300	13250	400	14325	400	14340	0	14750	0	15250
विज्ञापन और प्रचार	118600	514100	93660	487100	105906	486409	28100	532250	28100	544470	29764	553799	23300	535845	228900	634250
लघु कार्य	300	50233	150	54310	249	52352	170	54360	1137	63084	0	58020	0	68310	0	47600
व्यावसायिक सेवाएं	17765	23250	11150	22900	11341	22163	65250	24100	64250	21131	70388	22279	47950	20899	47950	28350
सहायता अनुदान	1602500	8357401	786000	9389635	949610	9336149	1687240	8630785	1678430	9624721	1404501	9621593	3070910	9540293	2576027	9573565
योगदान	0	1600	0	1600	0	1265	0	2100	0	3400	0	2683	0	3400	0	2780
अनुदान	0	201	0	200	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	428460	980	428700	1000	0	2048	524200	1100	523700	1100	0	770	464600	1200	464777	908
अन्य भार	48600	35200	38640	35170	34631	33270	74200	37670	75400	37470	73688	31100	68400	40630	116000	39020
अंतर्लेखा हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सूचना और प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा	20000	40567	10000	48600	0	0	100000	51000	73000	2500	0	0	58500	30000	20000	200
कुल	**2291391**	**10342355**	**1394400**	**11424600**	**1127119**	**11362494**	**2540320**	**10750600**	**2503860**	**11780700**	**1647672**	**11729054**	**3805306**	**11780700**	**3514789**	**11850700**

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2004-2005 योजना	बजट अनुमान 2004-2005 गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2004-2005 योजना	संशोधित अनुमान 2004-2005 गैर-योजना	वास्तविक 2004-2005 योजना	वास्तविक 2004-2005 गैर-योजना	बजट अनुमान 2005-2006 योजना	बजट अनुमान 2005-2006 गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2005-2006 योजना	संशोधित अनुमान 2005-2006 गैर-योजना	वास्तविक 2005-2006 योजना	वास्तविक 2005-2006 गैर-योजना	बजट अनुमान 2006-2007 योजना	बजट अनुमान 2006-2007 गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2006-2007 योजना	संशोधित अनुमान 2006-2007 गैर-योजना
पूंजी खंड																
मशीन और उपकरण	116769	0	73400	0	70883	0	73800	0	46450	0	44889	0	118594	0	118811	0
प्रमुख कार्य	135500	0	25500	0	24500	0	327880	0	207690	0	205556	0	344300	0	199700	0
निवेश	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0
ऋण और अग्रिम	0	0		0		0		0		0	0	47700	0	0	0	0
प्रसार भारती को ऋण	1695000	0	909100	0	859300	0	1749700	0	1749700	0	1754700	0	457100	0	411100	0
उ.पू. और सिक्किम के लिए	561340	0	97600	0		0	588300	0	34600	0	0	0	654700	0	505600	0
कुल	**2508609**	**0**	**1105600**	**0**	**954683**	**0**	**2739680**	**0**	**2038440**	**0**	**2005145**	**47700**	**1574694**	**0**	**1235211**	**0**
कुल योग	**4800000**	**10342355**	**2500000**	**11424600**	**2081802**	**11362494**	**5280000**	**10750600**	**4542300**	**11780700**	**3652817**	**11776754**	**5380000**	**11780700**	**4750000**	**11850700**

स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2004-2005 योजना	बजट अनुमान 2004-2005 गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2004-2005 योजना	संशोधित अनुमान 2004-2005 गैर-योजना	वास्तविक 2004-2005 योजना	वास्तविक 2004-2005 गैर-योजना	बजट अनुमान 2005-2006 योजना	बजट अनुमान 2005-2006 गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2005-2006 योजना	संशोधित अनुमान 2005-2006 गैर-योजना	वास्तविक 2005-2006 योजना	वास्तविक 2005-2006 गैर-योजना	बजट अनुमान 2006-2007 योजना	बजट अनुमान 2006-2007 गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2006-2007 योजना	संशोधित अनुमान 2006-2007 गैर-योजना
राजस्व खंड																
बाल फिल्म समिति	43200	1500	20000	1500	20000	1500	50940	1500	45400	1500	44871	1500	52130	1500	34600	4000
फिल्म और टेलीविजन	3000	55000	2500	63900	3000	62400	3000	61700	3000	69800	1772	67519	3000	68200	3000	67236
संस्थान पुणे	35100	0	25100	0	27631	0	19060	0	19090	0	19060	0	20511	0	20511	0
सत्यजित राय फिल्म और	3600	31516	1800	29300	1800	36800	3700	38900	3700	65100	3050	62971	27900	48500	27900	49039
टेलीविजन संस्थान कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51500	0	51500	0
भारतीय जन संचार	11200	37030	3500	34500	3054	34406	5200	36100	1930	37200	2430	38790	3980	40000	2800	37600
संस्थान	12800	0	5000	0	5000	0	5850	0	6420	0	5183	0	9370	0	8200	0
	13500	0	500	0	1500	0	11530	0	1500	0	0	0	2500	0	2500	0
भारतीय प्रेस परिषद		19500		16700		14226		19000		21731		21448		23153		23050
प्रसार भारती	1539500	8212700	756200	9243500	921200	9186600	1622400	8473300	1622400	9429100	1351100	9429100	2981900	9358400	25057279392100	

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को अनुदान जारी

(रुपये लाख में)

नाम	अनुदान जारी				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई)			
	2004-2005		2005-2006		2004-2005		2005-2006	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
बाल फिल्म समिति	200.00	15.00	448.71	15.00	14.82	शून्य	14.85	शून्य
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	306.31	624.00	208.32	675.19	12.28	शून्य	2.67	शून्य
सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	18.00	368.00	30.50	629.71	शून्य	9.29	3.91	8.80
भारतीय जनसंचार संस्थान	95.54	344.06	75.20	387.90	28.30	9.68	6.69	12.79
भारतीय प्रेस परिषद	शून्य	142.26	शून्य	214.48	शून्य	2.83	शून्य	16.22
प्रसार भारती	9212.00	92435.00	13511.00	85174.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उपयोगिता प्रमाण-पत्र का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रमाणपत्र जारी करने वाला संस्थान	विचाराधीन प्रमाणपत्र की संख्या
1.	सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	शून्य
2.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	शून्य
3.	भारतीय जनसंचार संस्थान	शून्य
4.	बाल फिल्म समिति, भारत	शून्य
5.	भारतीय प्रेस परिषद	शून्य
6.	प्रसार भारती	शून्य

अध्याय-6

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और कार्य-निष्पादन

बाल फिल्म समिति, भारत

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्तशासी निकाय)

पिछले 5 साल में बनाई गई फिल्मों और बालदर्शकों की संख्या इस प्रकार है -

2001-02 : निर्माण : 6 फीचर फिल्मों, एक लघु फीचर फिल्म व 3 लघु फिल्मों का निर्माण हुआ

विपणन : 2094 प्रदर्शनों को 15,19,578 बच्चों ने देखा।

व्यय : 271.67 लाख रु. व्यय हुआ।

2002-03 : निर्माण : 2 फीचर फिल्में पूरी की गईं।

विपणन : 26 लाख बच्चों के लिए 6087 प्रदर्शन किए गए।

व्यय : 271.67 लाख रुपये का व्यय हुआ।

2003-04 निर्माण : 5 फीचर व 5 लघु फिल्मों का निर्माण हुआ।

विपणन : 28.25 लाख बाल दर्शकों के लिए कुल 6557 प्रदर्शन आयोजित।

व्यय : 402.67 लाख रुपये व्यय किए गए।

2004-05 निर्माण : 2 फीचर फिल्में व एक लघु फिल्म का निर्माण हुआ।

विपणन : 29.14 लाख बाल दर्शकों के लिए 6082 प्रदर्शन आयोजित।

2005-06 निर्माण : 4 फीचर फिल्में पूरी की गईं।

विपणन : 27 लाख बाल दर्शकों के लिए 7026 प्रदर्शन आयोजित।

व्यय : 448.71 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

2006-07 (31.12.2006 तक) : निर्माण : 4 फीचर व 5 लघु फिल्में पूरी की गईं।

विपणन : 22 लाख बाल दर्शकों के लिए 4359 प्रदर्शन आयोजित

खर्च : 142.31 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के निष्पादन की समीक्षा

1. इस संस्थान की स्थापना 1960 में भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की थी। 1974 में इसमें टेलीविजन शाखा जोड़ी गई जिसके बाद इसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहा जाने लगा। यह संस्थान 1974 में सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860, के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। इसकें फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों के प्रतिनिधि और पदेन अधिकारी होते हैं। इसके प्रशासन के लिए एक गवर्निंग कौंसिल होती है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जाने-माने लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. यू.आर. अनंतमूर्ति अध्यक्ष हैं।

2. इस संस्थान के दो स्कंध हैं। फिल्म एवं टेलीविजन स्कंध फिल्म और टेलीविजन संबंधी पाठ्यक्रम चलाता है। फिल्म निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, आडियोग्राफी और फिल्म संपादन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होते हैं। यह संस्थान अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एनिमेशन तथा कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठयक्रम संचालित करता है। जो टेलीविजन पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनमें टेलीविजन मे एक वर्षीय प्रमाणपत्र शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम में टी.वी. निर्देशन, इलेक्ट्रानिक, सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, आडियोग्राफी और टी.वी. इंजीनियरिंग शामिल है।

3. टी.वी. स्कंध दूरदर्शन के कार्मिकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता है। टी.वी. प्रस्तुतीकरण, तकनीकी संचालन, संपादन, साउंड रिकार्डिंग, कैमरा, ग्राफिक्स और सेट डिजाइनिंग आदि में पाठ्यक्रम चलाऐ जाते हैं।

4. इस संस्थान ने गैर-कथा चित्र वर्ग में अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये है। इनमें सर्वश्रेष्ठ गैर-कथाचित्र, सर्वश्रेष्ठ लघु कथा चित्र, सामाजिक विषय पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, विशेष जूरी पुरस्कार एवं 52वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र का पुरस्कार शामिल है। इस समारोह का आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय ने किया था।

5. 2005-06 में गैर-योजना व्यय रु. 874.89 लाख था। संशोधित अनुमानों को तुलना में गैर-योजना में अंतर्गत रु. 698.00 लाख का अनुदान मिला जिसमें से रु. 675.19 लाख वस्तुत: 2005-06 में मिला। बाकी 199.70 लाख रुपए रु. 22.81 की राजस्व प्राप्ति से लिए गए जो आंशिक रूप रूप से वेतन देने (मार्च 2006 का) पर खर्च किया गया और शेष खर्च रु. 176.89 लाख 2005-06 की राजस्व प्राप्ति से किया गया।

6. योजना के अंतर्गत रु 220.60 लाख के अनुदान में से रु. 217.93 लाख का इस्तेमाल किया गया और शेष राशि बची रह गई।

7. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के काम काज पर भारत सरकार नजर रखती है। अनुदान राशि जारी करते हुए गर्वनिंग कौंसिल और स्थायी वित्त समिति की बैठकों में इसके निष्पादन की समीक्षा की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट और संस्थान के लेखा परीक्षा वक्तव्य के आधार पर इस संस्थान का काम काज कुल मिला कर संतोषजनक पाया गया है।

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा

भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1995 में कोलकाता के सत्यजित राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाया था। इस सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार और

संस्कृति के क्षेत्रों से जुड़ी प्रख्यात हस्तियां, संस्थान के पूर्व छात्र तथा पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। संस्थान का संचालन एक संचालन परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रख्यात फिल्मकार श्री बासु चटर्जी हैं।

2 यह संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, सिनेमाटोग्राफी, सम्पादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है।

3 बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि कोर्स और विभिन्न प्रोजेक्ट कराता है।

4 वर्ष के दौरान छात्रों द्वारा बनाई गई निम्नलिखित फिल्में विभिन्न समारोहों के लिए चुनी गई हैं:

क्र.सं.	फिल्म का नाम	पुरस्कार	निर्देशक/छायाकार
1	तेत्रिस (बंगला/अंग्रेजी)	कान्स फिल्म समारोह (फ्रांस), 2006 के सिने फाउंडेशन खंड में प्रदर्शन के लिए चुनी गई	निर्देशक: अनिरबन दत्ता
2	कुलाई चौला (उड़िया)	केरल फिल्म समारोह, 2006 के प्रतियोगिता खंड के लिए चुनी गई	निर्देशक: संजीब बेहुड़ा
3	बाघेर बच्चा (बंगला)	एशिया फिल्म फेस्टीवल आफ फर्स्ट फिल्म्स, सिंगापुर वीसोल फिल्म फेस्टीवल, फ्रांस सिनेरेल, पेरिस के लिए चुनी गई	निर्देशक: बिश्नुदेव हलदर
4	एन एक्टर प्रिपेयर्स	सिनेमा दु रील, पेरिस के लिए चुनी गई	निर्देशक: कानु बेहल

5 वर्ष 2005-06 के दौरान 651.00 लाख रुपए के संशोधित अनुमान और अंतिम अनुदान के मुकाबले गैर-योजना व्यय 659.87 लाख रुपए का था। लेकिन वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तव में 629.71 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान 30.16 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया।

6 योजना के तहत 37.00 लाख के अंतिम अनुदान में से वर्ष के दौरान 30.50 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। इस राशि का उपयोग कर लिया गया और वर्ष 2005-06 के अंत में योजना के तहत 3.91 रुपए की अप्रयुक्त राशि बची रह गई।

7 अनुदान सहायता की किस्तें जारी करते समय, सरकार द्वारा संचालन परिषद, स्थायी वित्त समिति आदि की बैठकों के दौरान संस्थान के काम-काज पर निगाह रखी जाती है। इन समितियों में सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण को देखते हुए इसका प्रदर्शन समग्र रूप से संतोषजनक पाया गया।

भारतीय जनसंचार संस्थान

श्री आर.के. मिश्र की अध्यक्षता में एक समिति ने 1996 में आईआईएमसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की थी। 2003 में, संस्थान के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए एक समिति गठित हुई थी जो कई अवसरों पर बैठकों के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं दे सकी। इसके बाद आईआईएमसी की कोई समीक्षा नहीं हुई। मंत्रालय ने आईआईएमसी से इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति बनाने के लिए कहा है।

भारतीय प्रेस परिषद्

जहां तक भारतीय प्रेस परिषद के कार्यकलापों के मूल्यांकन का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है। मंत्रालय में ई आर सी की सिफारिशों को देने के दौरान यह महसूस किया या कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न तो ऐसा मूल्यांकन करना उचित होगा न ही ऐसी कोई अन्य प्रमुख संस्था है जो इसका मूल्यांकन कर सके। इस मंत्रालय की स्वायत्त संस्थाओं के बारे में ईआरसी की रिपोर्ट पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया के साथ उक्त निर्णय से वित्त मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया है।

प्रसार भारती: आकाशवाणी

प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। देश के लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के साथ ही प्रसारण का एक संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं आयोजित करने और उन्हें संचालित करने के अधिदेश के साथ 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई।

आकाशवाणी द्वारा वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2006-07 की तीसरी तिमाही के दौरान व्यापक भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन संबंधी उपलब्धियों का वर्णन अध्याय-IV में किया गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन का कार्य निष्पादन संतोषजनक है और आकाशवाणी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से सरकार सहमत है।

प्रसार भारती: दूरदर्शन

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन इसके दो महत्वपूर्ण अंग है। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। आम जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा की व्यवस्था करने का प्रसार भारती को अधिकार है। प्रसार भारती की प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है।

दूरदर्शन द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान और 2006-07 की तीसरी तिमाही में हासिल किये गये व्यापक भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन अध्याय-IV चार में दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, संगठन का कार्य निष्पादन संतुलित है और दूरदर्शन द्वारा पेश रिपोर्ट से सरकार सहमत है।